खण्ड–500, अंक–10
मंगलवार, 27 आषाढ़, शक संवत् 1939
(18 जुलाई, 2017 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

—: 0 :—

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2017)

(खण्ड 500 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2017

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ–संख्या
उपस्थित सदस्य	1–8
अलीगढ़ में बैंक में हुई लूट एवं गार्ड की हत्या तथा विधान सभा मण्डप में पायी गयी विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत सदन में चर्चा कराये जाने की मांग	9–15
प्रश्नोत्तर	16–117
आज की कार्य–सूची के अतारांकित प्रश्न सं0–31 के गलत छपे होने पर उसके उत्तर को संशोधित कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	117–118
आज की कार्य–सूची के अतारांकित प्रश्न सं0–168 का उत्तर शासन द्वारा गलत दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	118–119
नियम–301 के अन्तर्गत सूचनायें	119–120
जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत तहसील भोगांव निवासी रामऔतार एवं अन्य द्वारा फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	120–121
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत कतिपय लघु सेतु एवं पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	121
लखनऊ से गोरखपुर मार्ग पर परिवहन निगम के अधिकृत ढाबों पर स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सुलभ शौचालय का निर्माण एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	121–122
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद राजमार्ग–91 सिकन्दराबाद कांकोड़ मार्ग पर बाई पास के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	122
उत्तर प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद वाराणसी के लोक निर्माण विभाग के बसही से पटेल चौराहा व लहरतारा पुल के नीचे सड़कों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में	123

विषय	पृष्ठ–संख्या
नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	
लखनऊ नगर निगम की ई–टेण्डरिंग में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	123
जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में हैण्डपम्पों के रि–बोर एवं नये हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	123–124
कुशीनगर स्थित चाप शाखा से निकलने वाले माइनरों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	124
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के अन्तर्गत थाना खीरों एवं हरचन्दपुर में फायर स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	124–125
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत ग्राम हैदराबाद से नहर तक सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना ...	125
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सेदपुर में गांगी नदी में कतिपय स्थानों पर घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	125
बाणसागर परियोजना से चित्रकूट जिले को सिंचाई हेतु शामिल करके मध्य प्रदेश से नहरों को बढ़ा कर पानी देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	125–126
जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के मंगुराडिला से न्योरी मार्ग को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	126
जनपद पीलीभीत के विभिन्न पर्यटक स्थलों को विकसित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना	126–127
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	127
कार्यपालिका की प्रत्येक इकाई के कार्यालय राज्य मुख्यालय पर एक	127–128

विषय	पृष्ठ–संख्या
स्थल/भवन में स्थापित न होने से मा0 सदस्यों को निरीक्षण एवं सम्पर्क करने में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	
विधान परिषद् की भांति विधान सभा सत्र के दौरान आधे घण्टे के मध्याह्न ब्रेक की व्यवस्था किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	128–129
जनपद सीतापुर में महमूदाबाद–बाराबंकी वाया भगौली मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी लाल आदि निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	130
गोमती नदी में गिनियांपुर घाट पर हंसराजपुर समगढ़ा के पास पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई) ...	130
जिला पंचायत फैजाबाद द्वारा संचालित चिकित्सालय नरौली, विकास खण्ड–रुदौली को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह आदि निवासीगण रुदौली जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	130
घाघरा नदी पर रुदौली ब्लाक में कैथी घाट पर मंहगूपुरवा के पास पीपे के पुल की जगह पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार पाठक आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	130–131
आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य ...	131
कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	131–147
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण की मदों को स्थगित करने का अनुरोध	147–148
उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अनेक जिलों में प्रचण्ड बाढ़ के उपरान्त भी राहत कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर डेढ़ घण्टे की चर्चा ...	148–164

विषय **पृष्ठ–संख्या**

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (जारी) 164–219

सदन का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) 219

वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा ... 219–230

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनायें 230–232

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत भीषण बारिश के उपरान्त बेघर हुए लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य 232–234

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में बाई पास निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ... 234–235

जनपद लखनऊ में फैल रहे डेंगू के प्रकोप से बचाने हेतु अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उदासीनता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य 235–237

जनपद आगरा के सेक्टर–10 के पार्क के सौन्दर्यीकरण व सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य 237–238

उत्तर प्रदेश में राज्य कौशल विकास मिशन के निष्पादन के सन्दर्भ में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जटाशंकर त्रिपाठी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री का वक्तव्य 238–240

जनपद सीतापुर की तहसील–महमूदाबाद स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में सी0एन0डी0एस0 एजेंसी द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य 240–241

विषय **पृष्ठ–संख्या**

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में 179 किसानों की मृत्यु उपरान्त कृषि दुर्घटना बीमा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ... 241–242

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के महत्वपूर्ण मार्गों में बड़े–बड़े गड्ढे होने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में श्री सीताराम वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उप मुख्य मंत्री (लोक निर्माण) का केवल वक्तव्य 242–243

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

———————

मंगलवार, दिनांक 18 जुलाई, 2017 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य–378

1. अक्षयवर लाल गोंड, श्री बहराइच
2. अगयश राम सरन वर्मा, श्री पीलीभीत
3. अजय कुमार, डॉ0 इलाहाबाद
4. अजय कुमार 'लल्लू', श्री कुशीनगर
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्रीसम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री गाजियाबाद
7. अतुल गर्ग, श्री गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, श्री सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती अम्बेडकरनगर
16. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0बुलन्दशहर
17. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती बहराइच
18. अनुराग सिंह, श्री मिर्जापुर
19. अनूप प्रधान, श्री अलीगढ़
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्रीकानपुर नगर
22. अमर सिंह, श्री फर्रुखाबाद
23. अमर सिंह चौधरी, श्री सिद्धार्थनगर
24. अमिताभ बाजपेई, श्री कानपुर नगर
25. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री लखनऊ
26. अरविन्द गिरि, श्री खीरी
27. अरूण कुमार, डॉ0 बरेली
28. अरूण कुमार यादव, श्री आजमगढ़
29. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती कन्नौज
30. अलका राय, श्रीमती गाजीपुर
31. अवतार सिंह भडाना, श्रीमुजफ्फरनगर
32. अवधेश सिंह, श्री वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री लखनऊ
35. अशोक कुमार राणा, श्री बिजनौर
36. अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्रीहमीरपुर
37. असलम अली, श्री हापुड़
38. आजाद अरिमर्दन, श्री आजमगढ़

39. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री बलिया
40. आर0 के0 सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
41. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमतीप्रतापगढ़
42. आलमबदी, श्री आजमगढ़
43. आशीष कुमार सिंह ''आशू'', श्रीहरदोई
44. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
45. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री लखनऊ
46. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
47. इकराम कुरैशी, हाजी मुरादाबाद
48. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री फैजाबाद
49. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
50. उज्जवल रमण सिंह, श्री इलाहाबाद
51. उदयभान सिंह, चौ0 आगरा
52. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
53. उपेन्द्र सिंह, श्री बाराबंकी
54. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
55. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
56. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
57. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
58. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
59. कमल रानी, श्रीमती कानपुर नगर
60. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
61. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
62. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
63. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
64. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
65. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
66. काली प्रसाद, श्री देवरिया
67. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
68. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
69. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
70. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. केसर सिंह, श्री बरेली
73. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
74. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
75. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
76. गंगा, श्री कुशीनगर
77. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
78. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
79. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
80. गौरी शंकर, श्री जालौन
81. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
82. चन्द्र प्रकाश उर्फ सीए चन्द्र प्रकाश शुक्ल, श्री बस्ती
83. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्रीचित्रकूट
84. चेतन चौहान, श्री अमरोहा
85. चेतराम, श्री शाहजहांपुर
86. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
87. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
88. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
89. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
90. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
91. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद

92. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
93. जयप्रकाश निषाद, श्री देवरिया
94. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
95. जयमंगल, श्री महाराजगंज
96. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
97. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
98. जितेन्द्र वर्मा, श्री आगरा
99. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
100. ज्ञानेन्द्र, श्री महाराजगंज
101. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
102. तसलीम अहमद, श्री बिजनौर
103. तेजपाल सिंह नागर, श्रीगौतमबुद्ध नगर
104. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
105. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
106. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
107. दल बहादुर, श्री रायबरेली
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
109. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
110. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
111. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
112. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
113. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
114. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
115. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
116. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
117. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
118. देवेन्द्र सिंह राजपूत, श्री कासगंज
119. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
120. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
121. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
122. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी
123. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
124. धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री रायबरेली
125. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
126. नन्द किशोर, श्री गाजियाबाद
127. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
128. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
129. नरेन्द्र पाल सिंह, कुँ0 जालौन
130. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
131. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
132. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
133. नसीर अहमद खाँ, श्री रामपुर
134. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
135. नाहिद हसन, श्री शामली
136. निर्मला संखवार, श्रीमतीकानपुर देहात
137. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
138. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
139. नीलम करवरिया, श्रीमती इलाहाबाद
140. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
141. नीलिमा कटियार, श्रीमतीकानपुर नगर

142. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
143. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
144. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
145. पवन कुमार, श्री कुशीनगर
146. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
147. पारसनाथ यादव, श्री जौनपुर
148. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
149. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
150. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
151. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमतीकानपुर देहात
152. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
153. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
154. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
155. प्रभुनारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
156. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
157. प्रवीण पटेल, श्री इलाहाबाद
158. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
159. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
160. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
161. फागू चौहान, श्री मऊ
162. बजरंग बहादुर सिंह, श्रीमहाराजगंज
163. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
164. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
165. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
166. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
167. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
168. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
169. बावन सिंह, श्री गोण्डा
170. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमतीबुलन्दशहर
171. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
172. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
173. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
174. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
175. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
176. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
177. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
178. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
179. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
180. भगवती प्रसाद सागर, श्रीकानपुर नगर
181. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
182. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
183. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
184. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
185. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
186. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
187. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
188. मन्जू शिवाज, डॉ0 गाजियाबाद
189. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
190. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
191. मसूद अखतर, श्री सहारनपुर
192. महबूब अली, श्री अमरोहा
193. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
194. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
195. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
196. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा

197. महेश चन्द्र, श्री कानपुर नगर
198. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
199. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
200. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
201. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
202. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
203. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
204. मुख्तार अन्सारी, श्री मऊ
205. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
206. मो0 आजम खां, श्री रामपुर
207. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्रीइलाहाबाद
208. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
209. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
210. मौ0 फईम, श्री मुरादाबाद
211. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्रीरामपुर
212. यासर शाह, श्री बहराइच
213. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
214. योगेश धामा, श्री बागपत
215. योगेश वर्मा, श्री खीरी
216. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
217. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्रीकुशीनगर
218. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
219. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
220. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
221. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
222. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
223. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
224. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
225. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
226. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
227. रवि शर्मा, श्री झांसी
228. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
229. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
230. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
231. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 प्रतापगढ़
232. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
233. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
234. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
235. राकेश सिंह बघेल, श्रीसन्तकबीर नगर
236. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्रीसिद्धार्थनगर
237. राज करन कबीर, श्री बांदा
238. राजकुमार अग्रवाल उर्फ राजिया, श्री हरदोई
239. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्रीमैनपुरी
240. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
241. राजवीर दिलेर, श्री अलीगढ़
242. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
243. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भइया, श्री बदायूं
244. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
245. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
246. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
247. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्रीमुरादाबाद

248. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
249. राधा कृषण शर्मा, पं0 बदायूं
250. राम अचल राजभर, श्रीअम्बेडकरनगर
251. रामकुमार वर्मा पटेल, श्री खीरी
252. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
253. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
254. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
255. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
256. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
257. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
258. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
259. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
260. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
261. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
262. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
263. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
264. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
265. रितेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
266. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
267. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
268. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
269. लाखन सिंह, श्री औरैया
270. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
271. लाल बहादुर, श्री कौशाम्बी
272. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
273. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
274. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
275. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
276. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
277. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
278. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
279. विजय कुमार कश्यप, श्रीमुजफ्फरनगर
280. विजय मिश्र, श्री भदोही
281. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
282. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
283. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
284. विनय शाक्य, श्री औरैया
285. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
286. विनोद कुमार कटियार, श्रीकानपुर देहात
287. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
288. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
289. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
290. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
291. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहांपुर
292. वीरेन्द्र, श्री एटा
293. वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री बुलन्दशहर
294. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
295. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
296. शरदवीर सिंह, श्री शाहजहांपुर
297. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
298. शारदा प्रसाद, श्री चन्दौली
299. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
300. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
301. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
302. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
303. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर

304. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्रीबलरामपुर
305. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
306. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
307. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
308. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
309. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
310. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
311. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
312. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
313. संगम लाल गुप्ता, श्री प्रतापगढ़
314. संगीता, श्रीमती गाजीपुर
315. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
316. संजय, श्री बुलन्दशहर
317. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
318. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
319. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
320. संजय यादव, श्री बलिया
321. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
322. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
323. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
324. संजीव राजा, श्री अलीगढ़
325. संजू देवी, श्रीमती अम्बेडकरनगर
326. संदीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
327. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
328. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0सिद्धार्थनगर
329. सत्यपाल सिंह बघेल, श्रीफिरोजाबाद
330. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
331. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री मेरठ
332. सत्यवीर त्यागी, श्री मेरठ
333. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
334. सरिता भदौरिया, श्रीमती इटावा
335. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री बाराबंकी
336. साधना सिंह, श्रीमती चन्दौली
337. सावित्री कठेरिया, श्रीमती इटावा
338. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री इलाहाबाद
339. सीताराम वर्मा, श्री सुल्तानपुर
340. सुखदेव राजभर, श्री आजमगढ़
341. सुनीता, श्रीमती गाजीपुर
342. सुनील कुमार शर्मा, श्री गाजियाबाद
343. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजरफर्रुखाबाद
344. सुनील वर्मा, श्री सीतापुर
345. सुभाष त्रिपाठी ऐडवोकेट, श्रीबहराइच
346. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
347. सुरेन्द्र, श्री बलिया
348. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री वाराणसी
349. सुरेश कुमार, श्री शामली
350. सुरेश कुमार, श्री अमेठी
351. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
352. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री लखनऊ
353. सुरेश तिवारी, श्री देवरिया
354. सुरेश राही, श्री सीतापुर
355. सुरेश्वर सिंह, श्री बहराइच
356. सुशान्त कुमार सिंह, कुँ0 बिजनौर
357. सुशील कुमार शाक्य, श्री फर्रुखाबाद
358. सुशील सिंह, कुँ0 चन्दौली

359. सुषमा पटेल, श्रीमती जौनपुर
360. सूर्य प्रताप शाही, श्री देवरिया
361. सूर्यभान सिंह, श्री सुल्तानपुर
362. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 मेरठ
363. सोवरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
364. सोहिल अख्तर अंसारी, श्रीकानपुर नगर
365. सौरभ श्रीवास्तव, श्री वाराणसी
366. सौरभ सिंह, श्री खीरी
367. स्वाती सिंह, श्रीमती लखनऊ
368. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
369. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 सीतापुर
370. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री खीरी
371. हरिओउम यादव, श्री फिरोजाबाद
372. हरिशंकर माहौर, श्री हाथरस
373. हरीराम, श्री सोनभद्र
374. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 जौनपुर
375. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री इलाहाबाद
376. हाकिम लाल बिन्द, श्री इलाहाबाद
377. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमतीआगरा
378. हृदय नारायण दीक्षित, श्री उन्नाव

नोट :– मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह), परिवहन एवं ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज एवं लोक निर्माण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी) तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स, मुलिस्म वक्फ, हज राज्य मंत्री (श्री मोहसिन रजा) भी सदन में उपस्थित थे।

अलीगढ़ में बैंक में हुई लूट एवं गार्ड की हत्या तथा विधान सभा मण्डप में पायी गयी विस्फोटक सामग्री के सम्बन्ध में नियम–311 के अन्तर्गत सदन में चर्चा कराये जाने की मांग

(श्री लालजी वर्मा, नेता बहुजन समाज पार्टी तथा श्री अजय कुमार 'लल्लू', नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर शोर।)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया आसन ग्रहण करिये। प्रश्न काल हो जाने दीजिये।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, कल जनपद अलीगढ़ में बहुत ही भयंकर अपराध हुआ है। वहां के थाना गांधी पार्क से महज 500 मीटर की दूरी पर बाइक सवार बदमाशों द्वारा कैश वैन के गार्ड की हत्या करके 34 लाख रुपये लूट लिये गये।

श्री अध्यक्ष–

मा0 वर्मा जी, प्रश्न काल हो जाने दीजिये। आज आपकी बाढ़ पर चर्चा भी लगी हुयी है। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं और इस सदन की सभी गतिविधियां जानते हैं। आपने किस नियम के अन्तर्गत बोलना शुरू कर दिया है ?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मैंने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी है। मैं चाहता हूं कि आप कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें।

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 के अन्तर्गत हमने अनुमति नहीं दी है। इस सदन में तो सभी ने सहयोग किया है, आप इसको आगे किसी और नियम में लाइये, हम सुन लेंगे। अब आप बैठ जाइये। जब वरिष्ठ नेतागण ही विधान सभा की नियमावली का पालन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा ? अभी प्रश्न काल हो जाने दीजिये। मैं नियम–311 को प्रोत्साहित नहीं करने जा रहा हूं।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा बोलने का प्रयास जारी रखने पर)

श्री अध्यक्ष–

मा0 अजय कुमार जी, प्रश्न काल हो जाने दीजिये। आप बैठ जाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी है। यहां प्रदेश की 22 करोड़ जनता के प्रतिनिधि बैठे हुये हैं और यह उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक

गम्भीर मामला है। विधान सभा के अन्दर यह विस्फोटक पदार्थ कैसे आ गया ? विधान सभा के अन्दर सारे सी0सी0टी0वी0 कैमरे खराब पड़े हुये हैं। मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये।

श्री अध्यक्ष–

प्रदेश की 22 करोड़ जनता के सभी प्रतिनिधि यहां पर बैठे हुये हैं, आप उनका समय गलत तरीके से ले रहे हैं। अगर आप नहीं मान रहे हैं तो यह सदन आप ही चला लीजिये। हम इसको नियम–311 के अन्तर्गत नहीं सुनेंगे। आप कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता हैं और एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं। आप बिना अनुमति के लगातार बोलते जा रहे हैं। आप यह चाहते हैं कि प्रश्नोत्तर काल चला जाये। आपने कोई नोटिस दिया है ?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मैंने नियम–311 के अन्तर्गत नोटिस दिया है।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम–311 के अन्तर्गत नहीं आता है। आपकी कृपा से, इस आदरणीय सदन की कृपा से हमने नियमावाली को पढ़ा हुआ है और हम नियमावली के अच्छे विद्यार्थी हैं। यह नियम–311 के अन्तर्गत नहीं आता है।

(इसी मध्य श्री अजय कुमार 'लल्लू', नेता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने दल के कुछ सदस्यों के साथ सदन की वेल में आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

यह विधान सभा है। अब आप लोग ठीक जगह पर आ गये हैं। अब आप लोग मेरे निर्णय के विरुद्ध सदन की वेल में आ गये हैं तो बड़ी कृपा है। आपके ज्ञान को, आपकी समझदारी को, आपकी योग्यता को, आपकी विद्वता को, आपके अनुभव को, आपकी अनुभूति को बारम्बार प्रणाम है, नमस्कार है। आप बहुत योग्य विधायक हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, यह विधान सभा की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। सदन में अगर विधान सभा की सुरक्षा से सम्बन्धित मुद्दे पर चर्चा नहीं हो सकती है तो फिर किस विषय पर हो सकती है ? अगर इस मामले को गम्भीरता से नहीं लिया जायेगा तो फिर किस मामले को लिया जायेगा ? हम विधान सभा में अपनी बात को रखने आए हैं। मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि सदन के अन्दर यह सामान कहां से आया ? विधान सभा के अधिकांश सी0सी0टी0वी0 कैमरे खराब पड़े हुये हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप वेल ऑफ द हाउस में आकर जो कुछ बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा, यह कार्यवाही का भाग नहीं माना जायेगा। आपका कोई वाक्य लिखा नहीं जायेगा और न ही कार्यवाही का भाग माना जायेगा। आप वरिष्ठ नेता हैं, आप सदन की कार्यवाही

इस तरह से जबरदस्ती नहीं चला सकते हैं और सदन की कार्यवाही जबरदस्ती करके विध्वंस नहीं कर सकते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

(वेल से)

माननीय अध्यक्ष जी, हम इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की मांग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप इस तरह वेल में आकर चर्चा की मांग नहीं कर सकते हैं। आप दूसरे नियमों में इस बात को रखिये। आप नियम–56 में इस मामले में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

(वेल से)

माननीय अध्यक्ष जी, यह सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। इससे ज्यादा तात्कालिक विषय और कोई नहीं हो सकता है। यह चार सौ तीन माननीय विधायकों की सुरक्षा और प्रदेश की बाइस करोड़ जनता का मामला है। यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री अध्यक्ष–

सबसे ज्यादा गम्भीर विषय तो यह है कि आप चार महानुभाव यहां पर खड़े होकर सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। केन्द्र में जो आपका दर्शन देना दुर्लभ होता है, यहां पर आपने दर्शन दे दिया इससे बड़ा और क्या विषय हो सकता है। आपने यहां दर्शन दिया, हम लोगों को कृतार्थ किया है इससे बढ़िया विषय और क्या हो सकता है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

(वेल से)

मान्यवर, यह चर्चा का विषय है। विधान सभा के 94 प्रतिशत सी0सी0टी0वी0 कैमरे खराब हैं और इतनी बड़ी घटना यहां पर हो गई है। इस पर आप चर्चा करवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय लल्लू जी, आपका लिखा नहीं जा रहा है और मेरा लिखा जा रहा है। आप कृपया अपने स्थान पर जाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

(वेल से)

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है और इस पर आपको चर्चा करानी चाहिये। नियमावली में यह लिखा हुआ है कि इस नियम के अन्तर्गत इस पर चर्चा हो सकती है।

श्री अध्यक्ष–

सबसे गम्भीर विषय यह है कि आप नेता होकर भी वेल ऑफ हाउस में खड़े हैं। जब अध्यक्ष खड़े होते हैं तो नहीं बोला जाता है, यह भी तो नियमावली में लिखा है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

(वेल से)

मान्यवर, मैं वेल में हूं इसलिये बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपके वेल में होने से क्या होता है। आप वेल में हैं इस पर आप चार मिनट माइक लेकर बोल दीजिये कि वेल में आना क्या होता है।

श्री अजय कुमार 'लल्ल'ू–

(वेल से)

मान्यवर, यह हमारा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष–

क्या सदन स्थगित कराना आपका अधिकार है। पहले आप बताइये कि क्या आप सदन स्थगित कराना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की बाइस करोड़ जनता से जुड़े प्रश्नों को आप नहीं होने देना चाहते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

(वेल से)

माननीय अध्यक्ष जी, हम उत्तर प्रदेश की बाइस करोड़ जनता के प्रतिनिधि हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप बाइस करोड़ जनता के प्रतिनिधि नहीं हैं, बिल्कुल नहीं हैं। जिस तरह से आप खड़े हैं यह कतई ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य के रूप में आपका आचरण उचित नहीं है। आपको जितना चिल्लाना हो, आप चिल्लाइये कुछ भी लिखा नहीं जायेगा। अब मैं सदन स्थगित नहीं करूंगा। आप शोर मचाइये।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

(वेल से)

ख्ा ग ग,

श्री अध्यक्ष–

नियम–311 के अन्तर्गत इस पर चर्चा नहीं होगी, दूसरे नियमों में आप इसको उठा सकते हैं। आपकी कही हुई कोई बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी। यहां से आपको नहीं सुना जायेगा। सबसे गम्भीर विषय लल्लू जी यह है कि आप यहां खड़े हैं और अनुशासनहीनता कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश विधान सभा की गरिमा को चुनौती दे रहे हैं। आप विधान सभा की गरिमा, महिमा और विशेषाधिकार को चुनौती दे रहे हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्ल'ू–

(वेल से)

खागग,

नोट :– [ग ग ग, यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह कभी चला होगा, लेकिन अब यह नहीं चलेगा। बिल्कुल यह नहीं चलेगा।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह एक महत्वपूर्ण मामला है और माननीय सदन के सदस्यों का मामला है और यह विधान सभा की गरिमा और प्रतिष्ठा का मामला है। यह बहुत गम्भीर मामला है इसको इतना हल्के में आप मत लीजिये। आप चाहे जिस नियमावली में इस पर चर्चा करायें, यह आपके ऊपर है लेकिन चर्चा तो इस पर होनी है। चर्चा इसलिये होनी है कि जैसे बताया गया कि इस सदन के आप सर्वोच्च अधिकारी हैं, आपकी मर्जी के खिलाफ इस माननीय सदन में और इस विधान सभा के पूरे परिसर में कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। कहा जा रहा है कि ग्यारह तारीख को यह रखा गया, ग्यारह को सदन चला, बारह को सदन चला और तेरह को भी सदन चला, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी चौदह तारीख तक आपने इस पर हम लोगो से कोई चर्चा नहीं की और न विधान सभा के माननीय सदस्यों से चर्चा की। एकाएक सरकार ने इसकी चर्चा की। यह महत्वूपर्ण तो मामला है। इसमें पक्ष और विपक्ष की कोई बात नहीं है। यह विधान सभा की गरिमा का सवाल है, प्रदेश की बाइस करोड़ जनता का सवाल है, माननीय सदस्यों की गरिमा और सुरक्षा का सवाल है। इस पर आपको नोटिस लेना चाहिये। अगर कांग्रेस विधान मण्डल दल इस मामले को अभी नहीं भी उठाते तो भी यह कर्तव्य था माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों के संरक्षक तो आप हैं और कोई नहीं है। माननीय सदस्यों का संरक्षक आपके सिवा और कोई नहीं है, तो आपको इस मामले को देखना चाहिये। विधान सभा अंधेरे में, सरकार प्रकाश में। विधान सभा को कुछ मालूम नहीं, विधान सभा के माननीय सदस्यों को कुछ मालूम नहीं।

मान्यवर, विधान सभा के सदस्यों को कुछ मालूम नहीं।

श्री अध्यक्ष–

मेरा निवेदन यह है कि जब नियम–311 में हमने उसको नहीं लिया और यह भी कहा कि आप किसी और नियम में लाइये तो फिर इस तरह के उपद्रव का कोई मतलब नहीं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह उपद्रव नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

तो और क्या कहेंगे आप बताइये ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

इन्होंने कहा कि मैं वेल में हूँ और आपने कहा आप वेल में क्यों हैं ? मान्यवर, वेल में आना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। कोई भी सदस्य नहीं चाहता कि वह वेल में जाये। मान्यवर, हम जब भी नियमों में आपके सामने पक्ष रखते हैं और आप सुनवाई नहीं करते हैं तो सदस्यों के सामने कोई चारा नहीं रह जाता है कि वह वेल में न जायें।

श्री अध्यक्ष–

क्या यह सही है, अगर ऐसा सही है तो मुझे यहां नहीं होना चाहिए।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, यह सही नहीं है, लेकिन सदस्यों की भी मंशा को आपको मानना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

बिल्कुल मानेंगे लेकिन हमने जब कहा कि आप इसे नियम–56 में लाइये, किसी और नियम में लाइये।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप इस पर चर्चा करायें ये आपकी भी जिम्मेदारी है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल में नियम–311 आपकी अनुमति से ही उठाया जा सकता है। चूंकि आपने अनुमति नहीं दी इसलिए मा0 सदस्यों को अपना स्थान ले लेना चाहिए था और, जब जीरो ऑवर आये तो इनको अपनी बात कहनी चाहिए थी। मान्यवर, यह पीठ की गरिमा के खिलाफ है। इस तरह से पीठ के आदेशों की अवहेलना भी होती है और नेता विरोधी दल भी उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि आखिरकार वह किस बात को सपोर्ट कर रहे हैं ? मान्यवर, जब प्रश्नकाल हो जाये तब उसका मौका आयेगा। आपने दोनों नियमों में सूचना दी है। मान्यवर, नियम–311 में भी सूचना आई है और नियम–56 में भी सूचना आई है। मान्यवर, नियम–56 की सूचना इस बात को साबित करती है कि नियम–311 की सूचना अगर स्वीकार न की जाये तो नियम 56 में इसको सुन लिया जाये। मान्यवर, अभी तो उसका वक्त आया नहीं है यह वक्त तो प्रश्नकाल का है और दूसरी बात यह कि जब आपकी पीठ से निर्देश हो गया तो पीठ के निर्देश को किसी भी प्रकार से चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसलिए मान्यवर, इन मा0 सदस्यों से कहिए कि यह अपना स्थान ग्रहण कर लें और जब जीरो ऑवर आये तब अपनी बात कहें।

(कांग्रेस दल के सदस्य वेल में खड़े होकर अपनी बात कहने का प्रयास करते रहे)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, यह पूरी विधान सभा आपके नियंत्रण से चलती है।

श्री अध्यक्ष–

यह विधान सभा मेरे नियंत्रण से नहीं चलती। यह सभी मा0 सदस्यों की कृपा, अनुकम्पा और सहयोग से चलती है। आप अपनी सीट से बोलिए मैं यहां से नहीं सुनूंगा और इस बात को मैं अनुचित मानता हूँ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष–

मैं आप सभी मा0 सदस्यों से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग अपनी सीट पर बैठ जायें। आप यहां खड़े होकर नहीं बोल सकते। यह मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूँ। आपका यहां से बोला गया कोई भी वाक्य कार्यवाही का वाक्य नहीं बनेगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी सीट से जो भी बोलेंगे वह सुना जायेगा और लिखा जायेगा।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह महत्वपूर्ण मामला इन्होंने उठाया है।

श्री अध्यक्ष–

अगर महत्वपूर्ण होता तो यह अपनी सीट से उठाते।

श्री अध्यक्ष–

सदस्यों की गरिमा का प्रश्न केवल हम लोगों के जिम्मे पर है या जो मा0 सदस्य अपनी कुर्सी पर न बैठकर गलत जगह पर बैठे हैं उनके जिम्मे है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपका विनिश्चय तो अन्तिम है। उसको चुनौती कोई नहीं दे सकता है।

श्री अध्यक्ष–

हम विनिश्चय नहीं दिये हैं हम तो प्रार्थना कर रहे हैं कि वह अपने स्थान पर जाकर बैठ जायें।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, अधिकार सदस्य का भी है उसके लिए नियमों में प्राविधान है कि वह किन–किन परिस्थितियों में आपको क्या अधिकार है। इसमें भी आपको कुछ अधिकार दिये गये हैं। इस तरह से इस प्रक्रिया को उपद्रव नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, यह इनका अधिकार है और उस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

यह अधिकार नहीं है।

श्री लालजी वर्मा–

और आपका भी अधिकार है कि आप उस पर क्या कार्यवाही कर सकते हैं। मान्यवर, दोनों के लिए नियमों में व्यवस्था की गयी है। लेकिन मेरा यह निवेदन है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग न करते हुए बल्कि यह सदस्यों के गरिमा और सुरक्षा से

सम्बन्धित है इसलिए मैं चाहूंगा कि इस पर आप चाहें तो दलीय नेताओं की बैठक कर लें और उसके बाद इस पर एक सुनिश्चित समय निर्धारित कर लें।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, दलीय नेताओं की बैठक कर लेंगे। हम आप सब कार्य–मंत्रणा समिति की बैठक में इस विषय पर गम्भीरता से विचार कर लेंगे और आप चाहेंगे तो चर्चा के लिए सरकार पहले भी तैयार रही अभी भी तैयार है।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कार्य–मंत्रणा नहीं बल्कि अलग से दलीय नेताओं की बैठक कर लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ठीक है।

(वेल में बैठे हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य अपने स्थान पर वापस चले गये)

[11.15, प्रश्नोत्तर

नत्थी (क)

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में 15 मार्च, 2017 से 09 मई, 2017 तक आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में

'01–**श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'**–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 15 मार्च, 2017 से 09 मई, 2017 तक कितनी हत्यायें, डकैती, छिनैती, अपहरण एवं बलात्कार की घटनायें हुई हैं एवं सरकार द्वारा उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कोई प्रभावी कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

प्रदेश में दिनांक 15–03–2017 से 09–05–2017 तक की अवधि में हत्या–729, डकैती–60, लूट (छिनैती)–799, अपहरण–2682 एवं बलात्कार–803 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

पंजीकृत हत्या के अभियोगों में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध 67.16 प्रतिशत, डकैती के अभियोगों में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध 67.05 प्रतिशत, लूट (छिनैती) के अभियोगों में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध 81.88 प्रतिशत, अपहरण के अभियोगों में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध52.23 प्रतिशत एवं बलात्कार के अभियोगों में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध 71.12 प्रतिशत की कार्यवाही की गयी है। इसके अतिरिक्त इन अपराधों में संलिप्त अभियुक्तों में 03 के विरुद्ध रा0सु0का0, 126 के विरुद्ध गैंगेस्टर

अधिनियम एवं 131 अभियुक्तों के विरुद्ध गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही भी की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा पहला प्रश्न यह है कि क्या मा0 मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इन लगभग 50–55 दिनों की अवधि में पिछली वर्ष की इस अवधि की अपेक्षा इस वर्ष इन सभी हत्या, डकैती, लूट, अपहरण और बलात्कार की घटनाओं में कितने की वृद्धि हुयी उसका आंकड़ा इनके पास हो तो बताने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो सवाल पूछा था उसका उत्तर हमने दे दिया। हमारे पास इस समय जो जानकारी है उसमें निश्चित रूप से इस समय हत्या में कमी आयी है और जहां तक रोड होल्डप का सवाल है उसमें भी कमी आयी है। लेकिन बाकी सबमें हमारे पास कोई कम्परेटिव चार्ट नहीं है। मा0 सदस्य चाहेंगे तो हम कम्परेटिव चार्ट भी आपको उपलब्ध करा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

वह तो पहले ही कहे कि अगर आपके पास हो तो बता दीजिए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मंत्री जी को इसमें संरक्षण न दें, जब यह प्रश्न पूछा गया है तो इसका कम्प्रेटिव चार्ट रहना चाहिए। दूसरी तरफ मान्यवर, मेरे पास आंकड़ा है, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक प्रश्न कर लूं। मान्यवर, मेरे पास पुलिस अधीक्षक, अपराध का पत्र है, जिसमें उन्होंने इस बात को दर्शाया है कि 16–03–17 से 30–06–17 तक, आपने तो 09 तारीख तक का जवाब उसमें और जोड़ दिया, आगे का भी। तो मान्यवर, इस बीच में डकैती 81, हत्या 1434 और माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, उससे कम का। मान्यवर, दूसरी तरफ मैं यह जानना चाहता हूं, इसी तरह से मान्यवर, यह केवल ढाई महीने के अपराध हैं और पिछले साल जो अपराध हुए हैं, उसमें इसके मुकाबले करीब ढाई से तीन गुना वृद्धि हुई है। इसलिए यह कम्प्रेटिव जानकारी जरूरी है, जिससे उसके उपाय किए जा सकें और निश्चित रूप से इससे सम्बन्धित यह प्रश्न है, इसलिए पिछले वर्ष का होना चाहिए, इसलिए मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो दोनों में विरोधाभास है और जो हमारे पास पुलिस अधीक्षक, अपराध की सूचना है, इसमें दोनों में जो विरोधाभास है, यह सुनिश्चित जानकारी है और जो उन्होंने 61 कहा है और हमारे पास जो आंकड़ा है, उसमें 81 है तो यह अन्तर क्यों है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साल रिपोर्टें नहीं लिखी जाती थीं। (हंसी) अगर अभियोग पंजीकृत होते पिछले वर्ष तो उसका आंकड़ा चौगुना होता। इस बार माननीय योगी जी की सरकार ने एक–एक क्राइम चाहे छोटा हो और चाहे बड़ा हो, सभी अपराध पूरी तरीके से पंजीकृत किए जाते हैं। यहां पर किसी प्रभावी व्यक्ति के टेलीफोन का इन्तजार नहीं होता कि कोई प्रभावी व्यक्ति टेलीफोन करे या थाने जाये, तभी रिपोर्ट लिखी जाए। छोटे से छोटे अपराध की रिपोर्ट लिखी जाती है, मान्यवर, यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं। मान्यवर, महसूस भी किया होगा और पब्लिक परसेप्शन भी यही है कि अपराध घटे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कभी भी, अपराध शून्य की बात हमने कभी नहीं कही, जीरो क्राइम की बात हमने कभी नहीं कही कि जीरो क्राइम हो जायेगा। हर सरकार में अपराध होते हैं लेकिन हम कहां खड़े हैं, हम अपराधियों के साथ खड़े हैं या अपराध रोकने के लिए कार्रवाई करने के लिए खड़े हैं। हम ज्यादती करने वालों के खिलाफ, जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं और उनको सजा दिलायी है, मान्यवर, हमने आपसे कहा है कि जो लोग ऐसे हैं, उन अभियुक्तों की गिरफ्तारी, उनके खिलाफ चार्जशीट, उनके खिलाफ रासुका, उनके खिलाफ गैंगेस्टर एक्ट, उनके खिलाफ गुण्डा एक्ट, 126 के खिलाफ हमने गैंगेस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, 03 के खिलाफ रासुका में कार्रवाई की, 131 अभियुक्तों के खिलाफ गुंडा एक्ट में कार्रवाई की है। मान्यवर, जो आई0पी0सी0 के सेक्शन हैं, जिसमें अपराध हुआ, उसमें भी कार्रवाई हुई और गैंगेस्टर एक्ट और रसुका एक्ट में मान्यवर, कार्रवाई इसलिए होती है कि बाकी लोगों को उसकी प्रेरणा मिले, उनको सबक मिले ताकि वह अपराध रोक सकें। यह योगी जी की सरकार किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देना चाहती, मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सवाल प्रदेश की कानून–व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और डकैती, लूट, अपहरण, बलात्कार ये हीनियर क्राइम हैं, संगीन अपराध हैं। अपराध जितने हो रहे हैं, यह एफ0आई0आर0 सब करा रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार में या दूसरी सरकारों में एफ0आई0आर0 नहीं होती थी, संसदीय कार्य मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन इनके आंकड़े बताते हैं मैं इनके उसी आंकड़े के हिसाब से इनसे यह जानना चाहता हूं कि जो अपराध 01 महीने में हुए, जिनका आपने जिक्र किया है, उन अपराधों में कितने लोग जेलों में अभी हैं, कितने लोग वेलआउट हो गए और अदम पैरवी के चलते, क्या इनका कोई आंकड़ा है, बतायेंगे ? क्योंकि जो मेरी सुनिश्चित जानकारी है, मुकदमे लिखने या न लिखने का सवाल नहीं है, निश्चित जानकारी है कि झूठे लोगों को जेल में डाल देना और मुकदमा लिख देना, इससे अपराध नहीं रुकते। मा0 मुख्य मंत्री जी अपराध रुकते हैं, जब सख्ती से अपराधी को पकड़ा जाता है या अपराधी को रोका जाता है, अपराधी धड़ल्ले से घूम रहे हैं और मुकदमा पंजीकृत करके किसी झूठे व्यक्ति को उसमें फंसा कर जेल भेज दे रहे हैं और न्यायालय सबूत के अभाव में उसको जमानत दे रही है और ऐसे मामले हम लोगों के आपके भी प्रैक्टिकल जीवन में आ रहे हैं। मेरा

आपसे सीधे–सीधे सवाल है कि क्या आप बतायेंगे कि कितने अपराधी अभी जेल में निरुद्ध हैं और कितनों की जमानत हो गई अदम पैरवी में, ऐसा क्यों किया गया, कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, 15–03–2017 से लेकर 09–05–2017 तक का जो सवाल था उसी के सन्दर्भ में हमने सूचना मंगवाई है कि कितने अपराधी जेल में हैं और कितने लोगों के खिलाफ चार्जशीट लगी, मान्यवर हत्या के मामले में पंजीकृत अभियोग हुए 729, जिसमें संलिप्त पाये गये 1952, इसमें 1002 को गिरफ्तार किया गया और 138 अभियुक्तों को पुलिस के भारी दबाव के कारण सरेण्डर होना पड़ा न्यायालय में, मान्यवर यह आंकड़ा है 67.16 का। डकैती के शीर्षक के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोग हुए इस पीरियड में 60 इसमें 204 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 16 अभियुक्तों को पुलिस के दबाव के कारण न्यायालय में सरेण्डर होना पड़ा यह भी मान्यवर 67 परसेण्ट है आंकड़ा, लूट और छिनैती के मामले में 799 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें 895 को गिरफ्तार किया गया और 38 अभियुक्तों को पुलिस के दबाव के कारण न्यायालय में सरेण्डर होना पड़ा, मान्यवर अपहरण के मामले में 2682 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें 1340 को गिरफ्तार किया गया, 183 अभियुक्तों को पुलिस के दबाव के कारण न्यायालय में सरेण्डर होना पड़ा, मान्यवर यह आंकड़ा है 52.23 परसेण्ट का, बलात्कार के मामले में 803 अभियोग पंजीकृत हुए जिसमें 736 को गिरफ्तार किया गया और 61 अभियुक्तों को पुलिस के दबाव के कारण न्यायालय में सरेण्डर होना पड़ा, यह आंकड़ा है 71.12 परसेण्ट, मान्यवर यह सरकार पूरी तरीके से इस बात के लिए वचनबद्ध है कि हम किसी भी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं और आपका यह आरोप पूरी तरह से गलत और निराधार है कि अपराधी धड़ल्ले से घूम रहे हैं, आप बता दें किसी मामले में अपराधी धड़ल्ले से घूम रहे हों, तो उसको आज ही शाम तक गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया जायेगा।

श्री पारस नाथ यादव–

कितने लोग अभी जेल में अवरुद्ध हैं और कितने लोग वेल आउट हुए यह तो बता दें।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने गिरफ्तारियों की संख्या और जो सरेण्डर किये उनके बारे में बता दिया, अब जमानत का विवरण इनके पास नहीं होगा।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक सीधा सवाल है, मा0 मंत्री जी ने कहा कि उस जमाने में मुकदमें लिखे नहीं जाते थे और आज सारे के सारे मुकदमें लिखे जा रहे हैं, तो मैं एक सीधा सवाल करना चाहता हूं, दो घटनायें एक मा0 उप मुख्य मंत्री जी हैं, इनके

जिले की है और एक पड़ोस के रायबरेली जिले की है। दो घटनाओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए एक सवाल करना चाहता हूं,

(सत्ता पक्ष के कुछ मा0 सदस्यों द्वारा टोका–टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप शान्त रहें, आप सीधे क्यों बात–चीत कर रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

आप अध्यक्ष की पीठ पर बैठ जाइये, तब आपसे सवाल करूंगा, थोड़ा तो ज्ञान सीखिये। महाराज जी ये जो 200 गैर भाजपाई जीत कर आये हैं आपके साथ यह बहुत उपद्रव करते हैं, इनसे बचें, यही बण्टाधार कर रहे हैं, ये संस्कारवान नहीं हैं, मौके का फायदा उठाये और टिकट लेकर आ गये।

श्री अध्यक्ष–

आप सवाल करिये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने एक बार एक सवाल जब श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर किया था।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अगर हर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। रायबरेली की घटना पर जो यह घटना हुई जिसमें 5 लोग मारे गये, घटना दुःखद है लेकिन उसमें दूसरे पक्ष का मुकदमा अब तक क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष–

यह सवाल तो आज का है नहीं ? सवाल में रायबरेली की बात नहीं की गयी है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

अगर सारे मुकदमे लिखे जा रहे हैं। रायबरेली में जो घटना हुई है, यह क्रिया और प्रतिक्रिया की घटना है। एक पक्ष का लिखा गया, दूसरे पक्ष का क्यों नहीं लिखा गया ?

श्री अध्यक्ष–

यह रायबरेली का प्रश्न से सम्बन्ध नहीं है और इस पर हम डिस्कशन नहीं कर रहे। एक पर्टिकुलर केस डिस्कस नहीं होगा।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

जब वहां पर पुलिस की रिपोर्ट दो तरह की आई उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्रियों की दो बात आ रही है तो फिर इस घटना पर सरकार ने अब तक क्या

कार्यवाही की ? दूसरा मेरा यह कहना है कि इलाहाबाद में एक घटना हुई, बलात्कार हुआ, बलात्कार के बाद हत्या हुई।

श्री अध्यक्ष–

यहां रायबरेली डिस्कस नहीं हो रहा है। अब आप बैठिये।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

जब सारे मुकदमे लिखे जा रहे हैं और यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है।

श्री अध्यक्ष–

मैं प्रश्न संख्या–2 ले रहा हूं, माननीय मो0 असलम राइनी जी हैं ?

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने किया, उसका समुचित उत्तर नहीं आया। सरकार तथ्यों को छुपा रही है और आपका संरक्षण भी हम लोगों को नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं सरकार के जो कानून व्यवस्था के मामले में बिल्कुल फेल हो चुकी है, और सुरसा का रूप धारण कर लिया है और सही जवाब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं दे रहे हैं इसलिए हम लोग कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में सदन से वाक आउट करते हैं।

(श्री राम गोविन्द चौधरी अपने दल सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में अपराध साढ़े चार गुना बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है।

ग्राम्य विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 महेन्द्र सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था का प्रश्न है, आपने दूसरा प्रश्न बुला दिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने दूसरे प्रश्न के लिए आमंत्रित कर दिया और माननीय सदस्य खड़े हो गये और उसके बाद फिर दूसरे प्रश्न पर चर्चा हो रही है, इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं। आपने व्यवस्था दी है और माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद दूसरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय अध्यक्ष जी, यह व्यवस्था में नहीं चलना चाहते। माननीय अध्यक्ष जी, इनको संवैधानिक व्यवस्थाओं पर आस्था नहीं है और इसलिए यह व्यवस्था में नहीं चलना चाहते और यह अपनी पीठ की अवमानना करते हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, यह 22 करोड़ की जनता का सवाल है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठें।

(श्री अजय कुमार 'लल्लू' द्वारा लगातार खड़े होकर बोलने का प्रयास करते रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

नत्थी (ख) का तारांकित प्रश्न सं0–01 स्थानान्तरित है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, अब नत्थी (ख) का दूसरा प्रश्न। मा0 अजय जी बैठिए, मा0 अजय जी बैठ जाइए, मा0 अजय जी बैठें। मा0 मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, सदन में सत्ता पक्ष के द्वारा संख्या बल की ताकत पर विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है इसलिए इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करते हैं।

(तत्पश्चात् नेता कांग्रेस श्री अजय कुमार 'लल्लू' एवं दल के अन्य सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

नत्थी–(ख), तारांकित प्रश्न

'01–श्री नितिन अग्रवाल–

[राजस्व 07वें बुधवार के तारां0प्र0सं0–02 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश में पासपोर्ट बनाने हेतु पुलिस विभाग में आवेदकों से रिपोर्ट के नाम पर भारी रकम की वसूली को रोकने हेतु ठोस नीति निर्धारित करने की मांग

'02–श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पासपोर्ट आवेदकों से पुलिस रिपोर्ट लगाने के नाम पर भारी भरकम रकम की वसूली और पैसा न देने पर गलत रिपोर्ट लगाना एवं विलम्ब करने की घटनाओं को रोकने हेतु कोई ठोस नीति सरकार निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि वर्तमान में इसकी ऑनलाइन मानीटरिंग होती है तथा पासपोर्ट सम्बन्धी आवेदन–पत्रों की जांच कराकर सत्यापन की कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या : 2847/छः वीजा–4–17/2/64/99, दिनांक 09 जनवरी, 2001 एवं शासनादेश संख्या : 684(पप)/छःवीजा–4–2012–17/2/20/2012, दिनांक 30–06–2012 निर्गत किये गये हैं तथा शासनादेश संख्या : 1490/छः वीजा–4–2002–17/2/64/99, दिनांक 27 जून, 2002 के प्रस्तर–8 के उप प्रस्तर–4 (क)(ख) में पुलिस सत्यापन के विलम्ब को रोकने हेतु स्पष्ट व्यवस्था की गयी है। इसके साथ ही शासनादेश संख्या–सीएम30/छः वीजा–4–2015–17/2/20/2015, दिनांक 24 अप्रैल, 2015 द्वारा पासपोर्ट आवेदन–पत्रों की पुलिस वेरीफिकेशन रिपोर्ट की जांच/सत्यापन की कार्यवाही 21 दिवस के अन्दर पूर्ण किये जाने की व्यवस्था है तथा

इस कार्य में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

श्री मो0 असलम ''राइनी''–

मा0 अध्यक्ष जी, यह उत्तर प्रदेश के उन नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है जिस पर उत्तर प्रदेश के सभी नौजवान पासपोर्ट बनवा करके विदेश की यात्रा पर मजबूरी में जाते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पासपोर्ट आवेदक की जॉच के लिए जब जनपद मुख्यालय पर पहुँचता है तो उसको तीन कार्यालयों से गुजरना पड़ता है। नम्बर एक, कोतवाली में जाता है तब उसको पूजा चढ़ानी पड़ती है। नम्बर दो, एल0आई0यू0 ऑफिस में जब जाता है तब घूस देनी पड़ती है और जब एडिशनल एस0पी0 के ऑफिस में जाता है तब उसको घूस देनी पड़ती है और अगर वह घूस नहीं देता है तो मामूली सी बात पर उसको क्वेरी लगा करके उसके आवेदन को वापस कर दिया जाता है। मा0 मुख्य मंत्री जी, तीनों स्थानों पर निकाल कर पासपोर्ट जो भेज दिया जाता है क्या इसे रोकने में सरकार सक्षम होगी ? नम्बर दो, अध्यक्ष जी, क्या सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर पासपोर्ट काउण्टर खोलने पर विचार करेगी? नम्बर तीन, मा0 अध्यक्ष जी, केवल एक एन0सी0आर0 151 या 107(16) पर पासपोर्ट नहीं बनता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह रोजगार से जुड़ा हुआ है। मामूली धाराओं में एन0सी0आर0 का मतलब प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई गम्भीर मामला नहीं है। एन0सी0आर0 पर पासपोर्ट का वेरीफिकेशन हो जाना चाहिए तो क्या सरकार उसमें सरलता अपनाएगी? अन्तिम क्वेश्चन माननीय अध्यक्ष जी, 403 सदस्य नवनिर्वाचित होकर आए हैं जिसके मुखिया माननीय योगीनाथ जी हम लोगों के अगुवा हैं और माननीय मुख्य मंत्री भी हैं। क्या 403 सदस्यों के पासपोर्ट बनवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें सरलता लाएंगे? क्या 5 साल तक का हम लोगों को पासपोर्ट बनवाने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, पासपोर्ट बनाने की एक प्रक्रिया है मान्यवर, उसमें वेरीफिकेशन होता है और वेरीफिकेशन के लिए अनड्यू डिले न हो, जो लोग वेरीफिकेशन में बाधा बनें या किसी प्रकार से हीला–हवाली करें या नाजायज तरीके से गैरकानूनी कोई किसी से रिश्वत मांगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। जबसे यह सरकार आई है हमने अप्रैल में 61923, मई में 67606 और जून में 71000 के लगभग पासपोर्ट बनाने की कार्रवाई हमने पूर्ण की है और 21 दिन इस बात के लिए निर्धारित कर दिये गए हैं कि यदि 21 दिन के अन्दर अगर जांच पूरी हो जाती है तो भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को प्रति व्यक्ति एक पासपोर्ट पर 150 रूपये देती है। अगर 21 दिन में पूरी नहीं हो पाती तो वह राशि घटकर 50 रुपये रह जाती है। जहां तक आपका सवाल है कि जहां कहीं भी शिकायत मिली है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। हमारे पास कार्रवाई का भी विवरण है। हमारे पास कानपुर की कार्रवाई का विवरण है, लखनऊ की कार्रवाई का विवरण है और देवरिया की कार्रवाई का विवरण है। ऐसे लोगों

को दण्डित भी किया जाता है, जहां पर किसी को नाजायज परेशान करने अथवा किसी के खिलाफ रिश्वत लेने की अगर शिकायत आती है तो उसमें जांच भी कराते हैं और कार्रवाई भी करते हैं, उसमें किसी प्रकार की हम हीला–हवाली नहीं करते हैं। माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है अगर कहीं पर किसी ने रोका हो या किसी प्रकार का किसी ने नाजायज तरीके से उत्पीड़न किया हो, आप लिख कर दे दें, हम उसके खिलाफ भी जांच करवा देंगे। अप्रैल में केवल 67 पासपोर्ट ऐसे हैं जिनमें 21 दिन से ज्यादा समय लगा हो और मई में केवल 715 पासपोर्ट हैं, जबकि 67606 पासपोर्ट पर जांच पूरी की गई उसमें से केवल 715 पासपोर्ट ऐसे हैं जिनमें सम्बन्धित व्यक्ति कोई कागजात उपलब्ध नहीं करा पाए, वेरीफिकेशन में सहयोग नहीं किया या अपने स्थान पर मिले नहीं, कहीं बाहर चले गए थे तो ऐसे 715 प्रकरण हैं। जून में केवल 313 प्रकरण ऐसे हैं जिनमें 21 दिन से ज्यादा का समय लगा बाकी सारे के सारे प्रार्थना–पत्र समय रहते हुए निस्तारित किये जाते हैं और जब कोई आपत्ति करता है या कोई शिकायत करता है तो उसमें जांच करके कार्यवाही भी की जाती है।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने एक विषय का उल्लेख किया कि जो पासपोर्ट बनवाते हैं उनको कई स्तरों पर जाना पड़ता है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि उनसे नाजायज पैसे भी लिये जाते हैं जिसको माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी स्पष्ट किया कि 4–5 जिलों से शिकायतें आई हैं कि पैसा लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इससे साबित है कि कहीं न कहीं कुछ गोलमाल है और 4 स्तरों पर जाना पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसे अन्य जगह वन विन्डो सिस्टम किया गया है क्या उसी तरह पासपोर्ट बनाने के लिए भी वन विन्डो सिस्टम करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, आप तो बहुत बुद्धिमान सदस्य हैं और विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। यह प्रक्रिया भारत सरकार तय करती है, हमने तो तय नहीं की है। पासपोर्ट से सम्बन्धित जो शासनादेश है मान्यवर, वह केन्द्र सरकार से सम्बन्धित है लेकिन फिर भी जितनी भी सहूंलियत हम दे सकते हैं, हम दे रहे हैं और हम आगे भी इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखेंगे कि माननीय, पासपोर्ट बनवाने वाले सदस्यों को शिकायत न हो।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

माननीय अध्यक्ष जी, केवल एक क्वेश्चन का जवाब नहीं आ पाया है।

श्री अध्यक्ष–

अब तो बहुत स्पष्ट हो गया है, सबकुछ।

श्री मो0 असलम ''राइनी''(एडवोकेट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि जब पूरी प्रकिया ऑन लाइन है। ऑन लाइन होने पर जो भी आवेदक किसी भी जिले में होता है उसको फोन के द्वारा पासपोर्ट अधिकारी या पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी उनको लखनऊ या गोरखपुर बुलाता

है और बुलाने पर वहां के बाबू को जब कुछ रकम नहीं मिलती है तो उसको वापस कर दिया जाता है। अब यहां पर बाबू की बात आई है कि बाबू उनको वापस कर देता है क्या मान्यवर, उस पर अंकुश लगाएंगे ?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने कहा कि हम सब पर अंकुश लगा रहे हैं बाबू पर ही नहीं सब पर। अब आप बैठ जाइये अगला सवाल आने दीजिए।

(श्री रवीन्द्र जायसवाल के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठ जाइए, मैंने अगला प्रश्न ले लिया है। अब आप कृपा करिए। इससे बढ़िया उत्तर और हो ही नहीं सकता।

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

मान्यवर, 151 की और 144 यह दो धारायें मुझ पर लगी थीं 9 साल पहले और 10 साल पहले की लगी थीं और वह सरकार में थे मेरे पासपोर्ट के लिए कर दिया नॉट रिकमेंड। यह जो आज बोल रहे हैं अपनी सरकार में 151 पर, मैं विधायक था और मेरे ऊपर कर दिया नॉट रिकमेंड मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, मैं जा नहीं पाया उससे मिलने के लिए, केवल 151 में और 144 में।

प्रदेश में अक्टूबर, 2016 से 02 मई, 2017 तक साइबर क्राइम की घटनाओं का विवरण तथा उनको रोकने हेतु प्रभावी नीति बनाने की जानकारी

'03–**श्री संजय गर्ग–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 2016 से 02 मई, 2017 तक प्रदेश में साइबर क्राइम की कितनी घटनायें हुयी हैं तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिये कोई व्यवहारिक, प्रभावी तथा कारगर नीति बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

दिनांक 01–10–2016 से 02–05–2017 तक कुल 1950 अभियोग पंजीकृत हुए। 206 में आरोप–पत्र एवं 217 में अन्तिम रिपोर्ट मा0 न्यायालय में दाखिल की गयी।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है। 8 नवम्बर को नोटबन्दी लागू करने के बाद जिस तरह से कैशलेस इकोनॉमी और प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, 8 नवम्बर के बाद भोले–भाले लोगों को लूटने के मकसद से इस तरह की संस्थाएं और कुछ चालाक लोग, लोगों के खातों से नेट बैंकिंग के जरिए,

पे0टी0एम0 के जरिए, ए0टी0एम0 के जरिए फ्राड कर रहे हैं जिससे साइबर क्राइम की बाढ़ आ गयी है। मेरा जो प्रश्न था उससे सरकार की असंवेदनशीलता इस बात से प्रतीत होती है। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया उसके अनुरूप 1950 मुकदमें अभियोग पंजीकृत हुए, न जाने कितने अभियोग पंजीकृत भी नहीं हुए होंगे परन्तु उसके बावजूद रिजल्टकेवल 21.7 प्रतिशत है। इससे न जाने कितने लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। एक तरफ तो केन्द्र सरकार नेट बैंकिंग को और प्लास्टिक मनी को बढ़ावा देने की बात कर रही है और मौजूदा शासन में जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया।

श्री अध्यक्ष–

अब आप पूछ क्या रहे हैं ?

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा शासन में जो अपर पुलिस महानिदेशक अपराध और कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के द्वारा इस सम्बन्ध में है। 14 मार्च, 2013 को, 5 अगस्त, 2013 को, 28 अगस्त, 2015 को और 8 जनवरी, 2016 को मार्ग निर्देश दिए गए परन्तु नोटबन्दी के बाद मौजूदा इस सत्र में कोई भी संज्ञान इस तरह का वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा न लिया गया न ही नीचे निर्देशित किया गया जिससे यह लापरवाही परिलक्षित हुई। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कुल जो अभियोगों में जिनमें विवेचना चल रही है क्या कोई समयबद्ध सीमा में सरकार उनका निस्तारण करायेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि क्या मण्डल मुख्यालयों पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की स्थापना करने पर सरकार विचार कर रही है अथवा नहीं कर रही है। तीसरा प्रश्न जो सोशल साइट नेटवर्किंग हैं जिनके माध्यम से बहुत ही नफरत भरे, कुछ इम्मेच्योर लड़कों के द्वारा इस तरह के मैसेजेज व्हाट्सऐप पर दिए जाते हैं जिससे कई बार कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी दूभर हो गयी है, नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। ऐसे में क्या सरकार व्हाट्सऐप को बैन करने पर विचार कर रही है,अथवा नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

आप अपने प्रश्न के दूसरे भाग को देख लीजिए, क्या सरकार साइबर क्राइम की घटनाओं को रोकने के लिए कोई व्यावहारिक, प्रभावी और कारगर नीति बनाने पर विचार करेगी ? इसका उत्तर सरकार ने जी हां में दिया है एक बात तो स्पष्ट हो गयी।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, इससे इंगित करते हुए मेरे दो प्रश्न हैं।

श्री अध्यक्ष–

शेष का उत्तर माननीय मंत्री जी दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक विवेचना का सवाल है उस पर मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई

हीला–हवाली, चाहे कितना भी बड़ा मुल्जिम क्यों न हो उसके खिलाफ नहीं होगी और पूरी शिद्दत के साथ इसमें दोबारा हम फिर से इन्श्योर कर लेंगे कि उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो, लोगों को न्याय मिले और न्याय दिखे भी। यह विवेचना के सम्बन्ध में आपके पहले सवाल का उत्तर है। जहां तक आपने कहा कि मण्डल मुख्यालय पर, मान्यवर, हमने इसमें इस बात के लिए इंगित किया है कि यह अपने आप में एक नए प्रकार का अपराध है। इसको डिजिटल इंडिया और इसके अपराधों का आयाम बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी बहुत सी चीजें लाइट में आई हैं बहुत सी चीजें निरन्तर लाइट में आती हैं तो अभी तक जिला मुख्यालय पर इन चीजों, इन अपराधों के पंजीकरण की व्यवस्था है लेकिन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में हम दो स्थानों पर हाई पावर थाने/पुलिस स्टेशन स्थापित कर रहे हैं अभी क्रियाशील नहीं हो पाये, एक लखनऊ में और एक नोएडा में तो नोएडा में हमने तीन जोन जोड़े हैं बरेली, मेरठ, और आगरा यह तीन जोन नोएडा से और जहां तक लखनऊ का सवाल है इसमें कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी और गोरखपुर जोन के अन्तर्गत आने वाले जनपदों को इसमें रखा है। लेकिन अभी इसको क्रियाशील किया जाना शेष है, इसको क्रियाशील करेंगे इसका एडवांसमेन्ट भी करेंगे और इस सम्बन्ध में एसटीएफ उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र मेरठ एवं एसटीएफ कार्यालय, लखनऊ में सोशल मीडिया कमान्ड एण्ड रिसर्च सेन्टर की स्थापना भी की गयी है। आपके जितने भी सवाल हैं उसमें, आगे आने वाले हैं उसमें जितने मेल के क्राइम अभी तक सामने आये हैं या जिसको हम विजुलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में उसके सम्बन्ध में भी हम रिसर्च करके पूरी संवेदनशीलता के साथ कि कोई भी अभियुक्त इससे बच न पाये हमारी यह कोशिश होगी कि उसमें किसी प्रकार का कोई अपराधी ऐसा न हो कि जो बच पाये और जितने मेल के अभी तक सामने आये हैं उसकी व्यवस्था की जा रही है कोई अभियुक्त बचेगा नहीं अगर वह अपराध किया है उसमें विवेचना में, हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करते हैं।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तीसरा प्रश्न था।

श्री अध्यक्ष–

आपके सारे प्रश्न सुन्दर रहे और माननीय मंत्री जी ने उसका उत्तर दिया। विषय बड़ा है सब उत्तर आ गया है।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, विशेषकर व्हाट्सऐप के बारे में मैंने इस आशय से पूछा कि आज पूरे के पूरे प्रदेश में जिस तरह के नफरत भरे मैसेज, कुछ नाबालिग बच्चे भी बिना सोचे समझे देते हैं और उसकी वजह से पूरा का पूरा समाज उससे प्रभावित होता है और नफरत का माहौल पैदा होकर बड़ा बटवारा होता है ऐसे में विशेषतः व्हाट्सऐप पर क्या सरकार गम्भीर होकर बैन करने पर विचार करेगी प्रदेश में ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उप महानिरीक्षक, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ एवं एसटीएफ कार्यालय, लखनऊ में सोशल कमाण्ड एण्ड रिसर्च सेन्टर इसका मुख्य कार्य यह है कि किसी प्रकार का अगर कोई दुष्प्रचार होता है तो उस दुष्प्रचार का जवाब हम सोशल साइट के ऊपर सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसका प्रतिकार करते हैं हम उसको बाकायदा इसको डिसओन करते हैं और इस प्रकार हम प्रचार करते हैं उससे और उसका दूसरा पहलू है कि रिसर्च करना। मान्यवर, जिस गम्भीरता से आपने प्रश्न किया हम उससे अपने आपको जोड़ते हैं और सरकार पूरी तरीके से इस मामले में सतर्क है कि हम किसी अपराधी को न छोड़ें किसी प्रकार का महौल खराब करने के लिए।

प्रदेश मे स्वच्छता ट्रैफिक नियम, कानून के सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित पाठ्यक्रम को बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम से जोड़ने की मांग

'04–श्री पंकज सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बच्चों में बचपन से ही स्वच्छता, ट्रैफिक नियम, कानून के सामान्य ज्ञानवर्धन हेतु उक्त का बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को जोड़ने की सरकार की कोई योजना है जिससे बच्चे बाल्यकाल से ही उक्त विषयों से भिज्ञ रहें ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार, राजस्व तथा वित्त मंत्री (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

बच्चों को प्रारम्भ से ही स्वच्छता एवं यातायात के कानूनों एवं संकेतों व सावधानियों से परिचित कराकर उन्हें जागरूक करने के दृष्टिकोण से स्वच्छता व ट्रैफिक नियम, कानून से सम्बन्धित विषयवस्तु प्रदेश के बेसिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में समाहित है।

श्री पंकज सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के उत्तर से सन्तुष्ट हूं ।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु सरकार की कार्य योजना की जानकारी

'05–सुश्री अदिति सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे सभी विद्यालय जिनमें इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प स्थापित हैं तथा गर्मी के शुरू होते ही पानी छोड़ देते हैं अथवा गन्दा पानी देने लगते हैं, की डीप रि–बोरिंग समरसिबल पम्प स्थापित कर ओवर

हेड टैंक से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्राम्य विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग के माध्यम से कार्यवाही करायी जाती है। इस हेतु पेयजल विहीन तथा रि–बोर/मरम्मत योग्य हैण्डपम्पों की सूची ग्राम्य विकास विभाग/पंचायती राज विभाग को उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

शिकायत प्राप्त होने पर पंचायती राज विभाग/ग्राम्य विकास विभाग को हैण्डपम्पों की मरम्मत/रि–बोरिंग का कार्य कराये जाने हेतु निर्देश दे दिये जाते हैं। डीप रि–बोरिंग समरसिबल पम्प की स्थापना आवश्यकता एवं धन दोनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

सुश्री अदिति सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि जब जुलाई में स्कूल का सेशन चालू होता है तो अधिकतर हैण्डपम्प उस समय काम नहीं करते हैं। या तो वह रि–बोर के पात्र होते हैं या उनमें पानी नहीं आ रहा होता है या पूरी तरह से खराब हो चुके होते हैं। जब स्कूल स्थापित होता है चाहे वह बेसिक स्कूल हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा का स्कूल हो, तब पूरे स्कूल को एक हैंडपम्प मिलता है उसकी जिम्मेदारी स्कूल की भी नहीं रहती है। जब वह खराब हो जाते हैं तो कोई उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता। तब हम लोगों को उसको अन्य तरीकों से रि–बोर कराना पड़ता है या जी0आई0 पाइप्स लाने पड़ते हैं वह गन्दा पानी देता है तो इसकी मेन्टीनेंस के लिये कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता तो सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

मान्यवर, मैंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया था कि सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल सुविधा हेतु कोई स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान नहीं की गयी है लेकिन जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार रि–बोर योग्य हैन्डपम्प वाले 14529 विद्यालयों तथा मरम्मत योग्य हैन्डपम्प वाले 8148 विद्यालयों की सूची पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश शासन को राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 12 जुलाई, 2017 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है जब हम लोग अक्सर क्षेत्र में जाते हैं तो प्राथमिक विद्यालयों में यह देखने को मिलता है कि हैंडपम्प पूरी तरह से खराब हो गया है। अभी माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पंचायती राज विभाग के पैसों पर वह निर्भर है और उसी के आधार पर जब पैसा होगा तो वह उसे ठीक करायेंगे। महोदय, ऐसे नौनिहाल बच्चे जो प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, वह गरीब घर के बच्चे पढ़ने जाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिये सरकार कोई कार्य योजना बनाकर जितने हैंडपम्प रि–बोर करने लायक हैं, उन हैंडपम्पों को ठीक कराकर या कोई छोटी टंकी स्थापित करके बच्चों को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार जिम्मेदारी लेगी ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

मान्यवर, व्यवस्था पहले से ही उपलब्ध है और पंचायती राज विभाग इस काम को कुशलता के साथ कराता है और शासनादेश सं0–434–38–5–2017–2011, दिनांक 08 मई, 2017 ..

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, मेरा प्रश्न दूसरा है।

डा0 महेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं पानी के सम्बन्ध में ही बताना चाहता हूं और जो माननीय सदस्यगण की शंका है उसी पर मैं कुछ कहना चाहता हूँ मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास मंत्री हूं और इन्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प का सब्जेक्ट आया है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरे सदन को यह बताते हुये बहुत प्रसन्नता है कि सरकार बनने के बाद मात्र 35 दिन के अन्दर एक ऐसी व्यवस्था पूरे उत्तर प्रदेश में की गयी है कि अब कोई भी इण्डिया मार्का–2 हैंडपम्प खराब नहीं रह सकता है उसकी बाकायदा माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में अधिसूचना जारी कर दी गयी है। चौदहवें वित्त से तत्काल जितने इण्डिया मार्का–2 हैंडपम्प खराब होंगे, चाहे विद्यालय का होगा, गांव का होगा, चाहे पुरवे का होगा, चाहे बस्ती का होगा उसको ठीक कराने के लिये ग्राम प्रधान और प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गयी है और इसलिये पूरे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था हो गयी है पहली बार यह व्यवस्था हुयी है और इस व्यवस्था के तहत मैक्सिमम इण्डिया मार्का–2 हैंडपम्प ठीक हो रहे हैं। अभी हमारी माननीय मंत्री जी ने बताया कि 08 मई को आदेश जारी हुआ है, आदेश नीचे तक पहुंच चुका है और कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है और इसलिये कहीं भी इण्डिया मार्का–2 हैंडपम्प चाहे बेसिक विद्यालय में खराब हो, चाहे गांव में खराब हो, चाहे बस्ती में खराब हो, अब कोई इण्डिया मार्का–2 हैंडपम्प खराब नहीं रहेगा।

श्री धर्मराज सिंह यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी कह रहे हैं हैंडपम्पों को रि–बोर करने का अधिकार ग्राम पंचायतों को मिला है बड़ी अच्छी योजना है। लेकिन अभी तक कितने

प्रधानों की आई0डी0 जेनरेट हुयी हैं। मैं पंचायती राज मंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप पहले हमारी बात सुन लीजिये। अभी पंचायती राज विभाग कहां आ गया अभी तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी जवाब दे रही थीं। आप बिना हमारी अनुमति के न बोलिये। आप हमारी बात तो सुन लें, मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने एक उत्तर दे दिया अब आप मा0 शिक्षा मंत्री जी को उत्तर देने दीजिए।

श्री धर्मराज सिंह यादव–

मान्यवर, एक छोटा सवाल यही तो करना चाहता हूं। मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी ने कहा लेकिन पंचायती राज विभाग से जो पैसा अवमुक्त होता है इसमें कितने प्रधानों की आई0डी0 जेनरेट की जाती है। कहा तो गया है कि मैंने फलां तारीख से बहुत अच्छी योजना बनाई है लेकिन मार्च से आज तक अगर सारे प्रधानों से जानकारी कर ली जाए तो मान्यवर, आप पायेंगे कि आई0डी0 जेनरेट नहीं हो रही है पंचायती राज विभाग के द्वारा, प्रधानों से पैसा ले करके आई0डी0 जेनरेट कराने का काम किया जा रहा है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरी तरह से आई0डी0 जेनरेट नहीं हो रही है और प्रधानों के खाते में पैसा नहीं जा पा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप भाषण करने लगे, आप कृपया बैठ जाएं, यह तरीका नहीं है।

श्री धर्मराज सिंह यादव–

आज तक खराब हैण्डपम्प रि–बोर नहीं हो पाये हैं क्योंकि पैसा प्रधानों के खातों में नहीं जा पा रहा है।

डा0 महेन्द्र सिंह–

मैं सवाल करना चाहता हूं कि पंचायती राज विभाग में प्रधानों के पास पैसा है लेकिन डी0पी0आर0ओ0 और जनपद स्तर पर पैसा प्रधानों के खातों में नहीं पहुंचा है।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न नहीं कर रहे हैं।

डा0 महेन्द्र सिंह–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं 59 हजार 163 पंचायतों का पूरा ब्यौरा खड़े–खड़े यहीं से दे सकता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आई0डी0 जेनरेट का जो सबजेक्ट इन्होंने उठाया है उसमें जो व्यवस्था की गई है उसको जानने के लिए मा0 सदस्य को एक बार जी0ओ0 को पढ़ना चाहिए कि उसमें क्या है। मा0 अध्यक्ष जी, उसमें ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है और यहां तक उस जी0ओ0 में कहा गया है कि आपको जरूरत नहीं कि आप जल निगम के पास जाइये, आपको जरूरत नहीं कि जो संस्थाएं पहले से सरकार से चिन्हित की गईं उनके पास जाइये। अगर आप चाहते हैं तो किसी भी प्राइवेट

संस्था से आप तत्काल नल को ठीक कराइये और उसका भुगतान ब्लॉक और पंचायत लेबिल पर कराने की व्यवस्था की गई है। मा0 अध्यक्ष जी, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि अभी 8 मई को यह आदेश जारी हुआ है और 8 मई को आदेश जारी होने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक 11 हजार इण्डिया मार्का–2 नल ठीक किये जा चुके हैं। जहां पर ठीक नहीं हो रहे हैं मा0 सदस्य उसकी जानकारी दें और मैं तत्काल उसको भी ठीक करने की व्यवस्था करूंगा। मान्यवर, इसमें एक व्यवस्था और यह की गई है कि अगर कोई ग्राम प्रधान ईर्ष्यावश, गांव की राजनीति के तहत यदि किसी नल को नहीं ठीक करा रहा है तो डी0एम0 और सी0डी0ओ0 चौदहवें वित्त से सीधे उस नल को ठीक करायें। मान्यवर, ऐसे ही कोई जी0ओ0 नहीं जारी किया गया है बल्कि बहुत अध्ययन करके जारी किया गया है और यह ऐतिहासिक फैसला है तथा मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में वह व्यवस्था लागू की गई जो पिछले 15 सालों में नहीं लागू हो पाई।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, चूंकि नेता सदन यहां बैठे हुए हैं और नेता सदन इस बात को जानते हैं कि इण्डिया मार्का–2 हैण्डपंप से जो पानी आता है वह भी पीला हो जाता है। मान्यवर, गोरखपुर, कुशीनगर या सन्त कबीरनगर जहां भी जाइये वहां इंडिया मार्का हैण्डपम्प का पानी भी पीला होता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या हर विद्यालय में पानी की टंकी बना कर बच्चों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जायेगी, क्या ऐसी कोई योजना सरकार की है।

श्री अध्यक्ष–

हैण्डपम्प तो लग ही रहे हैं। अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं।

'06–**डा0 नीरज बोरा–**

[माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया।,

प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आर्सेनिक व फ्लोराइड से प्रभावित पेयजल की ग्राम पंचायतों की जानकारी तथा उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु आर0 ओ0 उपलब्ध कराने की मांग

'07–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कितनी ग्राम पंचायतों में पेयजल आर्सेनिक व फ्लोराइड से प्रभावित हैं ? क्या सरकार उक्त प्रभावित ग्राम पंचायतों में शुद्ध आर0 ओ0 पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कोई योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

प्रदेश के 09 जनपदों की 511 ग्राम पंचायतों का पेयजल आर्सेनिक से तथा 45 जनपदों की 1165 ग्राम पंचायतों का पेयजल फ्लोराइड से प्रभावित है। आर्सेनिक व फ्लोराइड प्रभावित ग्राम पंचायतों में शुद्ध आर0 ओ0 के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने की कोई योजना नहीं है। उक्त आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में पाइप पेयजल योजना/गहरे हैण्डपम्प अथवा रिमूवल प्लाण्ट (आर0 ओ0 से भिन्न प्रौद्योगिकी पर आधारित) स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने के कारण आर0 ओ0 के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नहीं है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आज यह जग विदित है कि उत्तर प्रदेश में शुद्ध पेयजल का भारी संकट आ गया है फ्लोराइड और आर्सेनिक युक्त पानी पीने से आज उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे हिस्से प्रभावित हैं जहां पर जनमानस या तो विकलांग हो रहे हैं या फिर संक्रामक रोगों से ग्रस्त हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा कि आर0 ओ0 प्लाण्ट लगाने की कोई योजना नहीं बन रही है। माननीय मंत्री जी से मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या माननीय मंत्री जी सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के कौन–कौन से ऐसे हिस्से हैं जो फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित होने के बाद वहां जनमानस संक्रामक रोग–जैसे टी0बी0, हाथ–पैर टेढ़ा होना और तमाम अन्य संक्रामक रोगों से ग्रस्त हैं क्या ऐसी कोई जांच करायी गयी ? कैंसर जैसे रोग भी इससे हो रहे हैं ऐसी जांच रिपोर्टें आयी हैं। तो कितने गांवों में इससे लोग प्रभावित हुए हैं, जांच के बाद क्या परिणाम आये और उनकी संख्या क्या है? दूसरा प्रश्न, हमारी विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ एक रोहनियां ब्लाक है जहां सात ग्राम पंचायतों में, स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट मैं बता रहा हूं कि रोहनियां, धमोली, उसरैना, उमरन, गंगैरा इन चार गांवों में, समाचार–पत्रों में भी प्रकाशित हुआ कि वहां जो बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, वह विकलांग पैदा हो रहे हैं और भारी मात्रा में लोग कैंसर, टी0 बी0 और संक्रामक रोगों से ग्रस्त हैं, क्या वहां पर पाइपलाइन से पेयजल की व्यवस्था करेंगे या कोई उनको आर0 ओ0 प्लाण्ट लगा करके ऐसे लोगों को जो उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है उस पर कोई रोकथाम का काम करेंगे ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत अच्छा प्रश्न है और इनकी सरकार को गये हुए अभी बहुत कम समय बीता है। पता नहीं रिपोर्ट अभी–अभी इनको प्राप्त हुई या पहले से प्राप्त हुई, मैं बता नहीं सकता। लेकिन रायबरेली में कोई भी ब्लाक ऐसा नहीं है जहां पर आर्सेनिक प्रभावित हो। पहले तो मा0 सदस्य को मैं यह बताना चाहता हूं फ्लोराइड प्रभावित कुछ ब्लाक हैं और पूरे रायबरेली जनपद में 35 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो फ्लोराइड प्रभावित हैं और 125 पुरवे हैं जो फ्लोराइड प्रभावित हैं जो मेरे पास रिपोर्ट है और उसके आधार पर इनका रोहनियां भी उसमें आता है और रोहनियां जिसकी इन्होंने चर्चा किया, उस रोहनियां में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां कहीं भी फ्लोराइड और आर्सेनिक

प्रभावित जिले हैं, मान्यवर, इन्होंने प्रश्न किया कि कितने लोग बीमार हैं ? यह प्रश्न जो पूछा गया मूल प्रश्न है उससे कहीं इसका तारतम्य नहीं है, इसलिए उत्तर इसका नहीं दिया जा सकता है और वह प्रश्न स्वास्थ्य विभाग का है। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरे जिलों की सूची लगी है, अगर आप कहेंगे तो मैं अभी पढ़ देता हूं, पूरे जितने आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित जिले हैं उनकी पूरी सूची ले करके आये हैं जिन जिलों में प्रभाव है।

श्री अध्यक्ष–

आप सूची न पढ़िये, एक कॉपी मा0 सदस्य को और एक कॉपी मुझे दे दीजिएगा।

डा0 महेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं आपके समक्ष केवल इतना बताना चाहता हूं कि जो जिले आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित हैं उन जिलों की व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से जो हमारे यहां पेयजल व्यवस्था है उस पेयजल व्यवस्था में जो भी नल लगाये जाते हैं उनकी बोरिंग वहां तक की जाती है जहां से फ्लोराइड और आर्सेनिकयुक्त पानी न आये। उसके लिए सरकार ने बाकायदा व्यवस्था किया है और बहुत सारे जिलों में उसके बोरिंग का काम भी प्रारम्भ हुआ है और काम चल रहा है। दूसरा मान्यवर, जहां पर हमारे फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो इण्डिया मार्का–टू नल लगता है, उस इण्डिया मार्का–टू नल की बोरिंग उस स्तर तक हम लोग ले जाते हैं जहां से फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित जल न आये। अगर मान लीजिए उसके बाद भी फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित जल आता है तो इण्डिया मार्का–टू की जो मुण्डी लगती है उसमें एक ऐसा सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है जिसके माध्यम से आर्सेनिक और फ्लोराइड को निकाल कर के शुद्ध जल पीने लायक पानी उपलब्ध कराया जाता है। ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग कर रहे हैं और इसलिए जहां कहीं भी ऐसी कोई समस्या है उसको निश्चित रूप से पूरी तरीके से निदान किया जायेगा। अगर मान्यवर, आप कहें तो मैं पूरे विस्तार से उसके प्रौद्योगिकी का जो सिस्टम है उसको पढ़ करके सुना दूं। सदन अगर चाहे तो मैं उसको पूरी तरीके से सुनाना चाहता हूं। मान्यवर, शुद्ध पेयजल मिल रहा है पूरी व्यवस्था इसकी है, पेयजल के माध्यम से, पाइप पेयजल के माध्यम से और इण्डिया मार्का–टू के माध्यम से व्यवस्था की जा रही है। रायबरेली का जहां तक सब्जेक्ट है, रायबरेली का भी मैं पूरा डिटेल लेकर आया हूं। अगर सदस्य की इच्छा होगी तो मैं रायबरेली का भी पूरा वृतान्त सुना दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

आप इनसे बात कर लीजियेगा। आप दोनों मित्र भी हैं।

डा0 महेन्द्र सिंह–

ठीक है मान्यवर, जैसी आपकी अनुमति हो। जैसा आप कहेंगे मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

पाण्डेय जी, क्या रह गया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें बहुत आवश्यक रह गया। माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया। हमारे मित्र भी हैं बहुत पुराने बीस साल पहले के। लेकिन इन्होंने पूरे सदन को गुमराह किया। भाषण तो बहुत अच्छा दिया। पहले भी भाषण बहुत अच्छा देते थे यह। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न यह था कि जो ग्राम सभायें फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित हैं, अगर प्रभावित हैं और कहीं पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड आ रहा है तो यह जग विदित है कि वह स्वास्थ्य को नुकसान करेगा। इन्होंने कहा कि इसके आंकड़े नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष–

स्वास्थ्य के आंकड़े कैसे होंगे ?

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

देश के प्रतिष्ठित पेपरों ने टाइम्स आफ इंडिया ने लिखा है, हिन्दुस्तान ने लिखा, हिन्दुस्तान टाइम्स ने लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

पाण्डेय जी आपने सुनी नहीं बात।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

सैकड़ों की संख्या में लोग ऐसे रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी के पास इसके कोई आंकड़े नहीं हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं जो इन्होंने अपने जवाब में लिखा है।

श्री अध्यक्ष–

आप हमारी बात क्यों नहीं सुनते।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

आप ही की सुनते हैं अध्यक्ष जी हम लोग। एक केवल हमारा प्रश्न रह गया। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि जहां पर इस तरह की शिकायतें हैं वहां पर हम पाइप पेयजल योजना को लगा करके इस समस्या को दूर करायेंगे। माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उन क्षेत्रों में जहां फ्लोराइड और आर्सेनिक से प्रभावित है वहां लगे इण्डिया मार्का–2 हैंडपम्प और पेयजल पानी जो टंकी से आप सप्लाई कर रहे हैं क्या उसमें भी फ्लोराइड और आर्सेनिक आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो मैं रिपोर्ट लेकर आया हूं।

डा0 महेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा उत्तर हो जाय। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भाषण बहुत अच्छा देता हूं और इसका उदाहरण, मनोज पाण्डेय जी जब नगर पालिका का चुनाव

लड़ रहे थे तो हम ही को भाषण देने के लिये बुलाये थे और मैं इनके चुनाव प्रचार के लिये गया था। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मान्यवर, दूसरी बात माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं इन्होंने, माननीय सदस्य ने, हमारे मित्र ने ठीक से बात को सुना नहीं। मैंने कहा कि पाइप पेयजल के माध्यम से भी और इंडिया मार्का–2 के माध्यम से दोनों माध्यमों से उन सभी स्थानों को जितने हमारे फ्लोराइड और आर्सेनिक प्रभावित हैं उनको विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने टार्गेट बनाया है कि हम लोग अपने जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा सकें। जहां पर डीप बोर करके हम लोग पाइप पेयजल परियोजना के माध्यम से कर सकते हैं उसको कर रहे हैं और जहां नहीं कर पा रहे हैं जहां आवश्यकतानुसार इंडिया मार्का–2 से हो सकता है, कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एक बार पढ़ना चाहता हूं यदि आपकी अनुमति हो। मैं एक बार आपको सुना देता हूं। सदन को जानकारी होना बहुत आवश्यक है मान्यवर।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

हमारा सवाल था कि क्या पाइप पेयजल से भी और इण्डिया मार्का हैण्डपम्प से भी फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा आ रही है, केवल इतना प्रश्न है।

डा0 महेन्द्र सिंह–

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मैं शीशी में भर कर कुछ लाया हूं। अगर यह तीन महीने, चार महीने पहले शीशी में भर कर लाये होते तो बहुत अच्छा होता। यह कह रहे हैं कि मैं कुछ लेकर आया हूं। अब मान्यवर, क्या लेकर आये हैं, यह क्या–क्या लेकर आते हैं मैं कुछ कहना नहीं चाहता। (शोर) माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य की जो आशंका है, समय–समय पर जल की टेस्टिंग जल निगम के द्वारा और विभाग के द्वारा होती रहती है और कहीं पर यदि दूषित पानी आता है।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

आप भाषण दे रहे हैं।

डा0 महेन्द्र सिंह–

आप अगर भाषण नहीं दे पाते हैं तो आप आइये मैं आपको भाषण देना सिखा दूंगा आप चिन्ता मत करिये। लेकिन आप सुनिये तो।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिये, सुन तो लीजिये।

डा0 महेन्द्र सिंह–

मनोज जी आप सुनिये। आप हमारे मित्र हैं इसलिये मैं आपसे कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप दोनों लोग आपस में बातचीत नहीं कर सकते।

डा0 महेन्द्र सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि जहां कहीं भी दूषित जल होता है उसको समय–समय पर विभाग के द्वारा टेस्टिंग करके हम लोग उसको ठीक कराते हैं मान्यवर। अगर कहीं पर कोई ऐसी शिकायत है तो माननीय सदस्य उसको लिख कर दे देंगे उसको दिखवा लेंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग चाहते हैं कि शुद्ध पेयजल मिले इसकी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है।

(श्री आर0 के0 वर्मा जी का नाम पुकारा गया)

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो रहा है। तीन प्रश्न नहीं हो पाए। बैठिए आप।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि मैंने कहा कि मैं एक शीशी में पानी लाया हूं यह जरा निकलवाइये यह किसने कहा, अगर नहीं कहा तो आपने यह बात कही कैसे ? मैंने तो नहीं कहा कि मैं कोई शीशी लेकर आया हूं इसको कार्यवाही से निकलवाइए, यह नहीं चलेगा माननीय अध्यक्ष जी, यह क्या तरीका है माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैंने कहा है कि मैं कोई शीशी में पानी लाया हूं। जब मैंने नहीं कहा और यह कह रहे हैं तो यह बहुत गैरजिम्मेदाराना बात है। इसको कार्यवाही से निकलवाया जाए।

श्री अध्यक्ष–

कोई गैरजिम्मेदाराना बात नहीं है आप सवाल नहीं होने दे रहे हैं मैंने अगला सवाल पुकार लिया है। आप सवाल होने दीजिए।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

यह सरकार की गलत बयानबाजी है इन्होंने कहा शीशी में पानी लेकर आए हैं। यह कहां से बात आ गई मैंने तो नहीं कहा कि शीशी लेकर आया हूं।

श्री अध्यक्ष–

आप कोई शीशी लेकर नहीं आए हैं।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

फिर यह बात कही कैसे माननीय मंत्री जी ने कि शीशी लेकर आए हैं।

श्री अध्यक्ष–

बैठिए आप।

प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु कार्य योजना की जानकारी

'08–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या पशुधन विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों एवं भूमिहीन श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु पशुपालन को बढ़ावा देने हेतु

कोई प्रभावी कार्य योजना सरकार की है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन, लघु सिंचाई एवं मत्स्य मंत्री (श्री एस0 पी0 सिंह बघेल)–

जी हां।

प्रदेश में पशुपालन को बढ़ावा देने तथा गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों एवं भूमिहीन श्रमिकों के जीविकोपार्जन हेतु बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम, रूरल बैकयार्ड कार्यक्रम, जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा तथा टीकाकरण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री आर0 के0 चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से पूरी तरह सहमत हूं। मन में थोड़ी सी जिज्ञासा है जिसे शान्त करने के लिए दो अनुपूरक प्रश्न करना चाहूंगा जबाव में है हमारा प्रश्न गरीब पशुपालकों, निर्बल वर्गों एवं भूमिहीन श्रमिकों को उनकी जीविका का साधन बढ़ाने के लिए पशु पालन को बढ़ावा देने से सम्बन्धित था। माननीय अध्यक्ष जी जिस तरह बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम, रूरल बैकयार्ड कार्यक्रम सरकार के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कुक्कुट पालन प्रायः एक वर्ग विशेष करता है। बाकी जो भी भूमिहीन हैं या लघु और सीमान्त किसान हैं उनकी भी जीविका का साधन पशुपालन होता है और जिस तरीके से कुक्कुट पालन में छोटे अनुदानों के माध्यम से उनका प्रोत्साहन किया जाता है उसी तरीके से जो लोग कुक्कुट पालन नहीं करते हैं विशेष रूप से पिछड़े दलित समुदाय के लोग उनकी जीविका का साधन पशुपालन होता है छोटे अनुदानों के माध्यम से गाय, भैंस बकरी, सुअर आदि के पालन हेतु छोटे अनुदानों से उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम किया जाएगा। दूसरा है बैकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम लाभार्थी को कितनी आर्थिक सहायता किन–किन रूपों में की जाती है। इन दो प्रश्नों के माध्यम से मैं अपनी जिज्ञासा शान्त करना चाहता हूं।

श्री एस0पी0 सिंह बघेल–

मान्यवर चूंकि सदस्य का प्रश्न के पहले विशेषण लगा है उसमें निर्बल वर्गों, गरीब पशुपालकों और भूमिहीन श्रमिकों के बारे में मूल प्रश्न है। चूंकि हमारी पशुपालन की योजना जो पूर्व सरकार की थी वह कामधेनू योजना थी। वह लगभग एक करोड़ 21 लाख की थी। फिर मिनी थी, माइक्रो थी वह 50 लाख 25 हजार की थी। पशुपालन की यही योजना थी जो गरीब निर्बल और भूमिहीनों के लिए नहीं आती है। लेकिन हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र में प्रश्न से हटकर भी सदन को जानकारी देना चाहता हूं लोक कल्याण संकल्प पत्र में हमने यह कहा है कि भूमिहीनों को दो दुधारू पशु देंगे। यद्यपि पशु हमारा विभाग पालता है, वैक्शीनेशन करता है, टीका लगाता है लेकिन दूध चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह जी का विभाग देता है। यह दो पशुओं वाली योजना है मैं दुग्ध विकास मंत्रालय से जानकारी लेकर आया हूं दो पशुओं वाली योजना जो गरीबों के लिए, निर्बल वर्ग के लिए भूमिहीनों के लिए है भविष्य में हमारा दुग्ध विकास मंत्रालय

ऐसी योजना कर रहा है। जहां तक मेरी जानकारी है लगभग साढ़े सात हजार लोगों को एक साल में लाभ प्राप्त होगा। ऐसे साढ़े सैंतीस हजार लोग पांच साल में हम लोग भूमिहीन, निर्बल और जो गरीब किसान हैं उनको देंगे। दूसरा प्रश्न जो आपका है कि बैकयार्ड में और रूरल बैकयार्ड की क्या योजना है और उसमें लाभार्थी को क्या मिलता है। योजना में एक लाभार्थी को एक यूनिट में तीन हजार रुपए हम लोग लाभ देते हैं जिसमें 50 चूजे 24.50 रुपए प्रति चूजे की कीमत इसकी कीमत 1225 रुपए हो जाती है दूसरा राशन के लिए अध्यक्ष जी 900 रुपए देते हैं दवा के लिए 200 रुपए देते हैं और प्रशिक्षण होता है 5–7 दिन का कि कैसे चूजों को पाला जाए उसको क्या खिलाया जाए वैक्सीनेशन कैसे किया जाए मार्केटिंग कैसे की जाए फीडिंग कैसे की जाए कैसे उनके वजन में वृद्धि की जाए तो 200 रुपए प्रशिक्षण पर खर्च करते हैं चूंकि बहुत ही गरीब लोगों को देते हैं भूमिहीन भवनहीन इस प्रकार के लोगों को तो 425 रुपए हम लोग छप्पर के लिए भी हम लोग देते हैं और परिवहन के लिए भी यह अत्यन्त कमजोर वर्ग के लिए योजना है वैकयार्ड शब्द इसलिए रखा है कि घर के पिछवाड़े पर इस प्रकार के काम को अनुसूचित जाति–जनजाति के लोग गरीब लोग कर सकें उसके परिवहन के लिए भी देते हैं इस प्रकार यह बैकयार्ड के लिए यह योजना है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी अब बैठ जाएं प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालयों हेतु पक्के गड्ढे का निर्माण तथा शौचालय के निर्माण हेतु अनुदान राशि बढ़ाने की मांग

'09–श्री मनोज कुमार पारस–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचमुक्त करने के लिये (ओ0डी0एफ0) कच्चा गड्ढा का शौचालय बनाये जाने से कच्चे गड्ढे के आस–पास की जमीन और जमीन के नीचे का पानी भी प्रदूषित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिये कच्चे गड्ढे के स्थान पर पक्के गड्ढे (टैंक) बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत कच्चे गड्ढा युक्त शौचालय बनाने हेतु रु0 12,000/– दी जाने वाली अनुदान राशि को बढ़ायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम के अन्तर्गत मानव–मल के निपटान हेतु सुरक्षित तकनीकी विकल्पों का प्रयोग करते हुए दो गड्ढा युक्त पोर–फ्लश वाटर सील शौचालयों के प्रयोग का बढ़ावा दिया जा रहा है। इस संरचना में एक मीटर गहरे गड्ढे का निर्माण जालीदार ईटों की चुनाई के साथ किया जाता है, जिसमें गड्ढे में ही मानव

मल शुद्ध कम्पोस्ट खाद में परिवर्तित हो जाता है तथा आस–पास की जमीन एवं भू–जल के प्रदूषित होने का कोई खतरा नहीं रहता है। शौचालय निर्माण की यह तकनीकी सबसे सुरक्षित, सस्ती एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीकी के रूप में ग्रामीण समुदाय हेतु अपनायी गयी है।

जी नहीं।

नोट :– नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सं0–8 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है तथा शौचालय निर्माण की इकाई लागत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है।

अतारांकित प्रश्न

जनपद सहारनपुर के बेहट में समुचित पेयजल की उपलब्धता हेतु गहरी बोरिंग तथा पानी की टंकी बनवाये जाने की मांग

01–श्री नरेश सैनी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र जिसका अधिकांश भाग पहाड़ी क्षेत्र से सटा होने के कारण यहां पर जलस्तर काफी नीचे होने के दृष्टिगत समुचित पेयजल की उपलब्धता हेतु गहरी बोरिंग कराते हुये उसमें समरसिबल पम्प लगा कर संचालित किये जाने तथा पानी की टंकी बना कर जलापूर्ति करने हेतु क्या सरकार की कोई कार्य योजना है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र सिंह–

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल गुणता प्रभावित ग्रामों सांसद आदर्श ग्रामों तथा खुले में शौचमुक्त ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जा रही है। वर्तमान में गहरी बोरिंग करते हुए सबमर्सिबल पम्प लगा कर संचालित किये जाने की कोई योजना नहीं है।

बेहट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सांसद आदर्श ग्राम खुशहालीपुर में पेयजल योजना निर्माणाधीन है तथा खुले में शौचमुक्त ग्रामों के अन्तर्गत चिन्हित 05 ग्राम पंचायतों यथा–भूलनी, मुस्तफापुर–मुस्तकीम, चिम्बाबांस, बूबका, औथयारपुर में पेयजल योजना की स्थापना के सम्बन्ध में धन की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के बेहट के विधान सभा क्षेत्र के सठौली ब्लाक में किसानों को निजी नलकूप चलाने हेतु बिजली का कनेक्शन न प्रदान किये जाने तथा पंचायतवार पुनः सर्वे कराने के सम्बन्ध में

02–श्री नरेश सैनी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में स्थित सठौली ब्लाक जोकि पठारी भूमि से दूर है तथा यमुना नदी के नजदीक होने के कारण जल की उपलब्धता के बावजूद भी डार्क जोन में रखे जाने के कारण किसानों को निजी नलकूप चलाने हेतु बिजली का कनेक्शन नहीं प्रदान किये जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या उक्त को दृष्टिगत रखते हुये सरकार किसान हित में जनपद के न्याय पंचायतवार पुनः सर्वे करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

जी हां।

भू–गर्भ जल संसाधन आंकलन के अनुसार जनपद–सहारनपुर का विकास खण्ड–सदौली कदीम अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है और वर्तमान में लागू शासकीय व्यवस्था के अन्तर्गत अतिदोहित एवं क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत विकास खण्डों में निजी/सार्वजनिक नलकूपों का ऊर्जीकरण नहीं किया जाता है।

भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रत्येक दो वर्ष के अन्तराल में भू–जल संसाधनों का आंकलन विकासखण्डवार किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में पाइप्ड पेयजल योजनाएं स्थापित/संचालित की जानकारी तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

03–श्री राकेश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में कुल कितनी पाइप्ड पेयजल योजनायें स्थापित/संचालित हैं और कितनी निर्माणाधीन हैं ? क्या सरकार निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूर्ण कराकर जनता को पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में 19 पेयजल योजनाएं स्थापित हैं जिनमें से 01 योजना बन्द है तथा 18 योजनाएं संचालित हैं। उक्त के अतिरिक्त 07 पेयजल योजनाएं निर्माणाधीन हैं। कोरिहर, सेमरी, वकुलिहा, हरचन्दपुर विकास खण्ड सौर आधारित मिनी पाइप पेयजल योजना एवं सतांव विकास खण्ड सौर आधारित मिनी पाइप पेयजल योजना से जलापूर्ति की जा रही है।

निर्माणाधीन योजनाओं के अवशेष कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में डा0 राममनोहर लोहिया उवध विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के नये/पुराने कालेजों को तीन/पांच वर्ष के लिए सम्बद्धता देने के सम्बन्ध में

04–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिये नये या पुराने कालेजों को केवल एक वर्ष की ही सम्बद्धता प्रदान की जाती है तथा सम्बद्धता के लिये कालेजों को प्रत्येक वर्ष विभिन्न औपचारिकतायें पूरी करनी पड़ती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन पुराने कालेजों को, जो कई वर्षों से नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं, को तीन अथवा पांच वर्ष के लिये सम्बद्धता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (डा0 दिनेश शर्मा)–

जी हां। नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा जिस अवधि के लिये पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यता प्रदान की जाती है, उस अवधि के लिये डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से नर्सिंग पाठ्यक्रमों के संचालन की सम्बद्धता प्रदान की जाती है। इन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु नर्सिंग काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण किये जाने के उपरान्त वर्षानुवर्ष मान्यता प्रदान किये जाने के उपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग/पैरामेडिकल पाठ्यक्रम संचालित करने वाले महाविद्यालयों को जितनी अवधि के लिए नर्सिंग काउन्सिल से मान्यता प्राप्त होती है उतनी अवधि के लिये विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ बाल विकास परियोजना के गोसाईगंज में कार्यरत कतिपय मुख्य सेविका का दिनांक 19 जून, 2014 से 21 अगस्त, 2015 तक वेतन भुगतान की मांग

05–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, लखनऊ द्वारा वर्ष 2014 एवं 2015 में बाल विकास परियोजना गोसाईगंज, लखनऊ में कार्यरत कतिपय मुख्य सेविकाओं का दिनांक 19 जून, 2014 एवं 21 अगस्त, 2015 का वेतन रोक दिया गया था ? क्या सरकार को जानकारी है कि प्रभावित मुख्य सेविकाओं में कतिपय का वेतन रिलीज कर भी दिया गया है ? यदि हां, तो शेष का भुगतान न करने का क्या कारण है एवं इनके वेतन का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी हां।

निरीक्षण में दिनांक 19–06–2014 को पांच (5) मुख्य सेविकायें एवं दिनांक 21–08–15 को तीन (3) मुख्य सेविकायें अनुपस्थित पायी गयीं जिनका वेतन रोका गया। श्रीमती माधुरी देवी, मुख्य सेविका निरीक्षण की दोनों तिथियों (दिनांक 19–06–14 एवं 21–08–15) में अनुपस्थित पायी गयीं। श्रीमती माधुरी देवी को छोड़कर शेष अन्य मुख्य

सेविकाओं का उपार्जित अवकाश प्रार्थना–पत्र प्राप्त होने पर जनपद स्तर से अवकाश स्वीकृत कर वेतन आहरित कर दिया गया है।

श्रीमती माधुरी देवी, मुख्य सेविका का उक्त तिथियों का अवकाश प्रार्थना–पत्र प्राप्त न होने के कारण वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को सरकार द्वारा दी जाने वाली मरम्मत व विकास अनुदान धनराशि की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में

06–सुश्री अदिति सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के भवन मरम्मत, पुताई एवं अन्य सामग्री के क्रय हेतु निर्धारित मरम्मत व विकास अनुदान के मद में प्रति विद्यालय दी जाने वाली धनराशि रु0 5000/– व 7000/– को विगत 10 वर्ष से बढ़ाया नहीं गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार 10 वर्षों में बढ़ी महगाई एवं जर्जर विद्यालयों की स्थिति को देखते हुये इन मदों की धनराशि में बढ़ोत्तरी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी हां।

वर्ष 2016–17 तथा 2017–18 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में धनराशि में तीन गुना बढ़ोत्तरी के साथ प्रस्ताव किया गया था, किन्तु प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धनराशि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गयी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना ग्राम नाहरमऊ निवासी अनुसूचित जाति के श्री विजल कुमार के साथ मारपीट की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तारी करने की मांग

07–श्रीमती सुषमा पटेल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर जनपद के सुजानगंज थाना अन्तर्गत ग्राम नाहरमऊ निवासी अनुसूचित जाति के श्री विजय कुमार पुत्र राजाराम के साथ गैर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों द्वारा की गयी मारपीट की तहरीर (दि0 13 मार्च, 2017) थाना सुजानगंज व जिलाधिकारी, जौनपुर को प्रेषित आवेदन–पत्र पर क्या प्राथमिकी दर्ज पर अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

आवेदक के शिकायती प्रार्थना–पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि न होने तथा कोई हस्तक्षेपीय/अहस्तक्षेपीय अपराध घटित न होने के कारण अभियोग पंजीकृत नहीं

किया गया। उभय पक्षों के विरुद्ध दिनांक 15–03–2017 को धारा–107/116 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गई है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश में मानक के अनुरूप मिड–डे–मील उपलब्ध न कराये जाने के सम्बन्ध में

08–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–2014, 2014–2015, 2015–2016 व 2016–2017 में मिड–डे मील की जांच हेतु कितने नमूने लिये गये तथा लिये गये नमूनों में से कितने नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि मानक के अनुरूप मिड–डे–मील उपलब्ध न कराने वाली संस्थाओं के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

प्रश्नगत अवधि में 4370 नमूने लिये गये। 45 नमूने मानक के अनुरूप नहीं पाये गये। 11 जनपदों के नमूनों की रिपोर्ट अप्राप्त है।

वार्षिक कार्य–योजना एवं बजट वर्ष 2015–16, 2016–17 एवं 2017–18 में मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भोजन की गुणवत्ता के मानक हेतु लिये गये नमूनों से सम्बन्धित जनपदवार प्राप्त सूचना भारत सरकार को प्रेषित की गयी है।

जनपद बदायूं में मिड–डे–मील उपलब्ध न कराने वाले प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। ग्राम प्रधान एवं सचिव, ग्राम पंचायत के विरुद्ध जिलाधिकारी स्तर से कार्यवाही की गयी है।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में संस्था के भुगतान में 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए संस्था का अनुबन्ध समाप्त कर दिया गया।

जनपद हरदोई में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा संस्था के विरुद्ध मा0 सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के प्राविधानित मानकानुसार शिक्षकों की उपलब्धता की जानकारी

09–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक–छात्र का अनुपात निर्धारण के अनुसार 30 छात्र की संख्या पर एक शिक्षक नियुक्त किये जाने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रदेश में कितने विद्यालयों में इस

प्राविधान का पालन नहीं हो रहा है ? क्या सरकार उक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी हां।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 में प्राविधानित मानकानुसार विद्यालयवार छात्र/शिक्षक अनुपात के अनुरूप शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयवार पद निर्धारण की कार्यवाही करायी जा रही है। इसके पश्चात् वर्ष, 2017 के परिषदीय शिक्षक समायोजन/स्थानान्तरण शासनादेश दिनांक 13–6–2017 के क्रम में परिषदीय विद्यालयों में मानकानुसार अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े–बड़े कस्बों के चौराहों पर तथा पुलिस थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगवाये जाने की जानकारी

10–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अपराध नियंत्रण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े कस्बों, भीड़–भाड़ वाले चौराहों पर तथा पुलिस थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे सरकार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

प्रदेश में सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापना की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से प्रचलित है। प्रथम चरण में प्रदेश के 262 थानों तथा द्वितीय चरण में 786 थानों अर्थात् कुल 1048 थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे स्थापित कराये जा चुके हैं। तृतीय चरण में 71 महिला थानों, 65 जीआरपी थानों सहित कुल शेष 473 थानों एवं अन्य सम्बन्धित कार्यालयों (कुल 512 लोकशेन्स) पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापना एवं कनेक्टिविटी की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रदेश में सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापना की कार्यवाही आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता दोनों दृष्टिगत रखते हुए करायी जा रही है। जैसे–जैसे वित्तीय संसाधन उपलब्ध होते जायेंगे, वैसे–वैसे ग्रामीण क्षेत्रों के बड़े कस्बों भीड़–भाड़ वाले चौराहों पर भी सीसीटीवी कैमरा स्थापना का कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बड़े शहरों में बढ़ते वाहनों की संख्या के दृष्टिगत ट्रैफिक पुलिस बढ़ाये जाने की जानकारी

11–श्री पंकज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बड़े शहरों में वाहनों की बढ़ रही संख्या के अनुपात में ट्रैफिक संचालन करने हेतु लगाये गये ट्रैफिक पुलिस बल की संख्या को भी बढ़ाया गया है ? यदि हां, तो इसका पिछले 5 वर्ष का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना द्वारा दिनांक 08–02–2016 को एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली हेतु चिन्हित 12 जनपदों में यातायात पुलिस के नियतन में निम्नवत् वृद्धि की गयी है :––

निरीक्षक यातायात	उप निरीक्षक यातायात	मुख्य आरक्षी यातायात	आरक्षी यातायात	कुल
27	87	232	1059	1405

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नोएडा शहर के सभी चौराहों पर ट्रैफिक लाइट एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया जाना

12–श्री पंकज सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नोएडा शहर में यातायात की व्यवस्था को सुदृढ़ करने व नागरिकों की सुरक्षा हेतु शहर के सभी चौराहों पर ट्रैफिक लाइट एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा सरकार लगवायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जनपद गौतमबुद्धनगर के नोएडा/ग्रेटर नोएडा में यातायात व्यवस्था के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चौराहों/तिराहों पर 109 सिगनल्स स्थापित हैं। यातायात दबाव एवं आवश्यकताओं तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए महत्वपूर्ण चौराहों पर ट्रैफिक लाइट एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने की कार्यवाही की जाती है।

13–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

ख03 गुरुवार के अता0 प्र0 सं0–57 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने की मांग

14–श्री दिनेश चौधरी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में फायर सर्विस स्टेशन नहीं होने से भीषण आग से प्रतिवर्ष किसानों की लगभग 100 एकड़ फसल जल कर राख हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में फायर स्टेशन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं। यद्यपि वर्ष 2016 में विधान सभा क्षेत्र केराकत में कुल 5.36 एकड़ फसल जल कर नष्ट हुई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में लड़कियों की शिक्षा हेतु राजकीय बालिका डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

15–श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत के छपरौली विधान सभा क्षेत्र में लड़कियों की उच्च शिक्षा के लिये कोई भी कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा हेतु राजकीय बालिका महाविद्यालय खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में सहशिक्षा का 01 राजकीय महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 01 महिला महाविद्यालय संचालित है।

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र बेहट के कतिपय क्षेत्रों में महाविद्यालय तथा सहारनपुर मण्डल में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग

16–श्री नरेश सैनी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के मिर्जापुर एवं ताल्हापुर में वर्तमान में दिन प्रतिदिन शिक्षा के प्रति जागरूकता व आवश्यकता को देखते हुये महाविद्यालय की स्थापना तथा सहारनपुर मण्डल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के कारण।

जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में चयनित लाभार्थियों को लोहिया आवास उपलब्ध कराये जाने की जानकारी

17–श्री सुखदेव राजभर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में मार्च, 2012 से फरवरी, 2017 तक कुल कितने लोहिया आवास के लिये लाभार्थियों का चयन हुआ एवं उनमें से चयनित लाभार्थियों में से कुल कितने लाभार्थियों को लोहिया आवास उपलब्ध करा दिया गया तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार शेष चयनित लाभार्थियों को भी लोहिया आवास उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासनादेश संख्या–107/38–4–2013– 05(बजट)/2012, दिनांक 20–2–2013 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के क्रम में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में जुलाई, 2013 से फरवरी, 2017 तक लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत कुल 356 लोहिया आवास के पात्र लाभार्थियों का चयन हुआ है। योजनान्तर्गत 356 चयनित पात्र लाभार्थियों की लोहिया आवास उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में अपूर्ण लोहिया आवासों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में

18–श्री सुखदेव राजभर–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में मार्च, 2012 से फरवरी, 2017 तक लोहिया आवासों हेतु कुल कितने धनराशि की स्वीकृति मिली तथा कितनी अवमुक्त हुई ? क्या सरकार बतायेगी की अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कुल कितने लोहिया आवासों का निर्माण पूर्ण हुआ है तथा कितने अपूर्ण हैं? क्या सरकार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अपूर्ण लोहिया आवासों को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम्य विकास अनुभाग–4 के शासनादेश संख्या–107/38–4–2013–05(बजट)/2012, दिनांक 20–02–2013 के प्रस्तर–6 के अनुपालन में जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज मे जुलाई, 2013 से फरवरी, 2017 तक लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत कुल 356 लोहिया आवासों के सापेक्ष रु0 787.10 लाख स्वीकृत किया गया है। योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि रु0 787.10 लाख के सापेक्ष जनपद स्तर पर धनराशि की उपलब्धता के अनुसार रु0 751.35 लाख अवमुक्त किया गया है।

विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में जुलाई, 2013 से फरवरी, 2017 तक लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत रु0 751.35 लाख अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 330 आवासों को पूर्ण कराया गया है।

योजनान्तर्गत अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष लोहिया आवासों को पूर्ण किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के कतिपय विकास खण्डों में कराये गये रि–बोर हैण्डपम्पों की संख्या तथा वित्तीय वर्ष 2917–18 में कतिपय विकास खण्डों में हैण्डपम्प रि–बोर किए जाने की जानकारी

19–श्री राकेश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली में वित्तीय वर्ष 2016–2017 में विकास खण्डवार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कितने हैण्डपम्प रि–बोर कराये गये ? क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 2017–2018 में रायबरेली के विकास खण्ड–खीरों, सताव, हरचन्दपुर व लालगंज में हैण्डपम्प रि–बोर कराये जाने का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

वित्तीय वर्ष 2016–17 के अन्तर्गत 705 रि–बोर योग्य हैण्डपम्पों के सापेक्ष 703 हैण्डपम्पों को रि–बोर कराया गया।

शासनादेश संख्या–434(1)/38–7–2017–21एम/2011, दिनांक 08–05–2017 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017–18 में 14वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग की धनराशि से हैण्डपम्पों के रि–बोर का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय में मानकानुसार योग शिक्षकों की नियुक्ति की जानकारी

20–डॉ0 नीरज बोरा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में योग शिक्षा को अनिवार्य किये जाने के निर्णय से उत्तर प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालय भी आच्छादित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के चिकित्सा विश्वविद्यालयों में योग शिक्षकों की मानकानुसार नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'')–

चिकित्सा विश्वविद्यालय में मेडिकल की शिक्षा मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया के ग्रेजुएट मेडिकल एजूकेशन रेगुलेशन, 1997 के अनुसार लागू है। उपरोक्त रेगुलेशन

जोकि मार्च, 2017 तक संशोधित है, में योग शिक्षा की अनिवार्यता के बारे में किसी प्रकार का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही मेडिकल काउन्सिल ऑफ इण्डिया द्वारा योग शिक्षकों की अनिवार्यता/आवश्यकता बतायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में तैनात शिक्षकों के प्रोत्साहन हेतु विशेष ग्रामीण भत्ता देने की मांग

21–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की कमी को देखते हुये क्या सरकार शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती हेतु प्रोत्साहित करने के लिये विशेष ग्रामीण भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी नहीं।

ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है। इसके अतिरिक्त जिन विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शिक्षक तैनात नहीं हैं उनके समायोजन हेतु नीति दिनांक 13–6–2017 को जारी कर दी गयी है।

22–श्री नरेश सैनी–

ख्उसरे बुधवार के अता0प्र0सं0–189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय निर्माण कराने की मांग

23–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र में छात्राओं की उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला महाविद्यालय न होने के कारण छात्राओं को उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय महिला महाविद्यालय का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत में एक राजकीय महिला महाविद्यालय निर्माणधीन है।

लखनऊ के अलीगंज सेक्टर–पी स्थित शिव वाटिका के सौन्दर्यीकरण के अधूरे कार्य को पूर्ण कराने की जानकारी

24–डा0 नीरज बोरा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निधि वर्ष 2016–17 द्वारा अलीगंज लखनऊ के सेक्टर–पी स्थित शिव वाटिका का सौन्दर्यीकरण कराये जाने हेतु धनराशि अवमुक्त हुई थी जिसे यू0पी0 स्टेट कन्स्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा कराया जाना था किन्तु उक्त कार्य अभी तक अधूरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधूरे कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी हां।

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि वर्ष 2016–2017 के अन्तर्गत श्री अभिषेक मिश्र, तत्कालीन मा0 विधायक, लखनऊ उत्तर की संस्तुति पर अलीगंज, लखनऊ के सेक्टर–पी स्थित शिव वाटिका का सौन्दर्यीकरण कार्य (पार्क के अन्दर 102.50 मीटर इण्टरलाकिंग पाथवे, क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल का प्लास्टर आदि कार्य) हेतु अधिशाषी अभियन्ता, यू0पी0 स्टेट कान्सट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि0 को उनके द्वारा प्रस्तुत आगणन के आधार पर रु0 3.60 लाख की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 22–11–2016 को प्रदान कर प्रथम किश्त रु0 2.16 लाख एवं दिनांक 24–03–2017 को द्वितीय किश्त की धनराशि रु0 1.44 अवमुक्त की गयी। अवमुक्त की गयी कुल धनराशि रु0 3.60 लाख के सापेक्ष उक्त कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्थित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्रा0 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न एवं कनवर्जन कास्ट की धनराशि की रिकवरी की जानकारी

25–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थित परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना अन्तर्गत वर्ष 2004 से वर्ष 2011 तक प्रेषित खाद्यान्न एवं कनवर्जन कास्ट का समायोजन कर लिया गया है ? यदि हां, तो जनपदवार कितना खाद्यान्न एवं कनवर्जन कास्ट की धनराशि रिकवरी योग्य पाई गई तथा उसमें से कितना खाद्यान्न एवं कनवर्जन कास्ट की धनराशि की रिकवरी अवशेष

है ? क्या सरकार बतायेगी कि समायोजन/रिकवरी न करने वाले दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जनपद

रिकवरी योग्य खाद्यान्न

(मी0टन)

अवशेष खाद्यान्न

(मी0टन)

जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार खाद्यान्न एवं परिवर्तन लागत के समायोजन की कार्यवाही

गतिमान है।

जनपद	रिकवरी योग्य खाद्यान्न (मी0टन)	अवशेष खाद्यान्न (मी0टन)	रिकवरी योग्य कन्वर्जन कास्ट (रु0 लाख में)	अवशेष कनवर्जन कास्ट (रु0 लाख में)
एटा	1524.00	1524.00	206.83	206.83
	10.97	10.97	3.33	3.25
हाथरस	–	–	–	–
कांशीरामनगर	1869.89	1859.21	158.82	154.43
आजमगढ़	1642.45	591.48	411.00	0.00
बदायूं	1026.80	812.80	129.15	128.81
चित्रकूट	12.92	12.92	90.59	0.00
महोबा	1328.78	1267.54	0.00	0.00
श्रावस्ती	831.66	578.041	0.00	0.00
अम्बेकरनगर	4155.89	380.46	0.00	0.00
देवरिया	614.56	614.56	111.49	111.49
जालौन	2950.53	2563.77	154.00	130.41
ललितपुर	277.24	202.07	0.00	0.00
बुलन्दशहर	0.00	0.00	89.12130	8.74457
सहारनपुर	341.17	341.17	47.79	47.79
चन्दौली	1020.87	1020.87	234.58	232.92

योग :	17647.73	11774.83	1135.111	1024.675

प्राप्त सूचना के अनुसार उपरोक्त जनपदों में ही अवशेष खाद्यान्न एवं कनवर्जन कास्ट की धनराशि समायोजन/वसूली योग्य पायी गयी।

शासनादेश संख्या–978/79–6–2011, दिनांक 06 जुलाई, 2011 के द्वारा वांछित होने पर जनपद स्तर से अवशेष खाद्यान्न एवं कनवर्जन कास्ट के समायोजन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। अवशेष खाद्यान्न एवं कन्वर्जन कास्ट के समायोजन/रिकवरी के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जनपदवार समायोजन/वसूली न करने वाले दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सोलर लाइट की बैटरी चोरी होने के पश्चात् पुनः चालू कराने हेतु नियमावली की मांग

26–श्री दलवीर सिंह–

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सोलर स्ट्रीट लाइट की बैटरी चोरी होने के पश्चात उन्हें पुनः चालू करने के लिये नियमावली बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, विधायी एवं न्याया मंत्री (श्री ब्रजेश पाठक)–

जी नहीं।

शासन के पत्र संख्या–1052/45–वि0 (अति0ऊ0स्रो0वि0)/2013, दिनांक 03 जून, 2013 में वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था के मानक निर्धारित हैं, जिनमें सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्रों की स्थापना उपरान्त ग्राम सभा को संयंत्र हस्तान्तरित किये जाने की व्यवस्था है।

सोलर स्ट्रीट लाइट संयंत्र की स्थापना के उपरान्त संयंत्र को ग्राम सभा के परिसम्पत्ति रजिस्टर में दर्ज किया जाता है। सामुदायिक उपयोग हेतु ग्राम पंचायत में अधिष्ठापित सरकारी परिसम्पत्तियों के चोरी होने की दशा में एफ0आई0आर0 की कार्यवाही ग्राम प्रधान को करनी होती है। एफ0आई0आर0 के प्राविधानों के अनुरूप यदि चोरी हुई बैटरी की बरामदगी नहीं होती है तो ग्राम पंचायत की निधि से नई बैटरी क्रय कर संयंत्र को क्रियाशील किया जा सकता है।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव के ग्राम बरदर में लगी पानी की टंकी से क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध कराने विषयक

27–श्री राकेश सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली के विकास खण्ड–सतांव के ग्राम–बरदर में निर्मित पानी की टंकी से क्षेत्रवासियों को पानी की आपूर्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है

कि इस टंकी की बोरिंग फेल हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस टंकी की रि–बोरिंग कराकर क्षेत्रवासियों को पेयजल उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव के ग्राम बरदर की पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप के फेल हो जाने के कारण पेयजलापूर्ति बाधित है। बरदर ग्राम की वर्तमान जनसंख्या लगभग 10,190 है। इस ग्राम में कुल 285 इण्डिया मार्क–II हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं, जिसमें से 273 कार्यशील हैं। इस तरह कार्यशील हैण्डपम्पों से 37 व्यक्ति प्रति हैण्डपम्प से ग्राम लाभावित्न्त है।

धनराशि की उपलब्धता पर नलकूप को पुनः रि–बोर करा कर क्षेत्रवासियों को पेयजलापूर्ति किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कृषकों की फसलों को बर्बाद कर रहे छुट्टा एवं आवारा पशुओं की रोकथाम हेतु कार्य योजना की जानकारी

28–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कृषकों की तैयार फसलों को आवारा पशुओं से बचाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

प्रदेश में वनरोज/नीलगाय तथा जंगली सुअर द्वारा कृषि फसलों को क्षति पहुंचाये जाने की समस्या से निजात दिलाये जाने हेतु वन विभाग द्वारा शासनादेश दिनांक 04–03–2013 द्वारा एक कार्य योजना बनायी गयी है। पशुधन विभाग द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 7 जनपदों में गौवंशीय पशुओं की अन्ना प्रथा उन्मूलन की योजना चलायी जा रही है। उक्त के अतिरिक्त उ0प्र0 गौशाला अधिनियम, 1964 के अन्तर्गत पंजीकृत गौशालाओं में भी गौवंशीय निराश्रित/आवारा पशुओं को रखा जाता है, जिससे इन पशुओं से होने वाली फसलों के नुकसान को रोका जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली की ग्राम पंचायत टांडा सादात में वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में स्वीकृत धनराशि से कराये गये कार्यों के विवरण की जानकारी

29–श्री केसर सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बरेली की ग्राम पंचायत टांडा सादात हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में कितना धन किस मद में मिला तथा स्वीकृत धन से कौन–कौन से कार्य पूर्ण कराये गये हैं ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि पूर्ण कराये गये कार्य मानक के अनुरूप नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज, लोक निर्माण मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)–

जनपद बरेली की ग्राम पंचायत टांडा सादात को वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 में चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 14वें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :––

क्र0सं0	वर्ष 2015–16		वर्ष 2016–17		कुल योग
	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	14वें वित्त आयोग	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	14वें वित्त आयोग	
1	2	3	4	5	6
1	506882	589797	573582	1203713	2873954

उक्त धनराशि के सापेक्ष कराए गए कार्यों का विवरण (09 पृष्ठ) संलग्न है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड हरदोई के प्रधान सहायक का प्रखण्ड लखनऊ से सम्बद्धता का प्रकरण

30–श्री सुखदेव राजभर–

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड हरदोई के प्रधान सहायक नियम विरुद्ध 27 वर्षों से ग्रा0 अभि0 वि0 प्रखण्ड–लखनऊ से सम्बद्ध हैं ? जिसके कारण प्रखण्ड हरदोई का प्रधान सहायक के स्तर का कार्य प्रभावित हो रहा है यदि हां, तो क्या सरकार इनकी सम्बद्धता समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह)–

जी नहीं, श्री दीपक महाजन, वरिष्ठ सहायक के पद पर ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल–लखनऊ में दिनांक 31–08–2012 से कार्यरत थे। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल–लखनऊ के आदेश संख्या–3567, दिनांक 15–10–2016 द्वारा प्रधान सहायक के पद पर पदोन्नति करते हुये प्रखण्ड–हरदोई में तैनात किया गया। श्री दीपक महाजन, प्रधान सहायक द्वारा उनकी पत्नी वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, लखनऊ में कार्यरत होने तथा पारिवारिक परेशानी के कारण प्रखण्ड–लखनऊ स्थानान्तरण या सम्बद्धीकरण किये जाने के अनुरोध पर अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड–हरदोई द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत स्नानान्तरण नीति के अन्तर्गत पति–पत्नी को एक ही जनपद/नगर/स्थान पर तैनात करने की व्यवस्था के अन्तर्गत श्री दीपक महाजन, प्रधान सहायक को कार्यालय आदेश संख्या–1301/ग्रा0अ0वि0/निदेशक–कैम्प/2016–17, दिनांक 25–10–2016 द्वारा

प्रखण्ड–लखनऊ में सम्बद्ध किया गया। उक्त सम्बद्धता से प्रखण्ड–हरदोई का शासकीय कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।

स्थानान्तरण सत्र–2017–18 में स्वयं के अनुरोध पर श्री दीपक महाजन, प्रधान सहायक का स्थानान्तरण कार्यालय आदेशसंख्या–773/स्था0–2/ग्रा0अ0वि0/स्थानान्तरण/प्र0 सहा0/2017,दिनांक 22–06–2017 द्वारा प्रखण्ड–हरदोई से कार्यालय, मुख्य अभियन्ता (पूर्वी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को कर दिया गया है।

प्रदेश के नवसृजित राजकीय मेडिकल कालेजों में रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारी की भर्ती करने की जानकारी

31–श्री लालजी वर्मा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नव सृजित राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा अधिकारी (एम0ओ0) का पद स्वीकृत होने के बाद भी उन पदों पर चिकित्सकों (एम0ओ0) की तैनाती न होने के कारण ट्रामा में मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त रिक्त पदों पर चिकित्साधिकारी की भर्ती सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

प्रदेश के नवसृजित राजकीय मेडिकल कालेजों यथा–अम्बेडकरनगर, कन्नौज, जालौन, आजमगढ़, सहारनपुर, बांदा तथा बदायूं में चिकित्साधिकारियों के 4–4 पद सृजित हैं, जिसमें से 09 पद भरे तथा 19 पद रिक्त हैं। उक्त पदों पर तैनाती प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर की जाती है। उक्त नवसृजित मेडिकल कालेजों में ट्रामा सेन्टर स्थापित नहीं है।

उक्त पदों पर तैनाती प्रादेशिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के चिकित्साधिकारियों से सेवा स्थानान्तरण के आधार पर की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्री को नियमित करने एवं मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में

32–श्रीमती नीलम करवरिया–

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्री को नियमित करने तथा उनके मानदेय बढ़ाने की सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को नियमित किये जाने की प्रदेश सरकार की कोई योजना नहीं है।

मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादन आयुक्त उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 में थानों में तैनात चौकीदारों के वेतन व सुविधायें बढ़ाए जाने की मांग

33–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के थानों में तैनात चौकीदारों के कार्यों को और प्रभावी बनाते हुये उनको राज्य सरकार द्वारा मिल रही वेतन व सुविधायें बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

वर्तमान में प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत थानों में तैनात चौकीदारों को दिया जा रहा मानदेय व सुविधाओं में और बढ़ोत्तरी किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के सम्बन्ध में

34–श्री अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रानीगंज में स्वीकृत इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण कार्य भूमि अधिग्रहण होने के बाद भी अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त इंजीनियरिंग कालेज का निर्माण प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

जी हां।

जी हां।

निर्माण कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणन के मूल्यांकनोपरान्त वित्त विभाग की सहमति एवं सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त धनराशि अवमुक्त कर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में सड़कों पर जाम के संबंध में मुख्यमंत्री को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

35–श्रीमती जय देवी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–लखनऊ में सड़कों पर लगने वाले जाम के दृष्टिगत तीन/चार पहिया वाहनों को मुख्य चौराहों/मोड़ों से 50 मीटर के अन्दर खड़ा करने के लिये प्रतिबन्धित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र माह अप्रैल, 2017

उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग को परीक्षण कराकर पत्रावली पर शीघ्र आख्या प्रस्तुत किये जाने के आदेश दिये गये है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के कतिपय ग्रामीण क्षेत्र की परिधि में राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज खोले जाने की मांग

36–श्री दिनेश चौधरी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र के ग्राम सभा निहालपुर, खर्गसेनपुर, सोहनी, पौनी, बरबसपुर, पतिराजपुर, नाऊपुर तथा थानागद्दी आदि ग्रामीण क्षेत्र की परिधि में बालिकाओं की शिक्षा के लिये कोई भी राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज नहीं होने के कारण बालिकाओं को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां होती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिये राजकीय कन्या इण्टरमीडिएट कालेज खुलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र में, 02 सहायता प्राप्त इण्टर कालेज (1–खर्गसेनपुर इण्टर कालेज, खर्गसेनपुर, 2–कृषक इण्टर कालेज, थानागद्दीपुर) तथा 04 राजकीय हाई स्कूल (1–राजकीय उ0मा0 विद्यालय, चकरारेत नरहन, केराकत, 2–राजकीय उ0मा0 विद्यालय, बलरामपुर, डोभी, 3–राजकीय उ0मा0 विद्यालय, नई जलालपुर, 4–राजकीय उ0मा0 विद्यालय, पसेवां मुफ्तीगंज) संचालित हैं, जिसमें सहशिक्षा की व्यवस्था लागू होने के कारण बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई नहीं होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 से मान्यता प्राप्त पुस्तकों को शामिल करने की मांग

37–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंहगी पाठ्य पुस्तकों से निजात हेतु एन0सी0ई0आर0टी0 से मान्यता प्राप्त पुस्तकों को प्रदेश के सभी विद्यालयों के लिये

अनिवार्य रूप से पाठ्यक्रम में सरकार शामिल करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के सभी विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 आधारित पाठ्यक्रम के अनुरूप परिषदीय पाठ्यक्रमों में परिवर्तन की कार्यवाही गतिमान है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रदेश के सरकारी विद्यालय में छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाले स्कूल ड्रेस में खादी का उपयोग किये जाने विषयक

38–श्रीमती नीलम करवरिया–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी विद्यालय में छात्र/छात्राओं को दिये जाने वाले स्कूल ड्रेस में खादी वस्त्रों का उपयोग सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

प्रदेश में भारतीय पुलिस कानून, 1861 में बदलाव हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सुझाव तथा आदेशों के अनुपालन की जानकारी

39–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 1861 के भारतीय पुलिस कानून में बदलाव के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये सुझाव तथा 2006 में न्यायमूर्ति वाई0के0 सब्बरवाल की अध्यक्षता वाली खण्ड पीठ ने पूर्व पुलिस महानिदेशक श्री प्रकाश सिंह द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर पारित आदेश का अनुपालन सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

उक्त के अनुपालन में राज्य सुरक्षा आयोग का गठन, पुलिस महानिदेशक (विभागाध्यक्ष) के पद पर चयन एवं उनके कार्यकाल का निर्धारण, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जनपदों में तैनात वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक की तैनाती के कार्यकाल का निर्धारण, अपराधों की

विवेचना का कार्य कानून व्यवस्था से पृथक किये जाने की व्यवस्था तथा राज्य स्तरीय पुलिस स्थापना बोर्ड का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाकों में रिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पदों पर तैनाती के सम्बन्ध में

40–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बस्ती के कुल 14 ब्लाकों में से वर्तमान में मात्र 4 खण्ड विकास अधिकारी ही तैनात होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में हो रही रुकावटों को ध्यान में रखते हुये क्या सरकार सभी ब्लाकों में खण्ड विकास अधिकारी तैनात करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद बस्ती में खण्ड विकास अधिकारी के स्वीकृत 14 पदों के सापेक्ष 07 खण्ड विकास अधिकारी कार्यरत हैं।

शासनादेश संख्या–2107/38–1–2016–3जी/88टी0सी0, दिनांक 23–11–2016 द्वारा जनपदों में रिक्त विकास खण्डों का प्रभार निकटवर्ती खण्ड विकास अधिकारियों तथा प्रादेशिक विकास सेवा संवर्ग के जिला स्तरीय अधिकारियों को प्रदान किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पदों पर पशु चिकित्सकों के नियुक्ति के सम्बन्ध में

41–श्री दलवीर सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सकों के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर चिकित्सकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बरौली में वर्तमान में पशु चिकित्साधिकारी का 01 पद रिक्त है।

रिक्त पशु चिकित्सालय पिसावां, अलीगढ़ का कार्य मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, अलीगढ़ द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था कर निकटतम कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी से सम्पादित कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ के प्राथमिक विद्यालय में बाउण्ड्रीवाल बनवाने की मांग

42–श्री दलवीर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–अलीगढ़ में कितने प्राथमिक विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल नहीं बनायी गयी है ? क्या सरकार बाउण्ड्रीवाल रहित विद्यालयों की बाउण्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जनपद अलीगढ़ में 598 प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल नहीं है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु पिगत 05 वर्षों से भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत न होने के कारण चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद अलीगढ़ में मानक के अनुरूप रिक्त पदों पर पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की तैनाती सम्बन्धी

43–श्री दलवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिसंवेदनशील जनपद–अलीगढ़ में मानक के अनुरूप पर्याप्त पुलिस बल तैनात नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में मानक के अनुरूप पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

जनपद अलीगढ़ में आरक्षी बल का स्वीकृत नियतन 2489 है, जिसके सापेक्ष 2236 पुलिस कार्मिक तैनात हैं जबकि 253 पद रिक्त हैं। स्वीकृत नियतन के सापेक्ष रिक्तियों की पूर्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के स्तर पर भर्ती/प्रोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है, जैसे–जैसे भर्ती बोर्ड द्ववारा चयन/प्रोन्नति के पश्चात् मुख्य आरक्षी/आरक्षी उपलब्ध होते जायेंगे, तद्नुसार प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें तैनात करने की कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति वर्षानुवर्ष किये जाने की कार्यवाही उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा की जाती है। रिक्तियों एवं उनको भरे जाने की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, जो निरन्तर चलती रहती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

44–श्री प्रेमसागर पटेल–

[3सरे बुधवार के अता0प्र0सं0–133 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

उ0प्र0 के प्रबन्धकीय विद्यालयों में (जू0 हा0 स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडियट) स्वीकृत रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानकारी

45–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्रबन्धकीय विद्यालयों में (जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट) में शिक्षकों, सफाई कर्मी तथा अनुचर, क्लर्क के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त (हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट) विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मी तथा अनुचर, क्लर्क के कुल 36141 पद रिक्त हैं।

जी हां।

शिक्षकों के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन की कार्यवाही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के स्तर पर गतिमान है। सफाई कर्मी, अनुचर तथा क्लर्क के रिक्त पदों को भरने के सम्बन्ध में यथोचित निर्णय लिया जाना विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती महंगाई को देखते हुए विधायक निधि को बढ़ाने सम्बन्धी

46–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बजरी, बजरपुट, रेत, सीमेंट (सड़क व भवन निर्माण सामग्री) के बढ़ते हुये मूल्यों एवं सरकार की विकास की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुये विधान सभा क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) को बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में किये गये संशोधन विषयक शासनादेश संख्या–978/अड़तीस–9–12–500(17)/2017, दिनांक 29–11–2012 द्वारा व्यवस्था विहित की गयी है कि दोनों सदनों के माननीय सदस्यगण सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारियों को अपने निर्वाचन क्षेत्र में रु0 150.00 लाख की धनराशि तक विकास कार्य कराने का प्रस्ताव देंगे। मार्गदर्शी सिद्धान्तों में बजरी, बजरपुट, रेत, सीमेन्ट (सड़क व भवन निर्माण सामग्री) के बढ़ते हुए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) को बढ़ाने का न तो कोई प्राविधान है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना की मांग

47–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–मुरादाबाद की तहसील बिलारी में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक–

जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी में सिविल जज (जूनियर डिवीजन) स्तर के ग्राम न्यायालय की स्थापना न्याय अनुभाग–2 (अधीनस्थ न्यायालय) के शासनादेश संख्या–25/2015/1462/सात–न्याय–2–2015–2016जी/2007, दिनांक 24–11–2015 द्वारा की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के वंश वृद्धि के लिये किसानों को प्रोत्साहन देने की कार्य योजना की जानकारी

48–मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में दुधारू पशुओं के वंश वृद्धि के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने की कोई योजना बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

जी हां।

प्रदेश में 05/10 दुधारू गाय/भैंसों की डेयरी इकाई की योजना चलाने पर विचार किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में संचालित महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं की सेवानिवृत्ति आयु सीमा बढ़ाने विषयक

49–डा0 हरगोविन्द भार्गव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संचालित हो रहे महाविद्यालयों के प्रवक्ताओं के रिटायरमेंट की उम्र सीमा चिकित्सा महाविद्यालयों की तरह 65 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों की अधिवर्षता आयु 62 वर्ष से बढ़ा कर 65 वर्ष किये जाने का प्रस्ताव सम्प्रति विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बारांबकी के कतिपय ग्रामों में पानी की टंकियों को पाइप लाइन से जोड़ कर जलापूर्ति करने सम्बन्धी

50–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बाराबंकी के ग्राम–खसपरिया, जीतनगर, मखदूमपुर तथा जगनेहटा में तैयार पानी की टंकियों को पाइपलाइन डलवा कर जनता को पानी देने का कार्य सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

ग्राम खसपरिया, मखदूमपुर एवं जगनेहटा में पाइप पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिसके पूर्ण होने पर आम जनता को शुद्ध पेयजलापूर्ति किया जाना लक्षित है। योजना के अवशेष कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण किया जाना सम्भव हो सकेगा। जीतनगर मोहल्ला शहरी क्षेत्र है, जो नगर पंचायत बाराबंकी के अन्तर्गत आता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के विकास खण्ड रानी की सराय में सरकारी महाविद्यालय की स्थापना की मांग

51–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड–रानी की सराय में सरकारी बालिका महाविद्यालय न होने के कारण लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूसरे जगह अधिक दूरी पर स्थित महाविद्यालयों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार लड़कियों की उच्च शिक्षा हेतु विकास खण्ड–रानी की सराय में बालिका महाविद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं। जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड–रानी की सराय में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 08 महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें से 02 महिला महाविद्यालय हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वृहद् वित्तीय आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के कारण।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर की कतिपय विकास खण्डों में खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने विषयक

52–श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड पल्हनी, रानी की सराय, तहबरपुर तथा जहानागंज में स्थापित इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों में कितने हैण्डपम्प चालू हालत में हैं एवं कितने खराब हैं ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड–पल्हनी में 4061, रानी की सराय में 2676, तहबरपुर में 2877 तथा जहानागंज में 3305 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इनमें से विकास खण्ड–पल्हनी में 3906, रानी की सराय में 2581, तहबरपुर में 2788 तथा जहानागंज में 3176 हैण्डपम्प चालू हालत में हैं तथा विकास खण्ड–पल्हनी के 155, रानी की सराय के 95, तहबरपुर के 89 तथा जहानागंज के 129 हैण्डपम्प खराब/रि–बोर योग्य हैं। शासनादेश संख्या–1134/अड़तीस–5–11–56 सम/2010, दिनांक 29 जून, 2011 द्वारा हैण्डपम्पों के मरम्मत का कार्य एवं शासनादेश संख्या–434/अड़तीस–5–2017–21एम/2011, दिनांक 08–05–2017 द्वारा हैण्डपम्पों के रि–बोर का कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जाना है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज में मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग

53–श्री सुभाष पासी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर के अन्तर्गत राजकीय बालिका इण्टर कालेज में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने के कारण विद्यालय में बालिकाओं का आना कम होता जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में मूलभूत सुविधायें स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर में राजकीय बालिका इण्टर कालेज संचालित है, जिसके नवीन भवन में पेयजल, टॉयलेट एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध हैं। विद्यालय में कुल 18 अध्यापिकाओं के सृजित पद के सापेक्ष 11 अध्यापिकायें कार्यरत हैं। अध्यापिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

विद्यालय में मूलभूत सुविधायें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक विधान मण्डल सदस्यों द्वारा अपने विधान सभा क्षेत्र में 500–500 हैण्डपम्प लगवाये जाने की मांग

54–श्री लालजी वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक विधान मण्डल सदस्य की संस्तुति पर

प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 500–500 इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी नहीं। प्रदेश के 75 जिलों में मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल 27,51,842 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया मार्का–II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित मानक 150 व्यक्ति पर 01 हैण्डपम्प के सापेक्ष 62 व्यक्ति पर 01 हैण्डपम्प उपलब्ध है।

जनपद हापुड़ के ब्लाक धौलाना व रजापुर के कतिपय ग्रामों में इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

55–श्री असलम अली–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हापुड़ के ब्लाक धौलाना के ग्राम–बझेड़ा कला, ग्राम–देहरा, ग्राम–पिपलेड़ा सेखपुर–खिचरा व ब्लाक रजापुर ग्राम–मसूरी व ग्राम नहाल में कोई भी इण्टर कालेज न होने के कारण शिक्षा का अभाव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में इण्टर कालेजों की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

ब्लाक धौलाना में 02 वित्त पोषित इण्टर कालेज संचालित हैं तथा 02 राजकीय इण्टर कालेज निर्माणाधीन हैं। साथ ही अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षिक सहभागिता एवं उन्नयन योजनान्तर्गत 01 राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना प्रस्तावित है। इसी प्रकार ब्लाक रजापुर में 02 राजकीय उ0मा0 विद्यालय एवं 02 अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कालेज संचालित हैं। साथ ही एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत 01 राजकीय इण्टर कालेज निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गायों की नस्लों को संरक्षित किये जाने हेतु आधुनिक केन्द्र की स्थापना के सम्बन्ध में

56–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गायों की किन–किन नस्लों को संरक्षित करने के लिए किन–किन जनपदों में कितने केन्द्रों की स्थापना की गयी है ? गंगातीरी नस्ल, शाहीवाल नस्ल, हरियाणा नस्ल के सर्म्वधन के लिए कोई आधुनिक केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित किया गया है ? यदि हां, तो अभी तक कितना संवर्धन का काम हुआ है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

प्रदेश के विभिन्न 7 जनपदों में स्थित राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर निम्न नस्ल की गायों/सांड़ों का संरक्षण होता है :––

1–शाहीवाल नस्ल–बाराबंकी।

2–गंगातीरी नस्ल–वाराणसी।

3–हरियाणा नस्ल–ललितपुर, मेरठ, सीतापुर, हापुड़।

4–धारपार नस्ल–झांसी।

गंगातीरी नस्ल, शाहीवाल नस्ल, हरियाणा नस्ल के संवर्धन मात्र के लिए पृथक से किसी आधुनिक केन्द्र की स्थापना नहीं की गयी है। अपितु उपरोक्त राजकीय पशुधन प्रक्षेत्रों पर ही उक्त नस्लों के संवर्धन का भी कार्य किया जा रहा है।

विगत पांच वर्ष में 3,258 गोवंशीय पशुओं का संवर्धन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिलाधिकारी, आजमगढ़ को मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा उ0प्र0 द्वारा प्रेषित पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

57–श्री संजय गर्ग–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड–ठेकमा की ग्राम सभा–खरगीपुर के निवासियों को इन्दिरा आवास दिये जाने विषयक मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र सं0–30/ने0वि0द0/2017, दिनांक 26–04–2017, जिलाधिकारी, आजमगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी हां।

विकास खण्ड स्तर से पत्र में सन्दर्भित 09 परिवारों की पात्रता की जांच करायी गयी। सभी परिवार अपात्र पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में होने वाली माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में नकल को रोकने हेतु योजना की जानकारी

58–श्री देवमणि द्विवेदी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की परीक्षाओं में होने वाली नकल को रोकने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा की हाई स्कूल/इण्टरमीडिएट परीक्षाएं नकल विहीन कराये जाने हेतु शासन/परिषद् कृत संकल्प है। इस क्रम में वर्ष 2018 की परिषदीय परीक्षाओं हेतु परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण ऑन लाइन साफ्टवेयर के माध्यम से कराये जाने के सम्बन्ध में विद्यालयों से सम्बन्धित आधारभूत सूचनाएं (काष्ठोपकरण, सी0सी0टी0वी0, विद्युत कनेक्शन, पेयजल एवं टायलेट की व्यवस्था आदि) परिषद् की वेब साइट पर अपलोड कराये जाने हेतु समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को परिषद् कार्यालय द्वारा पत्र प्रेषित कर दिया गया है। विद्यालय का श्रेणीकरण (शैक्षणिक व्यवस्था के अनुरूप तथा पूर्व में संचालित की गयी परीक्षा के नकल मुक्त होने के आधार पर) केन्द्रीयकृत डाटा तैयार कराये जाने तथा साफ्टवेयर के द्वारा परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण किये जाने से केन्द्र निर्धारण को मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त किया जा सकेगा।

परीक्षा केन्द्रों के निरीक्षण/पर्यवेक्षण हेतु शासन/परिषद् स्तर से निर्गत शासनादेश/निर्देशों का अनुपालन कराने के साथ ही परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए निर्गत शासनादेशों के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 1998 भी प्रवृत्त है, जिसके अध्याय तीन के प्रस्तर–9, 10, 11 एवं 12 में दण्ड एवं दण्ड प्रक्रिया की व्यवस्था प्रभावी ढंग से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कालूवाला में अभिनव विद्यालय में स्वीकृत स्टाफ, पठन–पाठन हेतु आवश्यक उपकरण की व्यवस्था कर सुचारु रूप से चलाने विषयक

59–श्री नरेश सैनी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार जनपद–सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र में ग्राम कालूवाला में स्थापित अभिनव विद्यालय में स्वीकृत स्टाफ, सफाई कर्मी, पठन–पाठन हेतु आवश्यक उपकरण, चिकित्सकीय स्टाफ की तैनाती कर विद्यालय को सुचारु रूप से प्रारम्भ कारायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जनपद सहारनपुर में अभिनव विद्यालय कालूवाला पहाड़ीपुर विकास क्षेत्र–मुजफ्फराबाद, सहारनपुर के विद्यालय में शिक्षकों/उपकरणों की व्यवस्था कर शैक्षिक सत्र 2016–17 से कक्षायें सुचारु रूप से संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर के बेहट विधान सभा क्षेत्र के कतिपय क्षेत्रों में पानी की टंकियों की मरम्मत कराकर जलापूर्ति के सम्बन्ध में

60–श्री नरेश सैनी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर जनपद के विधान सभा क्षेत्र बेहट के पठारी क्षेत्र में स्थापित लगभग 30 इकाई पीने के पानी की टंकी में से शाहजहांपुर, गणेशपुर, कालूवाला, नागल, कोठरी, जसमोर, शेरपुर पोलियो बडफला, कासिमपुर, समसपुर, बादशाहीबाग, मीरपुर गन्देवड आदि पानी की टंकियां बन्द हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकियों की मरम्मत कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

सहारनपुर जनपद के बेहट के पठारी क्षेत्र में 14 ग्रामीण पेयजल योजनाएं निर्मित हैं। ये सभी पेयजल योजनाएं वर्तमान में चालू हैं। इनमें से शाहजहांपुर, गणेशपुर, कालूवाला, नागल कोठारी, जसमौर, शेरपुर पीलियो बड्कलां कासिमपुर, समसपुर, बादशाहीबाग स्थित ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं 30 से 35 वर्ष पूर्व निर्मित हुई थीं, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में यह योजनाएं पूर्ण क्षमता पर न चल कर आंशिक रूप से चल रही हैं तथा प्रत्येक योजना से जलापूर्ति की जा रही है। मीरपुर गंदेवड ग्रामीण पेयजल योजना का निर्माण वर्ष 2008 में हुआ था तथा उक्त योजना वर्तमान में पूर्ण क्षमता पर चल रही है तथा ग्रामवासी इससे लाभान्वित हो रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत के कतिपय क्षेत्रों में नाले पर पुलिया के निर्माण की मांग

61–श्री दिनेश चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केराकत में भैंसा नाले के बगल कोइनार नाला पर निषाद बस्ती के पास एवं ब्लाक–डोभी के अन्तर्गत ग्राम सभा–बरहपुर एवं बरहपुर बहिरी के मध्य स्थित नाला पर पुलिया न होने के कारण जनता को आवागमन में कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त दोनों स्थानों पर पुलियों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

प्रश्नगत पुलियों के निर्माण की लागत क्रमशः रु0 25.00 लाख एवं रु0 15.00 लाख (कुल रु0 40.00 लाख) होने के कारण मनरेगा योजनान्तर्गत निर्माण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड केरावत के ग्राम बेहड़ा के अरका पुरवा में रामजतन निषाद के घर से प्रा0 पाठशाला तक नाली का निर्माण विषयक

62–श्री दिनेश चौधरी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड–केराकत के ग्राम–बेहड़ा के अरका पुरवा में राम जतन निषाद के घर से प्राइमरी पाठशाला होते हुए नाला तक नाली न होने के कारण जलभराव रहता है जिससे स्थानीय लोगों को काफी कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर नाली बनवा कर पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जिस स्थान पर नाली निर्माण की मांग की गयी है, वह निजी भू–खण्ड है। मनरेगा योजनान्तर्गत निजी भू–खण्ड पर नाली का निर्माण किया जाना नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जिस स्थान पर नाली निर्माण की मांग की गयी है, वह निजी भू–खण्ड है। मनरेगा योजनान्तर्गत निजी भू–खण्ड पर नाली का निर्माण किया जाना नियमानुसार अनुमन्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर के कतिपय ब्लाकों में भू–जल स्तर को ऊपर उठाने हेतु कार्य योजना की जानकारी

63–श्री दिनेश चौधरी–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक डोभी, केराकत और मुफ्तीगंज को डार्क जोन घोषित कर दिये जाने से उक्त ब्लाकों के किसानों के समक्ष अपनी फसल की सिंचाई आदि का संकट है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के भू–जल स्तर को ऊपर उठाने के लिए कोई योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 बघेल–

भू–गर्भ जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट 31–03–2013 के अनुसार जनपद जौनपुर के क्रिटिकल विकास खण्ड–डोभी की भू–जल विकास/दोहन दर 94.89 तथा अति दोहित विकास खण्ड–केराकत एवं मुफ्तीगंज में भू–जल विकास/दोहन दर क्रमशः 123.38 एवं 112.46 प्रतिशत आंकलित की गई है, जिससे यह स्पष्ट है कि इन विकास खण्डों में भू–जल संसाधनों से सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था है।

प्रदेश में गिरते हुए जल स्तर की समस्या के निदान हेतु बहुआयामी रणनीति अपनायी जा रही है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी–अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा जल संचयन एवं भू–गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेकडैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार नये तालाबों का निर्माण, मेड़बन्धी आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं।

इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा गिरते भू–जल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान हेतु प्रदेश में भू–जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू–जल रिचार्ज की समग्र नीति लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आवश्यकता के अनुरूप शासकीय/पी0पी0पी0 मण्डल पर फायर ब्रिगेड खोलने के सम्बन्ध में

64–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप जिन स्थानों पर राजकीय फायर ब्रिगेड केन्द्र सरकार नहीं खोल पायी है, वहां पर शासकीय/पी0पी0पी0 मॉडल पर फायर ब्रिगेड केन्द्र खोलने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

पी0पी0पी0 मॉडल पर फायर ब्रिगेड केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में वर्तमान में कोई नीति निर्धारित नहीं है, न ही विचाराधीन है। प्रति वर्ष वित्तीय एवं मानव संख्या की उपलब्धता के आधार पर नये राजकीय फायर ब्रिगेड केन्द्र स्थापित किये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार।

बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली में नेडा विभाग द्वारा लगायी गयी सोलर लाइटों की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग

65–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र 309, रूधौली, बस्ती में 16वीं विधान सभा के कार्यकाल में नेडा विभाग द्वारा स्थापित की गयी सोलर लाइटों की बैटरी के गुणवत्ता में कमी के कारण सोलर लाइट से शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ही प्रकाश की सुविधा मिलती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की स्थलीय जांच कराकर गुणवत्ता विहीन बैटरियों को बदलवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक–

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र 309, रूधौली में 16वीं विधान सभा के कार्यकाल में यूपीनेडा द्वारा कुल 436 अदद् सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना 05 वर्षों की वारण्टी के अन्तर्गत अनुबन्धित फर्मों से करायी गयी है।

निरीक्षण के दौरान कुछ लाइटों में ग्रामवासियों द्वारा अपने घरों के अन्दर अनाधिकृत रूप से अतिरिक्त वल्ब जलाये जा रहे थे, जिससे बैटरी पर अतिरिक्त लोड पड़ने के कारण 03 बैटरी क्षमता से कम कार्य कर रही थीं। ऐसी लाइटों से अतिरिक्त लोड को हटवा कर नई बैटरी लगवा दी गयी है तथा समस्त लाइटें अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

बस्ती के विधान सभा क्षेत्र रूधौली के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की नियुक्ति करने विषयक

66–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रूधौली जनपद बस्ती के रूधौली ब्लाक के पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक न होने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों की संख्या में पशुओं की मृत्यु हो जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

जी नहीं।

विधान सभा क्षेत्र रूधौली, जनपद बस्ती के अन्तर्गत पशु चिकित्सालय रूधौली, तहसील स्तरीय होने के कारण उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी (श्रेणी–1) की तैनाती की जानी है। उक्त पशु चिकित्सालय पर श्रेण–1 का पद अभी सृजित नहीं है।

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बस्ती द्वारा पशु चिकित्सालय का कार्य वैकल्पिक व्यवस्था कर निकटतम कार्यरत पशु चिकित्साधिकारी से सम्पादित कराया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर, तहसील के जर्जर समस्त ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण कराने की मांग

67–श्री सुभाष पासी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–गाजीपुर अन्तर्गत सैदपुर तहसील के समस्त ग्राम पंचायतों में जर्जर पंचायत भवन में बना शादीघर के स्थान पर नये पंचायत घर व शादी घर सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निर्मित बहुउद्देशीय पंचायत भवनों के जर्जर होने पर उनकी मरम्मत का कार्य राज्य वित्त आयोग की प्राप्त धनराशि से ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाता है। जर्जर पंचायत भवन के स्थान पर नये पंचायत घर एवं शादी घर निर्माण की पंचायती राज विभाग में कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेज व एम्स स्तर के संस्थान बनाने की सरकार की कार्य योजना की जानकारी

68–श्री सुभाष पासी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेज व एम्स स्तर के संस्थान बनाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर तहसील को भी उक्त में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

जी हां।

एम्स की स्थापना के लिए भारत सरकार द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं, जिसके अनुसार चयन की कार्यवाही की जाती है। गाजीपुर के निकट आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कालेज स्थापित एवं संचालित है तथा जौनपुर में मेडिकल कालेज निर्माणाधीन है। उक्त के कारण गाजीपुर के अन्तर्गत सैदपुर तहसील में फिलहाल मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने की कोई योजना नहीं है।

उक्तानुसार।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां के दिलदार नगर गर्ल्स इण्टर कालेज एवं गहमर गर्ल्स इण्टर कालेज में शिक्षकों की नियुक्ति करने की जानकारी

69–श्रीमती सुनीता–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां के दिलदार नगर गर्ल्स इण्टर कालेज एवं गहमर गर्ल्स इण्टर कालेज में मात्र एक–एक शिक्षक की तैनाती के कारण शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों में मानकानुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, दिलदार नगर में 02 प्रवक्ता तथा 01 सहायक अध्यापिका कार्यरत हैं तथा राजकीय बालिका इण्टर कालेज, गहमर में 03 सहायक अध्यापिकायें कार्यरत हैं, जिनसे शिक्षण कार्य लिया जा रहा है।

जी हां।

प्रदेश में स्थित राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में प्रवक्ता एवं शिक्षिकाओं के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली में राजकीय बालिका इण्टर कालेज बनाने की मांग

70–श्री हरगोविन्द भार्गव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में विधान सभा क्षेत्र सिधौली के विकास खण्ड सिधौली में कोई राजकीय बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण बालिकाओं को 18 से 20 कि0मी0 दूर शिक्षा के लिए जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

जनपद सीतापुर में विधान सभा क्षेत्र सिधौली से लगभग 10 एवं 11 कि0मी0 की दूरी पर क्रमशः राजकीय हाई स्कूल, जल्लाबाद एवं राजकीय बालिका इण्टर कालेज, कमलापुर संचालित है।

इसके अलावा सिधौली में हाई स्कूल स्तर तक अनुदानित तथा इण्टर स्तर पर वित्त विहीन मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय कन्या इण्टर कालेज, सिधौली एवं अशासकीय सहायता प्राप्त श्री गांधी विद्यालय इण्टर कालेज, सिधौली संचालित है, जिनमें सह शिक्षा लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

71–श्री हरगोविन्द भार्गव–

ख02रे सोमवार के अता0प्र0सं0–64 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

72–श्री हरगोविन्द भार्गव–

ख03रे बुधवार के अता0प्र0सं0–188 के अर्न्तगत स्थानान्तरित,

प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र की जनता के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने की कार्य योजना की जानकारी

73–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में भू–गर्भ जल में क्लोराइड, फ्लोराइड तथा नाइट्रेट एवं कहीं–कही आर्सेनिक भी मिलने की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश की ग्रामीण जनता को शुद्ध पेयजल प्राप्त कराने हेतु कोई कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी हां। भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत गुणवत्ता प्रभावित ग्रामीण बस्तियों में पाइप लाइन योजना/गहरे हैण्डपम्प अथवा रिमूवल प्लान्ट स्थापित कर आम जनता को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर की केराकत की तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना विषयक

74–श्री दिनेश चौधरी–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर की केराकत तहसील में मुंसिफ कोर्ट न होने के कारण स्थानीय जनता को जिला मुख्यालय जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केराकत तहसील में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक–

जी हां।

शासनादेश संख्या–10/2016/870/सात–न्याय–2–2016–85जी/2012, दिनांक 06–07–2016 द्वारा प्रदेश में अन्य न्यायालयों के साथ ही 300 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों का सृजन किया गया है जिसके तहत जनपद जौनपुर के लिये 12 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के न्यायालयों का सृजन किया गया है। उक्त न्यायालय के सम्बन्ध में सम्यक् प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम पेठिया में प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत पात्र विधवाओं को आवास आवंटन करने का प्रकरण

75–श्री रितेश पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के अन्तर्गत विकास खण्ड जलालपुर के ग्राम सभा पेठिया में प्रधानमंत्री आवास के वर्ष 2017 के आवंटन में वरीयता क्रम की अनदेखी कर क्रमानुसार चयन न करने तथा ओ0बी0सी0 के एक मात्र आवंटन में भी प्रथम वरीयता पात्र जो विधवा है, का चयन न कर अपात्र का चयन करने की जानकारी सरकार के संज्ञान में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

ग्राम पंचायत पेठिया विकास खण्ड जलालपुर, जनपद अम्बेडकरनगर में सामाजिक, आर्थिक जातिगत जनगणना (एस0ई0सी0सी0) 2011 के आधार पर तैयार सूची के क्रमांक–01 से 90 तक अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को क्रमागत आवास दिया गया है, जिसमें अपात्र एवं आवास प्राप्त लाभार्थियों का नाम छोड़ा गया है। उक्त (एस0ई0सी0सी0) सूची के आधार पर तैयार की गयी प्राथमिकता सूची के वरीयता क्रम में

क्रमांक 01 से 08 तक सामान्य/पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को क्रमागत आवास दिया गया है। यह भी अवगत कराना है कि अन्य पिछड़ा वर्ग सूची (एस0ई0सी0सी0) क्रमांक 01 से 20 तक में अपात्र/आवास प्राप्त लाभार्थियों को छोड़ कर क्रमानुसार/पात्रतानुसार कुल

11 लोगों को आवास उपलब्ध कराने हेतु रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम सभा पेठिया के मार्ग निर्माण में हुई अनियमतता के सम्बन्ध में

76–श्री रितेश पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम सभा पेठिया में मार्ग निर्माण में ईंट सोलिंग कार्य में दोयम दर्जे के ईंट का प्रयोग हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी–

जी हां।

जी हां।

जिलाधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्रांक–785/पं0/शिकायत/पेठिया/नोटिस/जलालपुर/ 2017–18, दिनांक 15 जून, 2017 द्वारा ग्राम प्रधान के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस तथा जिला विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर के पत्रांक–353/ स्था0–प्र0/ ग्रा0वि0अ0/पी0एफ0/2017–18, दिनांक 16 जून, 2017 द्वारा ग्राम विकास अधिकारी के विरुद्ध आरोप–पत्र निर्गत किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी ग्राम भिटौली कला में इण्टरमीडिएट कालेज की स्थापना की मांग

77–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र 268, बाराबंकी के ग्राम भिटौली कला में बालक एवं बालिकाओं के शिक्षण हेतु इण्टरमीडिएट कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में इण्टरमीडिएट कालेज खोलेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड बंकी में ग्राम भिटौली कला के समीप एस0डी0एम0 इण्टर कालेज, भिटौली कला (वित्त विहीन विद्यालय) संचालित है तथा

भिटौली कला के 05 कि0मी0 की परिधि में राजकीय इण्टर कालेज, बरौलीजाटा, बाराबंकी स्थापित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुरादाबाद के कतिपय विकास खण्डों में अपात्रों को लोहिया आवास आवंटन के सम्बन्ध में

78–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी व मूढ़ापांडे में गत वर्षों में प्रस्तावित लोहिया आवासों के नामों को बदल कर पात्रों के स्थान पर अपात्रों को आवास आवंटित किये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में आयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड कुन्दरकी व मूढ़ापांडे में गत वर्षों में प्रस्तावित लोहिया आवासों के नामों को बदल कर पात्रों के स्थान पर अपात्रों को आवास आवंटित किये जाने की जांच सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी विकास खण्ड कुन्दरकी एवं मूढ़ापांडे से करायी गयी। सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारियों के द्वारा अवगत कराया गया कि गत वर्षों से प्रस्तावित पात्र लाभार्थियों को ही लोहिया आवास आवंटित किये गये हैं, किसी भी पात्र लाभार्थी के नाम बदल कर अपात्र के आवास नहीं बनवाये गये हैं। जिला स्तरीय गठित त्रिस्तरीय कमेटी के सत्यापन में पात्र पाये गये लाभार्थियों को ही लोहिया आवास आवंटित किये गये हैं। उक्त दोनों विकास खण्डों में आवंटित किये गये आवासों के लाभार्थियों के नामों का मिलान त्रिस्तरीय कमेटी के सत्यापन में पात्र पाये गये लाभार्थियों के नामों से परियोजना निदेशक द्वारा स्वयं किया गया। किसी भी लाभार्थी का नाम परिवर्तित नहीं किया गया और न ही किसी भी लाभार्थी का नाम बदला गया है। शासनादेश के अनुसार मा0 सदस्य विधान सभा/विधान परिषद् द्वारा दिये गये लेटर पैड पर लाभार्थियों को पात्रता के आधार पर पात्र होने पर प्रति मा0 सदस्य 10 लाभार्थियों को लोहिया आवास आवंटित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा के कतिपय क्षेत्रों में पुलिस चौकी के निर्माण के सम्बन्ध में

79–श्री सुभाष पासी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में सैदपुर टाउन, रामपुरमाझी, भिमापार, मौधा–सिधौना, अनौनी पुलिस चौकी तथा खानपुर थाना किराये के भवनों में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पुलिस चौकियों तथा थाना के लिए सरकारी भवनों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

(1) सैदपुर टाउन (कस्बा), रामपुर माझी, भीमापार, सिधौना पुलिस चौकी किराये के भवन में स्थापित है, जिसके भूमि आवंटन हेतु जिलाधिकारी, गाजीपुर से अनुरोध किया गया है।

(2) पुलिस चौकी मौधा, ग्राम पंचायत भवन, मौधा में स्थापित है।

(3) वर्तमान समय में अनौनी में कोई पुलिस चौकी स्थापित नहीं है।

(4) थाना खानपुर सरकारी भवन में स्थापित है।

जी हां।

भूमि तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा प्राथमिकतानुसार निर्माण कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सरकारी/प्राइवेट स्तर पर शस्त्र ट्रेनिंग सेन्टर खोलने के सम्बन्ध में

80–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नये लाइसेंस/वरासत के लाइसेन्स को बनाये जाने के पूर्व फायर रेन्ज में शस्त्र चलाने का टेस्ट लिया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने पूरे प्रदेश में सरकारी स्तर पर या प्राइवेट स्तर पर शस्त्र चलाने के प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शस्त्र ट्रेनिंग सेन्टर खोलने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि आयुध नियमावली, 2016 के नियम 10 के अनुसार उन्हीं व्यक्तियों को लाइसेंस जारी किया जा सकता है जिन्होंने नियम–39 के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति रखने वाले प्रत्यापित प्रशिक्षक या मुख्य प्रत्यापित प्रशिक्षक से नियम–39(1) के अधीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। इस सम्बन्ध में गृह

मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर कार्यवाही हेतु पत्राचार किया गया है। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना जारी किया जाना अपेक्षित है किन्तु राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रदेश में एक से अधिक लाइसेंस धारकों की लाइसेंस किताब को एक ही किताब में चढ़ाकर नवीनीकरण करने के सम्बन्ध में

81–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस एक व्यक्ति को तीन तक दिये जा सकते हैं लेकिन उनकी तीनों किताबें अलग–अलग होती हैं व अलग–अलग समय पर नवीनीकरण किया जाता है ? यदि हां, तो क्या एक से अधिक लाइसेंस धारकों को लाइसेंस किताब को एक ही किताब में चढ़ाकर व एक नवीनीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

आयुध निमावली, 2016 में तत्सम्बन्ध में व्यवस्था दी गयी है। तद्नुसार शासनादेश संख्या–जन–439/छः पु0–5–2016–1(12)/2005, दिनांक 12 अगस्त, 2016 एवं शासनादेश संख्या–2/ 2017/जन–305/छः पु0–5–2017–800(3)2016 टीसी, दिनांक 04 जुलाई, 2017 द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 में गन हाउस के लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, गोला–पटाखा लाइसेंस को वन टाइम/लाइफ टाइम बनाने की मांग

82–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गन हाउस के लाइसेंस, शस्त्र लाइसेंस, गोला–पटाखा लाइसेंस को वन टाइम/लाइफ टाइम बनाने/पुरानों को लाइफ टाइम करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

आयुध नियमावली, 2016 एवं बिस्फोटक नियमावली, 2008 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

जनपद सहारनपुर में स्थापित सैखुल हिन्द मौलाना महमूद–उल हसन मेडिकल कालेज में ट्रामा सेण्टर, एम0आर0आई0 आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

83–श्री मसूद अख्तर–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर में स्थापित सैखुल हिन्द मौलाना महमूद–उल हसन मेडिकल कालेज वर्ष 2012 में सरकार ने चालू किया है ? यदि हां, तो उक्त हास्पिटल में ट्रामा सेन्टर, एम0आर0आई0, सिटी स्कैन तथा सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सा सुविधा को सरकार द्वारा प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

जी नहीं। अपितु जनपद सहारनपुर में स्थापित सैखुल हिन्द मौलाना महमूद–उल हसन मेडिकल कालेज को दिनांक 11–02–2014 को प्रारम्भ किया गया था।

राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर नवनिर्मित मेडिकल कालेज है, जो कि प्रारम्भिक अवस्था में है। राजकीय मेडिकल कालेज में ट्रामा सेन्टर, एम0आर0आई0, सिटी स्कैन एवं सुपर स्पेशियलिटी की सुविधा एम0सी0आई0 तथा एम0ई0आर0बी0 नई दिल्ली के मानकों के दृष्टिगत रखते हुए चरणबद्ध तरीके से कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सहारनपुर में जलस्तर ऊपर होने के फलस्वरूप डार्क जोन से हटाये जाने के सम्बन्ध में

84–श्री मसूद अख्तर–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सहारनपुर के कितने विकास खण्ड डार्क जोन में हैं ? क्या सरकार जनपद सहारनपुर के ऐसे विकास खण्ड जिनमें जलस्तर गंगा तथा यमुना के खादर क्षेत्र में होने के कारण काफी ऊपर है, का पुनः सर्वेक्षण कराकर डार्क जोन से बाहर निकालेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

भू–गर्भ जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट 31–03–2013 के अनुसार जनपद सहारनपुर के विकास खण्ड–बलियाखेड़ी, देवबन्द, गंगोह, नागल, नकुड़, ननौता, रामपुर, सदौली कदीम एवं सरसवा अतिदोहित श्रेणी, मुजफ्फराबाद और पुवांरका क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत हैं। वर्ष 1997 के पूर्व विकास खण्डों को डार्क, ग्रे एवं व्हाइट श्रेणी में वगीकृत किया जाता था, किन्तु 1997 में निर्गत गाइडलाइन के आधार पर विकास खण्डों को अब अतिदोहित क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें अतिदोहित व क्रिटिकल श्रेणी के विकास खण्ड डार्क श्रेणी के विकास खण्डों के समरूप माने जाते हैं।

प्रदेश के जनपद सहारनपुर के विकास खण्डों का भू–जल दोहन दर बलियाखेड़ी–101.94, देवबन्द–106.72, गंगोह–162.33, नागल–167.51, नकुड़–181.70, ननौता–125.38, रामपुर–107.94, सदौली कदीम–164.78, सरसावा–140.46,

मुजफ्फराबाद–97.96 और पुवांरका–93.29 प्रतिशत है अर्थात् भूजल का दोहन वार्षिक भू–जल रिचार्ज की मात्रा से अधिक है। जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भू–जल आकलन समिति–1997 (जी0ई0सी0–97) के मार्ग–निर्देशों (मेथोडालाजी) के अनुसार प्रदेश में विकास खण्डवार भू–जल संसाधनों का आंकलन प्रत्येक 02 वर्षों के अन्तराल में किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम मुकुन्दपुर में महाविद्यालय को सचांलन करने की मांग

85–श्री चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ग्राम मुकुन्दपुर में स्वीकृत महाविद्यालय हेतु जिला प्रशासन ने लगभग 13 बीघे जमीन को भी अधिग्रहीत कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार महाविद्यालय संचालित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां। जनपद चित्रकूट के ग्राम मुकुन्दपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु 0.525 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया था।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ग्राम मुकुन्दपुर में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना हेतु 0.525 हे0 भूमि का पुनर्ग्रहण किया गया था। यह भूमि मानकानुसार न होने के कारण ग्राम–पाही में गाटा संख्या–848 रकबा–1.00 हे0 भूमि चिन्हित की गयी, जिस पर राजकीय महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है।

86–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

ख्उसरे बुधवार के अता0प्र0सं0–187 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

जनपद गाजीपुर के ब्लाक देवकली अन्तर्गत ग्राम धरवा निवासी–रामलाल यादव की हत्या में नामजद मुल्जिमों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में

87–श्री विरेन्द्र कुमार यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के ब्लाक देवकली अन्तर्गत ग्राम–धरवा निवासी रामलाल यादव, पूर्व प्रधान को दिनांक 10–04–2017 की रात्रि में गोली मारने के प्रकरण में नामजद मुल्जिमों की गिरफ्तारी की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

घटना में नामित मुख्य अभियुक्त दुर्गेश सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह, निवासी धरवां, थाना करण्डा, जनपद गाजीपुर को दिनांक 18–05–2017 को गिरफ्तार किया गया है। अन्य नामित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के मुफ्तीगंज के ग्राम सभा उदियासन में पानी की टंकी में पानी की आपूर्ति कराने की जानकारी

88–श्री दिनेश चौधरी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम सभा उदियासन में स्थापित पानी की टंकी से जल आपूर्ति बाधित होने के कारण स्थानीय लोगों को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी से पानी की आपूर्ति शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद जौनपुर के विकास खण्ड मुफ्तीगंज की एकल ग्राम पेयजल योजना वर्ष 2007–08 में स्वीकृत हुई थी। इस योजना में एक शिरोपरि जलाशय (200 किलो लीटर) एक नलकूप एवं 5.64 किलो मीटर वितरण प्रणाली के कार्य हुए हैं। योजना के समस्त कार्य पूर्ण कर योजना ग्राम पंचायत उदियासन को वर्ष 2009–10 में हस्तगत की गयी थी। उक्त योजना का रख–रखाव ग्राम पंचायत उदियासन द्वारा किया जा रहा है। पम्पिंग प्लांट खराब हो जाने के काराण योजना से पेयजलापूर्ति बाधित है। वर्तमान में ग्राम उदियासन की आबादी 4350 है, जिसके सापेक्ष 31 इण्डिया मार्का–प्प हैण्डपम्पों से आम जनता को पेयजल उपलब्ध हो रहा है। शासनादेश संख्या–1134/अड़तीस–5–11–56सम/2010, दिनांक 29 जून, 2011 एवं शासनादेश संख्या–111/अड़तीस–5–2015–36सम/2013, दिनांक 09 फरवरी, 2015 के अनुसार एकल ग्राम पेयजल योजनाओं के रख–रखाव एवं मरम्मत के सम्पूर्ण कार्य सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के वि0स0क्षे0 केराकत के मुफ्तीगंज के ग्राम सभा पेसारा में पशु चिकित्सालय को पुनः निर्माण कराने की जानकारी

89–श्री दिनेश चौधरी–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विकास खण्ड मुफ्तीगंज के ग्राम सभा पेसारा में स्थापित पशु चिकित्सालय का भवन जर्जर होने के कारण स्थानीय लोगों को अपने पशुओं के उपचार में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय भवन का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

जी हां, ग्राम सभा पेसारा में पशु चिकित्सालय स्थापित न होकर पशु सेवा केन्द्र स्थापित है। जर्जर पशु सेवा केन्द्र को निष्प्रयोज्य घोषित किये जाने की कार्यवाही लोक निर्माण विभाग से अपेक्षित है। निष्प्रयोज्य प्रमाण–पत्र प्राप्त होने पर संस्था के निर्माण हेतु बजट की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विधायक निधि द्वारा असहाय रोगों से पीड़ित रोगियों को आर्थिक सहायता की अवधि निर्धारित करने की जानकारी

90–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या संसदीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विधायकों द्वारा विधायक निधि से असहाय एवं गम्भीर रोगों से पीड़ित रोगियों को आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया को पूरा करने हेतु कोई अवधि निर्धारित की गयी है ? यदि हां, तो कितने दिन की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के अन्तर्गत दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–30/अड़तीस–9–13–500(17)/12, दिनांक 12–02–2013 निर्गत किया गया है। उक्त शासनादेश में प्रश्नगत प्रयोजन हेतु पात्रता एवं धनराशि की अनुमन्यता का परीक्षण अधिकतम 07 दिनों के भीतर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किये जाने की व्यवस्था निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में फसलों को सांडों से बचाने हेतु बाड़ लगा कर प्रबन्ध करने की जानकारी

91–श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में छुट्टा सांड़ों की वजह से जनता एवं किसानों की फसलों के नुकसान से जनता को निजात दिलाने हेतु छुट्टा सांड़ों को एक स्थल पर जैसे तहसील या ब्लाक स्तर पर बड़े वन क्षेत्रों में बाड़ लगा कर रखने का प्रबन्ध करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

आवारा/छुट्टा गौवंशीय पशुओं को स्थानीय निकाय (जैसे नगर निगम, जिला पंचायत आदि) द्वारा पकड़ कर निकटस्थ गो–सदन/गौशाला मे रखे जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विकास खण्डों में कार्यरत मनरेगा तकनीकी सहायकों का मानदेय बढ़ाने की मांग

92–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विकास खण्डों में कार्यरत मनरेगा के तकनीकी सहायकों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी हां।

कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक, बेसिक एवं जूनियर विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में

93–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक, बेसिक व जूनियर हाई स्कूल विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों का मानदेय बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन के अन्तर्गत कार्यरत कुक कम हेल्पर (रसोइयां) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 24–11–2009 के अनुसार नियत मानदेय रु0 1000/– प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके क्रम में प्रदेश में कार्यरत रसोइयों के चयन एवं मानदेय के सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 24–04–2010 द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं।

यह एक केन्द्र पोषित योजना है। वर्तमान में रसोइयों के मानदेय पर होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः रसोइयों को दिये जाने वाले मानदेय में यदि भारत सरकार द्वारा वृद्धि की जाती है, तो उसके अनुसार मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर में संचालित प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय में लगे इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की जांच कराकर शुद्ध पानी बच्चों को मुहैया कराने की मांग

94–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के प्राथमिक विद्यालय तुसायल इब्राहिम चक उर्फ शेखापुर बड़ौगी तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय काटेखैरा मझौआ–रामप्रसाद में स्थापित किये गये इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों से दूषित जल निकल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त हैण्डपम्पों के पानी की जांच करा कर शुद्ध पेयजल मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जनपद बस्ती के ब्लाक रामनगर के पूर्व माध्यमिक विद्यालय काटेखैरा में स्थापित इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों में दूषित जल आ रहा है। प्राथमिक विद्यालय तुसायल, प्राथमिक विद्यालय इब्राहिम चक उर्फ शेखापुर, प्राथमिक विद्यालय बड़ौगी व पूर्व माध्यमिक विद्यालय मझौआ–रामप्रसाद में हैण्डपम्प से दूषित जल की शिकायत नहीं है।

पूर्व माध्यमिक विद्यालय काटेखैरा में लगे इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प रि–बोर/ठीक कराने हेतु अधिशासी अभियन्ता जल निगम, बस्ती से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती के पत्र दिनांक 11–7–2017 द्वारा अनुरोध किया गया है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विधान मण्डल दल मा0 सदस्यों के राज्य से बाहर जाने पर अंगरक्षकों को ले जाने की अनुमति देने की जानकारी

95–मो0 असलम ष्राइनीष् (एडवोकेट)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल सदस्यों को राज्य से बाहर जाने पर अपने अंगरक्षकों को साथ ले जाने की अनुमन्यता नहीं होने के कारण उन्हें जान का खतरा होने की आशंका बनी रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों में संशोधन करके उन्हें अपने अंगरक्षकों को साथ ले जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र संख्या–VI.23014/11/2002–GPA.III, दिनांक 14–01–2002 में राज्य के बाहर भ्रमण करने पर 03 दिन तक अपने सुरक्षाकर्मियों को साथ ले जाने की व्यवस्था है।

प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के जर्जर भवनों की मरम्मत कराने की जानकारी

96–मो0 असलम "राइनी" (एडवोकेट)–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों जिनके भवन जर्जर हैं, की मरम्मत/पुनर्निर्माण, चहारदीवारी निर्माण एवं पेयजल हेतु इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प सरकार लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 में जनपद बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बाराबंकी, अमेठी, चित्रकूट, देवरिया, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, हरदोई, जालौन, झांसी, ललितपुर, महाराजगंज, मेरठ, मुरादाबाद, शामली, सहारनपुर, सिद्धार्थनगर, वाराणसी द्वारा जर्जर भवनों के वृहद् मरम्मत हेतु शासकीय संस्था से आगणित प्रस्ताव रखा गया था, जिनकी स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की गयी है।

विद्यालय पुनर्निर्माण चहारदीवारी तथा इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2017–18 में स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

वृहद् मारम्मत कार्य हेतु भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होते ही कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कान्वेन्ट स्कूलों व अन्य स्कूलों की फीस तय करने के सम्बन्ध में

97–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कान्वेन्ट स्कूलों व अन्य प्राइवेट स्कूलों द्वारा छात्रों से मनमानी फीस व अन्य सुविधाओं के नाम पर धन उगाही को रोकने के लिए क्या सरकार प्रदेश के उक्त विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं की फीस तय करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

स्ववित्तपोषित विद्यालयों द्वारा छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क के संग्रहण के विनियमन के प्रस्ताव पर शासन द्वारा सम्यक् विचार किया जा रहा है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश के ग्राम प्रधानों व बी0डी0सी0 सदस्यों का मानदेय/यात्रा भत्ता बढ़ाने की मांग

98–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बढ़ती मंहगाई के दृष्टिगत प्रदेश के ग्राम प्रधान एवं बी0डी0सी0 सदस्यों का मानदेय/यात्रा भत्ता/अन्य सुविधायें बढ़ाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

त्रिस्तरीय पंचायत के पदाधिकारियों को यथोचित सम्मान एवं सुविधा प्रदान करने हेतु शासनादेश सं0–02/33–2–2014–34जी/01टी0सी0–11, दिनांक 07 जनवरी, 2014 द्वारा मानदेय/भत्तों का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार क्षेत्र पंचायत सदस्यों को, क्षेत्र पंचायत की बैठक में भाग लेने पर रुपया–200/– (रुपया–दो सौ मात्र) के स्थान पर रुपया–500/–(रुपया–पांच सौ मात्र) प्रति बैठक प्रति सदस्य की दर से भत्ता अनुमन्य किया गया है।

शासनादेश सं0–3/2016/3038/33–1–2016–175एम0एस0/2016, दिनांक 22 नवम्बर, 2016 द्वारा ग्राम प्रधान का मानदेय रुपया–2,500/–(रुपया–दो हजार पांच सौ मात्र) से बढ़ा कर रुपया–3500/–(रुपया–तीन हजार पांच सौ मात्र), यात्रा एवं अनुसांगिक व्यय के नाम पर खर्च करने के लिए रुपया–5000/–(रुपया–पांच हजार मात्र) को बढ़ा कर रुपया–15000/– (रुपया–पन्द्रह हजार मात्र) प्रतिवर्ष तथा आकस्मिक खर्च के रूप में रुपया–1000/–(रुपया– एक हजार मात्र) के स्थान पर रुपया–5000/–(रु0 पांच हजार मात्र) अपने पास रखने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के गौरा ग्राम सभा के प्रधान द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व अनियमितता के सम्बन्ध में

99–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के विकास खण्ड रामपुर मथुरा के ग्राम सभा गौरा के ग्राम प्रधान द्वारा किये गये भ्रष्टाचार व अनियमितता के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रों 21,22,23,24,25 व 26/सपा/दिनांक 24–5–2017 उन्हें पत्र प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर एवं फैजाबाद में अशासकीय विद्यालयों में छठे वेतनमान की अवशेष राशि का भुगतान कराने की जानकारी

100–श्री राम चन्द्र यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अम्बेडकरनगर एवं फैजाबाद में माध्यमिक शिक्षा के अशासकीय विद्यालयों में छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार अवशेष के भुगतान सम्बन्धी स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सम्पूर्ण साक्षरता के लिये कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

101–श्री पारसनाथ यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में निरक्षरता के सम्पूर्ण उन्मूलन हेतु सरकार कोई विशेष साक्षरता की कार्य योजना बनायेगी ? यदि हां, तो कार्य योजना की रूप–रेखा क्या होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

प्रदेश में वर्ष 2009–10 से भारत सरकार के सहयोग से निरक्षरता के सम्पूर्ण उन्मूलन हेतु साक्षर भारत योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसके लिए पंचायत स्तर पर दो प्रेरकों का चयन मानदेय के आधार पर किया जाता है।

प्रदेश का साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए राष्ट्रीयता साक्षरता मिशन प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा साक्षर भारत योजना का संचालन किया जा रहा है, जिसमें 15वयवर्ग के असाक्षरों को बेसिक साक्षरता प्रदान की जाती है। प्रतिभागियों का मूल्यांकन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान भारत सरकार द्वारा किया जाता है। परीक्षा में सफल प्रतिभागियों को प्रमाण–पत्र दिये जाते है, जिससे प्रतिभागी अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकें। इसके अतिरिक्त प्रत्येक ग्राम स्तर पर लोक शिक्षा केन्द्र की स्थापना, बेसिक शिक्षा साक्षरता के उपरान्त समुतुल्यता कार्यक्रम के माध्यम से औपचारिक शिक्षा से जोड़ना, प्रदेश का साक्षरता का प्रतिशत 80 करना, पुरुष एवं महिला के साक्षरता प्रतिशत के वर्तमान अन्तर को 10 प्रतिशत करना तथा सामाजिक क्षेत्रीय एवं लिंग भेदभाव में कमी लाना।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

102–श्री पारसनाथ यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में उच्च शिक्षा का प्रतिशत एवं गुणवत्ता बढ़ाने हेतु कोई कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि हां, तो कार्य योजना की रूप–रेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

कार्य योजना में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, परीक्षा सुधार, प्रशासनिक व्यवस्था एवं अवस्थापना में सुधार, विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, विशिष्ट विश्वविद्यालयों का उन्नयन तथा रोजगारपरक उच्च शिक्षा सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद की ग्राम सभा गौरा के प्रधान द्वारा अनियमितता के सम्बन्ध में कार्रवाई की जानकारी

103–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम सभा गौरा, विकास खण्ड–रामपुर मथुरा के ग्राम प्रधान द्वारा की गयी अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्रांक–15, 16, 17, 18, 19 व 20 तथा 33/सपा/दिनांक 24–5–2017 मुख्य मंत्री को प्राप्त हुये हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

प्रश्न में अन्तर्निहित पत्रांक–15, 17, 18, 19 एवं 20 प्राप्त हुये हैं।

उक्त पत्रों को मुख्य मंत्री कार्यालय (सांसद एवं विधायक प्रकोष्ठ) द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, सीतापुर को आनलाइन प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मार्च, 2016 से मार्च, 2017 तक सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु एवं रोकने की प्रभावी नीति बनाने की जानकारी

104–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मार्च, 2016 से मार्च, 2017 तक सड़क दुर्घटनाओं में कितनी मृत्यु हुयी हैं और कितने लोग गम्भीर रूप से घायल हुये हैं ? क्या सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु प्रभावी नीति बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

मार्च, 2016 से मार्च, 2017 तक प्रदेश के जनपदों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में 20,975 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है एवं 27,342 व्यक्ति घायल हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट कमेटी आन रोड सेफ्टी द्वारा समय–समय पर प्रदेश के विभिन्न मार्गों पर होने वाली दुर्घटनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में दिनांक 06–07–2017 को परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में पुलिस विभाग, आबकारी विभाग, मनोरंजन विभाग, लोक निर्माण विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, स्थानीय निकाय निदेशालय एवं बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक, उ0 प्र0 के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी थी।

यातायात व्यवस्था को और अधिक सुव्यवस्थित किये जाने हेतु प्रदेश के 12 महानगरों–आगरा, गाजियाबाद, लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, इलाहाबाद, गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़, कानपुर नगर, बरेली तथा मुरादाबाद में 'एकीकृत यातायात प्रबन्धन प्रणाली' लागू किये जाने की कार्यवाही प्रचलित है। इस योजना के अन्तर्गत यातायात संकेतों की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण, सभी चौराहों पर रोड फर्नीचर की व्यवस्था, चौराहों की अभियांत्रिकी में सुधार, यातायात चौराहों पर नियामक, चेतावनी, ट्रैफिक सिग्नल, रोड मार्किंग आदि लगाया जाना, यातायात पुलिस हेतु कैमरा, इलेक्ट्रानिक चालान आदि की व्यवस्था एवं यातायात नियमों का प्रचार–प्रसार किया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के उपरोक्त 12 जनपदों में 'स्मार्ट सिटी सर्विलांस सिस्टम' परियोजना लागू किये जाने की प्रक्रिया प्रचलित है। इस योजना के अन्तर्गत जन–सामान्य की सुरक्षा के उद्देश्य से सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों तथा महत्वपूर्ण प्रवेश एवं निकास मार्गों पर सर्विलांस कैमरों की स्थापना की जायेगी। प्रदेश में घटित सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु निम्नवत् प्रभावी कार्यवाही कराई जा रही है :–

1–मोटरयान अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत संचालित हो रहे वाहनों की नियमित रूप से चेकिंग व चालान की कार्यवाही यातायात नियमों के अनुपालन में विशेष ध्यान देकर प्रवर्तनात्मक कार्यवाही जनपद स्तर पर प्रचलित है।

2–जनपद के विभिन्न मार्गों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं से सम्बन्धित आंकड़ों की समीक्षा/विश्लेषण कर 'सड़क दुर्घटना बाहुल्य स्थलों' (ब्लैक स्पाट्स) का चिन्हीकरण एवं दुर्घटना के कारणों को ज्ञात कर ऐसे स्थलों पर लोक निर्माण विभाग व भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण व अन्य सम्बन्धित विभागों के माध्यम से सड़क की कमियों को ठीक कराये जाने एवं आवश्यक संकेतक बोर्ड/चिन्ह लगवाये जाने की कार्यवाही करायी जाती है। पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य नगर निगम व लोक निर्माण विभाग के बीच परस्पर सामंजस्य को बढ़ाते हुये इस दिशा में सार्थक प्रयास किया जा रहा है।

3–अतिक्रमण के विरुद्ध भी प्रदेश में जनपद स्तर पर समय–समय पर अभियान चला कर तथा पार्किंग स्थलों का चिन्हीकरण कर यातायात को और सुव्यवस्थित किये जाने की कार्यवाही करायी जाती है।

4–यातायात निदेशालय द्वारा प्रत्येक वर्ष माह नवम्बर में 'यातायात माह' एवं माह दिसम्बर में 'सड़क सुरक्षा सप्ताह' मनाया जाता है। इस अवधि में यातायात नियमों/संकेतों का अनुपालन किये जाने हेतु जन–सामान्य व स्कूली बच्चों को प्रशिक्षित, प्रेरित व जागरूक किया जा रहा है। इसके लिये समाज के विभिन्न समूहों का सहयोग भी लिया जा रहा है। स्कूली छात्र–छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किये जाने हेतु स्कूल/कालेजों में निबन्ध, क्विज आदि प्रतियोगितायें आयोजित कराई जाती हैं

तथा यातायात/नियमों/संकेतों से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार के पोस्टर व पम्फलेट भी वितरित किये जाते हैं।

5–अनधिकृत रूप से मुख्य मार्गों पर फुटपाथों पर ठेलिया, खुन्चा एवं दुकानों को बढ़ा कर मार्ग पर अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कराते हुये उन्हें हटाया जाता है। यातायात के भारी दबाव वाले क्षेत्रों में स्कूलों के खुलने एवं बन्द होने के समय एकल दिशा मार्ग की व्यवस्था कर यातायात का दबाव कम करने का प्रयास किया जाता है एवं भारी वाहनों का आवागमन एक निश्चित अवधि के लिये शहर के अन्दर प्रतिबन्धित कर दिया जाता है।

6–प्रदेश में पुलिस नियतन के सापेक्ष उपलब्ध पुलिस बल से सुचारु यातायात संचालन के लिये यातायात पुलिस को पुलिस कर्मी उपलब्ध कराये जाते हैं।

7–18 परिक्षेत्रीय मुख्यालय के जनपदों तथा जनपद गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद में स्थापित यातायात प्रवर्तन केन्द्र में ट्रैफिक एप का क्रियान्वयन प्रस्तावित है।

प्रदेश की तहसीलों में फायर स्टेशनों के निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने की जानकारी

105–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की तहसीलों में स्थापित कितने फायर स्टेशनों की बिल्डिंगों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है ? क्या सरकार अवशेष फायर स्टेशनों की बिल्डिंगों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

प्रदेश की तहसीलों में स्वीकृत 220 फायर स्टेशनों में से 90 फायर स्टेशनों के निर्माणाधीन भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

जी हां।

उक्त फायर स्टेशनों के निर्माणाधीन भवनों का निर्माण कार्य जून, 2019 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में हत्या, लूट से प्रभावित आश्रित से सम्बन्धित व्यक्तियों के शस्त्र लाइसेंस बनाये जाने के सम्बन्ध में

106–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने पर मा0 न्यायालय अथवा शासन स्तर से कोई रोक लगाई गयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार हत्या, लूट से प्रभावित आश्रित व्यक्तियों के आवेदनों पर शस्त्र लाइसेंस जारी किये जाने के निर्देश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्या–रिट 395/छः पु0–5–2013, दिनांक 08 नवम्बर, 2013 द्वारा पूर्व में ही दिशा–निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कौशाम्बी में महिला पालिटेक्निक की स्थापना कराने की मांग

107–श्री लाल बहादुर–

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–कौशाम्बी में महिला पालिटेक्निक न होने के कारण क्षेत्र की छात्रायें उक्त क्षेत्र का लाभ पाने से वंचित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में महिला पालिटेक्निक की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

जी नहीं। जनपद कौशाम्बी में दो राजकीय पालिटेक्निक (सह–शिक्षा) महात्मा ज्योतिबा फूले राजकीय पालिटेक्निक कौशाम्बी एवं एम0एम0आई0टी0 कौशाम्बी संचालित हैं। पालिटेक्निक संस्थाओं (सह–शिक्षा) में छात्राओं हेतु 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की सुविधा अनुमन्य है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

108–श्री ज्ञान तिवारी–

ख्मा0 आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त,

जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली के मुजाहिदपुर कैलादेवी में डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

109–श्रीमती पिंकी सिंह यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली के विकास खण्ड पवौसा के मुजाहिदपुर कैलादेवी में कोई डिग्री कालेज न होने से विद्यार्थियों को अधिक दूरी पर स्थित संस्थानों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर डिग्री कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं। जनपद सम्भल के विधान सभा क्षेत्र असमोली के विकास खण्ड पवौसा से 15–20 कि0मी0 की परिधि में 06 महाविद्यालय संचालित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के कारण।

110–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त,

जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ के पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में

111–श्री अमन मणि त्रिपाठी–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में चिकित्सक, वार्ड ब्याय एवं पैरा मेडिकल स्टाफ के कितने–कितने पद वर्तमान समय में रिक्त हैं ? क्या सरकार मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुये रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वर्तमान में चिकित्सा शिक्षकों के विभिन्न विशिष्टताओं में कुल 08 पद रिक्त हैं। वार्ड ब्वाय के 53 रिक्त पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग द्वारा भरा गया है। पैरा मेडिकल स्टाफ में कोई पद रिक्त नहीं है।

चिकित्सा शिक्षकों के विभिन्न विशिष्टताओं में रिक्त पदों को भरने हेतु लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद को अधियाचन भेजा जा चुका है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ऊसर, बंजर, बीहड़ परती भूमि को सुधारने के लिये कार्य योजना की जानकारी

112–श्री पारस नाथ यादव–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ऊसर, बंजर एवं बीहड़, परती भूमि को खेती योग्य बनाने के लिये सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन, परती भूमि विकास, जन्तु उद्यान, उद्यान, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)–

जी हां।

उ0 प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा वर्तमान में विश्व बैंक पोषित उ0 प्र0 सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना का संचालन किया जा रहा है। उ0प्र0 सोडिक लैण्ड

रिक्लेमेशन तृतीय परियोजना विश्व बैंक के वित्त पोषण से प्रदेश के 32 ऊसर बाहुल्य जनपदों क्रमशः सन्त रविदास नगर (भदोही), जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, बाराबंकी, सुल्तानपुर, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, एटा, मैनपुरी, अलीगढ़, कौशाम्बी, फिरोजाबाद, कासगंज, बुलन्दशहर, अमेठी, अम्बेडकरनगर, वाराणसी, शाहजहांपुर एवं फैजाबाद में कार्यान्वित हैं। इस परियोजना में बीहड़ सुधार की एक उप परियोजना भी सम्मिलित है, जो विश्व बैंक से हुई सहमति के आधार पर वर्तमान में जनपद फतेहपुर, कानपुर देहात, प्रतापगढ़, रायबरेली, इटावा, औरैया, जौनपुर, मैनपुरी, फिरोजाबाद, लखनऊ, बाराबंकी, इलाहाबाद, कौशाम्बी एवं सुल्तानपुर में कार्यान्वित की जा रही है। उक्त योजना में ऊसर एवं बीहड़ भूमि का उपचार कर खेती के अन्तर्गत लाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर की ग्राम सभाओं में राज्य वित्त, चतुर्थ वित्त से कराये जा रहे कार्यों पर लगी रोक को हटाने के सम्बन्ध में

113–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर जनपद की ग्राम सभाओं में राज्य वित्त, चतुर्थ वित्त से कराये जा रहे कार्यों पर रोक लगाई गयी है ? यदि हां, तो इसका कारण क्या है ? क्या सरकार उक्त रोक हटायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी नहीं। कार्यों पर कोई रोक नहीं लगायी गयी है। केवल धनराशि के आरहण पर रोक लगायी गयी थी।

शासनादेश सं0–1639/33–3–2015–03/2015, दिनांक 19 जून, 2015 में दिये गये निर्देश के क्रम में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासाफ्ट पर एम0आई0एस0 फीडिंग न करने के कारण धनराशि के आहरण पर कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी, सीतापुर के आदेश दिनांक 31–03–2017 द्वारा रोक लगायी गयी थी।

कार्यों पर कोई रोक नहीं लगायी गयी थी। अतः रोक हटाये जाने का अवसर नहीं है।

जनपद सीतापुर की 1601 ग्राम पंचायतों में से 1370 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासाफ्ट पर एम0आई0एस0 फीडिंग पूर्ण कर ली गयी है। इन ग्राम पंचायतों की धनराशि के आहरण पर लगी रोक हटा ली गई है।

अवशेष 231 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रियासाफ्ट पर एम0आई0एस0 फीडिंग का कार्य पूर्ण कर लेने पर उन ग्राम पंचायतों में भी धनराशि के आहरण पर लगी रोक हटा ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पुलिस प्रशासन में कमिश्नर प्रणाली (सिस्टम) लागू करने की मांग

114–श्री उज्जवल रमण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पुलिस प्रशासन में कमिश्नर प्रणाली (सिस्टम) लागू करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

उत्तर प्रदेश में वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा शान्ति व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण का कार्य देखा जा रहा है, जो उपयुक्त एवं पर्याप्त है।

पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन को उच्च शिक्षा में अध्याय का विषय विश्वविद्यालय में बनाने के सम्बन्ध में

115–श्री देवमणि द्विवेदी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के दर्शन को उच्च शिक्षा में अध्ययन का विषय बनाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में पं0 दीन दयाल उपाध्याय शोध पीठ की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त शोध पीठ की स्थापना के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु कुल रु0 900.00 लाख की आय–व्ययक व्यवस्था नई मांग के माध्यम से की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में न्याय पंचायत व्यवस्था को पुनः लागू करने की मांग

116–श्री देवमणि द्विवेदी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में अत्यधिक संख्या में लम्बित वादों के निस्तारण हेतु क्या सरकार न्याय पंचायत व्यवस्था को पुनः बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

न्याय पंचायतें वर्तमान परिस्थितियों में अव्यवहारिक होने के कारण अक्रियाशील हो गयी हैं। अतः उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 में न्याय पंचायत से सम्बन्धित प्राविधानों को हटाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रदेश में 20 मार्च, 2017 को यू0पी0पी0एस0सी0 के परिणाम को रोके जाने विषयक

117–श्री राकेश सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा 21 मार्च, 2017 को यू0पी0पी0एस0सी0 के परिणाम को रोके जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो सरकार जांच कराकर उक्त परिणाम कब तक घोषित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के शैक्षणिक स्तर में गुणवत्ता के परीक्षण की कार्य योजना की जानकारी

118–श्री पारसनाथ यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से अध्ययन करने वाले छात्रों की तुलना में अन्य बोर्डों से पढ़े छात्र अधिक संख्या में उत्तीर्ण होते हैं ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इसकी गुणवत्ता का परीक्षण कराकर इसके शैक्षणिक स्तर में सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक?यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं, यू0पी0 बोर्ड का परीक्षाफल अन्य बोर्डों के परीक्षाफल के समतुल्य ही रहता है।

उक्तवत्।

माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदेश सरकार सी0बी0एस0ई0 के समकक्ष कक्षा–9 एवं कक्षा–10 का पाठ्यक्रम अलग–अलग निर्धारित कर हाई स्कूल की परीक्षा एक वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर आयोजित करायी जा रही है। हाई स्कूल में प्रत्येक विषय में 30 अंकों का आन्तरिक मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट कार्य के आधार पर तथा 70 अंकों की लिखित परीक्षा प्रत्येक विषय में एक प्रश्न पत्र के आधार पर आयोजित करायी जाती है। इसी प्रकार इण्टरमीडिएट में भी शैक्षिक सत्र 2015–16 से कक्षा–11 एवं कक्षा–12 का पाठ्यक्रम अलग–अलग निर्धारित करते हुये इण्टरमीडिएट वर्ष 2017 की परीक्षा एक वर्षीय पाठ्यक्रम के आधार पर सम्पन्न करायी गयी है।

अतः माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट का परीक्षाफल सी0बी0एस0ई0 एवं अन्य बोर्डों के परीक्षाफल की तुलना में किसी भी प्रकार से निम्न स्तर का नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में माननीय विधायकों की संस्तुति पर रि–बोर व नये नल लगाने की स्वीकृति देने के विषयक

119–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में तत्कालीन प्रत्येक विधायक को 100 हैण्डपम्प रि–बोर व 100 नये हैण्डपम्प पात्र लाभार्थियों को संस्तुति हेतु दिये गये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2017–18 में पेयजल के गम्भीर संकट को देखते हुये प्रत्येक विधान मण्डल दल सदस्य की संस्तुति पर हैण्डपम्प रि–बोर व नये हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रदेश के 75 जनपदों में मार्च, 2017 तक 27,51,842 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित किये जा चुके हैं। इस प्रकार 62 व्यक्ति पर 01 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित है। इस आधार पर पूरे प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र मानक के अनुसार पेयजल से संतृप्त हैं। खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत एवं रि–बोर कराये जाने के सम्बन्ध में पूर्व से ही शासनादेश निर्गत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के गांवों/मजरों में पानी की टंकी लगाकर जल आपूर्ति करने की कार्य योजना की जानकारी

120–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेयजल के गम्भीर संकट के दृष्टिगत प्रदेश के ऐसे गांवों/मजरों जहां पानी की टंकी की स्थापना नहीं की गयी है, में पानी की टंकी लगा कर आपूर्ति करने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त गांवों में कब तक पानी की टंकी से आपूर्ति शुरू की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

प्रदेश के 75 जनपदों में मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार कुल 27,51,842 इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हैं। इस प्रकार प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इण्डिया

मार्का–2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु निर्धारित मानक 150 व्यक्ति पर 01 हैण्डपम्प के सापेक्ष 62 व्यक्ति पर 01 हैण्डपम्प उपलब्ध है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार के अद्यतन दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल गुणता प्रभावित ग्रामों, सांसद आदर्श ग्रामों तथा खुले में शौचमुक्त ग्रामों में ही पाइप पेयजल योजना की प्राथमिकता निर्धारित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद अम्बेडकरनगर के एस0 एन0 इण्टर कालेज के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन रोके जाने का प्रकरण

121–श्री लालजी वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक अम्बेडकरनगर के पत्र दिनांक 21–01–2017 पत्रांक संख्या/मा0/8420–23 द्वारा एस0एन0 इण्टर कालेज, इन्दईपुर, जिला अम्बेडकरनगर के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों का वेतन आडिट आपत्तियों के निस्तारित न होने के कारण स्थगित किया गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि कतिपय प्रवक्ताओं को छोड़ते हुए भुगतान पुनः शुरू किया गया है ? यदि हां, तो वंचितों का भुगतान किन कारणों से रोका गया है एवं उनका भुगतान कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

जी नहीं। सभी शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में सिक्योरिटी कम्पनियां पंजीकृत किए जाने के मानक तथा वर्तमान में पंजीकृत सिक्योरिटी कम्पनियों की जानकारी

122–श्री पारसनाथ यादव–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिक्योरिटी कम्पनियां पंजीकृत किये जाने के मानक क्या हैं तथा मानकानुसार कितनी सिक्योरिटी कम्पनियां पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 कार्यालय में पंजीकृत हैं ? क्या सरकार उक्त सिक्योरिटी संस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु उनके मानक में रिटायर्ड सैनिकों को ही रखने की शर्तें लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 के परिप्रेक्ष्य में प्रख्यापित उ0प्र0 प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण नियमावली, 2009 में सिक्योरिटी कम्पनी पंजीकृत किये जाने की शर्तें निर्धारित हैं। आवेदकगण द्वारा उक्त नियमावली की शर्तों के अन्तर्गत

निर्धारित प्रारूप पर सुसंगत अभिलेखों एवं सत्यापन शुल्क रुपये 500/– के डिमाण्ड ड्राफ्ट सहित आवेदन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से आवेदकगण के निवास स्थानों से चरित्र/पूर्ववृत्त की जांच करायी जाती है तथा अभिकरण मुख्यालय एवं प्रशिक्षण स्थल का सत्यापन कराया जाता है। सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक से आख्या/अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त होने के उपरान्त नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा नियमावली की शर्तों के पूरा होने पर आवेदकगण से निर्धारित लाइसेंस शुल्क प्राप्त करके अभिकरण का पंजीकरण किया जाता है। पुलिस महानिदेशक, उ0 प्र0 कार्यालय में अब तक कुल 1135 सिक्योरिटी एजेन्सियां पंजीकृत हो चुकी हैं।

जी नहीं।

प्रदेश सरकार शिक्षित एवं अल्पशिक्षित बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने हेतु सतत् प्रयासरत है। प्रदेश में संचालित प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों में अनेक निर्धन एवं बेरोजगार युवक रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। यदि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरणों में रिटायर्ड सैनिकों को ही रखने की शर्त लागू की जाती है, तो वे सुरक्षाकर्मी बेरोजगार हो जायेंगे।

जनपद औरैया में न्याय भवन के निर्माण के सम्बन्ध में

123–श्री लाखन सिंह–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद औरैया के मुख्यालय ककोर में न्याय भवन के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा भू–स्वामियों को दे दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त भवन के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए भवन का निर्माण सरकार शुरू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद न्यायालय औरैया में आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि क्रय के लिये प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष अभी कोई स्वीकृति निर्गत नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उन्नाव के ब्लाक–पुरवा, हिलौली, असोहा एवं बिछिया में पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा से निजात दिलाने के सम्बन्ध में

124–श्री अनिल सिंह–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–उन्नाव के ब्लाक–पुरवा, हिलौली, असोहा एवं बिछिया के अन्तर्गत पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा

अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा से निजात दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी हां। उक्त गुणता प्रभावित बस्तियों में से 345 बस्तियों के लिए 14 पाइप पेयजल योजनाएं पूर्व से निर्मित हैं, जिनसे कुल 108 बस्तियों में पेयजलापूर्ति की जा रही है। शेष 49 बस्तियों हेतु 17 पेयजल परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों, मुक्त विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों व निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षिक प्रमाण–पत्रों को आधार से लिंक एवं शिक्षण शुल्क निर्धारित किये जाने की मांग

125–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी राज्य विश्वविद्यालयों, मुक्त विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालयों व निजी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता सुधार हेतु समान मानक पाठ्यक्रमों में परिवर्धन, शैक्षिक प्रमाण–पत्रों को आधार से लिंक किये जाने और समान शिक्षण शुल्क निर्धारित किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

राज्य विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अधीन निगमित निकाय हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नहीं हैं। शैक्षिक गुणवत्ता मे सुधार के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। पाठ्यक्रमों का निर्धारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अन्य विनियामक निकायों के निर्देशों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय की स्वायत्तता एवं स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत किया जाता है। समान शिक्षण शुल्क निर्धारण की सम्प्रति कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा, गौतमबुद्ध, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, छत्रपति शिवाजी आदि महापुरुषों की जीवनी जोड़ने के सम्बन्ध में

126–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नई पीढ़ियों में राष्ट्रीय, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के सम्वर्धन हेतु क्या सरकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रमों में नैतिक शिक्षा और गौतमबुद्ध, पं0 दीनदयाल उपाध्याय, छत्रपति शिवाजी, सरदार पटेल, महाराणा प्रताप, बाबा साहब बी0आर0 अम्बेडकर आदि महापुरुषों की जीवनी शामिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

नई पीढ़ियों में राष्ट्रीय, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के संवर्धन हेतु प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों में नैतिक शिक्षा विषयक

पाठ्यवस्तु पहले से ही समाहित है। महात्मा गौतमबुद्ध, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, बाबा साहब भीम राव अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि महापुरुषों की जीवनी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यपुस्तकों में समाहित है। पं0 दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित नहीं है।

वर्तमान शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु पाठ्यपुस्तकों का प्रकाशन किया जा चुका है। आगामी शैक्षिक सत्र 2018–19 के पूर्व कक्षा–4 से 8 की पाठ्यपुस्तकों में संधोधन/परिमार्जन की कार्यवाही के साथ उक्त पर विचार किया जायेगा।

प्रदेश में कार्यरत रसोइयों की न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय देने के सम्बन्ध में

127–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत रसोइयों को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाता है ? क्या यह दैनिक मजदूरी से भी कम है ? यदि हां, तो क्या सरकार रसोइयों को न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मानदेय देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में भारत सरकार के सहयोग से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत कार्यरत कुक कम हेल्पर (रसोइयां) को मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र दिनांक 24–11–2009 के अनुसार नियत मानदेय रु0 1000/– प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

लागू नहीं।

यह एक केन्द्र पोषित योजना है। वर्तमान में रसोइयों के मानदेय पर होने वाले व्यय का60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा तथा शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अतः रसोइयों को दिये जाने वाले मानदेय में यदि भारत सरकार द्वारा वृद्धि की जाती है, तो उसके अनुसार मानदेय बढ़ाने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के कतिपय ब्लाकों में पेयजल टंकियों का निर्माण कर जलापूर्ति सुनिश्चित करने की जानकारी

128–श्री पूरन प्रकाश–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के ब्लाक–राया, फरह एवं बल्देव के ग्रामीण अंचलों में जिन पेयजल टंकियों के निर्माण के लिए धन

आवंटन किया गया है, उनका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है और न ही पाइप लाइनें बिछाई गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में पेयजल की समस्या के निदान हेतु उक्त टंकियों का निर्माण एवं पाइप लाइन बिछाकर ग्रामीण अंचल को स्वच्छ पेयजल सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद मथुरा के विकास खण्ड राया, फरह एवं बल्देव में स्वीकृत 09 पेयजल योजनाओं यथा–किरारई, सरूरपुर, भदाया, बरारी, लुहारा, धर्मपुरा, बिसावली सिमाना, अयेरा, हयातपुर हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। निर्माणाधीन योजनाओं का अवशेष कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

129–श्री पारसनाथ यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0ए0वी0 इण्टर कालेज बेल्थरा रोड, बलिया के विरुद्ध डा0 पूर्णमासी देहाती सदस्य विधान सभा के शिकायती–पत्र पर संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़, मण्डल आजमगढ़ का पत्र संख्या–362–65/2017–18, दिनांक 22–4–2017 जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज के प्रबन्धक को हटा कर प्रकरण की बिन्दुवार जांच कराकर दोषी के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जांच में शिकायतें निराधार पाई गईं।

जनपद बलिया में वर्ष 2016 में डी0ए0वी0 इण्टर कालेज में शासन से रोक के बाद भी चतुर्थ श्रेणी के पदों पर की गयी नियुक्ति का प्रकरण

130–श्री पारसनाथ यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बलिया में डी0ए0वी0 इण्टर कालेज, बेल्थरा रोड में वर्ष 2016 में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर शासन से रोक के बाद भी प्रबन्धक द्वारा चतुर्थ श्रेणी की अनियमित रूप से नियुक्तियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रदेश के वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों को वेतन/मानदेय देने के सम्बन्ध में

131–श्री पारसनाथ यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने वित्त विहीन माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को गत सरकार ने वेतन/मानदेय दिये जाने की स्वीकृति दी थी ? क्या उस पर वर्तमान सरकार द्वारा उक्त वेतन/मानदेय पर रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

डा0 दिनेश शर्मा–

वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रथम बार शासनादेश संख्या–1157/15–8–2016–3023/2012, दिनांक 12 सितम्बर, 2016 द्वारा 1,92,123 वित्त विहीन विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय भविष्य के लिए दृष्टान्त नहीं माना जायेगा, के प्रतिबन्ध के अधीन स्वीकृति दी गई थी। वित्त विहीन विद्यालयों के अंशकालिक शिक्षकों को मानदेय दिये जाने की कोई नियमित नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के रिक्त ग्राम रोजगार सेवकों के पद पर समायोजन का प्रकरण

132–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश की ऐसी ग्राम सभायें जो नगर पंचायतों की सीमा विस्तार के बाद नगर पालिका में सम्मिलित हो गयी हैं, में तैनात ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम सभाओं में जहां पर पद रिक्त हैं में समायोजित करते हुए उनसे कार्य लेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी नहीं। शासनादेश संख्या 1799/38–7–2007–2एनआरईजीए/2005टीसी–1, दिनांक नवम्बर, 2007 में किये गये प्राविधानों के अनुसार ग्राम रोजगार सेवकों को अन्य ग्राम पंचायतों में समायोजित करना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मानदेय पर नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों का नियमितीकरण करने की मांग

133–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की ग्राम पंचायतों में मानदेय पर नियुक्त ग्राम रोजगार सेवकों की नियमित नियुक्ति किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

भारत सरकार के पत्र संख्या–28012/3/05–06–नरेगा, दिनांक 30 मार्च, 2007 के प्रस्तर–7 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नियमित नियुक्ति सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में लड़कियों के लिये 30–30 कि0मी0 की दूरी पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना की मांग

134–श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली, में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कोई भी राजकीय डिग्री कालेज नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की उच्च शिक्षा हेतु जनहित में छपरौली विधान सभा क्षेत्र में 30–30 कि0मी0 पर दो राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में सहशिक्षा का 01 राजकीय महाविद्यालय तथा स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 01 महिला महाविद्यालय संचालित है।

प्रदेश में 12,460 बी0टी0सी0 ट्रेन्ड शिक्षकों व 4000 उर्दू शिक्षकों की रुकी हुई नियुक्तियों का यथा शीघ्र करने के सम्बन्ध में

135–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 12,460 बी0टी0सी0 ट्रेन्ड शिक्षकों व 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति न होने से प्रदेश के प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों में जुलाई से शुरू होने वाले शिक्षण सत्र जुलाई, 2017 के पठन–पाठन पर प्रभाव पड़ेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार यथाशीघ्र उक्त की नियुक्तियां करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं हो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी नहीं।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

12,460 बी0टी0सी0 ट्रेंड शिक्षकों के सम्बन्ध में मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में कार्यवाही गतिमान है। 4000 उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति सम्प्रति स्थगित है।

जनपद सीतापुर के समविकास योजना के अन्तर्गत अर्धनिर्मित प्राथमिक/जू0हा0स्कूल भवनों की संख्या एवं अर्धनिर्मित भवनों को पूर्ण कराने विषयक

136–श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में सम विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कितने प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूल के भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है तथा कितने अर्धनिर्मित हैं ? क्या सरकार उक्त अर्धनिर्मित प्राथमिक/जूनियर हाई स्कूल के भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

राष्ट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद सीतापुर में कुल 59 प्राथमिक विद्यालयों की स्वीकृति प्राप्त हुयी है। स्वीकृत 59 प्राथमिक विद्यालयों के सापेक्ष 53 प्राथमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कार्य पूर्ण है। शेष 06 प्राथमिक विद्यालय अर्धनिर्मित हैं।

उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जायेगा।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के सदर वि0स0क्षे0 के ग्रामीण अंचल में स्थापित टंकियों से जलापूर्ति की जानकारी

137–श्री संगम लाल गुप्ता–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के सदर विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचल में कुल कितनी पानी की टंकियां स्थापित हैं ? क्या उक्त सभी टंकियों से जलापूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जनपद प्रतापगढ़ के सदर विधान सभा क्षेत्र में कुल 13 पाइप पेयजल योजनाएं (पानी की टंकी) निर्मित करायी गयी हैं। कुल निर्मित 13 पाइप पेयजल योजनाओं में से 11 पाइप पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति हो रही है तथा 02 पाइप पेयजल योजनाओं से जलापूर्ति बन्द हैं। 02 पाइप पेयजल योजनओं के नलकूप निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण जलापूर्ति बाधित है।

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में नामांकन के बाद प्राथमिक विद्यालय न जा रहे बच्चों को पुनः संस्थान से जोड़े जाने विषयक

138–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र में ऐसे बच्चें जिन्होंने प्राथमिक विद्यालय में नामांकन कराया परन्तु कुछ दिन के बाद से वह विद्यालय नहीं जा रहे हैं को पुनः शिक्षण संस्थान से जोड़ने हेतु सरकार प्रोत्साहित करने की योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी हां।

जनपद कुशीनगर के खड्डा विधान सभा क्षेत्र के ऐसे बच्चों, जिन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन कराया परन्तु कुछ दिन बाद से विद्यालय नहीं जा रहे हैं, उन्हें खोज कर पुनः शिक्षण संस्थान से जोड़ने हेतु यथोचित प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता की ग्राम सभा ढेमा में बकुलाही नदी के किनारे अन्त्येष्टि स्थल पर सुविधायें प्रदान कराये जाने की जानकारी

139–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता की ग्राम सभा ढेमा में बकुलाही नदी के तट पर बासूराजा स्कूल के पास ग्राम सभा की जमीन पर ग्रामीण मृतकों का अंतिम संस्कार सदियों से करते चले आ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम सभा की जमीन को अन्त्येष्टि स्थल के रूप में परिवर्तित कर उससे सम्बन्धित अवस्थापना सुविधायें मुहैया करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगढ़ के कतिपय विकास खण्डों में कुपोषित बच्चों की संख्या तथा उन्हें आहार उपलब्ध कराने की मांग

140–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण की पहचान हेतु राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत विकास खण्ड मानधाता, लक्ष्मणपुर, संडवा चंद्रिका एवं सदर में कितने अति कुपोषित बच्चों की पहचान की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त अति कुपोषित बच्चों को पका हुआ

खाना, फल व देशी घी मुहैया कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी, हां।

जनपद प्रतापगढ़ में 5 वर्ष तक के बच्चों में राज्य पोषण मिशन के अन्तर्गत कुपोषण की पहचान कराई गयी है। विकास खण्ड मानधाता में 1830 बच्चे, लक्ष्मणपुर में 1860 बच्चे, सण्डवा चंद्रिका में 1886 बच्चे एवं सदर में 1970 बच्चे अति कुपोषित की श्रेणी में चिन्हित किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में शबरी संकल्प अभियान से आच्छादित किये जाने का प्रस्ताव है।

प्रदेश में सरकारी मेडिकल कालेजों में चिकित्सा शिक्षकों द्वारा दिये गये त्याग–पत्रों को स्वीकार किये जाने की जानकारी

141–श्री जितेन्द्र वर्मा–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कालेजों में विगत 10 वर्षों में कितने चिकित्सा शिक्षकों ने अपने पद से त्याग–पत्र दिये हैं और उनमें से कितने चिकित्सकों के त्याग–पत्र स्वीकार कर लिये गये हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि शेष चिकित्सकों के त्याग–पत्र स्वीकार किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

राजकीय मेडिकल कालेजों से विगत 10 वर्षों में कुल 60 चिकित्सा शिक्षकों ने अपने पद से त्याग–पत्र दिये हैं और उनमें से 17 चिकित्सा शिक्षकों के त्याग–पत्र स्वीकार किये गये हैं।

उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2000 में निहित व्यवस्था के अनुसार शर्तों को पूर्ण किये जाने की दशा में त्याग–पत्र स्वीकार किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ग्राम पेठिया में आवास आवंटन में हुई अनियमितता की जांच कराने विषयक

142–श्री रितेश पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या अम्बेडकरनगर जिले के जलालपुर ब्लाक की ग्राम सभा पेठिया में आवास आवंटन एवं मनरेगा आदि से सम्बन्धित अनियमितताओं की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या उस पर कोई कार्रवाई की जा रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी हां।

ग्राम्य विकास द्वारा संचालित योजनान्तर्गत ग्राम–पेठिया ब्लाक–जलालपुर जनपद–अम्बेडकरनगर में मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्य कराये गये हैं। प्रश्नगत ग्राम में मनरेगा योजना से कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में किसी भी स्तर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मा0 विधायक जलालपुर द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के चयन में अनियमितता किये जाने की शिकायत की गयी थी। इस शिकायत के क्रम में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में जांच की गयी और यह पाया गया कि प्रधानमंत्री आवास हेतु चयनित लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना–2011 के आधार पर तैयार सूची में से अपात्रों को छोड़ते हुये विधि सम्मत तरीके से किया गया। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं की गयी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के मुफ्तीगंज ब्लाक के ग्राम असवारा में सड़क निर्माण कराने की जानकारी

143–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के ब्लाक मुफ्तीगंज के ग्राम–असवारा स्थित शारदा नहर पुल से कोहार बस्ती एवं सुजीत सिंह के घर से होते हुए श्रवण कुमार के घर तक का मार्ग कच्चा होने से ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का लेपन स्तर तक का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग

144–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में नव सृजित ग्राम पंचायत पहाड़पुर गजेहवा में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी हां।

जी नहीं।

उक्तवत्।

उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के अनुसार नवसृजित ग्राम पंचायत पहाड़पुर गजेहवा निकटतम प्राथमिक विद्यालय शेषनपुर तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय नरहरपट्टी, विकास खण्ड मानधाता से मानक के अनुसार सेवित है।

जनपद प्रतापगढ़ के न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट कराये जाने की जानकारी

145–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या विधि एवं न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ होने से जनपदवासियों को अत्यधिक समय एवं धन का अपव्यय न्याय पाने के लिये करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रतापगढ़ का न्यायिक क्षेत्राधिकार लखनऊ से हटाकर इलाहाबाद हाई कोर्ट करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बृजेश पाठक–

जी हां।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसची की सूची–1 (संघ सूची) की प्रविष्टि संख्या–78 की व्यवस्था के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, उसकी खण्डपीठ की स्थापना तथा क्षेत्राधिकार का प्रकरण केन्द्र सरकार के विचार का बिन्दु है अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने हेतु भारत सरकार ही सक्षम है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्रों की स्थापना कराया जाना

146–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्रों की स्थापना हेतु सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो वर्ष 2017–18 में इस योजना के अन्तर्गत कितने प्राथमिक विद्यालयों को आच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है ? क्या सरकार इस योजना के सुचारु प्रबंधन हेतु स्थानीय विद्यालय प्रबंध समितियों को भी जोड़ेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी हां।

सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सोलर पैनल की स्थापना हेतु प्रस्ताव रखा गया था, जिसमें आर0ओ0 वाटर संयंत्र भी सम्मिलित था।

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2017–18 में 100 से अधिक छात्र संख्या वाले 15219 परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों को आच्छादित करने का प्रस्ताव था, किन्तु प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षकों/कर्मचारियों के भुगतान का प्रकरण

147–श्री पारसनाथ यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बजट 2016–2017 में माध्यमिक वित्त विहीन असहायिक शिक्षकों/कर्मचारियों के लिए दो सौ करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गई थी ? यदि हां, तो उक्त धनराशि का शिक्षकों/कर्मचारियों को भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में वित्तविहीन विद्यालय के अंशकालिक शिक्षकों को विशेष प्रोत्साहन मानदेय के भुगतान हेतु प्रावधानित धनराशि रुपये 200 करोड़ के सापेक्ष रुपये 1,04,09,43,174.00 की धनराशि स्वीकृत की गई।

आंशिक भुगतान किया गया है। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष रुपये 91,44,26,674.00 (रुपये इक्यानवे करोड़ चौवालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ चौहत्तर मात्र) का भुगतान किया जा चुका है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के हाई स्कूल/इण्टर मीडिएट के शिक्षकों की सेवानिवृत्त की आयु सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मांग

148–श्री पारसनाथ यादव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों में तैनात शिक्षकों की सेवानिवृत्त सीमा बढ़ाकर 65 वर्ष करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर में 2015 से मई, 2017 तक इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्पों के रि–बोर के सम्बन्ध में जानकारी

149–श्री पारसनाथ यादव–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में कितने इंडिया मार्का–2 हैण्डपम्प मई, 2017 तक रि–बोर हो चुके हैं तथा उस पर कितनी धनराशि रि–बोर मद में वित्तीय वर्ष 2015 से मई, 2017 तक खर्च की गयी है ? क्या सरकार उक्त का ब्योरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जनपद जौनपुर में मई, 2015 से मई, 2017 तक कुल 2190 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प का रि–बोर कराया जाना प्रस्तावित था, जिसके सापेक्ष कुल 2129 नग हैण्डपम्पों का रि–बोर कार्य पूर्ण कराया जा चुका है, जिस पर अवमुक्त धनराशि रु0 877.65 लाख के सापेक्ष रु0 853.71 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है तथा वर्तमान में 61 नग इण्डिया मार्का–2 हैण्डपम्प के रि–बोर का कार्य प्रगति पर है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र छजलैट को डार्क जोन से बाहर करने के सम्बन्ध में

150–श्री राजेश कुमार सिंह (चुन्नु)–

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र छजलैट में कई नहरें व नदियां होने के कारण भू–गर्भ जल स्तर 20 फुट होने के बावजूद डार्क जोन घोषित किया गया है ? यदि हां तो क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र का पुनः सर्वे कराकर डार्क जोन से बाहर करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल–

जी हां।

भू–जल संसाधन आकलन रिपोर्ट 31–03–2013 के अनुसार जनपद–मुरादाबाद के विकास खण्ड–छजलैट क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत है। जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड–छजलैट की भू–जल दोहन दर 93.52 प्रतिशत है।

जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गठित भू–जल आकलन समिति, 1997 (जी0ई0सी0–97) के मार्ग निर्देशों (मेथोडालाजी) के अनुसार प्रदेश में विकास खण्डवार भू–जल संसाधनों का आकलन प्रत्येक 02 वर्षों के अन्तराल में किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के पशु प्रजनन केन्द्रों पर दवाओं की उपलब्धता तथा स्टाफ की तैनाती करने की मांग

151–श्री पारसनाथ यादव–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्थापित पशु प्रजनन केन्द्रों पर दवाओं का अभाव तथा स्टाफ की कमी के कारण पशुओं के उपचार में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त केन्द्रों पर दवा व समुचित स्टाफ की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0पी0 सिंह बघेल–

जी नहीं।

प्रदेश में स्थापित पशु प्रजनन केन्द्रों पर दवाओं के अभाव तथा स्टाफ की कमी के कारण पशुओं के उपचार में कोई असुविधा नहीं हो रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पशुपालन विभाग में स्थापित पशु प्रजनन केन्द्रों (पशु चिकित्सालय, 'द' श्रेणी पशु औषधालयों एवं पशु सेवा केन्द्र) पर पर्याप्त मात्रा में दवायें उपलब्ध हैं। पशु चिकित्सा संस्थाओं पर पदस्थ कार्मिकों के माध्यम से पशुओं का समुचित उपचार किया जा रहा है। जिन संस्थाओं पर पद रिक्त है, उस संस्था के निकटतम पशु चिकित्सा संस्था पर पदस्थ पशु चिकित्साधिकारी एवं अन्य कार्मिकों के द्वारा नियमित पदस्थापन होने तक वैकल्पिक व्यवस्था कर उनका संचालन किया जा रहा है। इसके साथ ही विकास खण्ड स्तर पर संचालित बहुउद्देशीय सचल पशु चिकित्सा सेवा योजना के अन्तर्गत सचल वाहनों के माध्यम से भी पशुपालकों के घर के समीप पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

जनपद बलिया के डी0ए0वी0 इण्टर कालेज के प्रबन्धक को हटाने व अवैध रूप से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियुक्त करने का प्रकरण

152–श्री पारसनाथ यादव–

क्या मा0 शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया में डी0ए0वी0 इण्टर कालेज बेल्थरा रोड के प्रबन्धक को हटाने का आदेश मा0 न्यायालय ने दिया है ?

क्या यह सही है कि प्रबन्धक द्वारा प्राचार्य को अनधिकृत रूप से हटाकर वर्ष 2016 में अवैध रूप से चतुर्थ श्रेणी पद पर नियुक्तियां कर मानक से अधिक वेतनमान फर्जी रूप से निर्धारित कर भुगतान किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर प्रबन्धक को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में क्षतिग्रस्त सड़कों के डामरीकरण के सम्बन्ध में

153–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता परिसर से बलापुर जाने वाले मार्ग पर मुजम्मिल के भट्ठे से सरायसुजान बस्ती व प्राथमिक विद्यालय–सराय सुजान को जाने वाला कच्चा मार्ग पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो गया है तथा जल–भराव होने से ग्रामवासियों को आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कच्चे मार्ग का डामरीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के डामरीकरण हेतु जिला पंचायत सदन की आगामी बैठक में प्रस्ताव रखा जायेगा और सदन के निर्णय के अनुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में मानक के अनुरूप पुलिस कर्मियों की तैनाती की मांग

154–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में बढ़ रहे जघन्य अपराध के दृष्टिगत आम जनमानस की सुरक्षा हेतु मानक के अनुरूप पुलिस थानों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के थानों में मानक के अनुरूप पुलिस कर्मियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जी नहीं।

वर्तमान समय में प्रदेश में उपलब्ध पुलिस बल के अनुसार जनपद में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जैसे–जैसे उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उप निरीक्षकों तथा आरक्षियों के रिक्त पदों पर भर्ती की जायेगी, उसी क्रम में प्रशिक्षणोपरान्त आनुपातिक रूप से जनपद के थानों में तैनाती की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के कतिपय क्षेत्रों में सोलर लाइट लगवाने के सम्बन्ध में

155–श्री दिनेश चौधरी–

क्या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के केराकत विधान सभा क्षेत्र में चन्दवक, थानागद्दी, केराकत, वजरंगनगर, मुफ्तीगंज, आजाद नगर तथा पतरही बाजारों में प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण जनता को रात्रि में आवागमन में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त बाजारों में जनहित में सोलर लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रजेश पाठक–

जनपद जौनपुर के प्रश्नगत बाजारों में विद्युत लाइन उपलब्ध है। शासन की रोस्टर प्रणाली की अवधि में कभी–कभी सायंकाल/रात्रि में विद्युत आपूर्ति बाधित होती है।

यूपीनेडा में प्रोजेक्ट मोड कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यानुदान रुपये 7100/– प्रति संयत्र एवं संयत्र मूल्य की अवशेष धनराशि मा0 सांसद, मा0 विधायक, मा0 विधान परिषद् सदस्य की क्षेत्र विकास निधियों से अंशदान की धनराशि उपलब्ध होने पर सामुदायिक प्रकाश की व्यवस्था, सोलर स्ट्रीट लाइट संयत्रों से कराये जाने की योजना संचालित है। मा0 विधायक क्षेत्र विकास निधि अथवा किसी अन्य निधि से अंशदान की धनराशि यूपीनेडा को उपलब्ध कराये जाने पर आवश्यकतानुसार सोलर स्ट्रीट लाइटों के अधिष्ठापन का कार्य कराया जा सकता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सभी प्रबन्धकीय महाविद्यालयों में अनिवार्य रूप से बायोमैट्रिक लगवाने जाने की मांग

156–डा0 हरगोविन्द भार्गव–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डिग्री स्तर पर शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए प्रबन्धकीय महाविद्यालयों में बायोमैट्रिक सिस्टम लगवाया जाना अनिवार्य कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रबन्धकीय महाविद्यालयों में बायोमैट्रिक सिस्टम वर्तमान में अनिवार्य किया जाना निर्णीत नहीं है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में नव सृजित ग्राम पंचायत पहाड़पुर गजेहणा में पंचायत भवन का निर्माण कराने के सम्बन्ध में

157–डा0 आर0 के0 वर्मा–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मानधाता में नवसृजित ग्राम पंचायत पहाड़पुर गजेहणा में पंचायत भवन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में बाउण्ड्रीवाल/पुनर्निर्माण कराने की मांग

158–सुश्री अदिति सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जिन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की चहारदीवारी न होने अथवा जर्जर होने से विद्यालयों में चोरियां होने तथा परिसर में जानवरों के घूमने की घटनाएं होती रहती हैं का निरीक्षण कराकर सरकार उनकी चहारदीवारी की मरम्मत/पुनर्निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु विगत 05 वर्षों से भारत सरकार द्वारा कोई धनराशि स्वीकृत न होने के कारण चहारदीवारी का निर्माण कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर बारात घर स्थापित किये जाने की मांग

159–सुश्री अदिति सिंह–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर बारात घर स्थापित किये जाने की सरकार की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो

क्या सरकार जनहित में प्रदेश के समस्त ग्राम पंचायतों में बारात घर का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पंचायती राज विभाग में बारात घर बनाये जाने सम्बन्धी कोई योजना संचालित न होने के कारण प्रदेश में ग्राम पंचायत स्तर पर बारात घर बनाया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश के संविदा पर कार्यरत ग्राम सेवकों को स्थाई किये जाने एवं इनका मानदेय बढ़ाये जाने के

सम्बन्ध में

160–श्रीमती लीना तिवारी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मनरेगा के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों को स्थाई/विनियमित करने की सरकार की योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इनके विनियमितीकरण तक इनका मानदेय 6000/– रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 15,000/– करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी नहीं। मनरेगा अधिनियम, 2005 की धारा–18 के प्राविधानों के दृष्टिगत ग्राम रोजगार सेवकों की नियमित नियुक्ति किया जाना संभव नहीं है।

जी नहीं।

शासनादेश दिनांक 19–10–2016 द्वारा ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय रु0 3630/– प्रतिमाह के स्थान पर पुनरीक्षित करते हुए रु0 6000/– प्रतिमाह किया जा चुका है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं में महाविद्यालय स्थापित करने की मांग

161–श्रीमती लीना तिवारी–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर में उच्च शिक्षा की डिजिटल तथा स्मार्ट कक्षायें प्रारम्भ करने हेतु क्या सरकार जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं में पुरुष एवं महिला हेतु महाविद्यालय स्थापित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के कारण।

प्रदेश की आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने एवं इनका मानदेय बढ़ाये जाने की मांग

162–श्रीमती लीना तिवारी–

क्या बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती अनुपमा जायसवाल–

जी नहीं।

आई0सी0डी0एस0 कार्यक्रम केन्द्र पुरोनिधानित योजना है। आंगनवाड़ी कार्यत्रियों की सेवा मानदेय आधारित सेवा (जिसमें केन्द्रांश व राज्यांश का 60:40 का अनुपात) है, मानदेय आधारित सेवा होने के कारण आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिये जाने की प्रदेश सरकार की कोई योजना नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्वैच्छिक सेवानिवृन्ति लेने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को सरकारी सेवा प्रदान करने विषयक

163–श्रीमती जय देवी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शारीरिक रूप से अशक्त सरकारी सेवक जो 55 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं, द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की दशा में उनके एक आश्रित को शैक्षिक योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा प्रदान किये जाने विषक श्री कौशल किशोर, सांसद का पत्र माह जून, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्य नाथ–

जी नहीं। सम्प्रति किसी सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु होने की दशा में उसके एक आश्रित को शैक्षिक योग्यता के आधार पर उपयुक्त पद पर मृतक आश्रित के रूप में सम्बन्धित विभाग द्वारा नियुक्ति प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की दशा में उसके आश्रित को सरकारी सेवा प्रदान किये जाने की नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहालगंज में जल निकासी हेतु नाली/सड़क का निर्माण के लिये धन आगणन किये जाने विषयक

164–श्रीमती जय देवी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के मोहान रोड स्थित ग्राम खुशहालगंज में जल निकासी हेतु नाली एवं सड़क के निर्माण हेतु धन आगणन किये जाने विषयक श्री कौशल किशोर, सांसद का पत्र माह जून, 2017 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में अन्त्येष्टि स्थल के निर्माण में अनियमितता के सम्बन्ध में

165–श्री संजय प्रताप जायसवाल–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में अन्त्येष्टि स्थलों के निर्माण में की गई अनियमितता की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण की गुणवत्ता की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी हां।

निर्माण कार्यों की जांच के उपरान्त पायी गयी अनियमितता के लिये 38 ग्राम प्रधानों व सम्बन्धित ग्राम सचिवों को कारण बताओं नोटिस निर्गत करते हुये निर्माण कार्यों की कमियों को दूर करने के आदेश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज की ग्राम सभा चौकी नसरतपुर–गोपालपुर–सुठौली के जर्जर मार्ग को सी0सी0 रोड बनाने हेतु

166–श्री संजय गर्ग–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज की ग्राम सभा चौकी नसरतपुर से गोपालपुर, सोठौली जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का सी0सी0 रोड निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की आगामी बैठक में रखा जायेगा। बोर्ड के निर्णय के अनुसार अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के बड़ौत में विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने की मांग

167–श्री सहेन्द्र सिंह रमाला–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद– बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में कोई विश्वविद्यालय/डिग्री कालेज न होने के कारण छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु मेरठ अथवा निकटस्थ दूसरे प्रदेश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में छात्रों की उच्च शिक्षा की कठिनाइयों को दूर करने हेतु बड़ौत जनता वैदिक कालेज को उच्चीकृत कर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय बनाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

जनपद–बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली में निम्न महाविद्यालय/संस्थान चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध हैं :–

1–चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय, छपरौली, बापगत।

2–चौधरी भोपाल सिंह डिग्री कालेज दाहा दोघट, बड़ौत, बागपत।

3–एस0पी0एस0 कालेज आफ एजूकेशन, निकट रमाला शुगर मिल दिल्ली–सहारनपुर रोड, बड़ौत, बागपत।

4–गांधी विद्या निकेतन डिग्री कालेज, बूडपुर रमाला, बड़ौत, बागपत।

5–आर0एस0 कालेज और एजूकेशन, बामनौली, बागपत।

6–धर्मपाल सिंह डिग्री कालेज, आदमपुर, बागपत।

7–श्री आशाराम दिगम्बर जैन गर्ल्स, कालेज, छपरौली, बागपत।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव पर लगाई गई रोक को हटाये जाने की मांग

168–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव पर सरकार द्वारा रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोक हटाकर विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में उक्त चुनाव करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के लोक सेवा आयोग को रुकी हुई परीक्षा प्रक्रिया के परीक्षा परिणाम तत्काल घोषित करने विषयक

169–श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा आयोजित कौन–कौन सी परीक्षा प्रक्रिया एवं परीक्षा परिणामों को जारी किये जाने पर सरकार ने पाबन्दी लगायी है ? यदि हां, तो क्या सरकार रोकी गयी परीक्षा प्रक्रिया को शुरू किये जाने तथा रुके हुए परीक्षा परिणामों को घोषित किये जाने हेतु आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

किसी परीक्षा को रोके जाने के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग को कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गौ–सदन व गौ–शाला हेतु पर्याप्त धनराशि दिये जाने हेतु

170–श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह–

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सरकारी गौ–सदन व गौ–शाला कितने हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उनके भरण पोषण की व्यवस्था शासन द्वारा विगत पांच वर्षों में कितनी धनराशि उन्हें दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री एस0 पी0 सिंह बघेल–

वर्तमान में प्रदेश में 07 गौसदन (राजकीय/जिला गो–सदन) हैं तथा स्वयं सेवी संस्थानों द्वारा संचालित कुल 492 पंजीकृत गौशालायें हैं।

राजकीय/जिला गौ–सदनों को सरकार द्वारा चारागाह एवं वन क्षेत्र की पर्याप्त भूमि उपलब्ध करायी गयी है, जिनमें पशुओं को चराई के आधार पर रखा जाता है। सरकार द्वारा उन्हें भरण–पोषण हेतु धनराशि नहीं दी जाती है।

गौ–सेवा आयोग द्वारा पंजीकृत गौशालाओं में भरण–पोषण हेतु मण्डी परिषद् के मण्डी शुल्क/सेस से प्राप्त होने वाली आय का 1 प्रतिशत धनराशि पंजीकृत गौशालाओं में संरक्षित गौ–वंश के संरक्षण व संवर्द्धन (भरण–पोषण) हेतु गौ–सेवा आयोग के माध्यम से अनुदान सहायता के रूप में दिये जाने का प्राविधान है। विगत 05 वर्षों में पंजीकृत

गौशालाओं में संरक्षित गौ–वंश के संरक्षण व संवर्द्धन (भरण–पोषण) हेतु गौशालाओं को दी गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :–

वर्ष	धनराशि
2013–14	1,25,00,000.00
2014–15	1,40,15,425.00
2015–16	2,99,82,423.00
2016–17	3,45,35,270.00
2017–18	1,05,52,075.00

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां की ग्राम सभा इटौरा में अपात्रों को आवास आवंटन के सम्बन्ध में

171–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधान मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जनपद–रायबरेली के विकास खण्ड रोहनियां की ग्राम सभा इटौरा में 300 से अधिक अपात्र व्यक्तियों की चयनित सूची की जांच कराकर सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इटौरा बुजुर्ग में कुल 742 व्यक्तियों/परिवारों के नाम सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना (एस0ई0सी0सी0) 2011 की सूची में सम्मिलित थे। ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किये गये सत्यापन के उपरान्त कुल 396 लाभार्थी पात्र पाये गये, जिसमें से 184 लाभार्थियों को आवास स्वीकृत किये गये। खण्ड विकास अधिकारी, रोहनिया द्वारा करायी गयी जांच में प्रथम दृष्टया कुल 03 लाभार्थी अपात्र पाये गये, जिनके बैंक खातों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी है।

मुख्य विकास अधिकारी के पत्रांक–143/एस0टी0–मु0वि0अ0/2016–17, दिनांक 08–06–2017 के द्वारा जिला विकास अधिकारी एवं परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, रायबरेली की संयुक्त टीम बनायी गयी है। वर्तमान में जांच प्रचलित हैं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद जौनपुर वाराणसी मार्ग पर गोमती ग्रामीण बैंक के सामने से जलालगंज रेलवे स्टेशन तक जर्जर मार्ग की मरम्मत कराये जाने की जानकारी

172–श्री सुखदेव राजभर–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गड्डामुक्त सड़क योजना के अन्तर्गत जौनपुर–वाराणसी मार्ग पर गोमती ग्रामीण बैंक के सामने से जलालगंज रेलवे स्टेशन तक जाने वाली सड़क की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग जिला पंचायत के वित्तीय वर्ष 2017–18 की वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किया जा चुका है। वर्षा ऋतु के बाद कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत द्वारा तहबाजारी के नाम पर की जा रही अवैध वसूली रोकने के सम्बन्ध में

173–श्री मनोज कुमार पाण्डेय–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–रायबरेली के ऊंचाहार के जगतपुर व डलमऊ में जिला पंचायत द्वारा तहबाजारी के नाम पर पटरी दुकानदारों एवं बैरियर लगा कर वाहनों से की जा रही अवैध वसूली पर रोक सरकार लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

जी नहीं।

पंचायती राज विभाग के शासनादेश संख्या–463/33–2–13–25–जी/13, दिनांक 12 मार्च, 2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013–14 से उत्तर प्रदेश में तहबाजारी को समाप्त कर दिया गया है, जिसके अनुपालन में जिला पंचायत, रायबरेली द्वारा तहबाजारी वसूली हेतु कोई लाइसेन्स नहीं दिया जाता है। अतः ऊंचाहार के जगतपुर व डलमऊ में मार्गों पर किसानों, व्यापारियों से तथा वाहनों से बैरियर लगाकर जिला पंचायत द्वारा कोई अवैध वसूली नहीं की जा रही है।

जनपद हरदोई में पेयजल हेतु पानी की टंकियां बनाये जाने के सम्बन्ध में

174–श्री नितिन अग्रवाल–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद–हरदोई के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु पानी की टंकियों के निर्मित किये जाने हेतु जिन ग्राम सभाओं का चयन किया गया है, में निर्माण कार्य पूरा कराये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी हां, जनपद हरदोई में कुल 18 पाइप पेयजल योजनायें वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। उक्त परियोजनाओं पर धनराशि की उपलब्धता के आधार पर समय सीमा का अनुपालन किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में स्टेट प्रोजेक्ट यूनिट द्वारा चुनिंदा जनपदों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने विषयक

175–श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट द्वारा एकल ग्राम पंचायत योजना एवं लार्ज एम0वी0एस0/स्माल एम0वी0एस0 योजना के अन्तर्गत खड्डा विधान सभा क्षेत्र, कुशीनगर की किन–किन ग्राम पंचायतों को वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु चयनित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

विधान सभा क्षेत्र खड्डा में वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट द्वारा संचालित विश्व बैंक पोषित नीर निर्मल परियोजना के अन्तर्गत किसी ग्राम पंचायत का चयन नहीं किया गया है।

स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट यूनिट द्वारा संचालित विश्व बैंक सहायतित परियोजना में केवल पूर्व में बैच–1 में चयनित ग्राम पंचायतों के छूटे हुए मजरों, आर्सेनिक/फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों को ही सम्मिलित किया गया है।

जनपद रायबरेली में भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र को चालू कराने की मांग

176–सुश्री अदिति सिंह–

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जनपद में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) का आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र (इमरजेन्सी सेन्टर) जिसके भवन का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त एम्स में तत्काल सेवा (इमरजेन्सी सेवा) चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी''–

जी नहीं।

प्रश्नगत आपातकालीन चिकित्सा केन्द्र (इमरजेंसी सेन्टर) के भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के एडेड डिग्री कालेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को विनियमित किये जाने सम्बन्धी

177–श्रीमती लीना तिवारी–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में एडेड डिग्री कालेजों में कार्यरत संविदा शिक्षकों के विनियमितीकरण करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 दिनेश शर्मा–

जी नहीं।

प्रदेश के एडेड डिग्री कालेजों में प्राप्त जानकारी के अनुसार संविदा शिक्षक कार्यरत नहीं है। अतः इनके विनियमितीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

178–श्री मोहम्मद रिजवान–

[03रे बुधवार के अता0प्र0सं0–190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित,

प्रदेश मे विधायक विकास निधि से गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु धन दिये जाने की जानकारी

179–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान मण्डल सदस्यों की विधायक विकास निधि से क्षेत्र की जनता के गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु जिले के चिकित्सालयों में उनके आगणन (स्टीमेट) के आधार पर कितना धन दिया जा सकता है ? क्या सरकार इसका कोई मानक तय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्तों में संशोधन विषयक शासनादेश संख्या : 978/अड़तीस–9–12–500(17)/2012, दिनांक 29 नवम्बर, 2012 द्वारा विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि योजना के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के परिशिष्ट–1 में नया बिन्दु संख्या–29 जोड़ा गया है, जिसके अनुसार विधान मण्डल के मा0 सदस्य द्वारा अधिकतम कुल रु0 25.00 लाख की धनराशि दुर्घटना, अग्निकांड, असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु सहायता के रूप में दी जा सकेगी।

तद्क्रम में शासनादेश संख्या : 30/अड़तीस–9–13–500(17)/2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 द्वारा दिशा–निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त शासनादेश दिनांक 12 फरवरी, 2013 मे निहित प्राविधान के अनुसार प्रति व्यक्ति अनधिक रु0 5.00 लाख की सीमा तक उपचार हेतु आर्थिक सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में ''एक्रेडिटेड'' सरकारी/गैर सरकारी क्षेत्र के चिकित्सा संस्थानों/अस्पतालों एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उच्चस्तरीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।

उपरोक्तानुसार पूर्व से ही मानक तय है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में डायल 100 के हो रहे दुरुपयोग को रोकने की कार्य योजना बनाने के सम्बन्ध में

180–श्री मोहम्मद रिजवान–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में डायल 100 के बीट पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली किये जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध वसूली को रोकने का कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ–

डायल 100 परियोजना के बीट द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त होने पर सम्बन्धित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/प्रभारी जनपद से जांच करायी जाती है। जांच से दोष प्रमाणित होने पर दण्डित किया जाता है। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के परिपत्र दिनांक 14–03–2017 द्वारा समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को निर्देश निर्गत किये गये हैं।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना में निर्मित शौचालय, खुले में शौचमुक्त (ओ0डी0एफ0) ग्राम पंचायतों की जानकारी

181–श्री मनोज कुमार पारस–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया तथा कितने शेष हैं एवं कितनी ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से शौचमुक्त (ओ0डी0एफ0) कराया गया, कितनी पंचायतें शेष हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह–

विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत कुल 13501 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है तथा 2589 शौचालयों का निर्माण शेष है। कुल 134 ग्राम पंचायतों में से 109 ग्राम पंचायतों को पूर्ण रूप से खुले में शौचमुक्त (ओ0डी0एफ0) कराया गया तथा 25 ग्राम पंचायतें खुले में शौचमुक्त करने हेतु अवशेष है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आज की कार्य–सूची के अतारांकित प्रश्न सं0–31 के गलत छपे होने पर उसके उत्तर को संशोधित कराने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के सम्बंध में एक व्यवस्था का सवाल है। आज की कार्य सूची में हमारा प्रश्न लगा है जो अतारांकित प्रश्न संख्या–31 है। मान्यवर, मैंने प्रश्न में

पूछा था क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नवसृजित राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सा अधिकारी (एम0ओ0) का पद स्वीकृत होने के बाद भी उन पदों पर चिकित्सकों (एम0ओ0) की तैनाती न होने के कारण ट्रामा में मरीजों की भर्ती नहीं की जा रही है मैंने ट्रामा मरीजों की बात की थी इसमें बदल दिया गया ट्रामा में । मैंने ट्रामा मरीजों के सम्बन्ध में पूछा था जो चोटहिल मरीज हैं उनकी भर्ती नहीं हो रही है क्योंकि एम0ओ0 का पद नहीं है चूँकि यह मेडिको लीगल करता है इसलिए एम0ओ0का पद होना जरूरी है अब जब प्रश्न को बदल ही दिया गया कि ट्रामा में मरीजों की तो उत्तर आ गया कि ट्रामा वहाँ ं बना ही नहीं है इसलिए यह व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप पूरे विवरण को लिखकर दे दीजिएगा। हम इसे ठीक करा देंगे।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैंने यह प्रश्न उठा दिया अब इसका संसोधित उत्तर दिला दीजिए कि ट्रामा मरीजों की भर्ती।

श्री अध्यक्ष–

आप यही लिखकर हमको दे दीजिए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यह मैंने आपके संज्ञान में ला दिया अब मैं चाहूँगा कि इसका उत्तर आ जाए। क्योंकि इसमें बहुत अन्तर हो गया ।

श्री अध्यक्ष–

आप जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा।

आज की कार्य–सूची के अतारांकित प्रश्न सं0–168 का उत्तर शासन द्वारा गलत दिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी एक अतारांकित प्रश्न मैंने पूछा था जिसमें सरकार ने जवाब दिया था मैंने पूछा था कि क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव पर सरकार द्वारा रोक लगाई गई है उन्होंने लिखा है कि नहीं फिर मैंने पूछा कि क्या सरकार रोक हटाकर विश्वविद्यालयों में और महाविद्यालयों में उक्त चुनाव कराएगी इस पर उन्होंने लिखा है कि प्रश्न नहीं उठता । महोदय मैं यह जानना चाह रहा था क्या विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रसंघ का चुनाव होगा चूँकि हम लोग छात्र राजनीति से निकलकर आए हैं और राजनीति की प्रथम पाठशाला छात्रसंघ है ।

श्री अध्यक्ष–

उसको बताने की यहां क्या जरूरत है।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

महोदय मैं सरकार से जानना चाह रहा था कि क्या सरकार महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में चुनाव कराएगी।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात आ गई।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में लिखा है कि प्रश्न ही नहीं उठता इसकी जानकारी सही आ जाए यही निवेदन है।

श्री अध्यक्ष–

अतारांकित प्रश्नों के उत्तर यहाँ नहीं दिए जाते यह पुरानी परिपाटी है हमारी बनाई हुई नहीं है। अगर विधायक को उत्तर गलत प्रतीत होता है तो उत्तर को सही प्राप्त करने के लिए भी एक विधि है उस विधि के अन्तर्गत अगर आप लिखकर दे देंगे तो विचार हो जाएगा।

[12.25] नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब मैं नियम–301 की सूचनाएं लेता हूँ। आज दिनांक 18–07–2017 को नियम–301 के अन्तर्गत कुल 35 सूचनाएं प्राप्त हुईं जिनमें 15 मा0 सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं।

पहली सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत तहसील भोगांव निवासी रामऔतार एवं अन्य द्वारा फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री नफीस आहमद की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत कतिपय लघु सेतु एवं पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की लखनऊ से गोरखपुर मार्ग पर परिवहन निगम के अधिकृत ढाबों पर स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सुलभ शौचालय का निर्माण एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री पंकज गुप्ता की (अनुपस्थित रहने पर), पॉचवी सूचना श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद राजमार्ग–91 सिकन्दराबाद कंकोड़ मार्ग पर बाईपास के निर्माण के सम्बन्ध में, छठवीं सूचना श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू' की उत्तर प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री रवीन्द्र जायसवाल की जनपद वाराणसी के लो0नि0वि0 के बसही से पटेल चौराहा व लहरतारा पुल के नीचे सड़कों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की लखनऊ नगर

निगम की ई–टेण्डरिंग में हुई अनियमितता की जॉच कराये जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री महेश त्रिवेदी की जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में हैण्डपम्पों के रि–बोर एवं नये हैण्डपम्प लगाये जाने के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की कुशीनगर स्थित चाप शाखा से निकलने वाले माइनरों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री राकेश सिंह की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के अन्तर्गत थाना खीरों एवं हरचन्दपुर में फायर स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना श्री सुखदेव राजभर की जनपद आजमगढ़ विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत ग्राम हैदराबाद से नहर तक सड़क के पुनर्निमाण के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में गॉगी नदी में कतिपय स्थानों पर घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना श्री आर0के0 सिंह पटेल की बाणसागर परियोजना से चित्रकूट जिले को सिंचाई हेतु शामिल करके मध्य प्रदेश से नहरों को बढ़ाकर पानी देने के सम्बन्ध में, पन्द्रहवीं सूचना श्री रितेश पांडेय की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के मंगुराडिला से न्योरी मार्ग को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

सभी मा0 सदस्य उपस्थित हैं, केवल मा0 सदस्य श्री पंकज गुप्ता जी उपस्थित नहीं है। इसलिये उनकी सूचना निरस्त करके अस्वीकृत सूचनाओं में से मा0 श्री अगयश रामसरन वर्मा जी की सूचना स्वीकार की जाती है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

1. श्री वीरेन्द्र यादव
2. श्री के0पी0 मलिक
3. डा0 श्याम बिहारी लाल
4. श्रीमती कमलरानी वरूण
5. श्री प्रमोद उटवाल
6. श्री देवेन्द्र निम
7. श्री रोशन लाल वर्मा
8. श्री बृजेश प्रजापति
9. श्री संजय गर्ग
10. श्री नरेश सैनी
11. श्री मसूद अखतर
12. श्रीमती साधना सिंह
13. श्री लाल जी वर्मा
14. श्री रामअचल राजभर
15. श्री उमाशंकर सिंह
16. श्री राहुल प्रकाश

17. श्री आजाद अरिमर्दन सिंह
18. श्री संजय कुमार गुप्ता
19. श्री उमेश मलिक

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत तहसील भोगांव निवासी राम औतार एवं अन्य द्वारा फर्जी तरीके से जमीन अपने नाम दर्ज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

ख्महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शिवसिंहपुर मौजा मन्छना तहसील भोगांव जनपद मैनपुरी निवासी राम अवतार सिंह एवं कृष्ण अवतार सिंह फर्जी तरीके से अपने नाम एवं अपने पिता स्व0 रघुवीर सिंह के नाम सैकड़ों बीघा जमीन दर्ज करा ली थी, जोकि खारिज कर दी गयी। जिसमें काफी गरीबों के भूमि आवंटन के पट्टे थे एवं मैनपुरी किशनी रोड के किनारे बेस कीमती जमीन जो ग्रामसमाज की थी, जिस पर वृक्षारोपण किया गया था और पौधे खड़े थे। अपनी गुण्डई के बल पर पौधे उखाड़कर फेंक दिये और पूरी जमीन पर खारिज होने के बाद भी फसल बोकर लाखों रुपये का लाभ ले रहा है। प्रशासन पूरी तरह मूक दर्शक बना उसकी साठ–गांठ में फंसकर पूरा संरक्षण दिये है। थाने तथा तहसील में सबसे बड़ा भू–माफिया होने के बावजूद भी इसकी सांठ–गांठ के कारण इसका भू–माफिया में दर्ज नहीं किया गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं।,

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत कतिपय लघु सेतु एवं पुलिया के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नफीस अहमद–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर जनपद आजमगढ़ अन्तर्गत निम्न कार्यों का कराया जाना नितांत आवश्यक है।

1–विकास खण्ड बिलरियागंज के ग्राम सभा कपसा रजवाहा खण्ड–32 नहर पर विजय यादव के घर के सामने पुलिया का निर्माण कार्य (ग्राम बछुआपार)।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।
नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2–शिवपुर विकास खण्ड महाराजगंज महुला गढ़वल बांध उतरते ही बुढ़ऊ बाबा के स्थान पर जाने हेतु एक लघु सेतु का निर्माण (इस मंदिर की इस क्षेत्र में काफी महत्ता है)।

3–ग्राम देवरा कदीम (खन्जरपुर) विकास खण्ड महाराजगंज, तहसील सगड़ी अन्तर्गत देवारा कदीम पिच रोड से छोटी सरयू नदी पर एक लघु सेतु का निर्माण।

अतः इस विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त कार्यों को जनहित में शीघ्र कराये जाने की मांग करता हूं। [दिनांक 18–7–2017]

लखनऊ से गोरखपुर मार्ग पर परिवहन निगम के अधिकृत ढाबों पर स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत सुलभ शौचालय का निर्माण एवं सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव–

[महोदय, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत स्वच्छता अभियान के तहत जितने सरकार द्वारा सुलभ शौचालयों का निर्माण कार्य कराया गया है उन सभी शौचालय में यूरिनल में पेशाब करना मुश्किल हो जाता है क्यों कि उनकी सफाई का कार्य ही समय से नहीं होता है। ऐसी स्थिति में वहां पर गन्दगी बहुत रहती है और सरकार द्वारा सफाई का कार्य केवल कागज में कर दिया जाता है। ऐसी ही स्थिति लखनऊ से गोरखपुर तक जाने वाली सरकारी बसे जिस ढाबा पर खड़ी होती है वहां पर पेशाब करने की जगह नहीं है। बस से यात्री उतरकर पेशाब करने जाते है तो वहां की स्थिति ठीक नहीं रहती है ऐसे हालत में लोग परेशान होते रहते हैं। यह बहुत ही लोक महत्व के विषय हैं और जनहित से जुड़ा प्रश्न है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूं।,

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद राजमार्ग–91, सिकन्दराबाद ककोड़ मार्ग पर बाई पास के निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

ख्महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के सिकन्द्राबाद नगर में जाम की भारी समस्या रहती है। इसके समाधान हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–91 पर सब्जी मण्डी के बगल से निजामपुर गांव होकर सिकन्द्राबाद का ककोड़ मार्ग तक बाई पास का निर्माण अति आवश्यक है। इस मार्ग के अधिकतर भाग पर पक्की रोड बनी हुई है केवल उसका चौड़ीकरण करना पड़ेगा। केवल लगभग 500 मीटर नवीन सम्पर्क मार्ग का निर्माण करना पड़ेगा। इस बाई पास के निर्माण से नोएडा तथा ककोड़ की तरफ से आने वाले तथा

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाने वाले वाहनों को सिकन्द्राबाद नगर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनहित में उक्त बाई पास का निर्माण अत्यंत आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्यवाही की मांग करती हूं।,

उत्तर प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आशीष कुमार सिंह 'आशू'–

[महोदय, उत्तर प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवा नियमावली न होने के कारण उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट व्याप्त है। एम0 फिल, नेट एवं पीएचडी धारक को रुपये 7,000–8,000 वेतन दिया जाता है जो कि बहुत निराशा जनक स्थिति है जबकि उत्तर प्रदेश की लगभग 90% उच्च शिक्षा व्यवस्था स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में है। उत्तर प्रदेश के स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों में शिक्षक एवं प्राचार्य केवल कागजों पर है इनका भौतिक सत्यापन भी आवश्यक है। शिक्षकों के फर्जीवाड़े रोकने के लिये विवरण आनलाइन कर केन्द्रीयकृत डाटाबेस तैयार करने, आधार नम्बर से जोड़ने, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों के शिक्षकों को वोट का अधिकार नहीं है जबकि यह विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शिक्षक हैं, इनको भी अन्य शिक्षकों की तरह वोट देने के अधिकार पर विचार किया जाना एवं सेवा नियमावली बनाकर निश्चित वेतन का निर्धारण करा कर शोषण से मुक्ति दिलाने का महत्वपूर्ण कार्य कराना जनहित में अति आवश्यक है।

आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।]

जनपद वाराणसी के लो0नि0वि0 के बसही से पटेल चौराहा व लहरतारा पुल के नीचे सड़कों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र जायसवाल–

[महोदय, वाराणसी पर्यटन का बड़ा क्षेत्र है जिसमें हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। प्रदेश सरकार ने प्रयास किया कि सड़क आवागमन हेतु गड्ढामुक्त हो जाये यह सराहनीय प्रयास था लेकिन वाराणसी के लो0नि0वि0 के बसही से पटेल चौराहा व लहरतारा पुल के नीचे सड़कें आज भी गड्ढे में तब्दील हैं जबकि थोड़ा गिट्टी मोरंग से गड्ढा पट सकता है जिससे आवागमन में सुविधा होती। पर्यटन की दृष्टि से इस सड़क का निर्माण अति आवश्यक है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ नगर निगम की ई–टेण्डरिंग में हुई अनियमितता की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

[महोदय, लखनऊ नगर निगम में पुरानी ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर पहली बार ई–टेण्डरिंग के द्वारा अवस्थापना निधि एवं चौदहवें वित्त से विकास कार्य कराये जाने के लिए टेण्डर लिये गये। ठेकेदारों ने 15 प्रतिशत निम्न दर पर टेण्डर डाल दिये और उनके टेन्डर स्वीकृत हो गये। 320 करोड़ की धनराशि की अवस्थापना में थी किन्तु 360 करोड़ के टेण्डर हो गये। आश्चर्य की बात है कि यह कार्य कैसे हो गया और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। विकास कार्य कराये जाने वाले कार्यों में 15 प्रतिशत निम्न दर पर जो टेण्डर स्वीकृत हुए तो शेष बची हुई धनराशि का समायोजन कैसे किया गया यह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और एक प्रकार से घोटाला भी है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कानपुर नगर के विधान सभा क्षेत्र किदवई नगर में हैण्डपम्पों के रि–बोर एवं नये हैण्ड पम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश त्रिवेदी–

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र–215, किदवई नगर, कानपुर महानगर कानपुर में पेयजल के बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं कि किदवई नगर महानगर क्षेत्र में 500 सारे हैण्ड पम्प फेल हो चुके हैं। उनमें रि–बोर किया जाना है। कई बार अधिकारियों को स्मरण कराया जा चुका है किन्तु हैण्ड पाइपों को रि–बोर कर ठीक नहीं कराया जा रहा है। कानपुर महानगर में ऊपर का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। डीप बोरिंग का पानी पीने योग्य है, नये हैण्ड पम्पों को लगाये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

मैं इस लोक महत्व के प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट कर हैण्ड पम्पों को तत्काल सुधार किये जाने की मांग करता हूं।]

कुशीनगर स्थित चाप शाखा से निकलने वाले माइनरों में सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

[महोदय, जनहित के विषय पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि जनपद–कुशीनगर में स्थित चाप शाखा से निकलने वाली हरपुर माईनर, पिपरा माईनर से जुड़े ग्राम–लबनिया, हरपुर बेलही, पुरैना कटेया, पिपरा बघेल, सरेया बुजुर्ग, डुभा, लक्ष्मीपुर बाबू सहित तमाम गांव के किसान सिंचाई के पानी के लिए बेहाल हैं तथा इसी प्रकार जोकवा माईनर से निकलने वाली करमाहा माईनर,

---

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बदुरांव माईनर, मीर माईनर व बरई माईनर जो मुख्य रूप से जोकवा माईनर से जुड़ी हैं। इन सभी माईनरों में पानी नहीं दिये जाने के कारण किसान सिंचाई के पानी के लिए बेहाल हैं। इन माईनरों में करमाहा माईनर से जुड़े गांव सुल्तानपुर, जोगिया, बनवीरा, बसडीला, करमाहा, नरहवां (टेल) व बदुरांव माईनर से जुड़े गांव देवरिया, लक्षिया (हेड) बसडीला, फरेन्दहा, बन्तैल, भुलन छपरा, नाथापट्टी, बदुरांव व काजीपुर बरई माईनर से जुड़े गांव अमवां, कनक पिपरा, करजहां, बरईपट्टी व मीर से जुड़े गांव तथा बिहार राजवाहा, बिहार खुर्द, बिहार बुजुर्ग, परसौनी खुर्द, बलुआ तकिया, बलुआ शमशेर शाही, सहित तमाम गांव के किसानों को सिंचाई हेतु पानी नहीं दिये जाने के कारण किसानों के सामने सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गयी है। जनहित में चाप शाखा से जुड़े हरपुर माईनर, पिपरा माईनर तथा जोकवा माईनर से निकलने वाली करमहा माईरन, बदुरांव माईनर, मीर माईनर, बरई माईनर से जुड़े गांवों को सिंचाई हेतु तत्काल पानी दिया जाय ताकि किसानों की सिंचाई समय पर हो सके। वर्तमान में धान की रोपाई एवं गन्ने की सिंचाई हेतु नहरों से पानी न मिलने से इन सैकड़ों गांव के किसानों में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोकमहत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद–कुशीनगर स्थित चाप शाखा से निकलने वाली उपरोक्त माइनरों में तत्काल सिंचाई हेतु पानी दिये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।,

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के अन्तर्गत थाना खीरों एवं हरचन्दपुर में फायर स्टेशन स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश सिंह–

[महोदय, मैं आपका ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर के अन्तर्गत थाना खीरों एवं हरचन्दपुर की ओर दिलाना चाहुंगा इन थानों से फायर स्टेशनों की दूरी 25 किलोमीटर एवं इनके अन्तर्गत आने वाले समस्त गांवों से फायर स्टेशन की दूरी लगभग 60 किलोमीटर पड़ती है। गर्मियों में यदि किसी गांव में आग लग जाती है तो फायर स्टेशन से राहत हेतु गाड़ियों के पहुंचने में लगभग 2 घण्टे का समय लगता है जिस अन्तराल में पूरे गांव में जन एवं धन के हानि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त थानों पर फायर स्टेशन स्थापित कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त थानों पर फायर स्टेशन स्थापित कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड मार्टिनगंज के अन्तर्गत ग्राम हैदराबाद से नहर तक सड़क के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुखदेव राजभर–

[महोदय, जिला–आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के विकास खण्ड–मार्टीनगंज के अन्तर्गत ग्राम हैदराबाद फकीर बस्ती से नहर के पुल तक जाने वाली सड़क पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गयी है, जबकि इस मार्ग से करीब दर्जनों गांव के लोगों को आना जाना पड़ता है। मार्ग क्षतिग्रस्त होने से जनसामान्य को आने जाने में काफी परेशानी होती है। क्षेत्रीय जनता की पुरजोर मांग है कि उक्त मार्ग को लेपन स्तर तक बना दिया जाय। सम्बन्धित अधिकारियों से पूर्व में क्षेत्रीय जनता द्वारा कई बार मौखिक तथा लिखित अनुरोध किया जाता रहा है। मार्ग न बनने से क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने हेतु मांग करता हूं कि यथाशीघ्र उक्त मार्ग का निर्माण कराया जाय।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में गांगी नदी में कतिपय स्थानों पर घाट बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के सम्भीर विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। जनपद–गाजीपुर अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र–सैदपुर 374 में गांगी नदी बड़े पैमाने पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के बीचो–बीच से गुजरती है। गांगी नदी के तट पर बहुत भारी मात्रा में गांव बसे हुए हैं। हिन्दू धर्म में हमारी मां–बहनें छठ पूजा बड़े धूमधाम से बनाया करती हैं लेकिन नदी के किनारे घाट न होने के कारण काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 10–10 गांवों के बीच में नदी के किनारे घाट बना दिया जाये, जिससे हिन्दू धर्म के आस्था और पूजा–पाट का लाभ मिलें। जैसे–पहाड़पुर, देवकली, तलीसा आदि जगहों पर बनाये जाने हेतु आपके माध्यम से सरकार से पुरजोर मांग करता हूं।]

बाणसागर परियोजना से चित्रकूट जिले को सिंचाई हेतु शामिल करके मध्य प्रदेश से नहरों को बढ़ाकर पानी देने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आर0के0 सिंह पटेल–

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में कराना चाहूंगा। बुन्देलखण्ड में जनपद चित्रकूट का किसान सिंचाई के अभाव में दम तोड़ रहा है। यहां छोटे–छोटे बांध पहाड़ी व पठारी भागों में बने हैं, जो वर्षा जल पर बहुत कम क्षमता पर सिंचाई कराते हैं, जिससे सबसे कम सिंचित एरिया चित्रकूट का ही है। सिंचन क्षमता में वृद्धि हेतु मध्य प्रदेश में बन रहे बाण सागर परियोजना जिसमें उ0प्र0 का अंश शामिल है तथा उ0प्र0 के मिर्जापुर जिलों तक सिंचाई का पानी दिया जा रहा है। चित्रकूट जिले से म0प्र0 की सीमा तक रीवा एवं सतना जिले तक नहरें बनायी जा

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रही हैं। उन्हीं नहरों को म0प्र0 की सीमा से उ0प्र0 के चित्रकूट तक नहरों को जोड़ कर असिंचित क्षेत्र के किसानों को पानी दिया जा सकता तथा चित्रकूट के पाठा क्षेत्र के छोटे–छोटे बांधों व नदी नालों पर पानी दे कर चित्रकूट के किसानों का समय बदला जा सकता है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बाणसागर परियोजना से म0प्र0 के रीवां व सतना की सीमा से लगे बुन्देलखण्ड के चित्रकूट जिले तक नहरें निकालकर सिंचाई का पानी दिये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकर्षण कराने की कृपा करें।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के मंगुराडिला से न्योरी मार्ग को चौड़ा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश पाण्डेय–

[महोदय, अवगत कराना है कि अम्बेडकरनगर जनपद की जलालपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत आने वाला मंगुराडिला से न्योरी मार्ग अम्बेडकरनगर जनपद को आजमगढ़ जनपद से जोड़ता है, इस मार्ग पर यातायात अत्यधिक है किन्तु यह मार्ग सिर्फ 3 मीटर चौड़ा है जिसके कारण आम जनता को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, इस मार्ग की खराब स्थिति के कारण आये दिन दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं, इस कारण बहुत जनाक्रोश है।

अतः आपसे लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जलालपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मंगुराडिला से न्योरी मार्ग का चौड़ीकरण तथा उच्चीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के विभिन्न पर्यटक स्थलों को विकसित करने के सम्बन्ध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

[महोदय, ज्ञातव्य हो कि उ0प्र0 के अन्तर्गत जनपद पीलीभीत की ऐतिहासिक, पौराणिक एवं सांस्कृतिक पहचान ही नहीं है अपितु ख्याति के धरातल हैं। जहां की अनेकों राजाओं, महराजाओं एवं आदर्श गांवों के अवशेष अब भी हैं। इसलिए जनपद पीलीभीत को पर्यटन के लिए भी जाना जाता है। पर्यटन केन्द्रों के अन्तर्गत लिलहर, शिवसरोवर की गंगा से भी अधिक महत्व है प्रत्येक अमावस्या को लाखों संख्या में दर्शनार्थी पवित्र शिव सरोवर में स्नान करके चर्म रोगों से मुक्ति पाते हैं। राजा मोरध्वज, राजा बेन, राजा बलि, राजा चितु एवं राजा बसु के अवशेष आज भी पर्यटन केन्द्र के रूप में जाने जाते हैं। चूंकि स्पाट अरण्य परिक्षेत्र में विशेष दर्शनीय स्थल है। बड़ी संख्या में पर्यटकों का प्रवास होता है।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उपरोक्त पर्यटन स्थल अत्यन्त अविकसित एवं आवागमन की सुविधा विहीन है। इसलिए सभी का उत्थान किया जाना नितान्त परिहार्य है।

अतः नियम–301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय पर सदन में चर्चा सुनिश्चित की जाये तथा उक्त पर्यटन स्थलों की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।]

[12:28] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 18 जुलाई, 2017 को नियम–300 के अन्तर्गत दो सूचनाएं प्राप्त हुयी हैं।

पहली सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की कार्यपालिका की प्रत्येक इकाई के कार्यालय राज्य मुख्यालय पर एक स्थल/भवन में अधिष्ठापित न होने के कारण मा0 जनप्रतिनिधियों को सम्पर्क करने अथवा निरीक्षण करने में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की विधान सभा सत्र के दौरान विधान परिषद् की भांति आधे धण्टे के मध्याह्न ब्रेक की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में है।

कार्यपालिका की प्रत्येक इकाई के कार्यालय राज्य मुख्यालय पर एक स्थल/भवन में स्थापित न होने से मा0 सदस्यों को निरीक्षण एवं सम्पर्क करने में हो रही असुविधा से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

मा0 अगयश रामसरन वर्मा जी, आपकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत बिल्कुल भी नहीं आती है। आप कुछ बोलना चाहें तो बोल लीजिये।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मान्यवर, हमें बहुत कुछ कहना है।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है। आपको अगर कुछ कहना है तो दो लाईन में कह दीजिये।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

मैं आपका कोटि–कोटि कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे नियम–300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न पर अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिये मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूं। इस भारत देश में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व में उत्तर प्रदेश विधान सभा सबसे बड़ी विधान सभा है और इसको यदि कहा जाए कि यह उत्तर प्रदेश की विधान सभा एक उत्तम विधान सभा है, एक आदर्श विधान सभा है तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी, लेकिन यहां पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के जो कार्यालय हैं वह एक भवन में नहीं हैं, बल्कि भिन्न–भिन्न बहुतेरे भवनों में फैले हुये हैं और इस कारण से मुझे लग रहा है कि जो पुराने माननीय सदस्य, विधान सभा हैं उनको तो शायद कुछ कम परेशानी होती होगी, लेकिन जो नवनिर्वाचित माननीय सदस्यगण हैं उन्हें कार्यालयों को तलाश करने में बहुत बड़ी असुविधा होती है। इस देश के सबसे श्रेष्ठ

उदाहरण हमारे सामने यह हैं कि गोवा और केरल प्रदेश की विधान सभा ऐसी विधान सभायें हैं जिनमें विधान भवन के अंतर्गत कोई भी प्रशासनिक कार्यालय नहीं हैं, जबकि उ0प्र0 सचिवालय में बहुत सारे प्रशासनिक कार्यालय हैं और उनमें केवल विधान भवन से संबंधित लोगों के ही कार्यालय हैं। उसमें विधायकों के लिए भी अलग–अलग बैठने की व्यवस्था है और उनको टाइप कराने की भी सारी व्यवस्थायें हैं। मान्यवर, इस प्रकार कार्यालय का सारा कार्य निपटाने की सारी व्यवस्थायें केरल और गोवा मे हैं। मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश एक आदर्श प्रदेश है, तो यहां पर भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि इस सचिवालय में कोई भी प्रशासनिक कार्यालय नहीं होना चाहिये। यहां माननीय मंत्रीगण या माननीय सदस्यगण के बैठने की अलग–अलग व्यवस्था होनी चाहिये। इसी प्रकार से हमारी कार्यपालिका के जो कार्यालय हैं उन कार्यालयों को भी एक छत के नीचे होना चाहिये ताकि माननीय सदस्यों को वह कार्यालय तलाश करने में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाये। मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश एक आदर्श प्रदेश है इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इस तरीके की व्यवस्था की जाये। वर्तमान जो व्यवस्था है उसके अनुसार मुझे लग रहा है कि यह बहुत खर्चीली है। जैसे कि अगर किसी अनुभाग अधिकारी को अपने प्रमुख सचिव से मिलने जाना है तो उसको बहुत सारा समय व्यय करना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है। इसमें इस तरीके की बहुत सारी असुविधायें होती हैं और अपव्यय भी होता है। इस तरीके से अगर एक ही छत के नीचे एक विभाग के सारे प्रशासनिक कार्यालय एक स्थान पर व्यवस्थित कर दिये जाये तो जनहित में यह बेहतर होगा।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात और भावना पूरी तौर पर यहां आ गई है। अब आप समाप्त करिये।

श्री अगयश रामसरन वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आपकी अनुमति हो तो एक बात और कहना चाह रहा हूँ। जो हम सब माननीय सदस्यों के प्रश्न होते हैं और तात्कालिक प्रश्न होते हैं उनके उत्तर हम लोगों को संतोषजनक नहीं मिलते हैं। जो भी उत्तर होते हैं वह सब टाल मटोलवाले होते हैं। हमारे यहां नियमावली में एक व्यवस्था है नियम–269 'क' और नियम–269 'ख' में।

श्री अध्यक्ष–

आपने इस विषय की नोटिस नहीं दी हैं। आपकी नोटिस पर आपकी पूरी बात आ गई है, कृपया अब आप बैठे। श्री अगयश रामसरन वर्मा जी की सूचना नियम–300 में नहीं आती है, इसलिये मैं इसे अग्राह्य करता हूँ । नियम–300 के अंतर्गत अगली सूचना माननीय उमाशंकर सिंह जी की है। श्री उमाशंकर जी आप ग्राह्यता पर बहुत संक्षेप में बोलिये। आप तो बहुत पढ़े–लिखे व्यक्ति हैं।

विधान परिषद् की भांति विधान सभा सत्र के दौरान आधे घण्टे के मध्यान्ह ब्रेक की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियम–300 में औचित्य के सवाल पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया, इसलिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ । माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न को ले आने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब सदन की कार्यवाही चलती है और कोई भी माननीय सदस्य जब इस सदन में चर्चा में भाग लेता है, तो उसकी यह इच्छा रहती है कि हमारी बात अधिकारी दीर्घा में बैठे अधिकारी/कर्मचारी या पत्रकार दीर्घा में बैठे लोग उस बात को संज्ञान लेंगे या इस सदन में जो अन्य हमारे माननीय मंत्रीगण होंगे वह अपने विभाग से संबंधित बात का संज्ञान लेंगे, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी यह देखा जाता है कि जैसे ही मध्याह्न होता है यहां पर पूरा सदन खाली हो जाता है। जिन माननीय सदस्य को चर्चा में भाग लेना होता है वह तो बैठे रहते हैं, लेकिन अन्य लोग नहीं रहते हैं। मैं पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ । हम जिस उद्देश्य से चर्चा को यहां पर करते हैं उसका सार्थक उद्देश्य हल नहीं हो पाता है।

श्री अध्यक्ष–

तो हो क्या जाता है, यह नहीं बताया आपने।

श्री उमाशंकर सिंह–

मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इसके पीछे जो सबसे बड़ी समस्या छुपी हुई है, उसमें जैसे ही दोपहर का समय होता है, हमारे सभी मा0 सदस्य, मा0 मंत्रीगण अपने–अपने चैम्बर में चले जाते हैं। मा0 सदस्यगण कैंटीन में लंच के लिए चले जाते हैं या किसी और जगह लंच में चले जाते हैं। कुछ मा0 सदस्य पत्रकार दीर्घा से लेकर अधिकारी दीर्घा में बात करने के लिए चले जाते हैं तो यह सदन पूरी तरह से खाली हो जाता है। मान्यवर, उच्च सदन विधान परिषद् में इस तरह की व्यवस्था दी गयी है कि वहां आधे घण्टे का लंच ब्रेक दिया जाता है, जिससे कि मा0 सदस्य उस आधे घण्टे में अपना चाय, नाश्ता जो भी वह करना चाहें वह करके फिर तरोताजा होकर के हॉउस में आकर चर्चा में भाग लें। मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि इस विधान सभा में भी इस तरह की व्यवस्था दी जानी चाहिए, आप शाम का समय बढ़ा लीजिए हम चर्चा के समय की कटौती नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि मेरा यह मानना है कि हम सबको कुछ सीखना चाहिए। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि इस पर आपकी कोई व्यवस्था मिल जाए बहुत–बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 अध्यक्ष जी, यह बात पहले भी कई बार आई है। मान्यवर, कुछ लोग तो कचहरी पृष्ठ भूमि से आये हैं, जो दस बजे खाना खाकर आते हैं तो वह लोग दस बजे ही जो कुछ लेना होता है ले लेते हैं, उसके बाद शाम को चार बजे चाय पीते हैं। मान्यवर, कुछ लोग दो बजे लंच लेते हैं और कुछ लोग तीन बजे लेते हैं। मान्यवर, हर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक का समय अलग–अलग है। मान्यवर, दलीय नेताओं की बैठक में आपके कक्ष में इस पर चर्चा हो जाये इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार उठा है तो इसलिए आपके कक्ष में हम सभी दल के नेता बैठ जायेंगे बात कर लेंगे। मान्यवर, हमारी इसमें कोई रूचि या अरूचि नहीं है जो आपका निर्णय होगा हम उसका पालन करेंगे।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम–300 के इस प्रश्न को अग्राह्य घोषित करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

कुछ नहीं है।

जनपद–सीतापुर में महमूदाबाद–बाराबंकी वाया भगौली मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी लाल आदि निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद–सीतापुर में महमूदाबाद–बाराबंकी वाया भगौली मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुरारी लाल व श्री शरदचन्द्र मिश्रा निवासीगण जनपद सीतापुर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

गोमती नदी में गिनियांपुर घाट पर हंसराजपुर समगढ़ा के पास पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्वयर, मैं आपकी अनुज्ञा से गोमती नदी में गिनियांपुर घाट पर हंसराजपुर समगढ़ा के पास पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिव प्रसाद व श्री अवधेश मौर्या निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूं।

जिला पंचायत फैजाबाद द्वारा संचालित चिकित्सालय नरौली, वि0खं0–रूदौली को पुनजीर्वित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत सिंह आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जिला पंचायत फैजाबाद द्वारा संचालित चिकित्सालय नरौली, वि0ख0–रूदौली को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बंध में श्री अजीत

† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयी।

† छापी नहीं गयी।

सिंह व श्री अश्विनी कुमार निवासीगण रूदौली जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

घाघरा नदी पर रूदौली ब्लाक में कैथी घाट पर मंहगूपुरवा के पास पीपे के पुल की जगह पुल के निर्माण के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार पाठक आदि निवासीगण जनपद फैजाबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राम चन्द्र यादव–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से घाघरा नदी पर रूदौली ब्लाक में कैथी घाट पर मंहगूपुरवा के पास पीपे के पुल की जगह पुल के निर्माण के सम्बंध में श्री शिव कुमार पाठक व श्री श्रीनाथ यादव निवासीगण जनपद फैजबाद द्वारा हस्ताक्षरित याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–5 व 6 इसमें कुछ नहीं है। मद संख्या–7

[12 रू 40, आलू उत्पादक किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री का वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी कृषि से सम्बंधित एक वक्तव्य देंगे।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्य नाथ)–

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदन में पिछले कुछ दिनों से और बाहर भी आलू उत्पादक किसानों की चिंता सरकार के संज्ञान में आयी थी यद्यपि सरकार गठन के तत्काल बाद हम लोगों ने इस सम्बंध में एक कमेटी का गठन भी किया था और पहली बार आलू उत्पादक किसानों के लिए एक समर्थन मूल्य भी उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषित किया था। और उस समय यह भी तय किया गया था कि प्रदेश सरकार एक लाख मी0टन आलू किसानों से क्रय करेगी लेकिन तब तक अधिकतर किसानों ने कोल्ड स्टोरेज में आलू रख दिया था। और इसीलिए मा0 सदस्यों की चिंता और आलू उत्पादक किसानों की समस्या को देखते हुए प्रदेश सरकार ने कुछ निर्णय लिये थे उससे सम्बंधित एक वक्तव्य मुझे इस सदन में रखना था मैं उसी सम्बंध में अनुरोध करना चाहता हूँकि जैसाकि हम सब अवगत हैं कि इस वर्ष प्रदेश में आलू की पैदावार बहुत अधिक हुयी है। जिसके फलस्वरूप आलू किसानों को उनके थोक भाव में कमी आने के कारण इसका उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। आलू के उत्पादन लागत में कोल्ड स्टोरेज में रखने के खर्च को जोड़ने के बाद किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। राज्य सरकार द्वारा आलू किसानों को राहत देने की दृष्टि से निम्न निर्णय लिया गया है। नम्बरः–1–राज्य की सीमा के अंतर्गत 300 किमी0 से अधिक दूरी के परिवहन होने पर

† छापी नहीं गयी।

वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भाड़े पर परिवहन भाड़ा अनुदान प्रदान किया जाएगा। साथ ही प्रदेश में अन्य राज्यों में आलू भेजने पर वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भाड़े पर परिवहन भाड़ा अनुदान प्रदान किया जायेगा। यह अनुदान रूपये 50 प्रति कुन्तल की दर से अथवा वास्तविक रूप से व्यय किये गये परिवहन भाड़े का पच्चीस प्रतिशत जो भी कम हो की दर से दिया जाएगा। साथ ही इस पर उपरोक्तानुसार विपणन किये गये आलू पर मण्डी शुल्क व विकास सेस पर भी छूट प्रदान की जाएगी जो कि विपणन मूल्य का दो दशमलव पांच प्रतिशत होगा। उपरोक्त सहायता आलू की आगामी फसल बाजार में आने तक अर्थात 31 दिसम्बर, 2017 तक अनुमन्य होगी। अध्यक्ष जी, इससे प्रदेश के लगभग पांच से छः लाख किसान लाभान्वित होंगे। इसके लिए जो आलू उत्पादक किसान हैं इसमें मण्डी शुल्क और सेस में जो छूट किसानों को मिलेगी मेरा अनुमान है कि लगभग इससे मण्डी शुल्क से इस पर प्रदेश सरकार को लगभग 80 से 100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और उसके लिए मण्डी परिषद इसको वहन करेगी। मुझे यही कहना था। धन्यवाद।

(मेंजें थपथपायी गयीं)

[12रू45, कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

अब कार्य स्थगन की सूचनायें लेते हैं।

आज दिनांक 18–07–2017 को नियम–56 की कुल 08 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई।

श्री लालजी वर्मा, श्री सुखेदव राजभर, श्री रामअचल राजभर, श्री रितेश पाण्डेय एवं श्री उमाशंकर सिंह की जनपद लखनऊ में दिनांक 15 जुलाई, 2017 को ट्रामा सेन्टर में आग लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। इसे ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

श्री मोख्तार अंसारी की जनपद मऊ के थाना सराय लखसी के अन्तर्गत ग्राम नसीरपुर में दिनांक 22–6–2017 को मो0 युनुस की गोली मारकर हत्या किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री लालजी वर्मा की उ0प्र0 में नीट परीक्षा के माध्यम से बी0ए0एम0एस0, बी0एच0एम0एस0 एवं बी0यू0एम0एस0 में प्रवेश दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली के सकलडीहा में श्री संजय चौहान की दिनांक 27–5–2017 को गोली मारकर हत्या किये जाने के उपरान्त भी कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनायें ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गई :–

श्री दुर्गा प्रसाद यादव,

श्री अजय कुमार 'लल्लू',

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना',
श्री मसूद अख्तर,
श्री नरेश सैनी,
श्री राकेश सिंह,
सुश्री अदिति सिंह एवं
श्री सोहिल अख्तर अंसारी।
श्री सुभाष पासी,
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा तथा
श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'।

श्री अध्यक्ष–

पहली सूचना श्री लालजी वर्मा, श्री सुखदेव राजभर, श्री रामअचल राजभर, श्री रितेश पाण्डेय, श्री उमाशंकर जी की जनपद लखनऊ में दिनांक 15 जुलाई, 2017 को ट्रामा सेंटर में आग लगने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

श्री उमा शंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना जो 15 जुलाई को सायं 7.00 बजे जो ट्रामा सेण्टर में घटित हुई है, इससे सदन के साथ–साथ पूरा प्रदेश मर्माहत है। इसमें जिस तरह के जानमाल का नुकसान हुआ है, अखबार पढ़ने की हिम्मत नहीं होती है, टेलीविजन पर दशा देख करके भी टेलीविजन चैनल बन्द करने की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, यह घटना पहली बार नहीं हुई है। इस तरह की घटनाएँ, हम यह नहीं कह रहे हैं कि किसकी सरकार में होती हैं, किसकी सरकार में नहीं होती हैं। लेकिन आए दिन आप देखिए कि इस तरह की घटनाएँ घटित होती हैं। अब इसके पीछे क्या कारण है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने, नेता सदन ने इसकी जांच के लिए कमेटी भी बना दिया है। मैंने देखा अभी कमिश्नर साहब की रिपोर्ट भी आ गयी, उन्होंने भी विश्वविद्यालय परिसर के लोगों की लापरवाही को संज्ञान में लिया है, जैसा कि हमने समाचार–पत्रों के माध्यम से पढ़ा है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, जब सरकारें बनती हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, नेता सदन जब शपथ लेते हैं तो उनके साथ एक बहुत बड़े मन्त्रि–मण्डल की भी शपथ होती है और माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी व्यवस्था के अनुसार उन सभी माननीय मंत्रियों को उनकी योग्यता के अनुसार विभागों का बॅटवारा कर देते हैं। इसका उद्देश्य यह होता है कि सभी माननीय मंत्रीगण अपनी जिम्मेदारियों का अपने विभागों में ईमानदारी से निर्वहन करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, यह कितना चिन्ता का विषय है, इसमें हम आरोप–प्रत्यारोप की बात नहीं कर रहे हैं। माननीय मंत्रीगण को जब किसी विभाग का दायित्व मिल जाता है, सचिवालय प्रशासन द्वारा उनको कक्ष आवंटित हो जाता है, उनका आवास आवंटित हो जाता है, उनका कार्यालय आवंटित हो जाता है। वह माननीय मंत्री जी उस आवास में, उस कार्यालय में तब तक नहीं जाते हैं,

जब तक विधिवत् नए सिरे से पूरी तरह से, भले ही उसकी 01 महीने पहले ही क्यों न उनकी रंगाई–पुताई हुई हो, क्यों न उनके पर्दे एक महीने पहले बदले गए हों, क्यों न उसके सारे ए0सी0 सिस्टम से ले करके सारी उसकी व्यवस्था की गयी हो, लेकिन वह उसमें तब तक प्रवेश नहीं करते हैं, जब तक उसको फिर से चेंज नहीं करा लेते हैं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, सभी हमारे मा0 मंत्रीगण इस बात को भूल जाते हैं कि जिस विभाग की हमें जिम्मेदारी दी गयी है, क्या उसकी भी व्यवस्था हमें अपने मंत्रीकाल में जो हमें नयी जिम्मेदारी मिली है, क्या उसकी भी हमें मानीटरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मान्यवर, जो रिपोर्ट आ रही है, मीडिया के लोगों ने जो दिखाया, जो हम लोग मौके पर पहुॅचे थे और अन्य लोगों ने जो देखा, उसमें बहुत छोटी–छोटी समस्याऍ थीं। अग्नि पर काबू पाने के लिए बाल्टी में एक जनरल बालू–बुरादा जो रखा जाता है, वह तक खाली था, सारे सिस्टम तो उसके फेल थे ही, फायर से सम्बन्धित उसमें कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा था, लेकिन क्या यह जिम्मेदारी नहीं बनती है कि माननीय मंत्रीगण जब अपने विभाग की जिम्मेदारी ले रहे हैं, माननीय मुख्य मंत्री जी इसीलिए अन्य सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी देते हैं कि हमारे पास बोझ कम रहेगा और एक–एक आदमी के पास एक–एक विभाग रहेगा तो कम से कम वह अपने विभाग की मानीटरिंग बखूबी करेगा। लेकिन न माननीय मंत्रीगण, न उसके विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चाहे चिकित्सा शिक्षा हों या अन्य सम्बन्धित लोग हैं, कदापि इसमें रूचि लेने के बजाय कैसे हम कहाँ पर हम व्यवस्था बनायें, उसकी तरफ ध्यान चला जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब कि तमाम खबरों से यह भी संज्ञान में आया है कि कोई उसमें दवाई खरीद का 3 साल या 5 साल का रिकार्ड मॉगा जा रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया हो। माननीय अध्यक्ष जी, उस दवा की खरीद–फरोख्त में जो भी लोग दोषी होंगे, उनको जेल होगी या जो भी सजा होगी लेकिन यह हमारे सदन के माननीय मंत्रीगण की जिम्मेदारी बनती थी कि हम इसको देखें, वह तो अपनी दवा की फाइल जलाने के लिए आग लगवा दिए होंगे, अगर ऐसी बात है तो, माननीय मुख्य मंत्री जी उसकी जांच करा रहे हैं, जब उसकी विस्तृत जांच आयेगी, तब उसके बारे में पता चलेगा, लेकिन इसमें कितने लोगों की जान–माल का नुकसान हुआ, किसी का कोई भाई मरा, किसी का कोई बेटा मरा, किसी की मां मरी।

श्री अध्यक्ष–

आप कहना क्या चाहते हैं?

श्री उमा शंकर सिंह–

अध्यक्ष जी, मैं कहना यह चाहता हूं यह इतना गंभीर विषय है, इसमें बहुत सारे प्वाइंट हमारे पास हैं, चूंकि सदन का समय भी कम है तो मैं चाहता हूं कि जिस तरह से आप दूसरे मामलों में व्यवस्था देते हैं, उसी तरह से इसके लिए भी सदन में कोई समय सुरक्षित कर लीजिए, जिससे कि इस पर विस्तृत चर्चा हो जाए जिससे यह पूरा सदन, इस प्रदेश की 22 करोड़ जनता यह जाने कि किन–किन स्तरों पर लापरवाही हो रही है, उस चर्चा में वह सारी बातें आ जायेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके लिए आप

सदन का कोई समय आरक्षित कर दीजिए, जिससे इस पर चर्चा हो सके। यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, उस विस्तृत चर्चा में सारी बातें आ जायेंगी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी, बातें तो आपकी पूरी आ गयीं?

श्री लालजी वर्मा–

जी, मान्यवर।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अध्यक्ष जी, हम उस पर नहीं जायेंगे जो मा0 उमाशंकर जी ने कहा है, एक प्रवृत्ति देखी जा रही है, जिसका मा0 उमाशंकर जी ने उल्लेख किया है, बहुत से विभाग कल एल0टी0 ग्रेड के टीचरों की फर्जी मार्कशीट पर नियुक्ति की गई, उस दफ्तर में आग लगा दी गई, पूरी फाईलें जला दी गई, जॉच प्रभावित की गई, जवाहर भवन में यही निकला अखबार में कि कोई जॉच का प्रकरण बहुत बड़ा चल रहा था उस दफ्तर में आग लगा दी गई पूरी फाईलें जल गईं, तो मैं इतना ही कहना चाहता था कि जो यह प्रवृत्ति डेवलप हो रही है कि दफ्तरों में आग लगा दो या कहीं पर किसी घोटाला या किसी बात को छिपाने के लिए इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं मान्यवर इस पर मा0 नेता सदन बैठे हैं, कहीं न कहीं मॉनीटरिंग करा लें, यह प्रवृत्ति प्रतिदिन कहीं न कहीं डेवलप हो रही है लोगों में कि दफ्तर में आग ही लगा दो। जहां तक इस घटना का सवाल है मा0 अध्यक्ष जी, जो भी जन–धन की क्षति हुई, उस पर हम लोग दुःखी हैं, सदन भी दुःखी है, आप भी दुःखी हैं, मा0 नेता सदन को हम लोग धन्यवाद् देते हैं, बधाई देते हैं कि आप स्वयं पहुंचे और जाकर के पीड़ितों की पीड़ा को सुना, जो आग लगी उसकी जांच आप करायें, लेकिन आज जो कमिश्नर महोदय ने रिपोर्ट दी है, बहुत स्पष्ट कर दिया कि इसमें कहीं न कहीं लापरवाही बरती गई। तो मैं इतना ही कहूँगा कि दो–तीन मैंने उदाहरण दिये और बहुत से ऐसे कार्यालयों में आग लगाई गई है, मैं संसदीय कार्यमंत्री जी, नेता सदन से कहूँगा, एक बहुत बड़ा प्रकरण है, इसकी ग्रेविटी को मैं कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इसी तरह एल0टी0 ग्रेड की फाईलों को जला कर के और फर्जी मार्कशीट के आधार पर जो बड़ी लम्बी नियुक्तियां की गई थीं, उसको छिपाया गया, इसलिए मैं मा0 अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करूंगा, नेता सदन जी भी हैं, इसको कहीं न कहीं कोई एक सिस्टम बना लें, जो इस तरह का चरित्र डेवलप हो रहा है, जो इस तरह की प्रवृत्तियां डेवलप हो रही हैं, कमिश्नर की आख्या के आधार पर जो क्षति हुई है, जो मरे हैं मरीज उनकी मदद कर दें, उनके परिवार वालों को और हो सके तो मैंने दो–तीन घटनाओं का उल्लेख किया बहुत से सदस्यों के संज्ञान में होगा कि इस तरह की प्रवृत्ति हो रही है, एक चर्चा करवा लें किसी दिन आधा घण्टे, एक घण्टे की तो हो सकता है बहुत से मा0 सदस्य सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग ऐसी हरकत करने वालों का इस सदन में पर्दाफाश करें, धन्यवाद्।

प्राविधिक शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी')–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जिसका मा0 सदस्य ने जिक्र किया है, तुरन्त मा0 मुख्यमंत्री जी ने, इसकी जांच के लिए समिति बनाई और यह कहा कि जो भी दोषी पाये जायेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी और तथ्य सामने आयेंगे, मैं इस पर अभी विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। दो पक्ष हैं, एक यह घटना हुई, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसमें जो दोषी पाये जायेंगे उन पर कार्यवाही होगी, यह बार–बार कहा जा रहा है, तत्काल वहां पर मैं पहुंचा हमारे दो अन्य मंत्री वहां पर रहे, मा0 मुख्यमंत्री जी पल–पल की खबर लेते रहे, लेकिन मैं यह भी आग्रह करना चाहूंगा कि दुर्घटना को भी राजनीति का मुद्दा न बनाया जाए वहां पर एक विरोधी दल के नेता पहुंचे और उन्होंने मीडिया से कहना शुरू किया कि यह सरकार की लापरवाही है। क्या तीन महीने की सरकार की लापरवाही है? आप क्या कर रहे थे जब यह बिल्डिंगें बनी थीं? आपने क्या देखा था? जल्दी–जल्दी लोकार्पण कराने के लिए काम हो रहा था । आज भी लोहिया संस्थान की बिल्डिंग बनी नहीं है, लोकार्पण हो चुका है 200 बेड का बाल–स्त्री रोग चिकित्सालय जो शहीद पथ पर बन रहा है अभी भी तैयार नहीं है, लोकार्पण हो चुका है और उस दल के नेता वहां पर खड़े होकर यह कह रहे थे। मान्यवर कोई भी दोषी होगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। दूसरा पक्ष यह है कि बचाव के लिए, राहत के लिए वहां मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरा स्टाफ, वहां के पूरे डाक्टर, वहां के छात्र, वहां की नर्सें और तो और वहां पर बाहर की जनता जो पान वाले थे, चाय वाले थे, वह तक राहत में लगे हुए थे, जब वहां राजनीति की जा रही थी। पूरा जिला प्रशासन और दमकल विभाग जहां आग लगी थी, उसको वहीं सीमित कर दिया गया, यह बड़े संतोष की बात है कि वह आग वहां से आगे बढ़ नहीं पाई, इसके पीछे भी पूरा प्रशासन लगा, कुछ कमियां जो सामने आईं कि खिड़कियों में ग्रिल लगी हुई थी, ग्रिल तोड़ी भी जा सकती थी। उस समय टूट नहीं पाई जल्दी में तो यह अनुभव आया कि इस पर विचार होना चाहिए कि खिड़कियों में ग्रिल न हो शीशे हों ताकि कहीं कोई दुर्घटना हो, किसी भी भवन में तो उसको तोड़ा जा सके, धुंए को रोकने के प्रयास किये गये लेकिन वहां पर साधन सीमित थे उसके लिए कौन–कौन जिम्मेदार है, उसके ऊपर जांच के बाद रिपोर्ट आएगी, मेरा यही आग्रह है कि इस पर राजनीति न की जाये। दुर्घटना है, दुर्घटना से सबक लेना चाहिए, परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेशित किया कल ही मैंने अपने विभाग में सारे अधिकारियों से कहा कि सारे मेडिकल कालेजेस की स्टेटस रिपोर्ट मंगाई जाये कहां–कहां क्या कमी है उसको तुरन्त दूर किया जाये।

श्री अध्यक्ष–

अब तो सब स्पष्ट हो गया।

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी फिर इसको एक राजनीतिक मोड़ की तरफ लेकर चले गये।

श्री अध्यक्ष–

नहीं वे कह रहे हैं कि राजनीति से न जोड़ा जाये यह उनकी इच्छा है।

श्री उमाशंकर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी यह बता दिये कि जो दोषी होगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दो–चार अधिकारियों को दण्डित कर दिया जायेगा। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस सदन को यह भी बतायें कि जब इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इन्हें शपथ दिलाई, विभागीय जिम्मेदारी दी उसके बाद उस मेडिकल कालेज में जाकर इन्होंने क्या चेक किया? और यदि यह इतने गम्भीर थे तो क्या इसका इन्तजार कर रहे थे कि जब घटना हो जायेगी उसके बाद हम जांच पर जायेंगे? क्या यह उस दिन का इन्तजार कर रहे थे कि जितने भी और हमारे इन्स्टीट्यूट बने हैं जब इस तरह की घटना घटित हो जायेगी, 10–20–25 लोग मर जायेंगे उसके बाद हम जांच करेंगे। यह कहना क्या चाहते हैं? यह बहुत गम्भीरत मामला है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पूरा उत्तर माननीय टण्डन जी ने दे दिया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह विवाद का प्रश्न नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न उठ रहे हैं, यह विवाद बनता जा रहा है क्योंकि यह गम्भीर विषय है। मैं माननीय सदस्य को बस इतना ही अवगत कराना चाहता हूं कि जब कोई भी अस्पताल बनता है तो उसके एस0ओ0पी0 होते हैं, स्टैण्डर्ड प्रोटोकाल्स होते हैं। उसके तहत उसका निर्माण किया जाता है, उसको लाइसेन्स दिया जाता है। अब जिस जगह यह घटना हुई जो ट्रामा सेन्टर है वहां पर फायर ब्रिगेड या फायर होज जा सकता है या नहीं जा सकता, यह माननीय टण्डन जी का काम नहीं है, जिस समय वह निर्माण हो रहा था उस समय देखना चाहिए था। मगर दुर्भाग्य यह है कि उस समय यह देखा नहीं गया और इन चीजों को आगे से न हो, उस पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा जब इस प्रकार की घटना हुई है, मैं सदन को यह भी अवगत कराना चाहता हूं कि फायर सेफ्टी आडिट एक किया जाता है, फायर सेफ्टी आडिट की एक प्रक्रिया है जो साल में एक दफे होती है और दो दफे फायर ड्रिल्स भी होने चाहिए। मगर रिकार्ड देखेंगे तो आश्चर्य होगा कि कब हुआ था और कब नहीं हुआ था। इसके भी आदेश दिये गये हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस फायर सेफ्टी आडिट के माध्यम से जो कमियां होती हैं उसको पूरी की जायेंगी और ये ड्रिल्स भी किया जायेगा मगर जो निर्माण किये गये हैं, भवन बनाये गये हैं, अस्पताल बनाये गये हैं, मैं उसको सदन के माध्यम से या अपने सहयोगी मंत्री के माध्यम से उसको विवाद का विषय न बनाते हुए मैं सदन को खाली आश्वस्त करना चाहूंगा कि इसके साथ हम लोग इसको गम्भीरता से लेते हुए इस पर फायर सेफ्टी

आडिट और फायर ड्रिल्स अच्छी तरह से हो, जो भी कमियां होंगी, जो बिल्डिंग अभी हैं और जो बनेंगी, उसको हम लोग पूरा करेंगे।

'नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह गम्भीर मामला है और इस पर पक्ष विपक्ष दोनों का एक साधारण सा सवाल है कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर बात में राजनीति को नहीं ले आना चाहिए। राजनीति के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता। हर चीज में राजनीति है और लोग विधानसभा में विपक्ष का काम ही यह है कि कोई ऐसी बात हो तो सरकार के संज्ञान में ले आवे, सरकार को सचेत करे और सरकार उस पर प्रभावी कार्यवाही करे तो राजनीति की बात तो माननीय मंत्री जी ने कर दी। इधर से कोई राजनीति की बात तो हुई नहीं तो समस्या को सरकार के सामने लाया गया कि आप प्रभावी कार्यवाही करें और मैं बराबर देख रहा हूं कि सरकार है इनकी, आलोचना कर रहे हैं हमारी। इसका मतलब हम सरकार में हैं। सरकार इनकी, ये सारे जितने भी मा0 सदस्य बोलने के लिए उठते हैं तो पिछली सरकार ने यह किया, पिछली सरकार ने वह किया। इसका मतलब कि हमारा खौफ इन पर बरकरार है। अखिलेश यादव ने जो विकास का काम हिन्दुस्तान की राजनीति में सबसे अधिक किया उत्तर प्रदेश में, उसको ये पचा नहीं पा रहे हैं और आप मा0 मंत्री जी एक बहुत उच्च राजनीतिक घराने से आते हैं। आपका हम लोग सम्मान करते हैं लेकिन इसमें कोई राजनीति नहीं है। अन्य विपक्षी दल के नेता वहाँ पर गए थे, मैं तो गया भी नहीं था, मैं तो बलिया में था। आपने यह भी कह दिया कि विपक्षी नेता गए और इन्होंने बयान दे दिया।

श्री आशुतोष टण्डन–

आपके दल के नेता गए थे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

कोई हो, कोई भी हो। ऐसी हल्की बातें सदन में नहीं होनी चाहिए। जब लोग मरते हैं तो यह दुखदायी है। चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, त्रासदी सबके लिए है। यह हमारी खुशी के लिए नहीं है, आपसे ज्यादा दुःखी हम हैं क्योंकि वहाँ पर पूरे प्रदेश से, प्रदेश के अगल–बगल से भी वहाँ मरीज आते हैं। वहाँ पर हुआ, पी0जी0आई0 में हुआ, लोहिया में हुआ तो यह संवेदनशीलता का मामला है। इसमें राजनीति का मामला नहीं है। मैं कृपया आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति का मामला स्वयं ही हो गया है। यह मामला उमाशंकर नहीं ले आए, पूर्व विधान सभा अध्यक्ष नहीं ले आए। यह तो केवल आप गए, मुख्यमंत्री जी को बधाई तक दे दी। इसमें कौन सी राजनीति आ गई, अब क्या मुख्यमंत्री जी को बधाई न दें। बताइए, इसमें कौन सी राजनीति है बल्कि जिस तेवर के साथ उमा शंकर सिंह को इस मामले को उठाना चाहिए था उन्होंने इसको नहीं उठाया इसलिए कि यह संवेदनशील मामला है। वाद प्रतियोगिता, वाद–विवाद का

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह केन्द्र है। आइए बिल्कुल हंसी–खेल के माहौल में हम आपका साथ दें, आप हमारा साथ दें। एक अच्छी डिबेट इस सदन में हो इसीलिए हम लोग यहाँ चुन करके आए हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, एक घटना हुई। सरकार ने उसको गम्भीरता से लिया। उसमें मा0 मुख्यमंत्री जी स्वयं मौके पर भी गए। तीन दिन के अन्दर मण्डलायुक्त के माध्यम से जांच का भी आदेश दे दिया। आज रात तक या कल सुबह तक रिपोर्ट भी आ जाएगी। मा0 मंत्री जी ने कार्रवाई की भी बात कर दी। हमने उसे पूरी संवेदनशीलता के साथ लिया है। किसी प्रकार की मेरे मन में न तो दुर्भावना है, न कोई आशंका है। हम पूरी संवेदनशीलता के साथ जो भी लोग दोषी होंगे जिसके खिलाफ रिपोर्ट आएगी उनके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई करेंगे और उसके लिए जो बचाव के काम वहाँ पर करने हैं या अगर व्यवस्था में कोई कमी है तो उसकी तरफ भी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है। मा0 मंत्री जी ने उत्तर दिया है। हम कोई राजनीति नहीं करते। आप ही इसके माध्यम से हिन्दुस्तान भर के विकास का प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ हुए। हमने कोई राजनीति नहीं की तो कृपा करके कम से कम आप भी इस बात का ध्यान रखें। मा0 अध्यक्ष जी, पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई होगी। मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को और पूरे प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय नियम 56 में अग्राह्य किया जाता है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, मेरा एक विषय नियम 56 में है।

श्री अध्यक्ष–

आगे अब एक बाढ़ पर चर्चा है फिर और भी चर्चा है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

हम आपके विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करा देंगे।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है।

श्री अध्यक्ष–

देखिए, अब तीन लोग एक साथ खड़े हो गए। अब तीन लोगों को कैसे सुना जाए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, तीनों को सुन लीजिए, उसमें क्या है।

श्री अध्यक्ष–

मा0 वर्मा जी, आपका तो हो गया। क्या आप लोग यह चाहते हैं कि सब सुने जाएं। आप हमारा मार्ग दर्शन करें कि कितने सुने जा सकते हैं ?

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, नियम 56 चल रहा है और 56 में मेरा एक सवाल है। मुझे सुन रहे हैं न।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, आप कृपया हमारी बात सुनिए। 56 ही चल रहा है, एक सुना गया, तीन–चार मा0 सदस्यों का और है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको सुन लें, बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

मैं उस पर ध्यान आकर्षित कर दूँगा।

श्री लालजी वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, यह आपके विवेक पर है, आप सभी सुन सकते हैं। चूँकि यह महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

आप लोगों ने आज बाढ़ पर चर्चा लगवाई है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, यह भी महत्वपूर्ण है, कानून–व्यवस्था का इसको सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कहा है कि मैं उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दूंगा।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, सुन लीजिए।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, बड़ी घटना है, सदन के संज्ञान में आ जाए और उस पर सरकार का जवाब आ जाए। मान्यवर, आप खड़े हो जाते हैं, उचित नहीं है। मान्यवर, हम लोगों को सुन लें पहले अगर सरकार का जवाब आ जाएगा और पूरे प्रदेश के लोग जान जाएंगे कि इस पर सरकार ने क्या किया है? इसलिए मान्यवर, महत्वपूर्ण है। बड़ी डकैती है।

श्री अध्यक्ष–

हमारी बात तो सुन लीजिए।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

मान्यवर, जन हानि तथा धन हानि दोनों हुई है। हत्या भी हुई है और बैंक लूटे गए हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब आप हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं तो लूटे जाएं बैंक। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से संचालन करना चाहता हूँ उसमें कहीं आपको कठिनाई आ रही है। हमको आप ये मार्गदर्शन कर दें अभी यहीं तय कर दें तो मैं घोषणा कर दूं। आप हमारा मार्गदर्शन इस दृष्टि से कर दें कि कितने नियम–56 लेने हैं ये अभी तय कर दीजिए 20, 25, 40 मैं तो खाली आदमी हूँ, आप लोगों के पास काम रहता होगा।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

वह तो आपकी कृपा है। हम क्यों कह दें आपकी कृपा पर है, आपकी सहृदयता पर है। प्रदेश की जनता की समस्याओं पर आपकी सहृदयता है इस पर।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं कि प्रत्येक...

श्री लालजी वर्मा–

अब आप मान्यवर, सुन लें। अब आपने सुझाव माना है आप सुन लें..

श्री अध्यक्ष–

अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है। प्रत्येक माननीय सदस्य के प्रति विशेषतया जो विपक्ष के कार्यकर्ता हैं माननीय सदस्य हैं, उनके प्रति हमारे मन में सद्भाव है। आप लोग ही बैठकर तय करते हैं कि बाढ़ का विषय किस दिन लिया जाना चाहिए और उसी में यह कल्पना बन जाती है कि नियम–56 या कार्यस्थगन एक ही लिया जायेगा और बाकी पर ध्यान आकर्षण कर दिया जाएगा। हम सत्तापक्ष और आपके साथ चाहे आज बैठिए, चाहे कल बैठिए कितने नियम–56 लिये जाएं इस पर एक बार हमारा मार्गदर्शन हो जाए। मुझे कोई कठिनाई नहीं। अब आप बताएं कि क्या कहना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष–

अब आप बताइये कि तीन माननीय सदस्य खड़े हो गए हैं, मुझे क्या करना चाहिए?

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें। एक तो कार्यस्थगन आपके विवेक पर है पांच को लिया जाता है उसमें कितने पर ग्राह्यता पर सुनेंगे यह आपका विवेक है। मान्यवर, कभी–कभी महत्वपूर्ण घटनाएं रहती हैं तो एक से दो,तीन,चार और पांचों को आप सुन सकते हैं। दसों पर आप सुन सकते हैं ये आपका विवेक है इसको कोई चुनौती नहीं दे रहा है। यह महत्वपूर्ण है इसलिए आग्रह है कि कम–से–कम एक और दो पर और सुन लें।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जैसा कि शुरू में कहा था कि ये आपके विवेक पर निर्भर करता है। कम–से–कम पांच लेने की तो हमेशा परम्परा रही है और आप 10 भी सुन सकते हैं, आपके ऊपर है जितने सदस्य हैं उन सबकी सुन सकते हैं और सबकी बात 2–2 मिनट सुननी चाहिए आखिर में सदस्य कहना क्या चाह रहा है उस पर आपका विनिश्चय, आपकी व्यवस्था तथा माननीय संसदीय कार्यमंत्री के उत्तर से संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें लिमिट नहीं है यह आपके ऊपर है कि आप जितने चाहे उतने नियम–56 सुन सकते हैं। 5 तो कम–से–कम सुनते ही हैं, 10 भी सुन सकते हैं।

'श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा भी एक सुझाव है अगर आप आज्ञा दें तो। महोदय, जैसा कि कार्यस्थगन की सूचना सारे दलों के तरफ से एक लगती है जिसमें सारे दल के जो भी विधायक होते हैं, उनका हस्ताक्षर होता है। पिछले समयों में जो हम लोगों ने देखा है जो एक पार्टी की तरफ से लगता है जैसे बसपा की तरफ से लगा या समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष या कांग्रेस की तरफ से तो उसकी महत्ता रहती थी, पहले उसको सुना जाता था चूंकि सामूहिक मुद्दों पर, चाहे किसी बहुत ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा के लिए हम लोग इस सदन में अपनी बात को रखते हैं उसके बाद जो भी विधान सभा के सदस्य होते हैं उनके एक–एक करके जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उस पर भी चर्चा सदन में होती है। मेरा आपसे एक विनम्रतापूर्वक अनुरोध था कि चूंकि यही एक जगह है जहॉ हम किसी विषय को उठा सकते हैं, सरकार के संज्ञान में ला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

जगह तो आपने दूसरी भी चुन ली थी ना आज सवेरे।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, वह तो अलग था।

श्री अध्यक्ष–

लेकिन वह खेदजनक है। इसीलिए मैं नियमों में चलता हूं। आपने प्रातःकाल जो हथियार अपनाया था उसको लेकर आपको भी खेद होना चाहिए। मैं चूंकि पूरे सदन संचालन में आपका सहयोगी हूँ तो इसलिए मुझे भी खेद हुआ। हम आपको कभी मना करते हैं। किसी माननीय सदस्य का....

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

नहीं, नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो वही कहूंगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महोदय, मैं 56 की सूचना पर बोल रहा हूं। वह तो हम लोगों का अधिकार था वह हम लोगों ने अपने अधिकार का प्रयोग कर जो विरोध प्रदर्शन हो सकता है वह हमने किया।

श्री अध्यक्ष–

उसमें कई बार कठिनाईयां आती हैं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

अध्यक्ष जी, मैं बस निवेदन के साथ यह जानना चाह रहा था कि जो हमने नियम–56 में दिया है उसे आप चर्चा के लिए ले रहे हैं। जैसा कि आपने सवेरे निर्देश भी दिया कि तीनों दल के नेताओं के साथ बैठ कर चर्चा के लिए विषय बनायेंगे जो विधान सभा में संदिग्ध वस्तु मिली थी उसी के सम्बन्ध में।

श्री अध्यक्ष–

जो आप सुबह उठा रहे थे?

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

जी, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

उसके बारे में तो विषय आ गया था चूंकि सुबह आप जहां से उठा रहे थे वह तरीका ठीक नहीं था इसलिए उस पर हम इस समय टिप्पणी नहीं कर सकते, बाकी जो माननीय राम गोविन्द जी ने, आप लोगों ने सुझाव दिया था वह तो नेताओं की बैठक में विचार किया जायेगा।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, ठीक है।

श्री तसलीम अहमद–

आदरणीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी सुरक्षा के नाम पर सदन की कार्यवाही देखने हेतु अगर कोई आगंतुक आना चाहता है तो उसके पास को नहीं बनवाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

ऐसे सभी विषयों पर हम नेताओं के साथ बैठेंगे। ऐसे और भी कई विषय हैं, उन पर भी बैठेंगे।

श्री तसलीम अहमद–

मान्यवर, इसमें ऐसी कोई व्यवस्था बना दें जिससे लोगों को आने में कोई दिक्कत न हो।

श्री अध्यक्ष–

सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ सभी विषयों पर चर्चा हेतु बैठेंगे। आप एक घण्टा तक व्यवस्था के प्रश्न पर बना लीजिए, नियम–56 में चलायेंगे।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

माननीय अध्यक्ष जी, जो पिछली बार के विधायक हैं उसमें यह व्यवस्था रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह विषय भी माननीय नेता प्रतिपक्ष और

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

मान्यवर, सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, कैसे सुन लें। आप किस नियम में बोल रहे हैं। आप हमको नियम बताइये।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

मान्यवर, आप हमारे संरक्षक हैं, कृपया हम लोगों की बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं हम संरक्षक नहीं हैं, हम मित्र हैं।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

मान्यवर, यह व्यवस्था का प्रश्न है आप सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

इस बीच में क्या व्यवस्था चल रही हैं ? आपकी बात क्यों सुन लें? यही तो कठिनाई है कि आप जबरदस्ती करेंगे तो करें। देखिए, नियमों से ही सदन चलेगा।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

मान्यवर, सुरक्षा से सम्बन्धित बात है।

श्री अध्यक्ष–

सुरक्षा से सम्बन्धित तो बात हो गयी है।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

मान्यवर, उससे जुड़ी दूसरी बात है।

श्री अध्यक्ष–

उसको आप माननीय राम गोविन्द जी को और हमको लिख कर दे दीजिए। उससे जुड़ी तीसरी बात भी हो तो हमको और माननीय राम गोविन्द जी को लिख कर दे दीजिए और अगर कोई चौथी हो तो वह भी दे दीजिए, अब ठीक है।

श्री लालजी वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रायः प्रत्येक दिन किसी न किसी मुद्दे पर कानून व्यवस्था का प्रश्न आता है और सरकार जवाब देती है कि हमने कड़े निर्देश दिए हैं, अपराधियों को किसी तरह से संरक्षण नहीं दिया जायेगा वगैरह–वगैरह। उसके बावजूद भी बड़ी–बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मान्यवर, जो अलीगढ़ की घटना हुई है निश्चित रूप से इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ायी गयी है। मान्यवर, कांधा से केवल 500 मी0 की दूरी पर जिस तरह से सी0सी0एम0, सी0एम0एस0 की कंपनी के कैश बैंक को उसके गार्ड को मार कर लूटा गया जिसमें 34 लाख रूपये की लूट हुई, यह प्रश्न सरकार की कानून व्यवस्था पर कोई पकड़ नहीं है, इस बात को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी खड़े हुए होते हैं कि हमने पूरी सख्ती से निर्देश दिया है और जितनी सख्ती से निर्देश होते हैं उतनी बड़ी घटना हो जाती है। मान्यवर, यह घटना बहुत बड़ी घटना है, दिन की घटना है और मथुरा की घटना के बाद उसी तरह की दूसरी घटना है जो दिन में इस तरह की बड़ी घटना होती है इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इन सारे प्रकरणों पर एक सुनिश्चित राय आये उसके हिसाब से प्लानिंग हो। इस पर हम चाहेंगे कि इस मुद्दे पर भी चर्चा अगर आप ग्राह्य करके स्वीकार कर लें तो निश्चित रूप से हम इस पर अपने अच्छे सुझाव दे सकते हैं जो हमारे संज्ञान में हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं पर नियंत्रण लाया जा सके। मान्यवर, चूंकि यह नियंत्रण इसलिए नहीं आ रहा हैं क्योंकि सिर्फ कहने से, घोषणा से कोई मामला बनने वाला नहीं है उस पर सख्ती से कार्यवाही होने पर काम चलेगा। जो कानून व्यवस्था की हिफाजत करने वाले लोग हैं उनके साथ पक्षपात होगा।

श्री अध्यक्ष–

आपकी नोटिस किस विषय पर है।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, 311 में जो हमने दिया था।

श्री अध्यक्ष–

311 में हम नहीं सुन रहे हैं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कृपया इनको एक एक मिनट सुन लें 56 में।

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 56 में है उत्तर प्रदेश नीट परीक्षा के माध्यम से तो जो 56 में था वही सुनेंगे, 311 हम सुनते नहीं 311 में नहीं सुनेंगे।

श्री शैलेन्द्र यादव उर्फ ललई–

मान्यवर, मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

आपका नियम 56 में हैं, आप बोलिये।

श्री शैलेन्द्र यादव उर्फ ललई–

मान्यवर, बहुत ही गम्भीर मामला है आपने इस पर अनुमति दी आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, चूंकि मैंने नियम 311 में उठाया था आपने कहा था कि बाद में देख लेंगे इसको।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं कहा था न मैं ऐसा कभी कहूँगा और न मैंने कहा। 311 की शुरूआत होती है डिस्टरबेंस के साथ और जिस सब्जेक्ट की शुरूआत डिस्टरबेंस के साथ होगी वह हमारे मान का नहीं।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैंने तो डिस्टरबेंस किया नहीं।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहां किया, आप जो नियम 56 में है उस पर बोल दीजिए।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जो नियम 56 में है यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है वह भी।

श्री अध्यक्ष–

तब तक आप वह कागज निकाल लीजिए तब तक यह बोल लें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, नियम 56 पर एक ही सूचना पर तो बोल सकते हैं वह एक पर बोल चुके और दूसरी पर फिर बोलेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

वह नियम 56 नहीं था वह 311 था।

श्री शैलेन्द्र यादव उर्फ ललई–

मान्यवर, कानून व्यवस्था से जुड़ा बहुत गम्भीर मामला है।

मान्यवर, पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है कानून व्यवस्था के मामले में और जब कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी तो विकास भी नहीं होगा जिस मामले को मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ जनपद अलीगढ़ में जिस तरह से गार्ड की हत्या करके 34 लाख रूपये लूट लिये गये यह इस बात को साबित करता है कि जब बैंक लूटे जा रहे हैं, एटीएम लूटे जा रहे हैं, हत्यायें हो रहीं हैं प्रदेश की कई गम्भीर घटनायें ऐसी हैं, घटनाएं तो होती रहती हैं लेकिन ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे काफी समय तक दहशत का माहौल बना रहता है। मथुरा में घटना हुई, सीतापुर में घटना हुई, मान्यवर, जब घटना को छुपाने का प्रयास किया जायेगा, सही तथ्य सामने लाया नहीं जायेगा,

सही एफआईआर लिखी नहीं जायेगी, पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा और सही अपराधी वास्तव में जिसने अपराध किया है उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो घटनाएं बढ़ेंगी तीसरे अगर सही सही कार्रवाई हो, अपराधी पकड़े जायें तो घटनायें रूक सकती हैं। मान्यवर, अलीगढ़ में जो घटना कल हुई है यह बहुत गभीर घटना है और जिस तरह से गार्ड की हत्या करके पैसे लूट लिये गये मैं समझता हूँ रोज प्रतिदिन प्रदेश के तमाम जनपदों में जिस तरह से अपराधिक घटनाएं हो रही हैं, हत्या हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं अब उसको जंगलराज कहा जाये या क्या कहा जाये।

श्री अध्यक्ष–

आप अलीगढ़ पर बोल रहे हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव उर्फ ललई–

मान्यवर, अलीगढ़ पर बोल रहा हूं। अलीगढ़ को बताते हुए मुझे पूरा बताना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष–

आप नियम 56 पर बोलिये।

'श्री शैलेन्द्र यादव उर्फ ललई–

मान्यवर, यह भयंकरतम घटना है, कूरतम घटना है, बैंक के पैसे को, सरकारी पैसे को हत्या करके लूट लेना यह निश्चित रूप से बहुत कूरतम घटना है, अलीगढ़ की जो घटना है मैं आपसे मांग करता हूँ कि सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाये और पूरे प्रदेश में जो घटनायें हो रही हैं उसको संज्ञान में लेकर कानून व्यवस्था पर चर्चा कराई जाये।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नियम 56 में हैं अलीगढ़ पर।

संसदीय कार्य नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, अलीगढ़ की घटना जो अभी माननीय वर्मा जी ने और माननीय यादव जी ने रखी है, उसके संबंध में मेरे पास जो सूचना आई है उसके अनुसार थाना गांधी पार्क पर मुकदमा अपराध संख्या–370/17 धारा 394, 302 भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत तीन व्यक्ति नाम पता अज्ञात के नाम पंजीकृत कराया गया है और पूरी मुस्तैदी के साथ पुलिस अधीक्षक से लेकर थानाध्यक्ष तक सभी इस घटना का पर्दाफाश करने में लगे हैं। मान्यवर, हमने पहले भी कहा कि अपराध तो होते हैं लेकिन हमारा रोल क्या है, सरकार का पक्ष क्या है सरकार क्या कर रही है। मान्यवर, सरकार पूरी तरीके से इन घटनाओं के विरोध में, जो लोग भी मुलजिम हैं या जो प्रकाश में आते हैं तो उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्यवाही कर रहे हैं । पिछले समय जो हमने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

100 दिन का ब्योरा जारी किया था उसके अनुसार उसमें ऐसे–ऐसे केसेज हैं जिसमें बरेली की एक घटना हुयी, अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने बाकी घटनाओं का भी जिक्र किया। 50 परसेंट से ज्यादा रिकवरी हुयी है, करोड़ों रूपये की रिकवरी हुयी है । बनारस की घटना हुयी वहाँ भी और कई ऐसे केसेज हैं, मान्यवर, मैं आपके सामने ब्योरा दे दूंगा कि जिसमें बाकायदा सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ ऊपर से निर्देश दिया और पुलिस अधीक्षक और थानाध्यक्ष ने उसमें पूरी मुस्तैदी के साथ उस केस का पर्दाफाश भी किया और उसमें रिकवरी भी कराई। हम आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस घटना में भी बहुत जल्दी इस घटना का पर्दाफाश भी किया जायेगा और जो मुलजिम होंगे उनको सख्त से सख्त सजा भी दी जायेगी।

(समाजवादी पार्टी के कुछ माननीय सदस्यों द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, यह सूचना अग्राह्य हुयी। अब इस संबंध में आप न बोलिये। अब आगे का विषय लेते हैं ।

श्री लाल जी वर्मा–

हमारी सूचना को कल ले लीजिये, बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष–

हमने उस पर ध्यानाकर्षण कर दिया है।

नियम–56 की जितनी सूचनायें शेष हैं, उन पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

(मद संख्या–9 पुकारे जाने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, एक दिन और मैनें आपसे आग्रह किया था और परम्परा भी पीठ की रही है कि जितने माननीय सदस्य नियम–56 की सूचना देते हैं कृपया उनको आप पढ़ दिया कीजिये । यदि आप पढ़ देंगे तो वह कार्यसूची में आ जायेगी । तो जो माननीय सदस्य नहीं बोल पायेंगे उनको कम से कम इतना संतोष तो रहेगा कि हम जो बात कहना चाहते थे वह कार्यवाही में आ गयी । दुर्गा जी के क्षेत्र में प्रधान को ही गोली मार दी गयी, इस पर एक मिनट इनको सुन लीजिये। इनके खास प्रधान को गोली मारी गयी है।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं पढ़ देता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ की कोतवाली आजमगढ़ के अन्तर्गत ग्राम जीयनपुरा कोठरा के ग्राम प्रधान को गोली मारे जाने के उपरान्त पुलिस द्वारा कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

श्री अजय कुमार 'लल्लू', श्रीमती आराधना मिश्रा, 'मोना', श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, राकेश सिंह, सुश्री अदिति सिंह तथा श्री सोहिल अख्तर अंसारी की देश की सबसे बड़ी विधान सभा में दिनांक 12 जुलाई, 2017 को पी0ई0टी0एन0 पाउडर मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में,

श्री सुभाष पासी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सैदपुर में बरसात का पानी कच्चे माइनरों की सी0सी0 न होने के कारण किसानों के घरों में भर जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा एवं श्री शैलेन्द्र यादव ललई की दिनांक 17–07–2017 को दोपहर अलीगढ़ में बैंक ए0टी0एम0 कैश डालते समय तीन बदमाशों द्वारा 34 लाख रुपये की लूट व गोलियां चलाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई, मैं सारी सूचनाओं पर सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र का मामला है, एक प्रधान को गोली मार दी गई है, दो मिनट मुझे सुन लें।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार एवं पारण की मदों को स्थगित करने का अनुरोध

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, आज बाढ़ पर चर्चा लगी है इसलिए मेरा अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 2017 को आज न लिया जाए और अभी से बाढ़ पर चर्चा प्रारम्भ करा दी जाए और इस विधेयक को कल ले लिया जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, नेता विरोधी दल की ओर से प्रस्ताव आ गया तो अब आप बाढ़ पर चर्चा प्रारम्भ करा दें, इस विधेयक को कल ले लिया जाए।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, तो मद सं0–9 एवं 10 दोनों स्थगित रहेंगे।

[01:26] उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के अनेक जिलों में प्रचण्ड बाढ़ के उपरान्त भी राहत कार्य न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम–56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर डेढ़ घण्टे की चर्चा

श्री लालजी वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, आज जैसा मैंने अपने कार्यस्थगन के माध्यम से इस बात की चर्चा की थी कि पूर्वांचल के अनेकों जिले जिसमें विशेष रूप से बहराइच, गोण्डा,

गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बलिया, मऊ, बस्ती तमाम जिले प्रभावित हैं। इसमें घाघरा, राप्ती, सरयू तमाम नदियों के प्रकोप के कारण हमारी फसलें बरबाद हो रही हैं बन्धों के लिए भी खतरा पैदा हुआ है, कई बांध टूटे हैं। मान्यवर, निश्चित रूप से स्थिति बहुत भयावह है। इसी स्थिति में मान्यवर, जो स्थिति है उसमें प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता है। मान्यवर, प्रायः हर साल जब बरसात का समय आता है और विशेष रूप से इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि नेपाल में जब बरसात होती है तो उस समय बांध का पानी खोल दिये जाने के उपरान्त इस प्रदेश के कई जिले उससे प्रभावित होते हैं, जिसमें बहराइच, गोण्डा, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर जिले विशेष रूप से प्रभावित होते हैं, सड़कों पर भी पानी आ जाता है। मान्यवर, कटान के माध्यम से तमाम गांव कट जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है। मान्यवर, इस पर प्रभावी नियन्त्रण की आवश्यकता है, विशेष रूप से हमारा यह सुझाव है कि एक तो जैसा मा0 नेता विरोधी दल ने चर्चा करते समय कहा कि जो बांध बनाये गये उनके अन्दर के जो गांव हैं या सरकार ने एक निर्णय ले लिया कि हम ठोकर नहीं बनायेंगे बल्कि हम गांव के लोगों को दूसरी जगह ले जाकर बसाने का काम करेंगे। मान्यवर, एक जगह की बात नहीं है लगातार इस तरह से तमाम गांव कटान के माध्यम से प्रभावित हैं। मेरे क्षेत्र में भी कई गांव प्रभावित हैं, कटान के कारण घर पूरी तरह से नदियों में समाहित होते जा रहे हैं। घाघरा नदी में समाहित हो रहे हैं, सलोना घाट है, जब बरसात में नदी कटान लगाती है तो उसके बाद वह लगातार गिरता जा रहा है और मान्यवर, यह कई महत्वपूर्ण सड़कों के लिए खतरा बन गया है कि वह भी उसी में आ जायेंगी। इसलिए इस पर प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी सदन में ही एक प्रश्न आया था। माननीय अजय कुमार 'लल्लू' जी ने एक प्रश्न के माध्यम से बांधों के मरम्मत के बारे में एक प्रश्न किया था। उस समय माननीया मंत्री जी जवाब दे रही थीं कि हमने सारे निरीक्षण करा लिये हैं और उसके समुचित उपाय किये जा रहे हैं। माननीय नेता सदन भी खड़े हुए और उन्होंने भी उस पर जवाब दिया था और उन्होंने यह महसूस किया कि जैसे केवल उसके काम कराने के बारे में चर्चा हो रही है। मेरा आपके माध्यम से इस पर सुझाव है कि बरसात के पहले ही हम अगर बाढ़ आने के जो कारण हैं उनको दूर करने का काम करें तो निश्चित रूप से बाढ़ को रोका जा सकता है। जैसे मेरे क्षेत्र में कई छोटी–छोटी नदियां हैं जो बरसाती नदी हैं। मड़हा, बिसुही, सझुही–मझुही नदी है, तिरूवा नाला है इनका भी प्रकोप जब वर्षा होती है तो दिखायी पड़ता है, इसलिए प्रकोप है कि वे छिछले हो गये हैं, गहराई कम हो गयी है जिसके कारण जब बरसात तेज होती है तो उसका पानी खेतों में भर जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की भी है कि जो इस तरह से बरसाती नदियां हैं उनकी गहराई को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि इस तरह से जो बरसाती नदियां हैं या जो बड़े–बड़े नाले हैं उनके लिए भी उचित प्रबन्ध होना चाहिए और उसकी गहराई बढ़ाये जाने का काम किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ, मान्यवर, जो लोग प्रभावित होते हैं उनको हम कहीं उचित स्थान पर ले जाने का काम करें, बसाने का काम करें। जो कटान से प्रभावित लोग हैं, बार–बार उसका खतरा बना रहता है। इसलिए ऐसे गांव के

लोगों को भी हमें कहीं दूसरी जगह उनको बसाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए अगर उस कटान से रोकने का उपाय नहीं हो पा रहा है। अमूमन देखा यह जाता है कि एक जगह ठोकर बनता है तो उस ठोकर की जो प्रतिक्रिया होती है वह दूसरी तरफ जाकर दूसरे गांव को काटने लगता है। हम एक गांव के लिए ठोकर बनाते हैं वह दूसरे गांव को उससे प्रभावित कर देता है। इसलिए मान्यवर, हमारी यह चाहत है कि विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करके उसके लिए प्लानिंग किया जाए। अगर हम प्लानिंग करके उसका समुचित उपाय करेंगे तो जो हर साल हमें उनको उठाकर वहां से राहत सामग्री देने की जरूरत पड़ती है, खाना उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ती है, पानी, दवा उपलब्ध कराने की जरूरत पड़ती है तो इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इसका समुचित उपाय किया जाए। निश्चित रूप से हमारे तमाम मा0 सदस्य, जो इस बाढ़ से प्रभावित जिलों के लोग हैं उनके सामने वह तमाम समस्यायें आती हैं इसलिए हमारा यह निवेदन है आपके माध्यम से कि इस पर पर्याप्त उपाय करके और बाढ़ से राहत देने के लिए जो लोग प्रभावित हैं वहां समुचित उपाय करने का काम किया जाए। धन्यवाद।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में आज बाढ़ की विभीषिका बड़े चरम सीमा पर है। 40 जनपद बुरी तरह से प्रभावित हैं जिसमें 23 जनपद अति–संवेदनशील स्थिति में हैं। महोदय, बहराइच, गोण्डा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर या गोरखपुर हों, ये सारे जनपद बाढ़ से कमोवेश बहुत भारी प्रभावित स्थिति में हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि बाढ़ जब आती है तो बंधे के बचाव कार्य में तेजी आती है। लेकिन अगर हम समय से पहले बन्धों पर स्पर, स्टड या रिवेन्टमेंट का काम कर दें तो शायद वह बंधे पहले से ही सुरक्षित होंगें और जो हजारों, लाखों लोगों की जन–धन हानि होती है वह शायद न हो पाये। महोदय, बूढ़ी गंडक, शारदा, बेमन और यह तमाम नदियां जब उफान पर आती हैं चूंकि मैं बाढ़ क्षेत्र से आता हूँ और बाढ़ के बारे में अच्छी जानकारी भी जितना हो सकता है जानता हूं और जमीनी स्तर पर मैंने देखा है। हाई फ्लड लेविल, गंगा फ्लड लेविल की कमेटी की टीम आती है जो भारत सरकार की होती है और वह जुलाई अगस्त में आती है। अगस्त सितम्बर में और सितम्बर में आने के बाद गंगा फ्लड लेविल कमेटी यह निर्धारित करती है कि यह परियोजना कहाँ–कहाँ बनानी है और परियोजना की टी0ए0सी0 में सरकार के यहाँ उसकी बैठक होती है बकायदे प्रिंसपल सेकेट्री, और उसके मुख्य अभियंता लेविल–1 या प्रमुख अभियंता, सारे लोग बैठते हैं और उस कमेटी में उसकी स्वीकृति मिलती है और फिर उसके बाद वह स्थायी संचलन समिति की बैठक होती है और स्थायी संचलन समिति की बैठक में धन स्वीकृत होता है। पिछले लगातार सालों से महोदय बैठक तो होती है टी0ए0सी0 की, बैठक तो होती है स्थायी संचलन समिति की लेकिन महोदय जब 15 जून आ जाता है जस्ट उसके 10–15 दिन पहले इन दोनों समितियों की बैठक होती है। मेरा आपसे आग्रह था अध्यक्ष जी, अगर स्थायी संलचन और टी0ए0सी0 की बैठक जैसे ही गंगा फ्लड लेविल कमेटी या इनके मुख्य

अभियंता की अध्यक्षता में जो एक लेविल कमेटी बैठती है, जो बँधों पर जा करके सर्वेक्षण करती है कहाँ पर इस पर स्टर्ड या रिबेटमेंट का काम करना है वह अगर समय से इसकी बैठक हो जाये और यह जो भी काम है स्टर्ड या रिबेटमेंट का अगर यह सारे काम फरवरी मार्च तक पूरे कर लिये जायें तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में बाढ़ की स्थिति संवेदनशील होगी। उसके पहले हम कर लेंगें। महोदय, हम लोग उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर हैं। और मैं देखता हूं कि बिहार में समय से पहले काम पूरा हो जाता है। और वहाँ भी वहीं गंगा फ्लड लेविल कमेटी आती है जो हमारे यहाँ आती है। वह जब दे देती है प्रस्ताव तो तत्काल टी0ए0सी0 या स्थायी संचलन कमेटी की बैठक होकर, धन स्वीकृत कर दिया जाता है, टेन्डर हो जाता है, काम समय से हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ यह टैक्निकल प्राब्लम है कि हम जब बाढ़ का समय आता है और बाढ़ जब विशाल रूप ले लेती है और लगातार हमारे गांव के अस्तित्व को मिटाने की स्थिति में आ जाती है उस समय उसके काम के बारे में सोचा जाता है। महोदय, पिछले समय जब ए0पी0 तटबंध की चर्चा हमने सदन में की थी, चरसरी बाँध की चर्चा की थी उन तमाम बंधों के बारे में चर्चा हमने की थी। शायद सरकार इसको उसी समय गम्भीरता से लिये होती तो आज यह स्थिति, जिन गांवों में पानी घुस गया, उन गांवों में पानी नहीं जा पाता। यह बात सही है कि ए0पी0 तटबंध पर जब हम लोगों ने धरना दिया, सरकार ने संज्ञान लिया और तत्काल वहाँ धन आवंटित किया लेकिन यह जो इस समय काम हो रहा है। होता क्या है मान्यवर, बोरी में मिट्टी भरकर तत्काल हम एक बेस बनाते हैं फिर बोल्डर लगाते हैं फिर पिचिंग करते हैं। यानि सरकारी धन जो समय से पहले काम पूरा न होने के कारण यह स्थिति महोदय बनी रहती है। महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह था कि इस बँधे की सुरक्षा के इंतजाम सही समय से कर लिये जायें ताकि बंधों पर धन आवंटित करके समय से अगर उन बंधो के बारे में विचार कर लिया जायेगा उस पर धन आवंटित करके काम करा लिया जायेगा तो बाढ़ की विभीषिका नहीं झेलनी पड़ेगी। मान्यवर, बलिया की भी यही स्थिति है। बलिया में भी आज नदी, महाराजगंज जनपद में, आज महोबा जो नाला ही है, नाले के टूट जाने से पूरा कई गाँव पानी की चपेट में आ गया है। सिद्धार्थनगर में यही स्थिति है, बलिया में यही स्थिति है महोदय कि पानी इतनी तेजी से। बनारस में भी, जो कि प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है, वहाँ भी नदियाँ उफान पर हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार इसका संज्ञान ले और समय सीमा से पहले इन बन्धों का टी0एस0सी0 और जो भी स्थायी संचलन समिति की बैठक हो जाये और मेरा यह पुरजोर निवेदन होगा मान्यवर कि अगर हम मार्च अप्रैल तक काम करा लेंगें तो शायद आने वाले समय में हमारे बंधे सुरक्षित होंगें और जो हजारों लाखों की संख्या में जन–धन हानि होती है वह नहीं होगी। पिछले समय से लगातार 10 वर्ष पहले तमाम गांव नदी पानी में विलीन हो चुके हैं मान्यवर और आज भी गांव बन्धे के किनारे बसे हुए हैं, उनके बारे में भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उनको कहीं न कहीं जमीन आवंटित करके उन्हें बसाने की व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। महोदय, अंतिम बात के साथ क्योंकि पिछले समयों में बाढ़ के नाते इस समय भी

पानी ज्यादा आने से हजारों एकड़ फसल नदी में कट कर विलीन हो गई। महोदय, सरकार ने मुआवजे का भी प्राविधान बनाया है। हमारे तटबन्धों पर तमाम लोगों की जो खेती कट गई है उन तमाम लोगों पर जो संकट की स्थिति आई है उनको भी मुआवजा प्रदान करना चाहिए ऐसी मेरी सरकार से मांग है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं बहुत बहुत धन्यवाद् अर्पित करता हूँ।

श्री रामचन्द्र यादव–

मान्यवर, बाढ़ जैसी प्रदेश की समस्या पर आपने चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, प्रदेश की यह समस्या कैसे दूर हो और इस समस्या के प्रभावी निदान के लिए इस प्रदेश में जब से भा0ज0पा0 की श्रीमन् योगी जी की सरकार आई है बाढ़ जैसी समस्या को दूर करने के इतने प्रभावी, बहुत सारे उपाय किए गए हैं और इस तरह का यह पहला कदम है सरकार का, कि प्रदेश में फरवरी माह में ही जो हमारी बाढ़ की प्रदेश की कमेटी है उस कमेटी की बैठक और उस बैठक के बाद जितने सम्भावित बाढ़ के इलाके प्रभावित होते हैं कैसे उपाय उसमें बचाव के हो सकते हैं, किसानों की क्षति न होने पावे, आम जन की क्षति न होने पावे, इन सबके प्रति हमारी सरकार ने, सरकार के माननीय सिंचाई मंत्री जी ने, सभी जनपदों में खासतौर से वह 40 जनपद जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं उन जनपदों में स्वयं जाकर के बाढ़ के अधिकारियों के साथ बैठक करके, मान्यवर, एक समय यह भी था कि 16 मार्च 2010 को तत्कालीन सरकार ने एक शासनादेश कर दिया था कि बाढ़ और बाढ़ के प्रभावित इलाके में जो तटबंध हैं तटबंध से और नदी के बीच में जो कई हजारों एकड़ जमीन और कई हजार परिवार उस तटबंध के नीचे निवास करते थे,तत्कालीन सरकार ने यह रोक लगा दी कि उनको बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किये जाएंगे। बाढ़ विभाग उनके लिए कोई काम नहीं करेगा, माननीय योगी जी की सरकार में,हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अभी मई में ही पूरे प्रदेश के उन 40 जनपदों के लिए,बाढ़ का एक कलेन्डर घोषित किया जिसमें विभिन्न स्तरों पर ,बाढ़ से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं बाढ़ की विभीषिका से बचने के जितने उपाय हो सकते हैं उसमें 31 दिसम्बर, जो वर्ष का लास्ट समय निर्धारित किया है तब तक यदि आवश्यकता है तो भारत सरकार से भी मई से लेकर के अक्टूबर से लेकर 31 दिसम्बर के बीच में वह सारे के सारे कार्यक्रम और वह सारी योजनायें परियोजनायें जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक हैं उनका भी भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए। कभी भी बाढ़ के समय धन का अपव्यय न होने पावे सरकारी धन का दुरुपयोग न होने पावे इसको ध्यान में रखकर पहली सरकार है जिसने बाढ़ का कलेन्डर जारी करने का काम किया है। यह उत्तर प्रदेश की वह सरकार है जिसने किसानों के लिए गांव के गरीबों के लिए अबकी बार बजट में 700 करोड़ से ज्यादा का प्राविधान करके बाढ़ से प्रभावित इलाकों को बचाने का काम किया है। निश्चित रूप से यह सरकार बाढ़ से प्रभावित इलाकों में रहने वाले चाहे वह छात्र हों नौजवान हों हर तबके के लोगों को बचाने का उपाय किया इसके लिए मैं

सरकार का आभार व्यक्त करता हूँ आपने बाढ़ जैसी गम्भीर समस्या पर अपने विचार रखने का अवसर दिया मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं।

'श्री हर्षवर्धन बाजपेयी–

मान्यवर, मैं इलाहाबाद उत्तरी विधान सभा का प्रतिनित्व करता हूँ। जहां पर हमारा सौभाग्य है गंगा नदी तीन तरफ से है। उत्तर में भी है पश्चिम में भी है पूरब में भी है क्योंकि गंगा जी वहाँ पर लुक करती हैं। इसलिए गंगा जी का आशीर्वाद भी हम लोगों को प्राप्त है जब कभी गंगा मैया नाराज होती हैं तो बाढ़ का प्रकोप भी हम लोगों को देखना पड़ता है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जो शहरी क्षेत्र होते हैं गंगा जी के रास्ते में और ग्रामीण क्षेत्र भी खासकर सबवर्ब एरिया जो ग्रामीण और शहरी के बीच के एरिया हैं इन सबमें एक समस्या आ रही है कि गंगा जी की एक रूट है थोड़ा बहुत उसमें नदी की मिएण्डरिंग होती है लेकिन एक जनरल रूट है जो गौमुख से गंगा सागर की तरफ जा रही है और उस रूट के हिसाब से पुराने समय से कुछ मुगलों के टाइम में कुछ अंग्रेजों के टाइम में और कुछ आजादी के बाद बांध का निर्माण किया गया आबादी को बचाने के लिए जैसे हमारे इलाहाबाद में ही कुछ बाँध अंग्रेजों के टाइम के हैं कुछ मुगलों के टाइम के हैं कुछ जो पिछले 40–50 साल में बने हैं कुछ जो मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद दूँगा कि नए दो बांध का प्रपोजल जो दिया गया है उससे बाढ़ की बहुत बड़ी राहत हम लोगों को होगी मैं सच बता रहा हूँ जनप्रतिनिधि होते हुए हम लोगों को तीन महीना शहरी क्षेत्र में होने के बावजूद अक्सर हमारा तीन महीना नाव पर बीत जाता है। ऐसी स्थिति हमें देखनी पड़ती है कि रात को सिविल डिफेंस और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोगों को 11 बजे 12 बजे रात को बोट पर कि अगर वह पलट जाए तो कोई बचाने भी नहीं आएगा हम लोगों को लाउडस्पीकर से एनाउंस करना पड़ता है कि जिन लोगों को भोजन न मिला हो वह लोग अपने मोबाइल की लाइट जलाएं तो लोग मोबाइल की टार्च लाइट जलाते हैं फिर हम लोग नाव से खाना लेकर उनके दरवाजे पहुंचते हैं वह लोग बाल्टी नीचे करते हैं उसमें हम लोग खाना डालते हैं और वह खाना ऊपर जाता है यह मैं शहर का आपको हाल बता रहा हूँ। मैं एक वी0आई0पी0 एरिया की बात बता रहा हूँ जहाँ पर सरकार के चार–पांच कैबिनेट मंत्री रहते हैं चाहे कोई सरकार आ जाए। मेरा सुझाव यह है कि एक बहु बड़ा कारण जो यह प्राब्लम आती है वह इसलिए कि जो डेवलपमेंट एथारिटीज हैं उन्होंने उनकी अनदेखी और लोकल पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से लैण्ड माफिया जो कछारी क्षेत्र के लैण्ड माफिया होते हैं वह लोग जब बाढ़ का लो प्वाइंट होता है जब गर्मी के महीने होते हैं जब पानी का लो प्वाइंट होता है तो जो ट्रेडीशनल रूप से जो बांध बने हुए हैं उनके पार जो जमीन होती है उसको बेच देते हैं जैसे कि मैं आपको इलाहाबाद में बताऊं अभी भी अगर रात को जाकर बैठ जाइए अभी तो चलिए बाढ़ का टाइम है। गर्मी के समय में आप रात के समय बैठ जाइए किसी भी सरकार की मैं बात बता रहा हूँ। यह प्राब्लम लोकल लेबिल पर है इसमें कोई नेता नहीं मिले हुए हैं लोकल लेबिल पर प्रशासन के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

लोग भूमाफियाओं के साथ मिलकर काम कराते हैं आप रात को 12 बजे बैठ जाइए किसी चौराहे पर कछारी क्षेत्र के आप देखेंगे कि लगातार ट्रकें जा रही हैं जिसमें सीमेंट ईंटा इत्यादि जा रहा है वह क्यों जा रहा है रात को क्योंकि रात में कंस्ट्रक्शन होगा कछार में जो रिवर बेड है आपको बताऊं एक मोहल्ला है गंगा जी के तट पर मेरे क्षेत्र में और ऐसे पूरे प्रदेश में क्षेत्र होंगे उसका नाम ही है गंगा नगर माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य उससे भलीभांति वाकिफ हैं वह वहाँ रहे हैं छात्र जीवन में तो जब मैंने आज से 10 साल पहले पालिटिक्स शुरू करी थी तो वहाँ पर पैरलल में गलिया हैं नम्बर वाइज गली नम्बर एक गली नम्बर दो यह रिबर बेड में बनी थी यह गंगा नगर जो मोहल्ला है यह गंगा नदी के रिवर बेड में था रिवर वेड में गली नम्बर 1 गली नम्बर दो गली नम्बर तीन थी अभी जब मैं वहाँ चुनाव लड़ने गया तो गली नम्बर बीस आखिरी गली जिसमें मैं वोट मांगने गया वह गली आप समझ लीजिए कि जो फ्लड लाइन होती है। तो हाईकोर्ट का फ्लडलाईन के संबंध में पूरे प्रदेश के लिये जो रूल है वह हाईएस्ट फ्लड लेवल प्लस 200 मीटर्स है। इलाहाबाद के लिये, चूंकि तीन तरफ नदी है, और भी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल बना हुआ है कि हाईएस्ट फ्लड लेवल प्लस 400 मीटर्स। हाईकोर्ट ने यह रूल बनाया है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि माईनस 400 मीटर्स है। जो नदी की मिनिमम लाईन होती है उसके 200 मीटर अन्दर बना दिये गये। इसलिये मेरा यह सुझाव है कि अभी कुछ ही दिन पहले जब बालू खनन के बारे में सवाल उठे थे तो मा0 मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही अच्छी प्रक्रिया बताई थी कि खनन में जो माफिया हैं उनको रोकने के लिये हम सैटेलाईट से मॉनीटरिंग करेंगे। मेरा यह कहना है कि चूंकि डॅवलपमेंट अथॉरिटी के लोग लोअर लेवल के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और माफियाओं के साथ मिलकर अनदेखी करके बिना नक्शा पास कराए रिवर बैंक में जो घर बनाते हैं उसकी मॉनीटरिंग सैटेलाईट से कराई जाए। रिवर बेड में जब चार घर बसे होंगे, 100 घर बसे होंगे तो आप उनको बुलडोजर भेजकर तुड़वा सकते हैं, लेकिन जब वहाँ पर हजारों और लाखों की आबादी हो जाती है, उसको आप तुड़वा भी नहीं सकते हैं। हमारे इलाहाबाद में नदी के अन्दर मोहल्ले बना दिये गये हैं जिनकी आबादी एक लाख के ऊपर है। एक लाख से ऊपर की आबादी वाले मोहल्ले को आप तोड़ भी नहीं पायेंगे। इसलिये मेरा यही सुझाव है कि इसकी सैटेलाईट से मॉनीटरिंग की जाये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक बात और कहना चाहूँगा जो बजट में भी है वह यह कि केन और बेतवा नदी को जोड़ने का एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका लॉग टर्म सल्यूशन यही है कि हम लोग नदियों को इंटरलिंकिंग द्वारा फ्लड लेवल से बहुत ऊपर न जाने दें। एक नदी का पानी जहां पर ज्यादा है जैसे नेपाल से जो नदियां आ रही हैं उनका पानी बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भेजा जाए। जब तक यह इंटरलिंकिंग नहीं होगी तब तक बार–बार जानमाल का नुकसान होता रहेगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा बोला।

(कई मा0 सदस्यों द्वारा बोलने हेतु खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा जी, आप बोल लीजिये।

'श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा–

मा0 अध्यक्ष जी, बाढ़ एक विभीषिका है, जिसका आना–जाना प्रत्येक वर्ष लगा रहता है। इस सदन में भी बार–बार बाढ़ पर चर्चा हुयी है। कुछ समस्याओं का हल हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं आज भी बाकी हैं। मैं आपके माध्यम से दो–तीन निवेदन करना चाहता हूँ। बाढ़ दो तरीके से आती है। हमारे यहाँ बारिश भी नहीं हुयी, लेकिन उत्तरांचल और नेपाल का पानी नदियों के माध्यम से बहकर के हमें बाढ़ से प्रभावित करता है। दूसरा हमारे यहां लोकल बारिश हुयी, लेकिन इंजीनियरिंग के गलत इस्तेमाल के कारण जहां पर पानी का नेचुरल फ्लो था, नाला था, जहां पर पुल बनना था, उसके स्थान पर एक छोटी सी पुलिया बनाकर के उस प्रवाह को रोक दिया गया और जो जल निकासी उस ड्रेन के माध्यम से, छोटी सी नदी के माध्यम से जाकर के घाघरा, सरयू या दूसरी बड़ी नदियों में होती थी आज वह छोटी पुलिया होने के कारण, सड़कें पट जाने के कारण जल भराव की समस्या पूरे तराई की बेल्ट में बनी हुयी है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो–तीन निवेदन करना चाहूँगा। हम लोगों को कभी–कभार बाढ़ सुरक्षा समिति में डी0एम0 स्तर पर बुलाया जाता है। होना यह चाहिये कि स्टेट लेवल पर पी0डब्ल्यू0डी0, बाढ़ सुरक्षा विभाग, सिंचाई विभाग की अध्यापक कमेटी बने और उसमें बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र के एम0एल0ए0 को पदेन मेम्बर रखा जाए। जैसे मेरे सीतापुर में ज्ञान तिवारी जी का सेउटा क्षेत्र है वह बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। जब बाढ़ से बचाव की बात हो तो समय–समय पर स्टेट लेवल पर, मण्डल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मा0 सदस्यों के भी उसमें विचार लिये जायें। हमारे कुछ बांध नेपाल में हैं और कुछ बांध पीलीभीत, लखीमपुर आदि जनपदों में हैं। जो पहाड़ का पानी आता है और खतरे के लेवल से ऊपर बहता है तो एकाएक डेढ़ लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख, पांच लाख क्यूसेक पानी छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर मा0 सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि एकाएक तीन लाख, चार लाख, पांच लाख क्यूसेक पानी क्यों छोड़ दिया जाता है ? दस हजार, पन्द्रह हजार, बीस हजार, हमारा जहां खतरे का निशान शुरू हो उसके बाद जीरो करके हम पानी डिस्चार्ज क्यों नहीं करते हैं। हम दो लाख, पांच लाख क्यूसेक पानी एकत्रित करके इस बाढ़ को बुलाते हैं। हमारी विनती है कि आप अधिकारियों से बात करिये कि जो लेबिल हमारा है उस बांध के लेबिल के ऊपर पानी ज्यों ही आये तो पानी धीरे–धीरे लगातार डिस्चार्ज होता रहे उससे बाढ़ का रूप नदियों में नहीं आयेगा। नम्बर–2, एक बाढ़ हमारी नदियों से आती है और दूसरी बाढ़ माननीय सिंचाई मंत्री जी कह रहे थे कि जुलाई, अगस्त और सितम्बर तीन महीने में आती है। कुछ आपकी नहरें हैं जिनका बेड लेबल बहुत ऊंचा है। जो जमीन के ऊपर बनी हैं जैसे हमारी शारदा सहायक नहर है। आप सीतापुर, लखीमपुर, रायबरेली, बाराबंकी जाईये वहां इन नहरों से हमारी तमाम जमीनें जलमग्न हो गई हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

यह समस्या हमने ही कृत्रिम रूप से बनाई है और हमारे खेत लगातार जलमग्न होते रहते हैं। मेरा सरकार से यह कहना है कि इससे प्रभावी ढंग से निपटने के लिए कार्ययोजना बनानी चाहिये। हम आपसे पुनः आग्रह करेंगे कि जो डैम से पानी छोड़ा जाये वह धीमे–धीमे छोड़ा जाये। दूसरे, तमाम जो बंधे हैं, बंधों के पास हमारी आबादी है, आबादी में हमारी बसावट है, बाढ़ के समय या तो नदियों में घर कट जाते हैं या कच्चे घर गिर जाते हैं, तो यह प्रयास हो कि बंधे के अंदर जो भी बसावट ग्रामीण क्षेत्रों में बस गई है जो वैलिड है और जिनके खसरा और खतौनी नम्बर हैं उनको धीरे–धीरे बंधे के बाहर निकाला जाये और उनको कहीं और बसाया जाये। सी0आर0एफ0 की आपकी जो नियमावली है उसके अंदर हमारे किसान का जब खेत बाढ़ से कट जाता है और हमारे किसान की फसल नष्ट होती है तो उस किसान को अनुदान बहुत कम मिलता है। राज्य सरकार से भारत सरकार को लिखा जाये कि आज जमीन का मूल्य लगभग दस लाख, बारह लाख और पन्द्रह लाख का है और हम अनुदान न के बराबर ले पाते हैं। हमारा तैयार धान खराब जाता है, मक्का हमारा बेकार जाता है तो निश्चित तौर पर सी0आर0एफ0 की गाईडलाइन में संशोधन के लिए राज्य सरकार भारत सरकार को लिखे कि हमारे जो खेत सरयू, घाघरा, शारदा काटती है उसका जो बाजार मूल्य हो उस मूल्य से उस किसान को मुआवजा दिया जाना चाहिये। हमारा उत्पादन धान, मकाई, अरहर या गन्ना जो भी प्रभावित होता है, उससे हमारा जो अनुमानित उत्पादन है उससे उसको सेच्यूरेट किया जाना चाहिये। हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि यह कोई राजनीतिक विषय नहीं है। बाढ़ आदि काल से आती रही है, जब मूसलाधार बारिश होती है लेकिन पहले जो बाढ़ आती थी वह एक दिन, दो दिन में निपट जाती थी, लेकिन चूंकि हमने सड़कें बना दीं और सड़कों में पुलिया छोटी हो गई है तो बाढ़ को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारा जो इंजीनियरिंग का तरीका है वही उसके लिए जिम्मेदार है। हम आपसे विनती करेंगे कि उस क्षेत्र के विधायक, जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, माननीय एम0एल0सी0 इसमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मण्डल लेबल पर और स्टेट लेबल पर कमेटी बनाई जाये जिसमें लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और बाढ़ सुरक्षा आदि विभागों को सम्मिलित किया जाये और फिर यह देखा जाये कि किस तरीके से हम कहां पर ठोकर बना करके, कहां बंधा बना करके और कहां की पुलिया जो छोटी है इनको चौड़ी करके पानी को डिस्चार्ज कर दें या तमाम वो नाले जो प्राकृतिक रूप से पहले बने हुये थे उसमें घास उग आई है, झाड़–झंखाड़ उग आये हैं, मिट्टी से वह भर गये हैं, उन नालों की भी किसी विधि से खुदाई करके पानी डिस्चार्ज करने का तरीका निकालना होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हम आपके आभारी हैं कि आपने बाढ़ के विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद।

'श्री रामफेरन पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं आपको चरणस्पर्श करता हूँ। हमारे जनपद श्रावस्ती में नेपाल से लगा हुआ बांगर का क्षेत्र है, राप्ती नदी का

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

कहर बहुत तेजी से चल रहा है। कई ऐसे गांव हैं जो जलमग्न हो जाते हैं और गांव के गांव कट जाते हैं। उसको रोकने के लिए समुचित उपाय किया जाना बहुत आवश्यक है। इसलिये कि वहां लाखों की जनसंख्या में जैसे हमारे यहां रमनगरा, बेलसरा, कसियापुर, कोलाभार नगजवा, गौहनियां, रामनगर, सुसवारा, भरथापुर आदि ग्रामों में जलभराव की समस्या बनी रहती है और जब जल भर जाता है, बिजली गुल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में जितने विषैले जीव–जन्तु होते हैं वह सब निकल करके छतों पर जाते हैं जिससे जनमानस को बड़ा भयावह खतरा होता है और वह इसके शिकार भी होते हैं। इसलिये मैं अपेक्षा करता हूँ कि ऐसी स्थिति में बाढ़ से निपटने के लिए लोगों को, जनजीवन से इसको बचाने के लिए आपसे आग्रह है कि हर गांव में कम से कम बीस–बीस सोलर लाईटों की अगर व्यवस्था हो जाये तो बिजली के प्रकाश में उनका जीवन स्वस्थ रह सके। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आपने मुझे बोलने का मौका दिया मैं आपका चरण स्पर्श करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिन्द, जय भारत।

'श्री सौरभ श्रीवास्तव–

मान्यवर, मैं वाराणसी कैंट से चुना गया हूँ आदरणीय मोदी जी का लोकसभा क्षेत्र है। सामान्यतः यही देखा जाता है कि बाढ़ की विभीषिका ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक रहती है। मान्यवर, मेरी विधान सभा का अधिकतर क्षेत्र नगरीय है लेकिन नगरीय क्षेत्र की दर्जनो कॉलोनियों में बाढ़ का पानी पूरा ग्राण्ड फ्लौर डूबो देता है। मान्यवर, पंद्रह–पंद्रह, बीस–बीस दिन ऐसी विभीषिका रहती है कि न पीने का पानी, न बिजली, न खाने के लिए कुछ मिलता है। मान्यवर, दो–तीन सुझाव देना चाहूंगा वाराणसी कैंट विधान सभा का नगवा, सामलीघाट, भगवानपुर और रोहिया विधान सभा का छित्तुपुर इसके अलावा रामनगर का कुछ क्षेत्र जो बाढ़ में डूबता है। मान्यवर, इसको बचाने का एक रास्ता यह है कि वहां का एक बड़ा सेंटर है, ग्यानप्रवाह, ग्यानप्रवाह से बगल से नाला है जो शहर के पानी को नदी में ले जाता है, लेकिन बाढ़ के दौरान वहीं से पानी घुसकर शहर की कई कॉलोनियों को डूबो देता है। मान्यवर, उस नाले पर एक गेट बनाया जाये और उस गेट के पीछे एक पम्प लगाया जाये। बाढ़ के दिनों में नाले का गेट बंद करके पम्प के थ्रू बाहर पानी लगाया जाये तो यह दर्जनों कॉलोनियां जो बाढ़ के दिनों में डूबती हैं वह नहीं डूबेंगी। मान्यवर, इसके अलावा रोहनिया विधान सभा का रमना से टिघरी तक एक कच्चा तटबंध है। उस कच्चे तटबंध के स्थान पर यदि पक्का तटबंध बना दिया जाये तो बहुत बड़ा ग्रामीण इलाका बनारस लोकसभा क्षेत्र का बाढ़ से मुक्त हो जायेगा। मान्यवर, बड़े पैमाने पर एक सुझाव है। गंगा नदी पर बाढ़ का एक बहुत बड़ा कारण है गंगा नदी का गाद। गंगा नदी पर वर्षों से जो गाद जमा है। उसकी वजह से मां गंगा को चलने का रास्ता नहीं मिल रहा है और वह नये–नये रास्ते खोज रही हैं। यदि उस गाद को निकाला जाये और नदी के दोनों तरफ जो तट हैं उनमें उस गाद का प्रयोग किया जाये तो एक तो हमारी खेती भी अच्छी होगी और मां गंगा को पूरा रास्ता मिलेगा तथा बाढ़ की विभीषिका से भी हमें आराम मिलेगा। मान्यवर, इसके अलावा हमारे काबिल दोस्त

हर्षवर्धन जी बता रहे थे, अतिक्रमण वही अतिक्रमण का हाल बनारस में भी है कई शहरों में है निश्चत रूप से इस अतिक्रमण की भी योजना बनाकर इस अतिक्रमण को हटाना चाहिए जिससे मां गंगा को और कई नदियों को अपना पूरा रास्ता मिले।

श्री विनय शंकर तिवारी–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बाढ़ की चर्चा पर मुझे समय दिया मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, हम उ0प्र0 के पूर्वी हिस्से गोरखपुर से आते हैं और गोरखपुर में भी जो दक्षिणांचल है, गोरखपुर का चिल्लूपार विधान सभा से आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। मान्यवर, वहां पर तीन नदियां सरयू, राप्ती, कुआनों बहती हैं। मान्यवर, आज वहां पर बाढ़ का बहुत भयंकर प्रकोप है। शनिवार के दिन मैं अपने क्षेत्र में गया था। वहां पर पौहरिया गांव है जो कि कटान पर है। हम आदरणीय मंत्री जी, से इसके बारे में जिला योजना में भी चर्चा कर चुके हैं। मान्यवर, अलग से मिलकर भी हमने मा0 मंत्री जी को दिया था लेकिन पौहरिया गांव को बचाने के लिए आज तक कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है जबकि वहां पर राप्ती का बहुत भयंकर कटान है। मान्यवर, मेरे ख्याल से अगर वहां पर नदी का कटान एक फुट के लगभग ऊपर हो जायेगा तो पूरा गांव विलीन हो जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से जगदीशपुर गांव है। जगदीशपुर में आधा गांव नदी में विलीन हो चुका है जो कि राप्ती नदी की कटान है और आधे में जो विलीन हो चुके हैं उनको बसाने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो सकी है। मान्यवर, लक्ष्मी पाण्डेय जी का जो घर था अभी दो–तीन दिन से जो बरसात हो रही थी वह भी उसमें विलीन हो चुका है और जगदीशपुर गांव को बचाने की भी अभी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। मान्यवर, इसी तरह से वहां पर जो सरयू नदी है उससे हरिहरपुर जिले के बारानगर, रामामऊ, तीरागांव, तप्सीकुटी आदि गांव उससे प्रभावित हैं और वह गांव उससे कट रहे हैं, लेकिन लाख कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मान्यवर, वहां अधिकारियों से बात करिये तो कहते हैं कि घर नहीं है और एक अधिकारी ने तो संवेदनशीलता की जो संवेदनहीनता थी उसकी पराकाष्ठा कर दी। मान्यवर, जब मैंने उनसे दूरभाष से सम्पर्क करने का प्रयत्न किया तो उन्होंने कहा कि नदी अभी खतरे के निशान तक नहीं आई है तो हमने कहा कि आपका इससे आशय क्या है? जब नदी खतरे के निशान तक आ जायेगी तब आप बचाव कार्य शुरू करेंगे। उसमें उनका कोई उत्तर नहीं था। इस तरह से संवेदनहीन अधिकारी वहाँ पर हैं। कम से कम उनसे यह कहा जाये कि बाढ़ आने का इंतजार न करें उससे पहले बचाव का कार्य करें। आज अधिकारी बाढ़ आने का इंतजार कर रहे हैं। बाढ़ आ जाये तब हम कोई कार्य करें। और वह इलाका बाढ़ से अतिप्रभावित क्षेत्र है। साथ ही साथ हमारे वहाँ एक तरैना नाला है। जो बाढ़ में तो भर जाता है लेकिन सूखे के दिनों में भी परेशान करता है क्योंकि उसमें पानी नहीं रह जाता है। यदि उस नाले को गहरा करा दिया जाये तो बाढ़ की समस्या कम हो जायेगी। यदि उसमें चेक डेम बनाकर उस नाले को गहरा करा दिया जाये तो वाटर लेवल भी ऊपर हो जायेगा और जो तमाम खेतों को पहले नाला डुबो देता है वह डूबने से बच जायेंगे। और आम जनता को फायदा होगा। साथ ही साथ पशुओं को

फायदा होगा। जो गर्मी के दिनों में पशु पानी नहीं पाते हैं उनको पानी मिलने लगेगा। इस तरह से चिल्लूपार का जो वह इलाका है जो बाढ़ से काफी प्रभावित है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि कम से कम जो अभी तात्कालिक रूप से गॉव कट रहे हैं उनके लिए कुछ इस तरह की व्यवस्था कर दी जाये ताकि वह गांव कटने से बच जायें। मान्यवर, तरैना नाला जिसके बारे में हमने कहा है उसमें भी अगर मा0 मंत्री जी की नजरेइनायत हो जायेंगी तो वहाँ की जनता को लाभ मिलेगा। यह आपसे निवेदन है। धन्यवाद।

(कई सदस्यों के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

बाढ़ग्रस्त विधान सभा क्षेत्रों के मा0 सदस्य ही बोलें। लगभग एक घण्टा होने जा रहा है। मा0 मंत्री जी आप सबकी बातों को जोड़कर उत्तर देंगे तो उनको 20–25 मिनट चाहिए। मा0 राम गोविन्द जी बोलेंगे तो उनको भी समय चाहिए। तो अब संक्षेप किया जाये।

'श्री जटाशंकर त्रिपाठी–

आदरणीय अध्यक्ष जी और सम्मानित सभा, बाढ़पूर्व तैयारी के विषय में जिस तरह से हमारी सरकार ने काम करना शुरू किया उसका छोटा सा उदाहरण दिया जा सकता है कि नेपाल के किनारे जो जिले हैं उन जिलों पर मा0 सिंचाई मंत्री जी द्वारा लगभग तीन से चार बार बाढ़ स्थलों से लेकर बाढ़ कटानों स्थलों तक दौरा किया जा रहा है। यहाँ तक कि अलग–अलग समय पर क्षेत्रवार बंधों के अनुसार कटान क्षेत्र के अनुसार मा0 सदस्यों के साथ अलग से बैठकर मंत्रणा भी की जा रही है। एन0डी0आर0एफ0 को कौन नहीं जानता। देश में जब से मोदी जी की सरकार आयी उसके बाद से नेशनल डिजास्टर रिलीव फण्ड के अलग–अलग समय पर अपनी तरह से तैयारी अपने–अपने बाढ़ क्षेत्रों में की जा रही है। मैं अलग से थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहूंगा कि बाढ़ आने से पूर्व बाढ़ के समय और बाढ़ के बाद यह तीन स्थितियां बनती हैं। कछार की बात की जाये तो लोग कहेंगे कि बाढ़ नहीं आयी थी इस साल मेरी फसल अच्छी नहीं हुयी। बाढ़ आये तो बुरा बाढ़ न आये तो बुरा। दोनों स्थितियों में कछार के किसानों की यह आम भाषा होती है। हमसे ज्यादा, अभियंता से ज्यादा पार्टिसिपेटरी प्लस मेनेजमेंट रिसर्च सेंटर जो चालीस साल से सत्तर साल से बाढ़ के अवसाद में रिवर बेसिन के अंदर जो लोग रहते हैं वह हम लोगों से ज्यादा अच्छा जानते हैं कि हमें बाढ़ का बचाव कैसे करना है और उनके पास जो शोध और रिसर्च है, उस शोध और रिसर्च को ही सिर्फ डाकुमेण्ट कर लिया जाए, उसे इकट्ठा कर लिया जाए तो उन्हें पता है, जब बाढ़ चली जाती है, हमारा क्षेत्र वाटर लाग्ड हो जाता है, बाढ़ जब रहती है तो पानी रहता है और बाढ़ जब बिल्कुल समाप्त हो जाती है तो मुझे रेत मिलता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

है तो वाटर लाग्ड, रेत और बाढ़ के समय में किसी प्रकार और कैसी खेती करनी है, कौन सा मुझे धान बोना है, कौन सी मुझे बोरो बोनी है, कौन सी मुझे कटाव करनी है, हमारे किसान, हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लगभग 40 साल पीछे से जो पार्टिसिपेटरी फ्लड मैनेजमेंट रिसर्च यूनिट जगह–जगह पर जहॉ पर बाढ़ खण्ड सिंचाई यूनिट बनायी गयी है, वहाँ –वहाँ पर इनको शोध के तौर पर रख करके डाकुमेण्ट कर लिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ महायोजना हर जिले में बनती है, नदियां हर समय अपना–अपना कटान, अपना–अपना रूप, अपना–अपना रंग बिखेरती रहती हैं। मान्यवर, बाढ़ महायोजना के डाकुमेण्ट्स जो पिछले सालों के 50–50, 200–200 पेज के बने होते हैं, उन्हीं पेज के कटान को पूर्वतः फिर हम लोगों के सामने प्रजेण्ट कर दिया जाता है। नदियां अपना रूप बदल चुकीं, ए से बी की जगह पर चली गयीं, लेकिन बाढ़ चौकी हमारी ए पर ही बनी रहती है। हमारी माननीय मंत्री जी से बात हुई थी, आप लोगों ने संज्ञान में लिया था, इसे आगे बढ़ाने के काम किए जा रहे हैं। इसके साथ–साथ नेपाल बार्डर के जो क्षेत्र हैं, पहाड़ी पर जैसे ही पानी आता है, सबसे पहली चोट श्रावस्ती, सिद्धार्थ नगर, महराजगंज, कुशीनगर और कुशीनगर में जो हमारा खड्डा विधान सभा है, उसमें नारायणी नदी के बारे में इतिहास गवाह है, सबसे ज्यादा त्वरित और सबसे ज्यादा दुखदायी नदी के तौर पर लोगों को क्षतिग्रस्त करती है। नदी के उस पार 22 से 23 हजार आबादी है, वहाँ लोग बाढ़ के साथ जीवन जीते हैं, मैं निवेदन करूंगा कि उनके लिए अलग से एक कार्य योजना बनायी जाए और उनकी कमेटी के साथ इसको आगे बढ़ाया जाए। मान्यवर, आपने मुझे अवसर दिया, सभी लोगों ने सुना, सभी को आभार और सम्मान, नमस्कार।

'श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं जिस विधान सभा से विलांग करता हूँ और पूर्वांचल के जितने भी जिले हैं, उसकी जननी हमारे श्रावस्ती से निकलती है और मैं एक कविता के साथ कि ''खुशी की आंख में आंसू की भी जगह रखना और बुरे वक्त कभी पूछ कर नहीं आते'' क्योंकि हमारा जो विधान सभा क्षेत्र है वहाँ से केवल 22 कि0मी0 की डिस्टेंस पर पहाड़ी नाला शुरू हो जाता है। मान्यवर, हमारा नेपाल बार्डर भी है और चीन बार्डर भी पड़ता है और पूरे भारतवर्ष का यह आखिरी विधान सभा मेरा जनपद श्रावस्ती में भिनगा विधान सभा है। केवल दो समस्याएं वहां आती हैं, एक तो दिन में या रात में छोटे बच्चे अगर कहीं सो जायें, उनके पैरेन्ट्स न हों तो वहाँ का शेर या चीता बच्चों को उठा ले जाता है। दूसरी समस्या यह बाढ़ की है, माननीय अध्यक्ष जी, पहाड़ों पर हमेशा बारिश होती रहती है और कब किस समय उस पहाड़ी नाले से जैसा अभी हमारे माननीय राम फेरन जी बोल रहे थे, यह पहाड़ी नाला जो श्रावस्ती में भिनगा है, उससे गुजरता है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

उसमें बाढ़ हमेशा आती रहती है और अक्सर यह देखा गया है कि हर तीसरे वर्ष, अध्यक्ष जी, 2015 में बाढ़ आयी थी और इस बार बाढ़ के बहुत बड़े चांसेज हैं, पहाड़ी नाला होने की वजह से बाढ़ जब आती है तो मुख्यालय भी पानी से डूब जाता है।

श्री अध्यक्ष–

यानी बाढ़ अभी आपके यहाँ नहीं आयी है?

श्री जटा शंकर त्रिपाठी–

मान्यवर, अभी तो नहीं आयी है लेकिन आ जायेगी, यह निश्चित है। मैं अपने इलाके के जो बाढ़ से एफेक्टेड एरिया हैं।

श्री मो0 असलम ''राइनी'' (एडवोकेट)–

बुतहा, मलौना, खंसियारी के गांव हमारे यहां के बाढ़ ग्रस्त इलाके हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से केवल एक सुझाव देना चाहता हूँ कि 1997 से जब से मेरा जनपद बना है, लेकिन सिंचाई विभाग का कार्यालय हमारे पड़ोस के जिले बहराइच से डील होता है, आज भी हमारे जनपद मुख्यालय श्रावस्ती में सिंचाई विभाग का कोई भी कार्यालय नहीं है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहूँगा कि बीस साल हो गया है, अभी हमारे यहां सिंचाई विभाग का कोई कार्यालय नहीं है। दूसरा सुझाव मा0 अध्यक्ष जी चेक–डैम और बांध बनाकर के बाढ़ को रोका जा सकता है। हमारे यहां फ्लड का एक एक्स0ई0एन0 होना बहुत जरूरी है, जो वहां पर कम से कम हमारे बाढ़ के इलाके को देख सके। मैं इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँकि हमारे यहां मा0 सिंचाई मंत्री जी, हमारे सुझावों के अनुरूप व्यवस्थाओं को कराने का कार्य करेंगे, जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें, हम एक निवेदन करना चाहते थे, इस बाढ़ की चर्चा पर बोलने के इच्छुक अनेक मा0 सदस्य हैं। एक घण्टे से ज्यादा समय हो गया है, अब अगर आप अनुमति दें तो अच्छा रहेगा कि जो मा0 सदस्य बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों के हैं, बाढ़ पर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह अभी सत्र के बाद जब समाप्त होगा, उसके बाद पूरा विवरण लिख कर उचित समझें तो मेरे पास नहीं तो मा0 सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं वरिष्ठ नेता हैं उनके पास भिजवा दें।

नेता विरोधी दल (श्री रामगोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने चर्चा की बात इसलिए रखी थी कि हम लोग जनता से चुनकर आते हैं, उतना प्रभावी काम तो कर नहीं पाते हैं, जितना बाढ़ क्षेत्र के मा0 सदस्य जब अपनी बात इस सदन में कह लेते हैं तो बहुत से मा0 सदस्य कार्यवाही भी ले लेते हैं और अपने क्षेत्र में कहते हैं साहब मैंने तो बोला, अब सरकार जितना करना चाहे उतना करे, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई, इसलिए मेरी प्रार्थना है जो भी बाढ़ से प्रभावित मा0 सदस्य हैं एक घण्टा बढ़ा दीजिए, चाहे आज स्थगित कर दीजिए, फिर

दूसरे दिन आधा घण्टा ही ले लीजिए, लेकिन जितने भी मा0 सदस्य बाढ़ पीड़ित क्षेत्र के हैं सब दो–दो मिनट अपनी बात कह दें, तो उनके क्षेत्र के लोग उनसे संतुष्ट रहेंगे कि हमारी आफत के समय हमारे जनप्रतिनिधि ने हमारी बात विधान सभा में कही।

श्री अध्यक्ष–

बजट के बारे में फिर क्या करना है ? इसके बाद बजट चर्चा है।

श्री रामगोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आज जितने लोग बोल सकें बोल लें, नहीं तो कल बजट पर जब अन्तिम चर्चा हो जायेगी और जब विभागवार मद लें तो एक दिन उस पर चर्चा करा लीजिएगा, लेकिन सभी मा0 सदस्यों की बात जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं उनकी बात विधान सभा में आ जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी आपका क्या सुझाव है?

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, लगभग एक घण्टा तो हो चुका है, एक घण्टा पांच मिनट हो चुके हैं, अभी पच्चीस मिनट बाकी हैं, दस मिनट सरकार को भी जवाब देने में लगेंगे, तो अभी पन्द्रह मिनट तक जो भी मा0 सदस्य दो–दो मिनट में अपनी बात बोल पायें, तो बोल लें। मान्यवर डेढ़ घण्टे की चर्चा आप सभी लोगों ने तय की थी हमने भी उस पर सहमति दी थी और आपने कृपापूर्वक स्वीकार किया था, अभी तो डेढ़ घण्टा पूरा होने में कुछ समय बाकी है, आप दो–दो मिनट में सबको बुलवा दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, माननीय सदस्यों से आपके माध्यम से केवल एक ही अनुरोध है कि 2–2 मिनट में जो व्यावहारिक सुझाव है, जो बात आ चुकी हो, वह अगर न रिपीट करें तो ज्यादा से ज्यादा लोग बोल लेंगे।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

आप मेरी बात सुने, हमने आपको अनुमति नहीं दी है आप बिना अनुमति के न बोलें, आपका रिकार्ड नहीं किया जायेगा। आप कृपया बैठ जायें। आपकी बात लिखी नहीं जायेगी। आप क्यों नहीं संचालन करने दे रहे हैं। अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से सुझाव आये और इन दोनों वरिष्ठ नेताओं और जिम्मेदार पदधारकों के सुझाव के अलावा आप सबकी उत्सुकता मैं इसमें देख रहा हूं कि

[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

है, इसलिए मैं अपनी ओर से यह घोषणा करता हूं, आप सबकी रूचि देखकर और माननीय दोनों नेताओं के परामर्श को प्राप्त करने के बाद कि इसको अभी हम उसी समय तक चलायेंगे जितना पहले से तय किया था और कल फिर से जब कल हम लोग हाउस मैं बैठेंगे तो नियम–56 के बाद हम इसको आधा घण्टा और चला लेंगे।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, कल सम्भवतः माननीय वित्त मंत्री जी भी बोलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी भी बोलेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कल करीब साढ़े चार बजे माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी बजट चर्चा पर उत्तर देंगे उसके पहले सवा चार बजे माननीय वित्त मंत्री जी सभी लोगों के जवाब देंगे। सवा चार बजे तक यह हो जायेगा। जब अध्यक्ष जी ने कहा है कि आधा घण्टा देंगे।

श्री अध्यक्ष–

कल जीरो आवर के बाद आधा घण्टा बढ़ा देंगे।

'श्री बजरंग बहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ एक संवेदनशील विषय है, पूरे प्रदेश में बाढ़ एक ऐसी समस्या है, जिससे आम नागरिक आम किसान निश्चित रूप से पीड़ित रहता है। जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में यह सरकार बनी है तब से लेकर आज तक माननीय मंत्री जी लगातार बाढ़ के विषयों पर चर्चा भी किया है और उसके प्रति संवेदनशीलता भी दिखाई है और प्रदेश भर के कई क्षेत्रों का दौरा भी किया है लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हम जिन क्षेत्रों से चुनकर आते हैं, वह क्षेत्र बाढ़ की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है। मेरा क्षेत्र एक तरफ नेपाल के बार्डर से, मेरा क्षेत्र नेपाल के तमाम नदियों के नालों से तथा राप्ती नदी से बूढ़ी राप्ती नदी से, घूमी नदी से, रोहिम नदी से तथा घूमी नाले से प्रभावित क्षेत्र है। और इन तमाम नदियों के नाते हमारी विधान सभा समय–समय पर निश्चित रूप से बाढ़ को झेलती रही है और जिन गांवों से मैं आता हूँ। मैंने नजदीक से उन गॉवों में 15 दिनों तक सरकार द्वारा पहुंचाई गई व्यवस्थाओं के अन्दर हमने स्वयं भी भोजन प्राप्त किया है। मैं उस गांव से चुनकर आया हूँ। जो बांसी पनघटिया बांध है, मा0 राजा जय प्रताप सिंह जी मंत्री हैं, इनका भी क्षेत्र पड़ता है। वहाँ जब बंधा टूटता है तो लगभग 200 गांव ऐसे प्रभावित होते हैं जहां पर जान–माल, जन–धन की हानि निश्चित रूप से होती ही है। मा0 मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूँ कि मा0 मंत्री जी और मा0 मुख्यमंत्री जी जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर बहुत सचेत और सतर्क रहते हैं और इस नाते मैं मा0 मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि बाढ़ एक जनता से जुड़ी समस्या है लेकिन 10 वर्षों के अन्दर बाढ़ को रोकने की दिशा में मैं समझता हूँ कि कामचलाऊ प्रयास हुआ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

सिंचाई विभाग के बहुत सारे अधिकारी इन 10 वर्षों में प्रदेश पर बहुत सारा भार डालते गए लेकिन किसी विभागीय मंत्री ने उन सब चीजों पर ध्यान देने का प्रयास नहीं किया। जब स्टड निर्माण के लिए, ठोकर बनाने के लिए सिंचाई विभाग 10 लाख रुपये में, 20 लाख रुपये में बांस की बल्ली वगैरह की व्यवस्था करके प्रोजेक्ट को पूरा करता था और बाढ़ से सुरक्षा होती थी लेकिन आप 10 वर्षों में उठाकर देखिए। 10 वर्षों में जो परियोजना सिंचाई विभाग 10 लाख रुपये में बनाता था, उसी परियोजना की लागत किस मेथड से, किस पद्धति से 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 200 करोड़ हो गई और इस तरह की परियोजनाएं भी बनने लगीं। कहीं न कहीं निश्चित रूप से अधिकारी प्रदेश का बजट, प्रदेश का जो पैसा है, बहुमूल्य पैसा है, जो जनता का पैसा है। वह कुछ सीमित प्रोजेक्टों में इस तरह से प्रोजेक्ट बनाते हैं कि पूरे प्रदेश का बजट बस्ती जैसे जिले में खर्च हो जाए। हम उदाहरण के तौर पर यह कहना चाहते हैं कि कुछ प्रभावशाली मंत्री, कुछ ताकतवर मंत्री के वहां एक वर्ष में 100 करोड़, 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया। वहाँ बाढ़ के लिए प्रोजेक्ट बन गया 200 करोड़ का प्रोजेक्ट, 17 करोड़ का प्रोजेक्ट, 15 करोड़ का प्रोजेक्ट लेकिन बजरंग बहादुर सिंह के क्षेत्र में, बजरंग बहादुर सिंह अपने क्षेत्र में चिल्लाते रहे, बाढ़ आती रही, बंधा टूटता रहा योजना नहीं बनी या प्रदेश भर के बंधों को बचाने के लिए कोई योजना नहीं बनी। इस नाते मेरा मा0 मंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि आप निश्चित रूप से सजग हैं, संवेदनशील हैं और जनहित के मुद्दों पर विशेष प्रकार का आपका ध्यान है। इस नाते मैं कहना चाहता हूँकि मेरे क्षेत्र में एक बंधा है राजपुर दौलतपुर बांध। सरकार का 5 करोड़ रुपया 2006 में स्वीकृत हुआ और 2006 में देने के बाद 2008 तक वह 5 करोड़ रुपया खर्च हुआ। उसके बाद कई बार बाढ़ आई और कई बार तहसील से सी0एम0 द्वारा, आपदा द्वारा करोड़ों रूपया उन तमाम गांवों जो उस बंधे से प्रभावित होते हैं उनकी सुरक्षा में, उनके अनुदान में कई करोड़ खर्च हुआ लेकिन राजपुर दौलतपुर बांध मैं 2012 में विधायक था, 2007 में विधायक था। मैंने तमाम समयों में इसको उठाया लेकिन वह बंधा नहीं बना लेकिन मैं मा0 मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँकि जब सरकार का 5 करोड़ रुपया किसी गांव के किसी बंधे पर खर्च हो गया तो सबसे पहले सरकार की प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि उस प्रोजेक्ट को पूरा कराएं। निश्चित रूप से जब वह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो उस पूरे क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष–

मा0 बजरंग जी समाप्त करिए। आप लोग बैठे हैं, अब इधर से बोलेंगे।

श्री बजरंग बहादुर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी बात को निश्चित रूप से मानूंगा मैं दो मिनट में संक्षेप में अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ ।

श्री ज्ञान तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ 14 गांव घाघरा नदी में समाहित हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हर जगह बारिश के बाद बाढ़ आती है लेकिन मेरे यहाँ बगैर बारिश के बाढ़ आती है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य आप बैठ जाएं, अभी उनकी बात तो पूरी हो जाए।

श्री बजरंग बहादुर सिंह–

माननीय सदस्य मैं आप ही की बात कहने जा रहा हूँ बैठिये। माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ एक संवेदनशील विषय है चाहे सत्तापक्ष का विधायक हो या चाहे विपक्ष का विधायक हो, अपने क्षेत्र की जनता को, अपने क्षेत्र के लोगों को बचाने के लिए बहुत सारे लोग सदन में विषय लाते हैं लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा आग्रह है। वास्तव में माननीय मंत्री जी का बाढ़ की व्यवस्था की तरफ विशेष ध्यान रहता है। हम तो उनसे व्यक्तिगत रूप से भी मिलते रहते हैं लेकिन एक बात का मेरा आग्रह है कि सरकार का पैसा उचित स्थान पर लगे यह निश्चित रूप से दृष्टिकोण रहना चाहिए सरकार का, क्योंकि उत्तर प्रदेश का सिंचाई विभाग लगभग 15 सालों से बहुत ही बिगड़ा हुआ विभाग है। इस विभाग के इंजीनियर, इस विभाग के चीफ इंजीनियर और इस विभाग के प्रमुख सचिव बहुत ताकतवर लोग हैं इस नाते वह जैसे चाहे विभाग को नचाते हैं इस पर भी नकेल कसने की आवश्यकता है और यदि नकेल कसेंगे तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का विकास होगा उत्तर प्रदेश में एक अच्छा संदेश जाएगा। बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

किस माननीय सदस्य के क्षेत्र के गांव नदी में चले गए हैं। वह बोलें।

'श्री ज्ञान तिवारी–

मान्यवर, मेरे क्षेत्र के 14 गॉव नदी में चले गए हैं। काशीपुर, मल्लाहपुर, बढ़ईडीह, निर्मलपुरवा, मिश्रनपुरवा, शुक्लनपुरवा, अंगरौड़ा, परमगौड़ा इत्यादि इतने सारे–के–सारे गांव घाघरा नदी के अंदर समाहित हो गए हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय मेरे यहाँ जनपद में जो बाढ़ आती है वह बार–बार बाढ़ आती है, एक साल में तीन बार और निरन्तर अनवरत कटान होती रहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय बहराइच से 7 किलोमीटर नदी हमारे जनपद सीतापुर की तरफ आ गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केवल इतना कहना है कि वहाँ पर स्ट्रक बन जाए और जो लखीमपुर से बाढ़ आती है उस लखीमपुर से इसको डायवर्ट कर दिया जाए। आज लखनऊ के लोग प्यासे मर रहे हैं जो गोमती नदी के अंदर आप लोग जलकुंभी देख रहे हैं। एक जो श्रद्धेय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी की योजना थी, नदियों से नदियों को जोड़ने की योजना उस योजना के अंतर्गत अगर हम घाघरा का पानी, शारदा का पानी लखीमपुर के माध्यम से हम गोमती नदी में डायवर्ट कर दें तो हमारा लखीमपुर भी बचेगा, सीतापुर भी बचेगा और जो काशीपुर से लेकर परमगौड़ा तक 90 किलोमीटर मेरी विधान सभा बाढ़ से ग्रसित रहती है वह बाढ़ से और कटान से बच जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब इतनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

ज्यादा बाढ़ आजकल हमारे यहाँ चल रही है, गर्मियों में जब बारिश नहीं होती है, तब भी कटान होती रहती है और उसमें जब अभी बाढ़ आ गई है आज की डेट में वहां पर लोग किस तरह से रह रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी, लोग सड़कों के किनारे रहने को मजबूर हैं। 13 गॉव के लोग सड़कों के ऊपर निवास कर रहे हैं, झुग्गी–झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। बारिश में बैलगाड़ी के ऊपर तख्त डालकर सो रहे हैं। इस तरीके से माननीय अध्यक्ष महोदय इसलिए आपसे मेरा यही आग्रह है कि हमें बाढ़ से मुक्ति मिले और जो हमारे यहाँ स्ट्रक बने हैं इससे पहले हमारी मंत्री स्वाति सिंह जी गई थीं, रीता बहुगुणा जोशी जी भी गई थीं जो हमारे जिले की बाढ़ क्षेत्र में प्रभारी हैं लेकिन उसमें जो स्ट्रक बने जो इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया था वह प्रोजेक्ट में बालू से बोरी भरकर बनाया गया था। मेरा यह आग्रह है कि जो स्ट्रक बने वह बोल्डर के द्वारा बने क्योंकि इतना ज्यादा वेग है कि बालू की बोरियां उसको रोक नहीं पाएंगी। इसलिए स्ट्रक जो बने वह बोल्डर के साथ बने ऐसा मेरा आग्रह है माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री राजकुमार उर्फ राजू यादव–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बाढ़ पर बोलने का मौका दिया मैं आपको बहुत–बहुत, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भाई हर्षवर्धन ने जो बात की थी उससे आगे की बात मैं करना चाहता हूँ कि जो डूब क्षेत्र है और उस पर जो अवैध कब्जे होते हैं, अगर उन कब्जों को छोटी संख्या में ही हम ध्वस्त कर दें तो आगे चलकर बड़ी संख्या में ध्वस्त करने की नौबत नहीं आएगी। मेरे मैनपुरी क्षेत्र में भी ईसन नदी बहती है उसका अपना घोषित डूब क्षेत्र है। खन्ना साहब के मंत्रालय का महाप्लान भी है, जो डूब क्षेत्रों को दर्शाता है। सिंचाई मंत्री जी का इलाका भी उसमें चिन्हित है। बाढ़ मंत्री बैठी हैं, इनकी भी एक सीमा है कि इनकी बाढ़ यहाँ तक आती है फलां सन् में यहाँ तक बाढ़ आई थी, फलां सन् में यहां तक बाढ़ आई थी। वह सारे एरिया चिन्हित है उसके बाबजूद भी ऐसी जगहों पर भवनों के नक्शे पास हो जाते हैं। मेरे मैनपुरी में बिल्कुल ईसन नदी के किनारे मात्र 10 मी0 पर एक भव्य भवन का निर्माण हुआ। मैंने उसकी शिकायत की। उसकी जांच हुई और उसमें एस0डी0एम0 ने क्लीन चिट दे दी। मैंने महाप्लान नगरीय क्षेत्र का बनाया मैंने, एन0बी0टी0 में शिकायत की, जब दोबारा जांच हुई तो यह पाया गया कि वह तो डूब क्षेत्र में बना हुआ है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा माननीय नगर विकास मंत्री जी से, सिंचाई मंत्री जी से, बाढ़ मंत्री जी से कि आप ऐसे भवनों का ध्वस्तीकरण कराएं ताकि कोई भविष्य में डूब क्षेत्र में बड़ी इमारत न बन सके। अगर वह मॉल गिरा तो हजारों लोगो की जान जा सकती है। अध्यक्ष जी, जब वहां इमारतें बन जाती हैं तो वोट लेने के लालच में चाहे इधर के लोग हों या उधर के लोग हों, हमें गली बनवानी पड़ती है, खड़ंजा बनवाना पड़ता है, बिजली लगवानी पड़ती है, हैण्डपम्प लगवाना पड़ता है। अगर वहां भवनों का निर्माण रूक जाए और जो बने हैं वह ध्वस्त हो जाएं तो समझता हूँ कि बाढ़ की समस्या पर बहुत ज्यादा काबू पाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष–

बाढ़ पर चर्चा जारी रहेगी, अब हम बजट चर्चा प्रारम्भ करते हैं, यह चर्चा कल भी जारी रहेगी। अब इसका समय समाप्त हुआ।

ख02:36, वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा†

श्री अध्यक्ष–

अब बजट पर मैं माननीया डा0 अनीता लोधी राजपूत को बुला रहा हूँ।

'डा0 अनीता लोधी राजपूत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको और परम सम्मानित सदन को प्रणाम करती हूँ। आपने मुझे वित्तीय वर्ष 2017–18 के बजट पर साधारण चर्चा में प्रतिभाग हेतु बोलने का शुभ अवसर दिया इसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। मार्च 2017 के सक्रिय विधान सभा को आम जनमानस ने भ्रष्टाचार, गुण्डाराज, अराजकतत्वों एवं अवसरवादी गठजोड़ों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ ऐतिहासिक जनादेश दिया है। जनता के इस जनादेश से अभिभूत हो कर मैं इस परम आदरणीय सदन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को नमन करती हूं और मेरे डिबाई विधान सभा के प्रत्येक सम्मानित नागरिक को नमन व वंदन करती हूँ। इस बजट में किसानों, मजदूरों, दुर्बल वर्ग, महिलाओं, बालिकाओं, बुजुर्गों एवं युवा वर्ग को समाज में भयमुक्त वातावरण प्रदान करने और सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए सक्षम बनाने की योजनाएं सम्मिलित हैं। हमारा बजट ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, पानी, सड़क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध कराने और नागरिकों के आर्थिक उत्थान को समर्पित है। मान्यवर, इस बजट में मैं सर्वप्रथम कृषि विभाग के लिए जो अनुदान इसमें निश्चित किया गया है उससे मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। इसका एक कारण और भी है क्योंकि मैं कृषि विज्ञान में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से पी0एच0डी0 हूँ। कृषि में जो बजट दिया गया है वह अत्यन्त सराहनीय है क्योंकि लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण के लिए 36 हजार करोड़ रूपये की व्यवस्था बजट में की गयी है। पहले सौ दिनों में गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ का भुगतान किया गया है। गन्ना किसानों की उपज को सुगमता से बाजार तक ले जाने के लिए सम्पर्क मार्गों के निर्माण के लिए 200 करोड़ का तथा अनुरक्षण के लिए 250 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। प्रदेश के किसानों की सिंचाई, महंगा डीजल और विद्युत आपूर्ति की समस्या को समाप्त करने के लिए इरीगेशन पम्प की स्थापना के लिए 125 करोड़ की व्यवस्था बजट में की गयी है जो अति सराहनीय है। निर्माणाधीन सहकारी चीनी मिलों को पूरा करने के लिए 33 करोड़ 35 लाख की व्यवस्था इस बजट में की गयी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहती हूँकि जब मैं पंतनगर विश्वविद्यालय में पढ़ती थी तो वहां आस–पास के जितने भी किसान थे, जो किसान पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय से प्रभावित थे।

(इस समय 2 बजकर 40 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुखेदव राजभर पीठासीन हुये।)

---

† दिनांक 13 जुलाई, 2017 की कार्यवाही से

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

वहां के सभी किसान काफी समृद्ध और समर्थ थे। लेकिन जब मैंने अपने इस बुलन्दशहर में डिबाई क्षेत्र में देखा तो बुलन्दशहर में सभी जगह मुझे कोई समृद्ध किसान नहीं मिला तो मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसने सबसे ज्यादा जो फोकस किया है वह किसानों के ऊपर किया है और किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, समर्थ बनाने के लिए उन्नत बनाने के लिए हमारी जो सरकार है उसका जो कार्य है और उसने जो बजट में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह अत्यन्त शराहनीय है क्योंकि हम बचपन से जब से हमने होश सम्भाला है हम पढ़ते आये हैं कि हमारा भारतवर्ष और हमारा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, हमारा भारत कृषि प्रधान देश है। इसके अलावा जो एक और सराहनीय बात है। हमारे बजट में वह है शिक्षा से संबंधित, जब हमारे मुख्यमंत्री जी, मान्यवर, जब हमारा पहला सत्र समाप्त हुआ था मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही संवेदनशीलता के साथ एक विषय रखा था और उसने मेरे दिल को छुआ था, आज तक मैं उसकी सराहना अपने डिबाई विधान सभा में भी करती हूँ

मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमारे जो छोटे–छोटे बच्चे हैं प्राथमिक विद्यालयों के उनके लिए जो ड्रेस कोड बना रखा था उसमे बड़ा अशोभनीय था और छोटे–छोटे बच्चों को जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था ऐसा उनको मानसिक स्तर दे रहे थे होमगार्ड जैसा। तो जो सबसे अच्छी इस बजट में व्यवस्था हुई वह हमारे प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के सभी छात्रों को निःशुल्क यूनिफार्म और पुस्तकों को उपलब्ध कराने के लिए 123 करोड़ 96 लाख रूपये की जो व्यवस्था की गयी वह अति सराहनीय है। प्राथमिक और उच्च विद्यालयों के सभी छात्रों को एक जोड़ी जूते एवं दो जोड़ी मोजे और एक स्वेटर देने के लिए 300 करोड़ रूपये की जो व्यवस्था है वह भी एक सराहनीय कदम है। प्रदेश के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बैग आवंटन हेतु 100 करोड़ रूपये की जो व्यवस्था की गयी वह भी एक सराहनीय कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी को उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ अध्यक्ष महोदय, एक ऐसा विषय है जो शायद इस बजट की जो हमारी किताब है उसमें है लेकिन यहाँ पर कोई चर्चा उस पर नहीं हुई है मैं उस विषय को इस सदन के माध्यम से आप सबके समक्ष रखना चाहती हूं जिसने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया है वह है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो यह निर्णय लिया कि सीमा पर शहीद होने वाले जवानों के नाम पर विद्यालयों, चिकित्सालयों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आदि का नामकरण किया जायेगा ताकि उन शहीदों के नाम हमारी दृष्टि को नित पावन करते रहें तथा हमारे युवाओं के हृदय में देशभक्ति, निःस्वार्थ निष्ठा और अदम्य साहस का संचरण करते रहें। इसी के साथ सभी राजकीय महाविद्यालयों में परमवीर चक्र विजेताओं के चित्र और उनका जीवन परिचय विद्यालयों के गैलरियों में लगाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि छात्र/छात्रायें उनकी शौर्य गाथाओं से परिचित हो सकें।

अध्यक्ष महोदय, चूँकि यह विषय ऐसा है जो मेरे को हमेशा से मन से दिल से छूता है इसी संदर्भ में मैं दो पंक्तियां इस सदन के माध्यम से सभी शहीदों को और सभी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करना चाहती हूं–

उनकी तुरबत पर नहीं है एक भी दिया,
जिनके लहूं से जला करते थे चिरागे वतन।
जगमगा रहे हैं मकबरे उनके,
जो बेचा करते थे शहीदों के कफन।।

इस बजट के माध्यम से हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो इस विषय को छुआ है जिसमें हम वाकई में अपने यदि बच्चों को जो कि आने वाले हमारे भारत का भविष्य हैं उन बच्चों को यदि आज यह संस्कार, संस्कृति और नैतिक मूल्य देंगे तो कहीं न कहीं गतवर्षो की सरकारों में जो भ्रष्टाचार और जो गुण्डाराज और जो अराजकतत्व पैदा हुए, यही कारण है कि हमारे संस्कार, संस्कृति, नैतिक मूल्यों का कहीं न कहीं हनन हुआ है और इन्हीं ने भ्रष्टाचार को जन्म दिया है तो मुझे सबसे अच्छा विषय यह लगा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे संस्कारों और संस्कृति की रक्षा करने के लिए इतना अच्छा विषय इस बजट में दिया है और अन्त में ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि सही मायने में हम अपने पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी का जो जन्म दिवस शताब्दी दिवस मना रहे हैं तो सही मायने में यह हमारी सबसे बड़ी श्रद्वांजलि है पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के लिए जिन्होंने हमारी पार्टी की विचारधारा का सूत्रपात किया था पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय, लक्ष्य अंत्योदय। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जय हिन्द, जय भारत।

'श्री मेजर सुनील दत्त द्विवेदी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोक कल्याण और जनहितकारी बजट सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके लिये मैं भूरि–भूरि प्रंशसा और सराहना करना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी की । साथ ही बहुत–बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो इतना सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी बजट प्रस्तुत किया गया है । एक तरफ युवाओं के लिये जहॉ इसमें कौशल विकास की योजनायें हैं वहीं महिलाओं के लिये भी महिला सुरक्षा की बात की गयी है । अगर हमने अनुसूचित और पिछड़ा वर्ग को छुआ है तो अल्पसंख्यक कल्याण के लिये भी बात की गयी है। उनको भी मुख्य धारा से जोड़ने का एक सुन्दर प्रयास किया गया है। जहॉ शहरी विकास के लिये कई सोपान हैं, वहीं ग्रामीण अंचलों में विकास कैसे हो, इस बात की भी चिन्ता की गयी है। जैसे चावल का एक दाना देखकर पतीली में पक रहे चावलों का पता किया जा सकता है मैं समझता हूं कि बजट को देखकर उसी प्रकार से सरकार की कार्यशैली, सरकार की नीयत, सरकार की मंशा को पूरी तरह से पता किया जा सकता है। ऐसा लगता है जैसे हम प्रदेश की नींव को दोबारा मजबूत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जो नींव,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया

बुनियाद खोखली हो चुकी थी वह किस प्रकार से मजबूत हो, उस पर बनने वाली विकास की इमारत कैसे बुलन्द हो, इस बजट में इस चीज का ध्यान रखा गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात इस बजट में पूरी तौर पर आई है। हम अपने आधारभूत ढांचे को मजबूत करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के लिये, जिसमें बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो इसकी पूरी सर्वागींण चर्चा इसमें की गयी है। प्रतिपक्ष ने इस बजट को दिशाहीन बजट और हवा–हवाई बजट की संज्ञा दी है। मैं समझता हूं कि यह एकनिष्ठ, दिशानिष्ठ, आवश्यक और बहुत आकर्षक बजट है। इस प्रदेश की जनता यह भूल चुकी थी कि किस प्रकार से जनकल्याणकारी बजट का स्वरूप क्या होता है। लोक हित का बजट क्या होता है, उसकी एक झांकी, एक बानगी दिखाने की हमने कोशिश की है और इस प्रकार का लोकलुभावन बजट हम उसकी थाली में परोसकर लेकर आये हैं । मान्यवर, हम लोगों ने लगभग 14 वर्ष से ऊपर का वनवास काटा है और बहुत संघर्ष किया है, बहुत अंधकार देखा है और इस अंधकार में एक दिया जलाने का हम प्रयास कर रहे हैं । हम अपने तेल को जला रहे हैं अपनी बाती को जला रहे हैं लेकिन उस दिये से पूरा उत्तर प्रदेश प्रकाशमान हो सके, उस दिये से उत्तर प्रदेश का एक–एक व्यक्ति प्रकाशमान हो सके, उसके घर में दीपक जल सके, इस प्रकार का बजट हम लेकर आये हैं। तो यही कहना चाहता हूं कि जो संघर्ष हमारे दल ने किया है उसकी वजह से सरकार हमारी आज बनी है। मैं अपने प्रतिपक्ष के सदस्यों के समक्ष इस बात को रखना चाहता हूं कि–

'यूं तो इस दिये पर रात भारी रही है,
लेकिन रोशनी के लिये जंग जारी रही है ।
और कुर्सियों पर हुकूमत चाहे तुम्हारी रही हो
लेकिन दिलों पे हुकूमत हमारी रही है।'

मान्यवर, एक बुझी हुयी मशाल की तरह हमारे हाथ में उत्तर प्रदेश दिया गया था और उसमें गौरतलब बात यह है कि दियासलाई भी हमारे पास नहीं है, उसकी सारी तीलियॉ भी, जो विगत सरकार थी, वह ले गयी। अब हम इस मशाल को जलायें भी तो कैसे जलायें। हम अपने पुराने चकमक पत्थरों से इसे जलाने का प्रयास कर रहे हैं। हम अपने नेता पं0 दीनदयाल उपाध्याय तथा डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को प्रेरणास्रोत मानकर उनके कदमों पर चल रहे हैं। अभी हमारी बहन बता रही थीं कि किस प्रकार अंत्योदय की भावना से पं0 दीनदयाल जी, जो विचारधारा लेकर आये थे, उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिये, पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिये माननीय वित्त मंत्री जी ने बहुत सा समावेश इस बजट में किया है जिससे उनके चिराग रोशन हो सके और उनके घर में खुशहाली आ सके। मान्यवर, राष्ट्र चिन्तन, देश चिन्तन हमारे प्रदेश का विकास कैसे हो, यह सारी भूमिकायें इस बजट में बताई गयी है जैसे उन्होंने अभी बताया भी, कि अगर हमने आवास का बैलेंस बनाने का प्रयास किया अगर ग्रामीण इलाके में तीन हजार

करोड़ का आवंटन किया गया है तो शहरी इलाके में भी साढ़े 4 हजार करोड़ का आवंटन किया गया है। हमने चार हजार करोड़ का बजट आवंटन इसलिए किया है ताकि जो गड्ढामुक्त सड़के हैं उनके गड्ढे भरे जा सकें, वहीं पर तीन हजार करोड़ का बजट इसलिए आवंटित किया है ताकि जिलों की सीमाओं को जोड़ा जा सके और ठीक किया जा सके। मैं ज्यादा समय न लेते हुए केवल यही कहूँ गा कि जो 100 दिन का कार्यकाल मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का रहा है उसमें हम एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स ले करके आये हैं जिसने 6 हजार एकड़ भूमि को अधिगृहीत किया, एण्टी रोमियो स्क्वायड हमने बनाया है, आलू और गन्ने की फसल का भुगतान किया है, आलू का समर्थन मूल्य ले करके आये हैं। मैं समझता हूँकि भविष्य बहुत उज्ज्वल है, मैं इस बजट को गोल्डन बजट की संज्ञा देना चाहता हूँमैं इस बजट को स्वर्णिम बजट मानना चाहता हूँ। इन्हीं बातों के साथ बहुत–बहुत धन्यवाद्।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'–

मान्यवर, कांग्रेस की ओर से बुलवा दीजिए।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का मौका दिया, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष ने इस बजट पर विचार रखे हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मा0 अधिष्ठाता जी, मैं 2017–18 के बजट के बारे में बताना चाहता हूँकि जो इन्होंने बजट पेश किया है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो विभाग है उसका बजट जो 2016–17 में बजट था उससे बहुत कम इस बजट में देने का काम किया है। मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी की सरकार थी तो हर विभाग मे अच्छा बजट दे करके विकास करने का काम किया गया था और उत्तर प्रदेश को आदर्श प्रदेश बनाने का काम किया गया था। मान्यवर, 2016–17 में जो सड़कें पास हुई थीं उसके सम्बन्ध में आज भी पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग द्वारा डिमांड मांगी गई थी जिस पैसे को नहीं दिया गया है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँकि विद्युत विभाग में कटौती हो रही है, आज पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली जिस तरह से किसानों को मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही है। आज ट्रांसफारमर जब जल जाता है तो वह ट्रांसफारमर कई महीनों के बाद बदला जाता है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहें, जैसे करंट आ गया हो, इतनी तेज हल्ला कर रहे हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

आप अपनी बात कहियेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, यह भी है कि अभी हाल में हमारे आजमगढ़ में एक चक्रवाती तूफान आया था जिससे आजमगढ़ के अनेक ब्लॉक चाहे, सठियांव रहा हो, चाहे रानी की सराय रहा हो, चाहे पल्हनी, तहबरपुर, आपके दीदारगंज साइड में, जहॉ से आप निर्वाचित हुए हैं वहां से ले करके पूरा खम्भा–तार

धराशायी हो गया है। करीब एक महीना होने जा रहा है लेकिन आज तक खम्भे और तार को नहीं ठीक किया गया है, जिससे किसान परेशान है। मैं कहना चाहता हूँकि आपके आजमगढ़ में तूफान 26/27 मई को आया था परन्तु आज तक खम्भे और तार उसी तरह से गिरे हुए हालत में हैं। मा0 अधिष्ठाता महोदय, बेरोजगारी दूर करने के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया है। हमारी सरकार ने लाखों लोगों को रोजीरोटी के लिए नौकरियॉ देने का काम किया है। मान्यवर, मैं यह भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँकि किसानों की सिंचाई के लिए नहरों में मुफ्त पानी देने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था आज हालात यह है कि टेल तक पानी नहीं पहुॅच पा रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण बजट हैं उसमें इन्होंने कटौती करने का काम किया है। किसानों का कर्जा माफ करने की बात आपने कही, यह अच्छी बात है लेकिन पूरे किसानों का कर्जा माफ होना चाहिए परन्तु मानक बनाकर किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। कानून–व्यवस्था की बात बराबर हो रही है, अभी कार्य–स्थगन के समय मैंने मा0 अध्यक्ष जी से अनुरोध किया था कि मेरे क्षेत्र में एक गम्भीर घटना हुई और वहाँ के एक प्रधान को गोली मार दी गयी लेकिन उस विषय को उठाने का मौका ही नहीं दिया गया। आज वह प्रधान गम्भीर हालत में वाराणसी के एक अस्पताल में भर्ती है और इसके जो अपराधी हैं वह अभी तक पकड़े नहीं गये हैं। कानून–व्यवस्था पर रोज चर्चा हो रही है, आज भी चर्चा हुई है, अलीगढ़ से लेकर मथुरा में जो डकैती हुई उसका पर्दाफाश नहीं हुआ है लेकिन पुलिस ने गुमराह करके बताने का काम किया है।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर शोर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय दुर्गा प्रसाद यादव जी ये सारे विषय आ चुके हैं, कोई नई बात रखिये।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

सुन लीजिए। प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपये की डकैती पड़ी मगर आज तक उसका पर्दाफाश नहीं हुआ। अनेक जगहों पर डकैती की घटनायें हुई हैं, हमारे आजमगढ़ में डकैती पड़ी है उसका भी पर्दाफाश नहीं हुआ। इस तरह से उत्तर प्रदेश में अनेक हत्यायें हुई हैं, डकैतियॉ पड़ी हैं, मगर आज तक उसका कोई पर्दाफाश नहीं हुआ है। हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने डॉयल 100 की व्यवस्था करके एक अच्छा संदेश देने का काम किया था। जहॉ पर पुलिस नहीं पहुॅचती थी, 100 नं0 डॉयल करने से वहाँ पुलिस पहुॅचने का काम करती है। उसमें भी आप लोगों ने बजट में कटौती करने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें, ये सारे विषय आ गये हैं।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आजमगढ़ जिले में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है परन्तु वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है। आउटडोर से लेकर भारी संख्या में वहाँ मरीज भर्ती होते हैं, वहाँ एम.बी.बी.एस. के जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई भी होती है लेकिन आज भी डॉक्टरों की वहाँ कमी है। मैं कहना चाहता हूँ कि उस कमी को दूर किया जाए।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें। श्री विनय शंकर तिवारी जी आप अपनी बात रखें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, वहाँ पर एम.आर.आई. मशीन की अत्यन्त आवश्यकता है, वहाँ पर एम.आर.आई. मशीन की व्यवस्था करायी जाए। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आप जानते हैं कि मेडिकल कॉलेज बनने से ग्रामीण एरिया को बहुत लाभ मिलेगा। मा0 अधिष्ठाता महोदय, अभी तक खनन की कोई नीति नहीं बनायी गयी जिसके कारण हमारे प्रजापति समाज के लोग परेशान हैं। मैंने पिछली बार भी इसको उठाया था आज वह कुल्लहड़ बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए अगर वह मिट्टी निकालना चाहें तो पुलिस उनको पकड़कर बंद करने का काम करती है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि जो यह बजट लेकरके आये हैं यह दिशाहीन है और इससे प्रदेश की जनता की कोई भलाई नहीं हो सकती है। मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ और माननीय नेता विरोधी दल ने जो बजट पर अपनी बातें रखी हैं उसका समर्थन करता हूँ। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री विनय शंकर तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर अपनी बात रखने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। सर्वप्रथम हम अपने दल बहुजन समाज पार्टी के नेता मा0 लालजी वर्मा, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राम गोविन्द चौधरी के बजट भाषण से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात कहना चाहूँगा। मा0 अधिष्ठाता जी चुनाव के समय जिस तरह से अच्छे सपने दिखाकर यह सरकार आयी, एक अच्छी उम्मीद लेकर यह सरकार आयी लेकिन जब इसका बजट देखा गया तो निश्चित रूप से इससे निराशा पैदा हुई। मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि–

तुम्हारी फाइलों में गॉव का मौसम गुलाबी है,
मगर ये ऑकड़े झूठे, यह दावा किताबी है।
उधर जम्हूंरियत का ढ़ोल पीट रहे हैं,
इधर पर्दे के पीछे बर्बरियत है, नवाबी है।

माननीय अधिष्ठाता जी, किसी प्रदेश और देश के विकास के लिए शांति–व्यवस्था एक महत्वपूर्ण पहलू है लेकिन अगर आप ध्यान दें तो आज

शांति–व्यवस्था का आलम अच्छा नहीं है। हम लोगों ने कानून–व्यवस्था पर चर्चा की, रायबरेली का नरसंहार हुआ है, रायबरेली काण्ड की वजह से लोग मर्माहत हैं।

(सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी करने पर शोर) बजट पर बोल रहे हैं। अभी आप ही लोग कह रहे थे कि हमारी बातें नहीं सुनी जाती हैं। हमको अपनी बात कह लेने दो, आप लोग अपनी बात भी नहीं कह पायेंगे।

अध्यक्ष जी, सरकार ने किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये तो माफ किया है यह ठीक है लेकिन किसानों की आर्थिक निर्भरता के लिये कहीं कोई बात नहीं की गई है। गोरखपुर में पिपराइच और मुन्डेरवा चीनी मिल को चलाने की बात कही गई है लेकिन गोरखपुर जिले की बंद पड़ी चीनी मिल धुरियापार को चलाने की कहीं कोई चर्चा नहीं की गई है। जब सरकार आई थी तो इस बात के वायदे किये गये थे कि सबका साथ सबका विकास किया जायेगा। जो धूरियापार चीनी मिल है इससे लोगों को तमाम तरह की आशाएं थीं। नौजवानों को आशाएं थीं, किसानों को आशा थी कि धूरियापार की बंद चीनी मिल जब चलेगी तो उनको रोजगार मिलेगा वह क्षेत्र विकास की तरफ जायेगा। लेकिन धूरियापार की चीनी मिल के बंद होने से या उस पर कोई चर्चा न होने से नौजवानों और किसानों में निश्चित रूप से निराशा पैदा हुई है। माननीय अध्यक्ष जी, जहॉ से हम आते हैं, पूर्वांचल का क्षेत्र हैं, पूर्वांचल का आजादी की लड़ाई में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान है। यहॉ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी एक उपस्थिति दर्ज की थी और वहाँ उनसे परेशान होकर अॅग्रेजों ने उनके खिलाफ 1901 में एक्ट पासकर जो जगह–जगह पर लोगों को भेजने का काम किया था। यहाँ से टुबैक्को, ट्रिनिनाद, द0 अफ्रीका, मॉरीशस, फिजी तमाम जगह लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश से गये हैं और वहीं से मुख्यमंत्री भी आते हैं। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री हुए थे तो लोगों को यह उम्मीद थी कि गोरखपुर का विकास तेज गति से होगा लेकिन बजट में कहीं भी गोरखपुर के विकास की कहीं कोई खास बात नहीं हुई है। आज भी गोरखपुर का बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज अपनी जगह पर पड़ा हुआ है। आज भी वहाँ पर कोई कार्डियक फैकल्टी नहीं है। आज अगर किसी को बीमारी हो जाती है तो उसे लखनऊ आना पड़ेगा, दिल्ली जाना पड़ेगा। वहाँ ढेर सारी फैक्लटियॉ आदरणीय मंत्री जी नहीं हैं। तमाम ऐसी फैक्लटियॉ जैसे कार्डियक एक फैकल्टी है, गोरखपुर मेडिकल कालेज में कार्डियक की कोई फैक्ल्टी नहीं है जो कि इमरजेन्सी की चीज है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, हार्ट अटैक होता है तो तात्कालिक उसको मदद की जरूरत होती है। मेडिकल कालेज होते हुए भी भी आज गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में कार्डियक की सुविधा नहीं मिल पा रही है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिनकी वहाँ सुविधा नहीं मिल पा रही है। आज लोगों को उम्मीद थी, गोरखपुर का नौजवान, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद थी कि उनको एक अलग से कुछ न कुछ सुविधा मिलने का काम होगा। आज वह सुविधाओं से महरूम हैं। आज जो बाढ़ का क्षेत्र है, आज वहॉ लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ की वजह से वहाँ लोगों का जीना हराम हो

गया है। आज कानून व्यवस्था, जिस पर अभी तमाम बातें हो रही हैं। गोरखपुर में अगर आप देखें तो आये दिन फिरौती की बात हो रही है। कभी अपहरण की बात हो जा रही है। जेल से लोगों को धमकियॉ मिल रही हैं तो कानून व्यवस्था अपने आप में वहाँ अच्छी नहीं है। देखने को देखा जाय तो जो परिव्यय है अगर पिछला परिव्यय देखा जाय तो विकास योजना में जो पूँजीगत परिव्यय है 2016–2017 में 64,722.72 करोड़ था। 2016–2017 में पूँजीगत परिव्यय 71,877 करोड़ रुपये था इसी तरह से जो वर्तमान में है वह 53,257 करोड़ रूपया है जो निश्चित रूप में पूँजीगत परिव्यय में कमी आई है जिससे विकास कहीं न कहीं प्रभावित होगा। इसी तरह से जब आप विद्युत की बात करते हैं।

विद्युत की बात में आज सब लोग कहते हैं कि बिजली की समस्या है। लेकिन जो बिजली का रख रखाव है उसमें सरकार ने केवल 100 करोड़ रुपये का धन आवंटन किया है। आप यह स्वंय सोच सकते हैं कि 100 करोड़ रूपये से विद्युत के जर्जर पोलों का, विद्युत के जर्जर तारों का किस तरह से रख–रखाव होगा। आज वह अपने आप में एक समस्या का कारण है और जो लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सब ठीक है तो जब आप अपने क्षेत्र में जायेंगें तो निश्चित रूप से तो आपको अपनी जनता, आपके लोग और आप निश्चित रूप से जब कहीं और गुहार लगाने का काम करेंगें तो आपके गुहार लगाने का काम हम आदरणीय अध्यक्ष जी से कर रहे हैं, आदरणीय मंत्री जी से कर रहे हैं कि कम से कम जो बिजली का क्षेत्र है उसमें धन बढ़ा दिया जाय। इसी तरह से लोक निर्माण का है। पिछली बजट से इसमें लगभग 5 हजार करोड़ रूपये का बजट कम आया है। इसलिये यह जो पूरा बजट है निश्चित रूप से इससे कोई बहुत आशा नहीं की जा सकती। इसी तरह से जो सबका साथ सबका विकास की बात कही गई है। पिछले बजट में अल्पसंख्यक कल्याण में लगभग 500 करोड़ रुपये की कमी कर दी गई तो अल्पसंख्यक लोगों के जो मामले हैं उसमें भी विकास कहीं न कहीं प्रभावित होगा। इस तरह से इस बजट में निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों का साथ नहीं दिया गया। सबका साथ सबका विकास के नारे को चरितार्थ नहीं किया गया। इसके साथ ही आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया एक लाइन कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं।

घर में ठंडे चूल्हे पर अगर खाली पतीली है,
बताओ कैसे कह दूं धूप फागुन की नशीली है,
बगावत के कमल खिलते हैं दिल की सूखी दरिया में,
मैं जब भी देखता हूं आंख बच्चों की पनीली है।

डा0 आर0 के0 वर्मा–

माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक की साधारण चर्चा में आपने मुझे भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको बहुत–बहुत धन्यवाद् देता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपने आप को माननीय नेता सदन योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय वित्त मंत्री जी से, और माननीय सत्तापक्ष के सभी

नेताओं से अपने आपको सम्बद्ध करते हुए यह कहना चाहता हूँकि 2017 के आम विधान सभा चुनाव के वक्त उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने जिस आशा और विश्वास के साथ भारी जनमत देकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, अपना दल (एस) की सरकार बनाने का काम किया था निश्चित रूप से उसी आम आवाम के भरोसे को मजबूत करने के लिए यह कहना चाहता हूँ यह बजट गॉव गरीबों का बजट है,नौजवनों और बेरोजगारों का बजट है, किसान मजदूरों को समर्पित बजट है, भयमुक्त भ्रष्टाचार के साधनों से मुक्त बजट है, और यह एक लोक कल्याणकारी बजट है, जो उत्तर प्रदेश के आर्थिक लोकतंत्र के इतिहास में एक गौरवशाली इतिहास रचने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम सेैं विरोधी दल के उन माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं जिन्होंने बजट पर ऑकड़ेबाजी करके नुक्ताचीनी करने का प्रयास किया, जिन्होंने स0पा0, ब0स0पा0, कांग्रेस की सच्चाई से रहित खोखली और लुभावनी योजनाओं को महिमामंडित करने का प्रयास किया मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ आज उनको याद आया उत्तर प्रदेश का किसान,आज उनको याद आया उत्तर प्रदेश का नौजवान, आज उनको याद आया उत्तर प्रदेश का बेरोजगार मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या वजह है उत्तर प्रदेश के आम आवाम ने आपको नकारने का काम किया आपसे मैं कहना चाहता हूँ आप विरोध की भाषा में उत्तर प्रदेश के सदन के वक्त को जाया करने का काम न करिए आप इन लाइनों पर अमल करने का काम करिए–अब पछताये होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत।

(मेजें थपथपाई गईं)

और–का बरसा जब कृषि सुखाने।। अगर आप लोग ने इन लाइनों को याद किया होता, इन लाइनों को पढ़ा होता तो शायद आपको यह दिन देखने ना पड़ते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जब इनकी सरकार भी तो भय युक्त भ्रष्टाचार युक्त राज्य था माफिया राज्य था गुण्डा राज्य था और गुण्डाराज की पराकाष्ठा को कायम करने का काम इन लोगों ने अपनी सत्ता के वक्त किया था।सम्मानित साथियों आज यह लोग नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों की बात करते हैं,आप ही लोगों ने उत्तर प्रदेश को किसानों को कर्ज माफी के नाम पर पूरे पॉच साल तक ठगने का काम किया था। आप ही लोगों ने नौजवानों को रोजगार देने के नाम पर पूरे पॉच साल तक ठगने का काम किया था, आप ही लोगों ने नौकरी के नाम पर लोगों को ठगने का काम किया था, आप ही लोगों ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर पूरे पॉच साल ठगने का काम किया है। छात्रों को लैपटॉप देने के नाम पर छात्रों को पांच साल ठगने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद् देना चाहूँगा माननीय योगी जी की सरकार को जिन्होंने अपनी पहली बैठक में ही एक लाख तक के लघु एवं सीमान्त किसानों के फसली ऋण को माफ करने का एलान किया। निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने अपने वायदों को पूरा करने का काम किया होता तो आप यहां पर इस तरीके से सिकुडकर बैठने का काम नहीं कर रहे होते। माननीय

अध्यक्ष जी, सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों ने जो पाप और भ्रष्टाचार करके उत्तर की सभी सड़कों को गड्ढा युक्त करने का काम किया था, आज मैं धन्यवाद् देना चाहता हूँ माननीय योगी जी को माननीय उप मुख्य मंत्री जी को..

श्री अधिष्ठाता–

समाप्त करें।

डा0 आर0के0 वर्मा–

जिनके प्रयास से इतने अल्प समय में उत्तर प्रदेश की 8600 कि0मी0 सड़कों को गड्ढामुक्त करने का कार्य किया गया है। माननीय योगी जी को धन्यवाद् देना चाहूँगा जिन्होंने गरीबों के चेहरे पर खुशहाली लाने का काम किया है माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले गरीब की बेटी धन के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित रह जाती थी तो जहां एक ओर वह मानसिक कुंठा शिकार होती थी वहीं दूसरी ओर उसका भविष्य भी अन्धकारमय होता था और मॉ–बाप की नींद हराम हो जाती थी मैं धन्यवाद् देना चाहता हूँ ऐसी गरीब बेटियों को स्नातक तक शिक्षा दिलाने का एलान करके माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश की धरती पर एक इतिहास लिखने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपको बताना चाहता हूँ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। सपा बसपा कांग्रेस ने गरीबों को मिटाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चलने वाली सरकार गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है गरीबी को मिटाने का काम कर रही है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

डा0 आर0के0वर्मा–

अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को अवगत कराना चाहता हूँ एक गरीब का बेटा बेटी जब दिसम्बर के महीने में बिना जूता–मोजा स्वेटर के नंगे पांव प्राथमिक विद्यालयों में जाता था तो गरीब मां बाप भी अपनी गरीबी को कोसने का काम करते थे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी सरकार को जिन्होंने एक करोड़ बासठ लाख बच्चों को मुफ्त में जूते–मोजे और स्वेटर देकर गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता–

अब समाप्त करें।

डा0 आर0के0वर्मा–

अध्यक्ष जी मैं बहुत कम शब्दों में मैं अपनी बात को रखकर खत्म करूँगा । हमारी सरकार ने जो सबका साथ सबके विकास का संकल्प लेने का काम किया था आज उसको पूरा करने का काम किया है हमारी सरकार ने नहरों की टेल तक पानी पहुॅचाने का काम किया है। हर खेत को पानी पहुॅचाने का काम किया है। गांव में 18 घंटे तहसील में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करके 24 घंटे में जले हुए

ट्रांसफार्मर को बदलने का काम किया है और उत्तर प्रदेश को उन्नति के शिखर पर पहुॅचाने का काम किया है। अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट गांव गरीब किसान और मजदूरों को समर्पित बजट है, राजकोषिय घाटा कम करने वाला बजट है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सिद्धार्थनाथ सिंह को आवश्यक बैठक में जाना है इसलिए उनको पहले बुला रहा हूँ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री सिद्धार्थनाथ सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी बहुत–बहुत धन्यवाद आपने बजट चर्चा में मुझे बोलने का समय दिया है।बजट की जब चर्चा शुरू हुई थी तो माननीय नेता विपक्ष जो कि अभी हैं नहीं उन्होंने कहा था कि यह बजट दिशाहीन है किसान विरोधी है छात्र विरोधी है महिला और मजदूर विरोधी है अध्यक्ष जी समस्या यह है कि माननीय विपक्ष के नेता एक टी 20 का मैच खेलना चाहते हैं लेकिन जब सरकारें चलती हैं तो वह पॉच दिवसीय मैच का होता है जब 5 दिवसीय मैच होता है तो हर साल एक दिन के समान क्रिकेट की तुलना में मैं कहूँगा इसलिए जब पॉचवां साल आता है तो निर्णायक नतीजे लिए जाते हैं वह जनता के माध्यम से लिए जाते हैं। इसलिए जनता के लिए जिसके मन में प्यार नहीं होता जनतंत्र में वह कुर्सी का हकदार नहीं होता, यह शब्द मेरे नहीं हैं यह शब्द आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के थे जब 2016–17 में उन्होंने यह बजट पेश किया था और यह कितना सत्य हो सकता है शायद उनको यह आभास हो गया था क्योंकि उनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर था मगर मैं आग्रह करूॅगा कि टी–20 की तरह बजट का विश्लेषण न किया जाए और उसे एक पॉच दिवसीय क्रिकेट की तरह विश्लेषण करें तो हम सब लोग जो यहाँ पर सदन में बैठे हुए हैं वह अपने अपने जनप्रतिनिधि के रूप में जनता का भला भी कर पाएंगे क्योंकि अध्यक्ष जी यह बजट जो होता है यह बजट विपक्ष या सत्तापक्ष का नहीं होता है यह जो टैक्स कलेक्ट होता है जिससे यह बजट धनराशि बनती है वह 22 करोड़ जनता का होता है। वह 22 करोड़ जनता जो होती है वह इस सदन में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनके ऊपर भरोसा करती है भरोसा करके यह कहती है कि आप जाओ और हमारे लिए ऐसा निर्णय करो जो हमारे हितों की रक्षा करेगा मगर कुछ चर्चा में मैं देख रहा हूँ मेरा भी पहला अनुभव है मैं जो देख रहा हूँ उसमें शायद कितना ज्यादा था या कितना कम पिछले साल की तुलना में ही हम लोग रह जा रहे हैं मुझे लगता है कि इस सदन में जो सामने बैठे हैं और जो मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं उनको कुछ और चीजों पर भी चिन्ता करनी चाहिए और मेरे सहयोगी वित्त मंत्री जी भी बैठे हैं, सौभाग्य से इन चीजों पर इनके साथ चर्चा करने का मुझे भी अनुभव मिला और जब हम लोगों ने बजट की तैयारी शुरू की थी तो उसके अन्दर यह नहीं देखा कि क्या कमियॉ थीं या आपने क्या नहीं किया। हम लोगों ने देखा कि अभी तक आपने क्या किया है और उसके अन्दर जब हम लोगों ने आंकड़े देखे जो

मेरे नहीं, आपके नहीं, वह केन्द्र की तरफ से नीति आयोग के माध्यम से एक व्यवस्था है, जब आपकी सरकार थी तो आपको भी दिये गये थे, वह चिन्ता का विषय बनता है। उसके आधार पर बजट क्या कहता है इस पर हम लोगों को विश्लेषण करना चाहिये। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके समक्ष और इस सदन के समक्ष कुछ आंकड़े रखना चाहूँ गा और उसके बाद हम सभी लोग इस पर चिन्ता करेंगे तो शायद अच्छा होगा। यह आंकड़े नीति आयोग के माध्यम से आए हैं। शिक्षा के ऊपर भी बड़ी चर्चा होती रहती है। इसके अन्तर्गत जो कक्षा–5 के बच्चे हैं वह कितना गुणा–भाग कर सकते हैं। मैं प्रतिशत के हिसाब से बता रहा हूँ। आपको आश्चर्य होगा कि नागालैण्ड में 80.4 प्रतिशत, मिजोरम में 87.4 परसेंट, हरियाणा में 74.8 प्रतिशत और हमारे उत्तर प्रदेश के अन्दर 46.7 परसेंट है। चिन्ता इस चीज की होनी चाहिये कि यह क्यों हुआ। किसने किया, क्यों किया इसकी चिंता नहीं होनी चाहिये। प्राथमिक स्तर पर जो ड्रॉप आउट रेट होता है उसमें जब नीचे से भारत के 100 जिले हम देखते हैं तो उसमें से 21 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। जब अध्यापक और छात्र का अनुपात जिसको रेशियो कहते हैं, उसके अन्तर्गत नीचे से भारत के जो 100 जिले होते हैं उसमें से 32 जिले उत्तर प्रदेश के आते हैं। जो प्रति 100 हजार बच्चों के ऊपर शिशु मृत्यु दर होती है, उसमें भारत का औसतन आंकड़ा पचास प्रतिशत है पचास बच्चों का और उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 78 है।

मा0 अध्यक्ष जी, मातृ मृत्यु दर जो एक लाख के ऊपर होता है उसमें भारत का आंकड़ा 178 है और उत्तर प्रदेश का 285 है। डब्ल्यू0एच0ओ0 यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि एक हजार से ऊपर एक बेड होना चाहिये, एक डाक्टर होना चाहिये, मगर उत्तर प्रदेश के अन्दर एक नहीं है, यह आंकड़ा .68 है। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण चित्र बन जाता है। इसी तरह मैं और आंकड़े प्रस्तुत करूँ उसके पहले मेरा एक आग्रह है कि चिन्ता इस विषय पर होनी चाहिये। यह सदन अभी तक बहुत सकारात्मक ढंग से संचालित हुआ है और सभी ने शेर–ओ–शायरी भी की है, लेकिन क्या इन चीजों पर चर्चा होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये, इस पर हमनें शायद रोशनी नहीं डाली। जनता का जो पैसा है हम लोगों को बजट उसके आधार पर आगे ले जाना चाहिये । हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही बाढ़ के विषय में बात की, सिंचाई के विषय में बात की है। यह चौंकाने वाला है कि उत्तर प्रदेश के अन्दर हम लोगों के पास लघु सिंचाई की जो क्षमता है या जहॉ तक हम पहुँच सकते हैं वह 107.89 हेक्टेअर है। मा0 नेता, बहुजन समाज पार्टी बैठे हुये हैं। हमें चिंता होनी चाहिये कि हम लोग .38 लाख हेक्टेअर तक ही क्यों पहुँचे हैं। वह पैसा कहॉ गया ? हम लोग आरोप–प्रत्यारोप में तो समय निकाल लेंगे और मैं यह जो आंकड़े दे रहा हूँ वह एन0एस0एस0ओ0 के आधार पर आए हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि ''कहो तो चल दें तुम्हारी राह पर, लेकिन गरीबी न होगी ऐसे कम, उसे मिटाने के लिए हम लोगों को अपनाना ही होगा योगी मंत्र।'' माननीय अध्यक्ष जी, कहीं न कहीं माननीय नेता विपक्ष ने इस बजट को एक छोटा बजट दिखाने का प्रयास किया है और जब उन्होंने अपना भाषण दिया था बजट पर तो उन्होंने कहा कि यह जो किसानों की ऋण माफी का छत्तीस हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और

जो सातवें वेतन आयोग के तहत तीस–पैंतीस हजार करोड़ रुपये का जो हमने प्राविधान किया है। अब नेता विपक्ष आ गये हैं तो मेरा यह सौभाग्य भी है क्योंकि उन्हीं के रिफ्रेन्स में मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने दिखाया कि छत्तीस हजार करोड़ और जो पैतीस हजार करोड़ का जो प्राविधान है उसको अगर हम घटा दें तो हमारा कुल बजट बहुत कम रह जायेगा। अब बजट जो होता है वह एक होता है कि क्या रेवेन्यू स्कीम आयेगी और दूसरी तरफ क्या एक्सपेन्डीचर जायेगा। यह पहली दफे मैंने देखा कि आप कहते हैं कि बजट के अंदर जो व्यय होता है वह हटाकर बाहर कर दो तो बजट कितना छोटा हो जाता है। साथ ही साथ यह कहा गया कि आप मुद्रा स्फीति को इसमें जोड़ लो उसकी गणना कर लो और उसके आधार पर आप पीछे की तरफ चले जाओ उसको भी आप इस आधार पर छोटा कर लें। जितने भी अर्थशास्त्री होंगे उन्हें और हमें आपसे शायद नया सीखने को मिल रहा है और कहीं न यही अर्थशास्त्र मैं माननीय नेता विपक्ष के सामने रख दूँ तो फिर मुझे पीछे की भी तुलना करनी पड़ जायेगी। वित्तीय वर्ष 2016–2017 के अंतर्गत जो बजट पेश हुआ था तीस लाख चालीस हजार दो सौ पचपन करोड़ का और उस समय की मुद्रा स्फीति से अगर हम तुलना कर लें। पहले तो मैं यह बता दूँ कि मुद्रा स्फीति कन्ज्यूमर प्राइज इन्डेक्स पर नहीं लगाते हैं, इसे होल सेल प्राइज इन्डेक्स पर लगाते हैं शायद आपसे वह मिस कर गया होगा। तो वह 8.7 प्रतिशत थी और उसके आधार पर आपका बजट फिर तीन लाख पॉच हजार चार सौ पच्चहतर करोड़ हो जायेगा, ना कि तीन लाख चालीस हजार दो सौ पचपन करोड़। साथ ही साथ उसकी कहीं तुलना मैं पीछे से कर लूंगा तो शायद आपका बजट दो हजार करोड़ से ज्यादा ही होगा। मगर अर्थशास्त्र में शायद यह नहीं होता है कि रेवेन्यू और खर्च आज की मुद्रा स्फीति पर हो मगर आप बजट की तुलना पीछे की मुद्रा स्फीति से कम करते हुए निकाल दें।

हम लोग आज अर्थशास्त्र के नये–नये मानक ढूढ़ रहे हैं और शायद इसका अनुभव कर रहे हैं। किसानों की बात की गई और मैं इसमें सहमत हूं कि किसानों के ऊपर चिंता होनी चाहिये। उत्तर प्रदेश की सत्तर प्रतिशत जनता कृषि आधारित है, लेकिन जो राज्य का जी0डी0पी0 है वह 23 प्रतिशत हो, उसके अंदर कन्ट्रीब्यूशन हो तो फिर चिंता बढ़नी चाहिये। जब हम लोगों ने, सरकार ने, वित्त मंत्री जी ने जब यह बजट की तैयारी की तो हमने इसको देखा कि यह कम क्यों है और इसमें क्या करना चाहिये और यह स्वाभाविक है कि जब छत्तीस हजार करोड़ रुपये का ऋण हो किसी पर तो उसको आप मेन स्ट्रीम पर नहीं ला सकते हैं। जो घुटने के बल हो उसको खड़ा करने के लिए कुछ तो सहायता करनी पड़ेगी और वह सहायता हम लोगों ने की है। मगर प्रश्न यह नहीं उठा। प्रश्न यह उठा कि आपने अपने संकल्प पत्र में यह कहा था और आपने यह क्यों किया। यह प्रश्न नहीं उठा कि उनकी यह हालत क्यों हुई कि छत्तीस हजार करोड़ रूपये का उनके ऊपर ऋण हो गया। यह प्रश्न उठना चाहिये था। यह प्रश्न उठना चाहिए और इसकी जब हमने चिंता व्यक्त करी तो हमने देखा इन लोगों के पास स्वाएज हेल्थ कार्ड नहीं है। मान्यवर, हमने देखा कि सिंचाई के ऊपर भाषण तो

होते हैं लेकिन सिंचाई के साधन कम हैं। हमने देखा कि गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर जो किसान हैं उनको बिजली जब मिलती है तो डीजल जनसेट के ऊपर वह निर्भर नहीं होते हैं। जो हमारी पॉलिसी है पॉवर फॉर आल और उसको आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। मान्यवर, इन चीजों के ऊपर हम लोगों ने ध्यान दिया है। मान्यवर, कानून व्यवस्था पर आज सुबह से चर्चा हो रही है। वेल तक आ गये। मान्यवर, मगर जब मैं कानून व्यवस्था की बात करूंगा तो यह नहीं करूंगा कि जवाहरबाग का उदाहरण देने लगूं। सीतापुर के अंदर 2016 में धनतेरस के दिन जिलाधिकारी के घर के सामने किसी व्यापारी को गोली मार दी गयी जिसका आरोपी हमारी सरकार में पकड़ा गया। इन सब चीजों को हटा देते हैं क्यों कि यह सब चीजें समय व्यर्थ करेंगी। मान्यवर, जो कहने की बात है कि कानून व्यवस्था जब चलती है तो एक इंस्टीयूशन बनता है तो उस इंस्टीयूशन का क्या हुआ ? उस इंस्टीयूशन का ध्वस्त कैसे किया गया ? मान्यवर, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मान्यवर, मैं कुछ और उदाहरण देना चाहूंगा कि उ0प्र0 के अंदर एक हजार पांच सौ छब्बीस जो थाने हैं उसके अंदर पचास प्रतिशत से ज्यादा जो नियुक्तियां हुई थीं वह एक ही जाति के आधार पर हुईं (सत्तापक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट) और मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। मान्यवर, बदांयू के अंदर बाईस पुलिस थाने थे वहां पर जो सोलह एस.ओ. बने हैं वह विशेष जाति के हैं। मान्यवर, कानपुर के अंदर वहीं दोहराया जाता है छब्बीस में से पच्चीस वहीं होते हैं। फर्रूखाबाद में चौदह से सात एक ही जाति के आधार पर होते हैं। मान्यवर, यह यहीं नहीं रुकता है। मान्यवर, जो एस.डी.एम. होते हैं उनकी भी नियुक्ति इसी आधार पर होती है कि जो 86 एस.डी.एम. हैं वर्ष 2013 में उसमें 56 नियुक्ति इसी आधार पर किया जाता है। मान्यवर, मैं इंस्टीयूशन की बात कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं आरोप–प्रत्यारोप में नहीं जाऊंगा। आरोप–प्रत्यारोप तो बहुत हो चुका। मान्यवर, हम जब इस सदन में बैठते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उस इंस्टीयूशन को बनाकर रखें। जिस दिन इंस्टीयूशन को हम ध्वस्त करते हैं, उस ढांचे को गिराते हैं तो कानून व्यवस्था या कोई भी चीज हो उसको खड़ा करने में समय लगेगा और इसलिए जो ढांचा गिरा हुआ है उसको खड़ा किया जा रहा है और उस पर काम किया जा रहा है। मान्यवर, इसीलिए बजट के अंदर जो नियुक्तियां पुलिसकर्मी की नहीं हुई हैं उसके लिए अलग से बजट देते हुए उन नियुक्तियों को भरा जायेगा पारदर्शिता के आधार पर (सत्ता पक्ष के मा0 सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)। अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मान्यवर, स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी मा0 नेता विपक्ष ने कहा है। मैं उन्हीं के शब्दों को कहना चाहता हूँ। ''गांव के मरीज क्या करेंगे, व्यवस्था तो है'', लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मा0 मंत्री जी दिखवा लीजिए कि कितने डाक्टर हैं ? आपकी बात से मैं इन्कार नहीं करूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, मैं छोटी सी बात कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ और सदन को अवगत भी कराना चाहता हूँ कि 2011 के अंदर जब आपकी सरकार थी तो उस समय दो हजार नब्बे डाक्टरों के लिए लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा गया था।

जब आपकी सपा सरकार आयी 2012 में तो 608 डाक्टर ने ज्वाइन किया। आपने प्रक्रिया आगे बढ़ाई, 2014–15 में लोक सेवा आयोग को 3280 के लगभग का अधियाचन भेजा। जब हमारी सरकार आयी और 2017 में जब मैंने यह प्रभार संभाला तो जो आपने 2014–15 में प्रक्रिया शुरू की थी सर वह प्रक्रिया जारी है। मेरी तो उसी समय घण्टी बज गयी। मगर प्रश्न यह उठता है कि मैं नेता विपक्ष से यह पूछना चाहता हूँ । आपके स्वास्थ्य मंत्री की घण्टी क्यों नहीं बजी कि जो 2011 के अंदर जो नियुक्तियॉ थीं वह 2012 में क्यों नहीं हो रही थीं और मैंने या हमारी सरकार ने निर्णय किया कि डाक्टर की रिटायरमेंट की उम्र जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से है वह पूरा नहीं हो पा रहा है। उसका लम्बा इतिहास है। क्या हम 60 से 62 कर दें तो डाक्टर और मिल सकते हैं ? हमने 60 से 62 किया हमें 500 से 1000 डाक्टर मिल गये। हमने कहा लोक सेवा आयोग के आधार पर चलेंगे, डाक्टर नहीं आ रहे हैं तो हमारी सरकार ने कैबिनेट से उसको एप्रूवल कराया और कहा कि चलिये एक हजार डाक्टर की नियुक्ति हम लोग संविदा के आधार पर ले लेंगे। दो हजार डाक्टर की व्यवस्था की और वह प्रक्रिया अब शुरू कर दी है। कुछ करने का प्रयास है। इसलिए मैंने कहा कि हमारी तो घण्टी बजी नेता विपक्ष कभी न कभी जरूर बतायेंगे कि पूर्व में आपके मंत्री की क्यों नहीं बजी। कुछ आंकड़े हैं मैं उनको अभी नहीं बोलूंगा। स्वास्थ्य विभाग के बजट में बोलने का समय मिलने वाला है उसमें बोलूंगा। क्योंकि शेर और शायरी आपने शुरू की हमारे यहाँ से मा0 वित्त मंत्री जी ने भी शुरू की। तो मैं उसी में थोड़ा सा आपके साथ जोड़ देने का प्रयास करूंगा और यह शेर विपक्ष की ओर है–''महसूस यह होता है कि दौरे तबाही है पत्थर की अदालत में शीशे की गवाही है, दुनिया में ऐसी तफशीश नही मिलती, कि कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है।'' बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अनुपमा जायसवाल जी आप संक्षेप में अपनी बात रखें।

'बेसिक शिक्षा, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्रीमती अनुपमा जायसवाल)–

माननीय अधिष्ठाता जी, वित्तीय वर्ष 2017–18 का बजट मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा इस सम्मानित सदन के समक्ष 11 जुलाई 2017 को प्रस्तुत किया गया है। यह हमारी सरकार का पहला बजट है जिसमें हमारी सरकार की कल्याणकारी अवधारणा और लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में दिये गये संकल्पों का समुचित निरूपण हुआ है। हमारी सरकार का प्रयास सबका साथ सबका विकास के साथ प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में लाने का रहेगा। इस बजट में किसानों गरीबों महिलाओं और युवाओं के सशक्तीकरण प्रदेश में न्यायपूर्ण और त्वरित कानून व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, अवस्थापना सुविधाओं का विस्तार औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने की ठोस योजनायें सम्मिलित की गयी हैं। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किये गये इस लोक कल्याणकारी बजट की भूरि–भूरि प्रशंसा करती हूँ। आज हमारे सामने माननीय नेता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

प्रतिपक्ष बैठे हैं और हम सबके बहुत ही आदरणीय हैं। वह जब बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उनकी विशिष्ट शैली और उनके भाषणों को हम सब बहुत ध्यान से सुनते हैं क्योंकि उनके एक–एक शब्द में अनुभवों का बेजोड़ खजाना शुमार होता है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री जी बहुत योग्य हैं लेकिन उन्हें अंधेरे में रखा गया। शुरू में तो हौसला बना लेकिन जब वह चार–छः पन्ना पढ़े तो विचलित होने लगे। पांच–छः पन्ना पढ़े तो बोले कि हमें कहॉ फंसा दिये। फिर बैठ गये और 8–10 पन्ना जैसे ही पलटे, फिर तो मौन हो गए, ले देकर संसदीय कार्य मंत्री जी आए उन्होंने पहले तो जोश में शुरूआत की लेकिन फिर बाद में आवाज बैठ गयी और सांस के सहारे किसी तरह अपनी आवाज पूरी की। मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहती हूँ , सचमुच सभी को अपने अनुभवों के आधार पर बात समझ में आती है। वास्तव में जब विद्वान वित्त मंत्री जी ने बजट पढ़ना शुरू किया तो 4–6 पन्ने पढ़ते ही अपने ही बनाये बजट को पढ़कर गौरवान्वित महसूस करने लगे। थोड़ा आगे और बढ़े तो बजट के एक–एक पन्ने की एक–एक लाइन महत्वपूर्ण और लोक कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा करते–करते निश्चिन्त भाव से बैठ गए और फिर जब महिला बाल कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, बिजली, पानी, सड़क, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए बजट के एक–एक प्रावधानों पर पहुॅचे तो एक उत्कृष्ट बजट को पेश करते हुए परम संतुष्टि का भाव महसूस करते हुए मौन भाव में बैठ गये। (सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) आप सब ने भी अभी बजट पर वह और आगे बढ़ते लेकिन आप सब भी बहुत प्रसन्न हुए इस लोक कल्याणकारी बजट को सुनते हुए। आपने कहा, बजट को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। लेकिन संसदीय कार्यों के परम ज्ञाता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने बजट को पूरा पढ़ते हुए बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बजट को प्रदेश की जनता के हित में प्रस्तुत किया। उन्होंने जैसे ही कहा– 'तुम अपने पास रखो अपने सूरजों का हिसाब, मुझे तो आखिरी घर तक दीया जलाना है', एक बार फिर आप सब गदगद हो गए, उनसे पहले आप सब कह उठे, वन्दे मातरम्।

आपने कहा, माननीय विद्वान मंत्री जी बैठे हैं, मैं इनकी बहुत कायल हूँ, ये बोलते हैं मैं मिस नहीं करती हूँ, छोड़कर नहीं जाती हूँ और हम क्या हमारे तमाम नौजवान साथी जो हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, सब बहुत आपके फैन हैं। आपने कहा यह बजट छलवा है, छलवा लेकिन वास्तव में महराज जी की सरकार का सब तरफ जलवा है, जलवा। (सदस्यों ने वाह–वाह कह कर मेजें थपथपाई) आपने कहा, भाजपा की कथनी और करनी में अन्तर है, लेकिन मैं कहना चाहती हूँ कि भाजपा की इसी कथनी और करनी में अन्तर ने होने के कारण केन्द्र में माननीय मोदी जी ने जो सरकार के विकास का माडल प्रस्तुत किया, उसी के कारण आज उत्तर में इतने बड़े जन समर्थन के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और भारतीय जनता पार्टी के 312 सदस्यों और सहयोगी दलों के 13 सदस्यों के साथ जनता ने एक स्पष्ट जनादेश दिया है। वास्तव में पूर्ववर्ती सरकार बड़े दावों और वादों के साथ आयी थी, पूरे होते वादे का नारा देने वाले घोषणा–पत्र के अनगिनत वायदों से मुकर गए, इसीलिए किसी ने कहा है कि जब सब

सेरो–शायरी कर रहे हैं तो मैं भी करूँ कि ''कहॉ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, गुलशन कुमार की लाइनें हैं, ''कहॉ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहॉ एक दीया भी मयस्सर नहीं पूरे शहर के लिए'', आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय लल्लू जी बैठे हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से सदन में इनके साहस और जज्बे को सलाम करती हूँ। आदरणीय लल्लू जी कह रहे थे कि बजट में जनता के हित के लिए कुछ नहीं है। मुझे कुछ हर समय दिग्भ्रमित लगते हैं (हंसी), कुछ महीने पहले भी जब चुनाव होने वाले थे तो ऐसा ही दिग्भ्रम इनकी पार्टी को हुआ था। इनकी पार्टी को लगा कि हम जो सत्ता में समाजवादी पार्टी है, उसको हरा कर हम अपनी सरकार बनाने वाले हैं, इसीलिए यू0पी0 की दीवारों पर बड़ा–बड़ा पोस्टर लगा, '27 साल यू0पी0 बेहाल' और कुछ दिनों में समझ में आ गया, आदरणीय लल्लू जी कि हम भी फटे हाल और तुम भी बेहाल। अब क्या हुआ, हाथ मिला लिया दोनों ने, यू0पी0 की दीवारों पर एक नया पोस्टर लग गया, 'यू0पी0 को यह साथ पसन्द है।' (हंसी)। आदरणीय अध्यक्ष जी, वास्तव में यू0पी0 को यह साथ बहुत पसन्द आया, जनता गदगद हो गयी। बोली बहुत अच्छा यह साथ पसन्द है, अलग–अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, दोनों को इकट्ठा निपटा देंगे। मा0 नेता बहुजन समाज पार्टी यहां उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उमाशंकर जी हैं, मैं बहुत सम्मान करती हूँ और मैं इस समय कुछ नहीं कहूँगी, मुझे पता है कि इधर बड़ी तकलीफदेह स्थिति है और फिर मैं एक महिला हूँ और महिला होने के नाते महिलाओं का दर्द अच्छे से समझती हूं। जहां तक 22 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश, देश का सबसे बड़ा प्रदेश, गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, बेतवा, केन कई नदियों के प्रीत–प्रतीत वाला प्रदेश, अयोध्या, मथुरा, काशी की उद्भव भूमि, नैमिष की भू–संस्कृति वाला प्रदेश राम यहीं के, रहमान यहीं के, लेकिन बार–बार यह बात उठाई जाती है कि भाजपा सरकार मुस्लिम ही नहीं हिन्दू विरोधी है, यह बजट के बारे में कहा गया। यह सारी दुनिया जानती है कि भाजपा जात–पात की बात नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनैतिक संगठन है और इसीलिए मैं जाति–पाति के दायरे में बांधने वालों से कहना चाहती हूं और हमारी सरकार महराज जी का कहना है–

''रोते को हंसाओ तो कोई बात हो,
गिरते को उठाओ तो कोई बात हो,
हिन्दू–मुसलमां तो बहुत बना करते हैं,
इन्सान हो तो इन्सान बन कर दिखाओ, तो कोई बात बने।''

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज इस बजट में उल्लिखित बिजली की आपूर्ति 18 घण्टे ग्रामीण क्षेत्र में, 20 घण्टे तहसील व बुन्देलखण्ड क्षेत्र में, 24 घण्टे जनपद मुख्यालयों के माध्यम से उत्तर प्रदेश रात में चांद–सितारों जैसा झिलमिलाता है। प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों के फसली ऋण की अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रूपये की बजटीय व्यवस्था, पहले सौ दिनों के अन्दर गन्ना किसानों को 22682 करोड़ रुपये के भुगतान, आलू किसानों से एक लाख मीट्रिक टन आलू खरीदने के निर्णय से

उत्तर प्रदेश का अन्नदाता किसान गांव का चौबारा, खेत और खलिहान मुस्कराता है। प्रदेश के प्रत्येक जिले में एण्टी रोमियों स्क्वायड गठित कर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान कर उत्तर प्रदेश गौरवान्वित हो रहा है। नई यूनिफार्म में नई किताबों के साथ, नए आत्म–विश्वास के साथ जब उत्तर प्रदेश का बचपन स्कूल के लिए चलता है तो देश और प्रदेश का भविष्य खिलखिलाता है। जैसा कि बजट भाषण में कहा गया, हमारी सरकार का यह लक्ष्य रहेगा कि उत्तर प्रदेश अगले पॉच वर्षों में 10 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करे।

आज के युग में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग प्रशासन तंत्र को जवाबदेही, पारदर्शी और कुशल बनाने के लिए अनिवार्य है। डिजिटल इण्डिया के लक्ष्य को साकार करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। गरीबों और जरूरतमंदों को सस्ता, सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए ''टेली लॉ सर्विस कॉमन सर्विस सेन्टर्स'' की स्थापना, राज्य के सौ चिकित्सालयों को ई–हास्पिटल योजना से आच्छादित करना, प्रदेश के विभिन्न नगरों में बिजनेस प्रासेस आऊट सोर्सिंग केन्द्रों की स्थापना और सचिवालय में ई–ऑफिस प्रणाली लागू किये जाने की बात मा0 वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में कही है। प्रदेश के इतिहास में यह एक अभूतपूर्व घटना है, जब किसी त्यागी, तपस्वी ने सत्ता संभाली है, जब कोई योगी अपने परिवार का, अपने खून के रिश्तों का परित्याग करता है तो वृहत्तर समाज बाहें फलाये उसकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। आदरणीय अध्यक्ष जी, सत्ता, सम्पत्ति और प्रतिष्ठा की भूख ये राजनीतक विकार हैं, लेकिन आज गर्व होता है यह कहते हुए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सत्ता नहीं चाहिए, परिवर्तन के लिए आज वह सरकार में खड़े हैं, उन्हें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें प्रतिष्ठा और सम्मान की भूख नहीं है, एक सम्मानित पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तमाम छोटी और बड़ी हस्तियां उनके चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए सिर झुकाया करती हैं। आज उनको देखकर, इस सेवामयी मुख्यमंत्री को देख कर गीता की ये पंक्तियां साकार हो उठती हैं–

''न त्वम्हम् काम्ये राज्यम्, न स्वर्गम्, न पुनर्भवम्,

काम्ये दुःख तप्तानाम्, प्राणीनाम् आर्तिनाशनम्।''

अर्थात् न राज्य की कामना करता हूं, न बार–बार पृथ्वी पर जन्म लेने की कामना करता हूं, न स्वर्ग की कामना करता हूं बल्कि अपनी दीन–दुःखी जनता के दुःख और दर्द को बांटने की कामना करता हूँ ।

आज एक शानदार, जानदार बजट को पेश करने के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और मेरे बहुत ही वरिष्ठ, बड़े भाई वित्त मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी की भूरि–भूरि प्रशंसा करते हुए, उसका समर्थन करते हुए अन्त में एक शेर के माध्यम से अपनी बात समाप्त करूंगी–

''घुप अंधेरा है दीप जलाओ तो सही,

काल प्रतिकूल है गीत गुंजाओ तो सही,

हमने माना खड़े हैं राह में पर्वत सारे,

वो भी झुक जायेंगे तुम साथ आवो तो सही।''

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का मौका दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय प्रतिपक्ष महोदय ने अपना जो सम्भाषण दिया है, मैं उसके पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। शाहजी शहादत और शाहजी विरासत के बाद बना यह मुल्क और उस मुल्क का सबसे बड़ा प्रदेश और उस प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत और इस पंचायत में रखा जाने वाला बजट। इस बजट में रखते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने माननीय नेता सदन जी को समर्पित करते हुए उनके नेतृत्व की जो भूमिका अदा करने का जो काम किया, वास्तव में पूरा का पूरा प्रदेश और 22 करोड़ की आबादी योगी आदित्यनाथ जी के एक सन्यासी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत तबक्को करने की बात कर रही थी। मैं तो अध्यात्म का एक छोटा सा विद्यार्थी हूं और हमने एक बात सीख मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह माना था और समझा था कि मोह, माया, क्रोध, काम और ईर्ष्या से अलग हटकर हम अपने मानव जीवन को किस तरह से मोक्ष के रास्ते पर ले जा सकते हैं। मुझे समझ नहीं आया माननीय नेता सदन किस तरह मोह माया में फंस गये। मुझे समझ नहीं आया कि ईर्ष्या की वजह से केवल प्रोनाउन के रूप में वह समाजवादी शब्द को समझ गये और पूर्व सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली समाजवादी की जितनी भी योजनायें थीं उन तमाम योजनाओं से समाजवादी शब्द को ही हटाने लगे, वे भूल गये उस इतिहास को जब शाहजी शहादत के बाद मिलने वाली शाहजी विरासत से यह मुल्क जब आजाद हुआ तो 1928 में सबसे पहले शहीदे आजम भगत सिंह ने हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का अपने संगठन का नाम रखकर समाजवाद की स्थापना का परिसंकल्प उस समय नौजवानों ने लेने का काम किया था और इतना ही नहीं बल्कि 1976 में बयालिसवें संविधान संशोधन के जरिये हिन्दुस्तान की लोक सभा ने भारत के संविधान की प्रस्तावना और प्रिएम्बल में समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल करते हुए इस बात का संकल्प लेने का काम किया था कि हम किस तरह सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए सबको सम्मान के साथ जिन्दगी जीने के साथ–साथ उन्हें उनके बुनियादी अधिकार देने का काम कर सके। माननीय अधिष्ठाता जी परन्तु इन सबके बावजूद समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी एम्बुलेन्स एवं उन तमाम योजनाओं से समाजवादी शब्द को हटाने की जो ईर्ष्या देखने की बात मिली, मैं नहीं समझता था कि कोई योगी और सन्यासी इस तरह से आगे बढ़ने की बात करेगा और फिर हमारा बजट किधर जा रहा है। हम तो वसुधैव कुटुम्बकम के मानने वाले लोग हैं और इस पूरी परम्परा के अन्तर्गत पूरी वसुधा और धरती पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उसमें संवेदनशील रिश्ते होते हैं, वे रिश्ते मानवीय रिश्ते हैं, पिता–पुत्र के रिश्ते हैं, भाई–बहन के रिश्ते हैं, पति–पत्नी के रिश्ते हैं, आप तो ग्लोबल विलेज के बनाने की तरफ चल पड़े। आपने तो इस पूरे समाज को बाजार बना दिया और जब ग्लोबल विलेज की और गांव की बात आती है तो गांव में

बाजार भी है, गांव में मुनाफा भी है, गांव में छोटा–बड़ा भी है, गांव में छल और कपट भी है और संवेदनशीलता की कमी है। आपने तो बाजार की उस तमाम सीमाओं को तोड़कर जी0एस0टी0 को लागू कर वन टैक्स और वन नेशन की केवल बात की परन्तु 130 करोड़ के भारत को और 22 करोड़ के उत्तर प्रदेश को प्रदेश नहीं बल्कि 130 करोड़ का बाजार बनाकर थाली में परोस कर लोगों के सामने मुनाफा कमाने के लिए पेश करने का काम किया। इस बजट की मूल आत्मा क्या है ? और वह मूल आत्मा किसी भी रूप में छात्र नौजवान मजदूर, किसान और व्यापारी के हित में नहीं है और जब मूल आत्मा उसके हित में नही है तो निश्चित रूप में बड़ों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से पिछले तीन साल से केन्द्र सरकार की नीतियों के आधार पर 44 प्रतिशत पूंजी केवल अमीर घरानों की बढ़ने का काम माननीय अधिष्ठाता जी हुआ है और यही कारण मौजूदा इस बजट में झलकता और परिदर्शित होता है कि हम किस तरफ जाने की बात कर रहे हैं, जल, जंगल जो प्रकृति की देन हैं जिस पर सबका बराबरी का हिस्सा है, हक, इंसाफ और इंसानियत की लड़ाई को क्या हम इसी तरह से आगे बढ़ाने का काम कर पायेंगे।

इस समाज के आखिरी पायदान पर बैठने वाला प्रदेश का आदिवासी जो इस प्रदेश के जंगल को संरक्षित रखता है, जो इस प्रदेश को जीवित रखने के लिए तमाम ऑक्सीजन हम सबको देने की बात करता है, उन आदिवासियों का जिक्र इस बजट में कहीं नहीं किया गया। मैं मांग करना चाहता हूं कि दुधवा के थारू, कैमूर के गोण्ड, खरवार, अगरिया, बुन्देलखण्ड के कोल और ललितपुर के सहरिया के उत्थान के लिए क्या योजनाएँ योगी जी के दिमाग में हैं, क्या वह इस प्रदेश का हिस्सेदार नहीं है, क्या उन्हें बुनियादी हक नहीं है? देश की आजादी 1947 के बाद 2006 में वन अधिकार कानून हिन्दुस्तान की संसद पास करने का करती है। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी कानून 2006, इस कानून के अन्तर्गत भी जो अधिकार उन्हें मिलने चाहिए थे, इन तमाम आदिवासी लोगों को नहीं मिले हैं और उस कानून को, उस ऐक्ट को बनाते हुए संसद ने इस बात का जिक्र करते हुए एक्ट की प्रस्तावना में भी कहा कि इन लोगों के साथ एक ऐतिहासिक अन्याय हुआ है। 1947 से आज तक संसद मानती हो कि इन लोगों के साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, वे समाज के आखिरी पायदान पर बैठे हों, हाण्डी के उस चावल पर जब मैं बजट पर चर्चा और निगाह डालने की कोशिश करता हूं तो मुझे आदिवासियों का जिक्र पूरे प्रदेश में एक कौड़ी भी निकालकर उनके उत्थान के लिए दिखाई देने का काम नहीं करता। 2012 में आदिवासी मंत्रालय केन्द्र सरकार से इस बात का निर्देश दिये जाने का काम होता है कि जो नान टिम्बर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूज़ है, जो उनके सामुदायिक अधिकार, उनके कलेक्शन के अधिकार ही कम से कम इन लोगों को दे दिए जाएं। जैसे बेंत, बॉस, खूंट, शहद, तेन्दू पत्ता, औषधि वनस्पति, टसर, कांद, कोकून, खूंट, बेंत, महुआ, जलौनी लकड़ी, झाड़ी, मोम, मूल, चाक, कन्द और लाख इनको ही अगर केवल उन्हें कलेक्शन करने का अधिकार दे दो। जंगल में जब आग लगती है तो वन विभाग का अधिकारी बाद में जाता है पहले जंगल में रहने वाला ही जंगल की आग को बुझाने का काम करता है तो इन चीजों पर तो उनका अधिकार था।

केवल कॉपरेटिव और सहकारिता आन्दोलन के जरिए उन्हें यह अधिकार देकर आप उतने लोगों को रोजगार देने का काम कर सकते थे परन्तु आप की नीयत साफ नहीं थी। आपने किसानों के लिए 36 हजार करोड़ रुपये माफ कर अपनी इतिश्री समझ ली और वह भी केवल फसली ऋण के लिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब चुनाव में जब नारे लग रहे थे तब तो आपने कहा था कि किसानों का पूरा का पूरा ऋण माफ करने का काम करेंगे। केन्द्र सरकार आप की है, आप तो सारा ऋण माफ कर सकते थे। मैं मांग करना चाहता हूं इस बात के लिए कि तमाम राष्ट्रीयकृत बैंकों के जरिए वह पूरा का पूरा लोन जिससे किसान पीड़ित है। उस लोन को माफ करने के लिए आपको तो केन्द्र सरकार से मांग करनी चाहिए थी। किसान का मात्र 36 हजार करोड़ रुपया माफ किया परन्तु जब मैं दूसरी तरफ का परिदृश्य देखता हूं तो रिलायंस ग्रुप के पास विभिन्न बैंकों से एक लाख इक्कीस हजार करोड़ रुपया बैड लोन है, रुइया के एस्सार ग्रुप पर एक लाख एक हजार चार सौ इकसठ करोड़ रुपये का ऋण है, गौतम अडानी के ऊपर 96 हजार 31 करोड़ रुपया लोन है, जे0पी0 के मनोज गौड़ की कम्पनी पर 75 हजार करोड़ रुपये का ऋण है। इस तरह से 10 बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के इन बिजनेस समूहों के ऊपर 5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है और कुल मिलाकर बड़े–बड़े कॉरपोरेट सेक्टर में साढ़े आठ लाख करोड़ रुपया इन राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कह दिया कि एन0पी0ए0 में डालकर कि हम इनसे वसूल नहीं सकते। किसान ने क्या बुरा करने की बात की है। केन्द्र में तो आप हैं और क्या इन तमाम चीजों के बावजूद आप इस बात का एहसास नहीं करेंगे कि एन0पी0ए0 में डालकर उन्हें किस तरह से ऑक्सीजन दी जा सके। कुछ बात के लिए आप अलग–अलग तरह की नीतियां बनाते हैं परन्तु किसान के हित में क्या काम किया जा सके, निश्चित रूप से इस बात के लिए आपकी कोई भी योजना उस रूप में नहीं है जो आपकी नीयत को प्रदर्शित करने का काम कर सके। आपकी इन तमाम नीतियों से अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी है। पैसा अमीरों की तरफ, बड़े अमीरों की तरफ ज्यादा गया है और गरीब फटे हाल होता जा रहा है। आप की पार्टी तो व्यापारियों की पार्टी है लेकिन तमाम व्यापारी ठगा हुआ महसूस कर रहा है। अभी बहुत खूबसूरती से हमारी बहन बजट पर चर्चा कर रही थीं। आपने तो लोक कल्याणकारी संकल्प पत्र के जरिए लोगों से वोट मांगने का काम किया था पर लोगों ने संकल्प पत्र पर कम नफरत पर ज्यादा वोट देने की बात की थी और इसलिए मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ कि इस बजट सत्र में जो आपने बजट पेश किया है। आज इसी बजट पर आप सर्वे करा लें और जनता के बीच में जाकर इस समय देख लो तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहां, कब और किस तरह से आप खड़े हैं ? तमाम व्यापारियों में हाहाकार है, तमाम छात्र ठगा सा महसूस कर रहा है। तमाम किसान लूटा–सा महसूस कर रहा है और नौजवानों को रोजगार का छद्म आश्वासन देने वाले लोगों ने जब रोजगार की ओर कोई नजर नहीं डाली तो वो भी अपने आपको लूटा–सा महसूस करते हुए, कब तक आपके नारे लगाने का काम करेगा ''**कांठ की हाण्डी बार–बार नहीं चढ़ती**''

माननीय अधिष्ठाता जी पहली बार मैंने देखा हिन्दुस्तान की आजादी के बाद वर्तमान चुनाव में जीत के रिजल्ट के बाद जब माननीय मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री बने जो वे तमाम बेरोजगार लोग अलग–अलग तरह के झण्डों को लेकर मेरी विधान सभा में नंगी तलवारें लेकर जुलूस निकालने का काम कर रहे थे। इन नंगी तलवारों के जरिए क्या जताना चाहते हो, किस तरह का प्रदेश बनाना चाहते हो, कौन–सा संदेश देना चाहते हो, ये कहां का अनुशासन है। यह बात निश्चित रूप से जनता आंक रही है और इस बात का पूछना भी चाहती है और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि **''अब हवायें ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में दम है, वह दिया रह जायेगा।''** माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से केवल इतनी बात कहना चाहता हूँकि व्यापारियों के हित में आपने जी0एस0टी0 से प्राप्ति के रूप में 65000 करोड़ रुपये वसूलने का दावा तो कर लिया परन्तु व्यापारियों की पीड़ा समझने की कोशिश करने का काम नहीं किया। आपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में बहुत मोटे–मोटे शब्दों में लिखा था कि स्थानीय व्यापारियों को प्रोत्साहित करने हेतु बुलन्दशहर में चीनी मिट्टी के बर्तन, मेरठ में खेल का सामान, फिरोजाबाद में कांच का उद्योग, अलीगढ़ के ताले, रामपुर के चाकू, मुरादाबाद में पीतल, संभल में मैंथा, बरेली में बेंत का फर्नीचर, कन्नौज का इत्र, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, भदोही के कालीन, बनारस में साड़ी, आगरा का जूता, कानपुर का चमड़ा, लखनऊ की चिकनकारी, मुज्जफरनगर का गुड़ इनके लिए विशेष योजनाएं बनाईं। कौन–सी विशेष योजनाएँ बनाई? माननीय अधिष्ठाता जी, जब से यह बजट रखा गया बनारस के बुनकर हड़ताल पर हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जब से यह बजट रखा गया लकड़ी की नक्काशी करने वाले तमाम दस्तकार परेशान हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, जब से बजट रखा गया कपड़े का व्यापार करने वाले हड़ताल पर हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे किस तरह से जिन्दगी जीने का काम करेंगे। माननीय अधिष्ठाता जी, जब से यह बजट रखा गया वन टैक्स वन नेशन के नाम पर तमाम गल्ला और किराना व्यापारी रो रहा है कि हमसे मण्डी शुल्क के नाम पर 2.5 प्रतिशत लेकर नाइन आर0 आर0 के नाम पर शोषण करने का काम किया जा रहा है और उसे हटाकर वॉन नेशन वॉन टैक्स के नाम पर मण्डी शुल्क को हटाने का प्राविधान क्यों नहीं किया जा रहा है ? माननीय अधिष्ठाता जी, इतना ही नहीं बल्कि इन तमाम चीजों के साथ–साथ हम किस तरह डीजल और पेट्रोल को भी उसमें शामिल करने का काम क्यों नहीं करते। हमारे तमाम सीमांत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद और उनके तमाम पेट्रोल–डीजल पम्प आउट लेट वाले बेकार पड़े रहते हैं। अगर आप एक ही टैक्स रखने की बात कर देते तो आपका राजस्व भी बढ़ता और निश्चित रूप से सेल भी बढ़ने का काम होता। अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में आपने देश के बढ़ई, मोची, दर्जी, टोकरी बुनकर, नाई, सोनार, कुम्हार, हलवाई जैसे पारम्परिक स्वरोजगार वालों को ऋण, उपकरण, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया था। परन्तु इन सब के बावजूद 1000 करोड़ की योजना दिखाकर मात्र 10 करोड़ की खिड़की खोलने की कोशिश करने का काम आपके द्वारा किया गया।

शिक्षा के क्षेत्र में आपने कहा कि मैं आप लैपटॉप देने का काम करेंगे परन्तु वह तमाम मुफ्त लैपटाप दिखते नहीं, कहीं इस तरह का कोई प्राविधान नहीं है। कक्षा–12 में 50 प्रतिशत अंक लाने वाले लड़कों को ग्रेजुएट की निशुल्क शिक्षा देने का आपने वादा किया परन्तु उस तरह की कोई भी व्यवस्था करने की आपने बात नहीं की। नीति आयोग की बात अभी हमारे सम्मानित मंत्री जी कर रहे थे और नीति आयोग ने ही इस बात के लिए कहा कि हम किस तरह से उच्च शिक्षा में किस तरह ग्रॉस इनरोलमेंट रेसियो को बढ़ाया जा सके उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय औसत 12.84 है और उ0प्र0 औसत 10.9 है उसको 15 करने के लिए देश में लगभग 1500 विश्वविद्यालय चाहिए। चिन्हित् किये गए उत्तर प्रदेश में कि 9 मण्डल चिन्हित किये गये जहां एक भी राजकीय विश्वविद्यालय नहीं है वहाँ कम–से–कम एक राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। परन्तु किसी भी एक राजकीय विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी को खोलने की नीयत आपके बजट में दिखाई नहीं पड़ती निश्चित रूप से यह दिखाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने किस तरह से अपनी कोशिश करने की बात की थी। मा0 अध्यक्ष जी, पशुपालन के लिए एन0जी0टी0 और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन तो किया परन्तु उसके पीछे की नीयत क्या थी ? माननीय अधिष्ठाता जी, मैं केवल इतनी बात कहना चाहता हूँमाननीय वित्त मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है और इसलिए कि आपने तो बहुत दावे के साथ कहा था कि हम यांत्रिक कत्लखानों पर प्रतिबंध लगाने का काम करेंगे। परंतु आपने एन0जी0टी0 के और सर्वोच्च न्यायालय के नाम पर छोटे–छोटे मीट विक्रेताओं के तो गले पर अंकुश लगाने की बात कर दी। आज भी बहुत सारे लोग फारमेलिटीज पूरी करने के बाद उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं परंतु यांत्रिक कत्लखाने के नाम पर बरेली में पी0पी0पी0 के आधार पर एक बड़े हिन्दुस्तान के एक सबसे आधुनिक कत्लखाने की परमीशन माननीय योगी जी की कैबिनेट ने देने का काम किया है। यह कौन–सा लोककल्याणकारी संकल्प पत्र है कि इसके अंतर्गत आपने यहां मार्डन स्लॉटर हाउस खोलते हुए मारिया फ्रोजन एग्रो फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड जिसके चेयरमेन हाजी शकील कुरैशी साहब हैं, 800 से 1000 जानवर रोज कटेंगे, माननीय अधिष्ठाता जी, 1000 जानवर काटने के लिए 100 से भी ज्यादा ट्रकों से जानवर बरेली पहुंचने का काम करेंगे। जो नफरत के बीज इन्होंने बोए हैं अधिष्ठाता जी, मैं जानना चाहता हूँकि क्या योगी जी की तस्वीर उन ट्रकों के आगे लगा दें। मवेशी ले जाने वाले उन तमाम लोगों को जिन्हें आपने अपने क्षेत्र में जिससे कि 4–5 करोड़ सालाना आय बढ़ाने का काम हो सके उसका लाइसेंस देने का काम किया था यह जानवर जब वहां पर जायेंगे तो क्या मोदी जी की तस्वीर ट्रक पर लगा कर जाएं, योगी जी की तस्वीर ट्रक पर लगा कर जाएं जिससे गो–रक्षा के नाम पर कहीं वह शिकार न हो जाएं और उसके आधार पर उसकी जान न चली जाए। यह जो दोहरी नीति है जो अपनी मर्जी है उसे तो कहेंगे परंतु मन के अंदर क्या छिपा है उसे बताने की बात नहीं करेंगे। मैं इसलिए आपके माध्यम से इस बात के लिए संरक्षण चाहता हूं और इस बात पर आपसे इस नीयत से बात करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर मात्र एम0एस0डी0पी0(मल्टी सेक्टोरियल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेण्ट प्लान) के अंतर्गत जो योजनाएं पूरी हो चुकी थीं जिसमें 21 इंटर कालेज और 6 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जो माननीय अखिलेश यादव

जी की सरकार के दौरान पूरे हो चुके थे उनका उद्घाटन कर अल्पसंख्यक कल्याण के नाम पर इतिश्री करने की बात आप करना चाहते हैं। निश्चित रूप से मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में तमाम लोगों ने इस बात को उठाने की बात की है। मैं नमन करना चाहता हूं, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कल्याण सिंह जी को इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी थे परंतु सबका साथ और सबका विकास का नारा केवल नारा रहे कम से कम ढकोसला करके ड्रामा तो इतना कर ही देना चाहिए। इद–उल–फितर के मौके पर लखनऊ की ईदगाह पर माननीय कल्याण सिंह जी और माननीय राजनाथ सिंह जी गए परंतु योगी जी को धर्म के बीच में इतनी दूरियां, कौन सी लगी कि वह कौन–सा आध्यात्म है, वह कौन–सा धर्म है कि एक प्रदेश का मुखिया अपने प्रदेश के करोड़ों लोगों के सम्मान में, उनकी खुशी में शामिल होने तक नहीं गए। लखनऊ ईदगाह पर भी जाने का काम न कर सके। निश्चित रूप से इस बात के लिए तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं और अपने मुखिया की तरफ देखने की बात कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता जी, न्याय के लिए सस्ता और सुलभ न्याय मिल सके। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आया हूं आज इलाहाबाद की बेंच के लिए, लखनऊ बेंच के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था करने की बात की गयी परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 9,12,382 वाद लंबित हैं। बड़े लम्बे समय से पश्चिमी समय से उत्तर प्रदेश के मेरे तमाम अधिवक्ता और साथी चिल्ला रहे हैं और पिछले 30–35 साल से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का प्रयास हो रहा है, उन्हें इस बात की उम्मीद थी माननीय उर्जा मंत्री जी वहीं से आएं हैं।

(माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शान्त रहें। माननीय संजय गर्ग जी, आप बहुत समय से बोल रहे हैं। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब बैठ जाएं।

श्री संजय गर्ग–

आपने हाईकोर्ट की बेंच की स्थापना नहीं की। माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सहारनपुर से आता हूँ मेरे क्षेत्र से मेरे प्रदेश का हाईकोर्ट 845 किमी0 दूर है जबकि पंजाब और हरियाणा का हाईकोर्ट चंडीगढ़, हिमांचल का हाईकोर्ट शिमला, उत्तरांचल का हाईकोर्ट नैनीताल, राजस्थान का हाईकोर्ट जयपुर और जम्मू के हाईकोर्ट हमारे करीब हैं। सत्ता में बैठे हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से अपने समस्त साथियों को भी कहना चाहूंगा कि उनकी पीड़ा है, कम से कम उन्हीं की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर माननीय नेता सदन अगर बजट में थोड़ा सा साथ देने का काम कर देते तो निश्चित रूप से हम समझते थे कि सस्ता और सुलभ न्याय देने की इनकी नीयत है। परंतु नीयत साफ नहीं है।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग शांत रहें। संजय गर्ग जी, अब समाप्त करें। अब आप बैठ जाइए।

श्री संजय गर्ग–

माननीय अधिष्ठाता जी, साइकिल ट्रैक को तोड़ने का निर्णय कैबिनेट ने लिया हम कड़े शब्दों में उसकी निन्दा करते हैं। साइकिल जो न केवल प्रदूषण को कम करती है, साइकिल चलाने के लिए ट्रैक बनाने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया। मैं जानना चाहता हूं कि प्रदेश के विकास के बजट में इसे तोड़ने की व्यवस्थ्ज्ञा कहां से होगी कि उन्होंने साइकिल ट्रैक तोड़ने की बात कर ली। मैं यह कहना चाहता हूं कि कम से कम साइकिल ट्रैक बनाए नहीं तो तोड़ने का काम न करें।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आप बैठ जायें।

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं विकास दर की बात की गयी । माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में विकास दर वर्ष 2016 में 7.56 प्रतिशत थी।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान बना रहा)

(व्यवधान के मध्य)

श्री अधिष्ठाता–

यह क्या हो रहा है। आप लोग बैठें। (शोर) अब आप समाप्त करें आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। (व्यवधान)

श्री संजय गर्ग–

मान्यवर, प्रदेश का हाल बेहाल है। (व्यवधान)

श्रीमती सुषमा पटेल–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं सर्वप्रथम आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, अभी दिनांक 11.07.2017 को सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया है बड़ी आशा और उम्मीद थी कि सरकार के इस बजट में उत्तर प्रदेश के किसानों, गरीबों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गो के कल्याण का दृष्टिकोण होने के साथ–साथ उत्तर प्रदेश की विकास की भी रूपरेखा देखने को मिलेगी लेकिन पूरे बजट को देखने से महसूस हुआ कि यह बजट आर्थिक आकड़ों का एक वर्ष का लेखा–जोखा तो हो सकता है लेकिन यह कल्याणकारी बजट बिलकुल नहीं हो सकता। महोदय, प्रस्तुत बजट का आकार लगभग 3 लाख 84 हजार करोड़ रुपये निर्धारित है इस बजटीय प्राविधान में कृषकों की दशा तथा दिशा सुधारने वाला कोई प्राविधान ही नहीं किया गया है। कृषि ऋण माफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का आवंटन तो किया गया है जिसका मैं स्वागत करती हूं किन्तु केवल कृषि ऋण माफी जैसी योजनाओं से किसानों का उद्धार नही हो सकता है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है लेकिन राज्य की व्यवस्था में इसका योगदान तीसरे नम्बर पर है जो कि मात्र 28 परसेन्ट है । महोदय, भारत की बड़ी राज्य व्यवस्थाओं में उत्तर प्रदेश

राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 48 हजार 520 रुपये है जो कि राष्ट्रीय औसत का आधा है और इसका कारण प्रदेश में कृषि का पिछड़ापन है क्योंकि इस प्रदेश की दो तिहाई जनसंख्या कृषि में लगी हुई है। महोदय, अच्छा होता कि सरकार बजट में कृषि विकास, कृषि आधुनिकीकरण औद्योगिक कृषि विकास के लिए कुछ अलग तरीके की नीतियां बनाती । महोदय, बजट 2017–18 में उर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित बजट में 2016–17 की तुलना में 49 प्रतिशत की कमीं की गयी है । वर्ष 2016–17 में यह बजट 34 हजार 600 करोड़ रूपये निर्धारित था जब कि 2017–18 में इसे घटाकर 17 हजार 728 करोड़ कर दिया गया। साथ ही 2018 से 24 घंटे बिजली आपूर्ति तथा 2019 तक राज्य के सभी घरों मे ंबिजली पहुंचाने की बात कही गयी है। महोदय, बजट में कटौती करके यह लक्ष्य कैसे पूरा किया जा सकता है यह बात तो असमन्जस भरी और बिल्कुल विरोधाभाषी है। वैसे भी आज की स्थिति में बहुत से गांव विद्युतीकरण से वंचित हैं। मैं अपने विधान सभा की बात करूं तो हमारी विधान सभा में बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत से ऐसे मजरे हैं और ऐसी बस्तियां हैं जो आज भी विद्युतीकरण से वंचित हैं वह आज भी अंधेरे मे ंरहते हैं।

तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2019 तक सभी घरों में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य दिवास्वप्न ही है। महोदय, यहाँमैं यह भी अवगत कराना चाहती हूँकि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी 1912 हेल्पलाइन भी पटरी से उतरती नजर आ रही है क्योंकि इस नम्बर पर अधिकांशतः फोन उठाया ही नहीं जाता। मैनें स्वयं इस नम्बर पर कई बार फोन किया लेकिन फोन उठता ही नहीं।

महोदय, प्रस्तुत बजट में सामाजिक सुरक्षा और कल्याण की योजनाओं के लिये धनराशि आवंटित नहीं की गयी है । वर्ष 2008 से राज्य सरकार द्वारा घोषित पेंशन योजना, गरीब व्यक्तियों की बेटियों के लिये शादी अनुदान इत्यादि योजनाओं पर रोक लगा दी गयी । जबकि यह योजनायें समाज में सबसे गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिये थीं । छात्राओं के लिये निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है लेकिन इसका दायरा और भी व्यापक होना चाहिये था । सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों की अपेक्षाओं को यह बजट पूरा ही नहीं करता। महोदय, उत्तर प्रदेश राज्य में बड़ी संख्या में वित्तविहीन विद्यालय हैं जिसमें लगभग 33 लाख अध्यापक अध्यापन कार्य करते हैं । पिछली सरकार ने इन शिक्षकों को अल्प मानदेय देने की व्यवस्था लागू की थी । सरकार बनने पर इन शिक्षकों को बड़ी आशा और उम्मीद थी कि सरकार उनके मानदेय को बढ़ाकर सम्मानजनक करेगी लेकिन बजट में इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया गया और पिछली सरकार के 200 करोड़ के बजट आवंटन को घटाकर एक करोड़ कर दिया गया । महोदय, अच्छा होता कि सरकार इन शिक्षकों के लिये सहानुभूतिपूर्वक विचार करती जिससे इनको भी सम्मानजनक जीवकोपार्जन का अवसर मिलता।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं अंत में बजटीय प्रावधानों के बारे में कहना चाहती हूं कि बजट 2017–18 के कुल व्यय का 80 प्रतिशत व्यय राजस्व व्यय है तथा मात्र 20 प्रतिशत पूंजीगत व्यय है। महोदय, आप स्वयं अवगत हैं कि राजस्व व्यय आर्थिक आकंड़ों

के अनुसार अनुत्पादक होता है जबकि पूंजीगत व्यय उत्पादक होता है। ऐसी स्थिति में सरकार के बजट को राजस्व व्यय से पूंजीगत व्यय की ओर परिवर्तित करने की आवश्यकता थी जिसमें सरकार सफल नहीं रही । सरकार की फिजूलखर्ची रोकने की बार–बार की घोषणाओं के बावजूद राजस्व व्यय का 80 प्रतिशत होना सरकार की कथनी और करनी में अंतर बताता है। माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूं, धन्यवाद।

श्री नरेश सैनी–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, सदन में दो–तीन दिन से लगातार बजट की चर्चा चल रही है और मैं देख रहा हूं कि जो बात सत्ता पक्ष की तरफ से आती है तो विपक्ष उसकी काट करता है और जो बात विपक्ष की तरफ से आती है तो सत्ता पक्ष उसकी काट करता है । मेरा आपसे निवेदन यह है कि जो योजनायें आज से 10 साल पहले सरकार ने लागू की थीं जो भी सरकार रही हो, वह आज भी आधी अधूरी योजनायें पड़ी हैं, उनके लिये भी बजट दिया जाये और उनको भी लागू किया जाय। साथ ही साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं उत्तर प्रदेश की बेहट विधान सभा सीट से निर्वाचित हो करके आया हूं और यह सीट तीन राज्यों से सटी हुई सीट है हरियाणा, हिमांचल प्रदेश, उत्तरांचल और साथ ही दिल्ली चारों तरफ के लोग मॉ शाकम्भरी देवी के मन्दिर में दर्शन के लिए आते हैं। यह एक सिद्धपीठ है, जब उत्तर प्रदेश का चुनाव शुरू होता है तो सबसे पहले भाजपा के नेता वहीं से अपने चुनाव की शुरुआत करते हैं और इस बार भी जब चुनाव की शुरुआत हुई तो सबसे पहले उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी वहां पर गये थे, इसके पहले गडकरी साहब जो देश के परिवहन मंत्री हैं वह वर्ष 2012 में गये थे और 2007 में राजनाथ सिंह जी वहाँ गये थे। एक दिन मैं सुन रहा था, एक सज्जन एक मेम्बर बोल रहे थे कि इस सरकार ने जहां शौचालयों के बारे में सोचा है तो देवालयों के बारे में भी सोचा है। मैं सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब देवालयों के बारे में सोचा है तो मां शाकम्भरी देवी पीठ को क्यों भूल गये हैं उनके लिए आप लोगों को बजट की व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मां शाकम्भरी देवी की पीठ पुरानी सिद्धपीठ है। मां शाकम्भरी मन्दिर से एक भूरादेव मन्दिर पड़ता है और भूरा मन्दिर से आगे लगभग एक किलोमीटर का डिफरेंश है जब शिवालिक पर बाढ़ें आती हैं पानी आता है तो उस बाढ़ से वहाँ के लोग प्रभावित होते हैं, जो दुकानदार हैं वह प्रभावित होते हैं, मैं चाहता हूं कि भूरादेव से मां शाकम्भरी देवी तक एक पुल का निर्माण कराया जाए जिससे वहां के दुकानदार और जाने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा मिल सके, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्थल को पर्यटक स्थल घोषित किया जाए। इसके साथ ही साथ एक ट्रस्ट बनाया जाए, उस ट्रस्ट के माध्यम से वहां साफ–सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए। इस बजट पुस्तिका में मैं जो देख रहा हूं कि खेलों के लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा प्रदेश युवाओं का प्रदेश है और

युवाओं के प्रदेश में कहीं खेल का नाम तक नहीं है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2007 में नाटटोवाला एक गांव पड़ता है वहां बसपा की सरकार में एक स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना की गई थी। उस स्पोर्ट्स कॉलेज में पांच साल सपा की सरकार में कुछ नहीं हुआ अब मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उस कॉलेज के लिए बजट सुनिश्चित किया जाए, इससे प्रदेश के बच्चो को खेलने का मौका मिलेगा और प्रदेश की प्रतिभाएं निकलकर आयेंगी और प्रदेश का नाम रोशन होगा, इसलिए इस योजना को आगे लागू किया जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र फलों का दाता है वह फलपट्टी के नाम से जाना जाता है, उसमें आड़ू, आम, अमरूद, लीची विभिन्न प्रकार के बागान पैदा होते हैं। यह क्षेत्र फलपट्टी के नाम से प्रसिद्ध है यहां पर बड़े–बड़े बागान हैं लेकिन वहाँ पर फल प्रोसेसिंग की फैक्ट्रियां न होने से वहां के किसानों को उसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है। वहां सरकार फल प्रोसेसिंग की फैक्ट्री स्थापित करके उद्यमियों को प्रोत्साहित करने का काम करे। मेरा क्षेत्र शिवालिक पर्वत से जुड़ा हुआ है, वहां पर बड़े–बड़े पेड़ हैं। अभी ऊर्जा मंत्री जी बैठे थे मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वहाँ पर आपके 18 घण्टे, 20 घण्टे, 24 घण्टे का प्रावधान है लेकिन जब हवा चलती है, तूफान चलता है तो उनके तार आपस में टकराते हैं बिजली सही तरीके से नहीं मिल पाती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन तारों को केबिल तार के माध्यम से लाइन से जोड़ा जाए जिससे कि वहां बिजली पूर्ण रूप से मिल पाये। साथ ही साथ जो आपका दावा है कि 24 घण्टे में ट्रांसफारमर बदले जायेंगे उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ । इसके साथ–साथ आपका जो दावा है कि 24 घण्टे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जायेंगें लेकिन उसका पालन नहीं हो पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठ जाइये, श्रीमती रजनी तिवारी जी को बुला लिया गया है।

श्रीमती रजनी तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया..

(श्री नरेश सैनी के बोलते रहने पर)

श्री अधिष्ठाता–

रजनी तिवारी जी, आप जरा रुक जाईये।

श्री नरेश सैनी–

मान्यवर, जहां तक स्थिति खनन की है मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि वहां पर सुन्दरपुर से मिर्जापुर तक का 15 कि0मी0 का रोड है उस पर यह नहीं पता चलता कि यह तालाब है या रोड है। उसकी हालत बहुत खराब है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एन.जी.टी. के द्वारा खनन पर जो रोक लगा हुआ है और सप्लाई पर भी रोक है उससे बहुत समस्या है, इसको दूर किया जाए।

जो सरकार की योजना है गड्ढ़ामुक्त करने की, वह सड़कें गड्ढ़ामुक्त बना दी जाए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

***श्रीमती रजनी तिवारी–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं। मान्यवर, विगत चुनाव में हमारे प्रदेश की जनता ने हमारी पार्टी को प्रचंड बहुमत देकर स्पष्ट जनादेश देने का काम किया। स्पष्ट जनादेश का सम्मान रखते हुए हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अत्यधिक संतुलित और सराहनीय बजट प्रस्तुत किया है जिसके लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी एवं मा0 वित्त मंत्री जी की सराहना करती हूं, उनको धन्यवाद देती हूं । मान्यवर, हमारे महानुभावों के विचारों के समावेश ने इस बजट को और भी अत्यधिक महत्वपूर्ण बना दिया। पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी के अनुसार अर्थ–व्यवस्था की न्यूनतम आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान, पीने का पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा होनी चाहिए, इसकी पूर्ति के लिए साधन होने चाहिए। मान्यवर, जब देश के हर आदमी को काम मिलेगा तो इस आधारभूत व्यवस्था का यह लक्ष्य होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी का मूलमंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' इस बजट की अन्तर्रात्मा बन गया है। मान्यवर, वर्ष 2017–18 का अनुमानित व्यय 3 लाख, 84 हजार, 659 करोड़, 71 लाख रुपये जो कि विगत वित्तीय वर्ष से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। यह बहुत हर्ष की बात है कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जनता पर अनावश्यक बोझ नहीं डाला गया, जिसमें लगभग 36 हजार करोड़ रुपये की किसानों की ऋण माफी भी सम्मिलित है। मान्यवर, मैंने अपनी राजनीति के 10 वर्षों में पहला ऐसा बजट देखा जिसमें जनता का पैसा संतुलित रूप से जनता के पास गया हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने हमारी पार्टी के लोक कल्याण संकल्प–पत्र 2017 में किये गये हर एक वायदे को अक्षरशः पूरा करने का अपना लक्ष्य बनाया है और उनका संकल्प है कि उत्तर प्रदेश अगले 05 वर्षों में 10 प्रतिशत की विकास दर को प्राप्त करे। यह बजट मान्यवर, एक संकल्प की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। विगत दिनों हमारे प्रदेश की जो स्थिति थी, कोई भी निवेशक उत्तर प्रदेश में पैसा निवेश करना नहीं चाहता था, उसको मालूम था कि लाभ तो बहुत दूर की बात है, जो हम अपना पैसा लगा रहे हैं वही वापस मिल जाये यही बहुत बड़ी बात है। इसके कई कारण थे, यहां पर कई सरकारी टैक्स के अलावा रंगदारी टैक्स, तुष्टिकरण टैक्स, सुविधा टैक्स इस तरह के कई टैक्स वसूले जाते थे। मान्यवर, इन टैक्सों के कारण, इन व्यवस्थाओं के कारण निवेशक अपना पैसा यहाँ पर क्यों लगाता ? मान्यवर, निवेशक को अच्छा माहौल चाहिए, आधारभूत ढांचा चाहिए सुविधाएं चाहिए और भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्था चाहिए। मान्यवर, यह बहुत ही हर्ष की बात है जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया सरकार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के पहले 100 दिनों में सुपर मेगा श्रेणी के अन्तर्गत सैमसंग कम्पनी के द्वारा 4,800 करोड़ रूपये और इनटेक्स द्वारा 372 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया गया। निवेशक मान्यवर, अब समझने लगा है कि प्रदेश अब सुरक्षित हाथों में है। अगर हमारी सरकार के पास कार्यक्रम है तो उसका कियान्वयन भी है। मान्यवर, पिछली सरकार का जब गठन हुआ था तो कहा गया था कि 6 महीने का हमको वक्त दे दो। विपक्ष ने 6 महीने का मान्यवर समय दिया था। समय बीत जाने के बाद में मान्यवर, क्या हुआ वह सभी के सामने है।

मान्यवर, बजट का संकलन उसकी रूपरेखा से ही तैयार हो जाता है। कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत सर्वसमाज के सबसे बड़े एवं सबसे महत्वपूर्ण वर्ग से हुई है। लघु एवं सीमान्त किसानों की ऋणमाफी साथ ही किसानों के हित में विकास की विभिन्न योजनाओं का समावेश, अवस्थापना विकास में समाज के अति निम्न वर्ग से लेकर औद्योगिक जगत की सुविधाओं के अनुरूप लाभकारी योजनाओं का समावेश है। कई योजनाएं बजट में हैं। छात्र छात्राओं के जूता, मोजा, स्वेटर से लेकर अच्छी शिक्षा प्रदान करने की योजनाओं का समावेश है मान्यवर। बजट में महिलाओं का विशेषकर उल्लेख किया गया है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, महिला सम्मान कोष्ठ के अन्तर्गत हेल्प डेस्क की स्थापना, महिला हेल्प लाइन 181, रानी लक्ष्मीबाई बालिका आत्मरक्षा कार्यक्रम, बचपन दिवस प्रत्येक माह की 5 तारीख को, लाडली दिवस, टेली लॉ सर्विस कॉमन सर्विस सेन्टर, महिला बैरकों का निर्माण। मान्यवर, ऊर्जा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे, तहसील क्षेत्र में मान्यवर 20 घंटे और शहरों में मान्यवर, जनपद स्तर पर 24 घंटे बिजली की निर्बाध व्यवस्था है। उपभोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिये टोल फ्री नम्बर 1912 मान्यवर प्रभावी कराया गया है। स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय बदलाव किया जा रहा है। आम जनता की आर्थिक समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की जैविक दवाइयों के मेडिकल स्टोर अस्पताल परिसर में ही खोलने की योजना सराहनीय है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस बजट में जहां एक ओर ग्रामीण क्षेत्र के विकास पर बल दिया गया वहीं पर दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को आधुनिकता के पथ पर त्वरित गति के साथ आगे बढ़ाने के लिये अनेकों योजनाएं और कार्यक्रम बजट में शामिल की गई हैं। मान्यवर, यह बजट हमारी पार्टी के लोक कल्याण संकल्प पत्र 2017 में जनता से किये गये प्रत्येक वायदे के अनुरूप है। सबका साथ सबका विकास के अनुकूल लोक हितकारी बजट है। मान्यवर, इसके लिये मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय अपने वित्त मंत्री जी की सराहना करने के साथ–साथ मैं आपको धन्यवाद देती हूं।

श्री कैलाश सिंह राजपूत–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा रखे बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। चूंकि यह बजट उत्तर प्रदेश के सर्व समाज जनता के हित में, गरीब, किसान मजदूर, छात्र–छात्राएं सबके हित में रखा गया है, इसलिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देता हूं। माननीय वित्त मंत्री जी को भी बधाई देता

हूँ साथ ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी विधान सभा तिरवा में राजकीय मेडिकल कालेज है जिसमें कैंसर का अस्पताल का पोर्शन बनकर तैयार हो गया और कार्डियोलॉजी का बनकर तैयार हो गया मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से चाहूंगा कि इन दोनों विभागों को चलवाने की व्यवस्था करें। यह जो आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है यह कन्नौज जिले में तीन विधान सभा हैं कन्नौज, छिबरामऊ और कन्नौज विधान सभा क्षेत्र में कट दिया गया है छिबरामऊ विधान सभा क्षेत्र में दिया गया है हमारी विधान सभा क्षेत्र तिर्वा में सौरिख में वह कट नहीं दिया गया है। जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को बहुत ही कठिनाई होती है चूँकि जब इन दोनों विधान सभा को दिया गया है तो हम भी आपके माध्यम से चाहते हैं कि हमारी विधान सभा क्षेत्र के सौरिख में आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कट प्रदान कर दें। ताकि हमारी क्षेत्र की जनता को लाभ मिले वैसे भी यह पूर्व सरकार के माननीय मुख्य मंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था जो कि कन्नौज जिले में इस तरह

(इस समय 04 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

से बनाया गया है जिसका कोई मापदंड नहीं रखा गया है। माननीय अध्यक्ष जी अभी एक्सप्रेस वे बनकर तैयार नहीं हुआ है और 100 से ज्यादा लोगों की एक्सीडेंट में जान जा चुकी है। इस पूर्व सरकार ने, जो हमारी छिबरामऊ तहसील में सौरिख का पोर्शन पड़ता है और उसमें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक्सप्रेस वे का नक्शा बताकर वहां अपने कार्यकर्ताओं की जमीन पर प्रशासन की मदद से आबादी घोषित कराकर करोड़ों रुपये उनको लाभ देने के लिए, इस तरीके से घुमाया गया है, उनको गलत पैसा दिया गया है जिसकी माननीय अध्यक्ष जी जांच कराना बहुत ही आवश्यक है। कन्नौज जिले में मैं समझता हूं शायद ही एक किलोमीटर का एक्सप्रेस वे सीधा नहीं है। अब तक के रिकार्ड में कन्नौज जनपद में अब तक 100 लोग एक्सप्रेस वे पर एक्सीडेंट से मर चुके हैं। मैं पुनः माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा बजट जो रखा गया है उनको धन्यवाद देते हुए आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ(शोर)

डा0 श्याम बिहारी लाल–

मान्यवर, 2017–2018 के बजट की आम चर्चा पर बोलने के लिए आपने जो मुझे अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, प्रदेश के माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो 11 तारीख को बजट पेश किया वह पूरी तरह से अद्वितीय..(शोर)

श्री अमिताभ बाजपेई–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया..

डा0 श्याम बिहारी लाल–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने के लिए पुकारा है मैं आपका संरक्षण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

पहले यह बोल लें तब श्याम लालजी आप बोलिएगा।

श्री अमिताभ बाजपेई–

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 के जादुई बजट के तथ्यों का वर्णन करुं इसके पहले कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं –

राजपथ पर जब कभी जयघोष होता है, आदमी फुटपाथ पर बेहोश होता है

मंत्र जपते होंठ जब जलने लगे, ऋषि जनों के आचरण में दोष होता है।।

इस वर्ष का जादुई बजट जो एक प्रकार का अर्ध–सत्य एवं जनमानस की आकांक्षाओं का उपहास है। जब सोलहवीं विधान सभा का गठन हुआ था और समाजवादी सरकर सत्ता में आई थी, उसके बजट की वृद्धि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक थी जबकि इस वर्ष 10.9 प्रतिशत अधिक करके उसका शोर मचाया जा रहा है। जिसकी निरंतरता इस प्रकार थी कि 2013–14 में 10.5 प्रतिशत वृद्धि थी। 2014–15 में 18 प्रतिशत, 2015–16 में 10.2 प्रतिशत और 2016–17 में 14 प्रतिशत थी मान्यवर, जैसा कि 2016–17 में कुल धनराशि 3 लाख 46 हजार 935 करोड़ थी जिसके सापेक्ष 2017–18 में कुल धनराशि 3 लाख 84 हजार 659 करोड़ है । यदि हम इसकी तुलना पिछले वर्ष से करें तो कुल 37 हजार 724 करोड़ रुपया अधिक है। इसमें से मान्यवर 36000 करोड़ जो किसान ऋण माफी का है उसको हटा दिया जाए तो कुल अवशेष मात्र 1724 करोड़ बचता है जो कि प्रतिशत में मात्र 0.49 प्रतिशत जो कि आधा प्रतिशत से भी कुछ कम ही है। माननीय सदन ध्यान देना चाहे मात्र 1724 करोड़ रुपये की वृद्धि करके प्रगतिशीलता की बात करी जा रही है। बड़े अचरज की बात है कि जब सम्पूर्ण विश्व में भारत के युवा राष्ट्र होने का नांद हो रहा है जिसमें इस राष्ट्र की 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। इस युवा शक्ति को राष्ट्र और प्रदेश की उन्नति का स्रोत मानते हुए समाजवादी सरकार ने विगत वर्ष के बजट को युवा वर्ग के लिए समर्पित किया था। समाजवादी सरकार ने उच्च शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण मद में 2744 करोड़ का बजट प्रस्तुत किया था। जिसके सापेक्ष वर्तमान सरकार ने इस वर्ष इस मद में महज 272 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है, जो इस प्रदेश की उच्च शिक्षा के लिए ऊंट के मुंह में जीरा की कहावत को चरितार्थ कर रही है, इसका आशय यह है कि यह पूरा वर्ष युवा पीढ़ी के लिए अमावस की रात बनने जा रहे हैं। बड़े अचरज की बात है कि समाजवादी सरकार ने गरीब, निर्बल और कम आय वर्ग विशेषकर ग्रामीण पृष्ठ भूमि के मेधावियों के लिए लैपटाप के वितरण की व्यवस्था की थी जिसको वर्तमान सरकार ने समाप्त कर दिया है। उस सरकार ने उनको स्मार्ट फोन देने की भी घोषणा की थी इस सरकार ने जो 50 करोड़ रुपए का आवंटन वाई–फाई के लिए किया है मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि गरीब नौजवान वाई0फाई0का उपयोग किसके माध्यम से करेगा। जब न उसको लैपटाप मिलने वाला है न कि उसको स्मार्ट फोन मिलने वाला है। बजट पुस्तिका के पृष्ठ 8 और पुनः पृष्ठ 46 पर वर्तमान सरकार ने भ्रामक एवं तथ्यहीन सूचना उपलब्ध

कराई है जिसमें समाजवादी सरकार को औद्योगिक शिथिलता का कारण दर्शाते हुए सैमसंग और इन्टेक्स द्वारा प्रदेश में 5172 करोड़ रुपए निवेश की बात की गई है माननीय सदन इस बात को सुने कि वित्तीय वर्ष 2016–17 में समाजवादी सरकार के प्रयासों से राज्य में 55514 करोड़ रुपए का निवेश हुआ था। अतः मैं महोदय से अनुरोध करूंगा कि बजट पुस्तिका के पृष्ठ संख्या–8 और 46 पर अपेक्षित संशोधन किया जाय एवं पिछली सरकार की औद्योगिक शिथिलता वाली बात को हटाया जाय। अध्यक्ष महोदय मेट्रो जैसी जनोपयोगी परियोजना जो समाजवादी सरकार ने प्रदेश को दी थी इस प्रगतिशील प्रयास पर वर्तमान सरकार ने सम्यक ध्यान नहीं दिया है। इस वृहद परियोजना के मद में कुल धनराशि 288 करोड़ रुपया अवमुक्त की है जो समझ से परे है कि मेट्रो परियोजना इस मामूली धनराशि से कितने सालों में पूर्ण हो पाएगी और जनमानस के लिए कब उपयोगी हो पाएगी। महोदय उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जो देश की कुल जनसंख्या 16.51 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें बड़ी जनसंख्या स्वरोजगार, कुटीर उद्योग तथा फुटकर व्यवसाय में लगे लोगों की है महोदय भारत सरकार द्वारा देश में एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा पर जी0एस0टी0 लागू किया गया एवं व्यवसायी वर्ग को यह वचन दिया गया था कि सम्पूर्ण भारत में केवल एक टैक्स रहेगा माननीय सदन अपना ध्यान आकर्षित करे कि उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क ढाई प्रतिशत रोजमर्रा की वस्तुओं पर अधिरोपित है घरेलू वस्तुएं जैसे सूखा मेवा मसाला, मखाना जीरा सुपाड़ी हल्दी, धनिया, मिर्चा, सिंघाड़ा जैसी आधारभूत वस्तुओं पर उक्त कर प्रभावी है इस सम्बंध में सरकार स्पष्ट करे कि मंडी शुल्क कब तक समाप्त किया जाएगा एवं एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा कब मूर्त रूप लेगी।

महोदय इसी प्रकार कपड़े के सम्बंध में एक महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध करानी है कि कपड़ा एक मूलभूत आवश्यकता जो कि मानव जाति की रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़ा हुआ है आज गॉधी जी का चर्खा फिर से प्रासंगिक हो गया है क्योंकि आजादी के बाद से यह पहला मौका है कि कपड़ों की बिक्री पर जी0एस0टी0 के रूप में टैक्स लगाया गया है मेरे कानपुर की बाजार एक हफ्ते से लगातार बन्द रही कपड़ा व्यापारी जिसे आज तक टैक्स से जुड़ी कागजी कार्यवाही करने का अनुभव नहीं है इस प्रणाली से भयभीत है। व्यापारियों को टैक्स देने में आपत्ति नहीं है किन्तु मेरे कानपुर नगर का व्यापारी आने वाले इंस्पेक्टर राज से भयाक्रांत है कपड़ा व्यापार को बचाने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि किसी रूप में योजना बनाकर इस व्यापार का विशेषकर फुटकर एवं होल सेल व्यापारियों को संरक्षण प्रदान किया जाय जिससे यह व्यापार पहले की भांति चल सके। महोदय कानपुर को उद्योगों का नगर कहा जाता है प्रदेश में चमड़ा उद्योग का सबसे बड़ा केन्द्र कानपुर है सरकार की टेनरी शिफ्टिंग योजना के तहत टेनरी उद्योग को शिफ्ट करने की बात हो रही है महोदय सरकार इस पर अपना वक्तव्य दे कि इस शिफ्टिंग में जो धन व्यापारियों को लगाना पड़ेगा उसके बाद व्यापार किस प्रकार अपनी गति से चल पाएगा विशेषकर जो छोटा व्यापारी ऐसे ही कार्यशील पूंजी के

लिए संघर्षरत है वो इतना निवेश करने के पश्चात् कैसे व्यापार कर पाएगा महोदय सरकार यह भी बताने का कष्ट करे कि जिस मूल कारण जल प्रदूषण से शिफ्टिंग की जा रही है शिफ्टिंग के पश्चात् भी जल प्रबंधन कैसे किया जाएगा जिससे उद्योग की हानि भी न हो और प्रदूषण से भी निजात मिल सके। सरकार यह भी बताए कि इस रोजगार परक उद्योग को बचाने के लिए सरकार ने कितने धन का आवंटन किया है।

श्री अध्यक्ष–

अब समाप्त करें।

श्री अमिताभ बाजपेई–

महोदय भारत का संविधान राज्य को लोककल्याणकारी होने का आदेश देता है अतः राज्य को लोककल्याणकारी ही होना चाहिए वर्तमान परिदृश्य एक भयानक दानव के तरीके प्रदेशवासियों को भयभीत किए है जिसे तुरन्त समाप्त होना चाहिए। मैं इस सदन के माध्यम से जनमानस को यह संदेश देते हुए अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ये गम के और चार दिन, सितम के और चार दिन, ये दिन भी जायंगे गुजर गुजर गए 121 दिन। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

सभी मा0 सदस्यों से मेरा एक अनुरोध है कि बहुत से मा0 सदस्यों को अभी बोलना है, सबकी रूचि है तो अगर आप लोग अपने वक्तव्य को पांच मिनट में समाप्त करें तो बहुत से मा0 सदस्य बोल लेंगे।

डा0 श्याम बिहारी लाल–

मान्यवर, अभी तक मा0 सदस्य 15–15 मिनट तक बोल रहे थे, इसलिये मुझे कम से कम 10 मिनट तो अवश्य दें। कई दिनों से इंतजार करने के बाद मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

अगर आपकी इच्छा 20 मिनट बोलने की हो तो 20 मिनट बोल लीजिये, 25 मिनट हो तो 25 मिनट बोल लीजिये, इससे बाकी लोग नहीं बोल पायेंगे। सभी लोग अपनी बात कह लें इसका एक ही उपाय है कि सभी लोग पांच–पांच मिनट में अपनी बात कह लें।

***डा0 श्याम बिहारी लाल**–

मा0 अध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2017–18 के बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिये धन्यवाद। 11 तारीख को मा0 योगी जी और प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय श्री राजेश अग्रवाल जी ने जो बजट प्रस्तुत किया वह अत्यन्त ही उत्कृष्ट बजट है। इस बजट की चर्चा के दौरान हम जब विपक्ष को सुन रहे थे और मा0 नेता

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे तो उन्होंने इस तरीके से झूठ को सच बनाने का प्रयास किया कि जैसे बजट में कुछ है ही नहीं। उन्होंने जो अर्थशास्त्र बताने की कोशिश की उसमें सारी चीजों पर बताया गया कि इसमें धन का प्राविधान किया ही नहीं गया है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि यह बजट अद्वितीय क्यों है। जो आंकड़े मेरे पास हैं, उनमें शिक्षा में वर्ष 2016–17 के बजट में 49 हजार 808 करोड़ रुपये का आंकड़ा था जो कि इस समय 82 हजार 351 करोड़ हो गया। इस तरह शिक्षा में 34 परसेंट की वृद्धि हुई। महोदय, अभी ऐसी कई बातें कही गयीं और विपक्ष के एक मा0 सदस्य अभी बोल रहे थे कि विश्वविद्यालयों के लिये वाईफाई की व्यवस्था क्यों की गयी है। मैं बताना चाहता हूँ कि विश्वविद्यालयों के लिये अभी तक यह त्रासदी का सवाल था कि विश्वविद्यालयों में वाईफाई की व्यवस्था नहीं थी। हजारों–करोड़ रुपये के जर्नल्स और बुक्स जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उपलब्ध कराता है, जो डब्ल्यू0एच0ओ0 उपलब्ध कराता है, दुनिया की संस्थाएं और यूनेस्को उपलब्ध कराता है, वह हर विश्वविद्यालय के आई0पी0 एड्रेस पर और कालेज के आई0पी0 एड्रेस पर होती हैं, लेकिन बड़ी दुःखद बात है कि पूरे प्रदेश के छात्र, वह लैपटॉप जो इन्होने दिया था, उसको लेकर डोलते हैं, लेकिन उन्हें वह किताबें और जर्नल्स कभी पढ़ने को नहीं मिलते हैं। प्रदेश सरकार ने यह बहुत ही दूरंदेशी का काम किया है कि उन छात्रों को हजारों–करोड़ के जर्नल्स, हजारों करोड़ की बुक्स उनके हाथ पर, उनकी फिंगर्स पर ला दी है। वाईफाई के लिये पचास लाख का बजट देने के साथ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। एग्रीकल्चर में 4 हजार 261 करोड़ का व्यय था जो कि इस बजट में 36 हजार 653 करोड़ हो गया, इसमें 813 परसेंट की वृद्धि हुई। मा0 नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के हमारे सम्मानित सदस्य अभी बता रहे थे कि हर चीज में बिल्कुल ही कटौती हो गयी है, कुछ भी नहीं है, यह बजट निराशाजनक है। पता नहीं किस पुस्तक से अर्थशास्त्र पढ़ा है और पिछले पांच सालों में जो अर्थशास्त्र पढ़ा है उसी से यह दिग्भ्रमित हो गये हैं और गलत तरीके से चीजों को रखने का इनका नजरिया विकसित हो गया है। महोदय, जो पी0डब्ल्यू0डी0 यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है उसमें भी 19 हजार 320 करोड़ रुपये का आंकड़ा था जो अब 33 हजार 247 करोड़ रूपये हो गया है, उसमें भी 54 परसेंट की वृद्धि हुई है। गड्ढे इन्होंने किये, पांच साल में गड्ढों की भरमार हो गयी। पॉच साल में गड्ढों की भरमार हो गई थी और अब हमने इन गड्ढों को पाटना शुरू किया हैं। हमारी सरकार ने गड्ढों को पाटने के लिए एक मुहिम शुरू की है और जो आपके सामने बजट है उसमें 54 परसेण्ट की वृद्धि की गई है जिससे सारे कार्य किये जा सके। इस प्रकार विपक्ष के लोग गलत बातें बताना शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से समाज कल्याण विभाग का जो बजट है वह 21572 करोड़ का था और वह अब 22665 करोड़ का हो गया है, इसमें भी 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और कोई कटौती नहीं हुई है। इसमें उन आदिवासियों के लिए जिनके लिए विपक्ष के हमारे एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि कोल के लिए, शहरिया के लिये, उरांव के लिए और जो विभिन्न जनजातियां हैं उनके लिए क्या प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने बहुत ही समझदारी से इसमें सभी

चीजों की व्यवस्था की है। इसी तरीके से ऊर्जा और ग्राम्य विकास विभाग के बजट में 37 परसेण्ट की वृद्धि की गई है। निश्चित रूप से जैसा हमारे सशक्त और बहुत ही सक्षम ग्राम्य विकास मंत्री बता रहे थे कि ग्राम्य विकास विभाग की किसी चीज में भी कोई कमी नहीं आयेगी और इसी तरीके से शहरी विकास में भी 65 परसेण्ट की वृद्धि हुई है। नगर विकास मंत्री जी जो कि सक्षम हैं और यहां पर उपस्थित हैं। मैं बताना चाहता हूं कि उसमें भी तेजी से कार्य होने की संभावना है।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले सालो में जो सरकार रही है उसके दिए बजट में 374774.57 करोड़ की ऋण ग्रस्तता का भार हमारे ऊपर आया है। हम पूरी दुनिया का परिदृश्य देख रहे हैं कि चाहे वेन्जुयेला हो, चाहे ग्रीस हो चाहे और कन्ट्री हों इनकी ऋण की वजह से क्या हालत हो गई है। उनकी ज्यादातर आय इसी उधारी को निपटाने में निकल जाती है। माननीय अध्यक्ष जी, आप तो दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और आप जानते हैं कि यह चाहते हैं कि 'ऋणम गृहीत्वा घृतम पिवेत', कुछ भी हो ऋण लेकर घी पीते रहो और सारा का सारा चौपट कर दो। मान्यवर, हमारे सामने जो 7वें वेतन आयोग का मामला था उसमें बत्तीस हजार करोड़ रुपये की आवश्यकता थी और हमें किसानों के लिए भी छत्तीस हजार करोड़ रूपये की आवश्यकता थी। सरकार ने अपने संसाधनों से यह सारी चीजें बढ़ाने की कोशिश की है और किसानों के लिए छत्तीस हजार करोड़ की व्यवस्था कर दी और कर्मचारियों के लिए बत्तीस हजार करोड़ की। यह बहुत बड़ी बात है और पिछली सपा सरकार ने वित्तीय नियमों को धता बताते हुए बाजार से जो ऋण लिये वह बहुत अधिक समझदारी का काम नहीं है। मान्यवर, बहुत दिनों से यह सदन देख रहा है और मैं तो इस सदन का नया सदस्य हूं, मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने इस बार विश्वविद्यालय के लिए एक काम और किया कि जो कालेजेज को एफीलेशन मिलता था उसमें पिछली सरकारों में बहुत भ्रष्टाचार रहा है। हमारे सरकार ने एफीलेशन के लिए आनलाइन व्यवस्था की है जिससे भ्रष्टाचार को कम किया जा सके। मान्यवर, मैं बजट पर बोलते हुए कुछ चीजें अपने क्षेत्र की कहना चाहता हूं । मान्यवर, हमारे क्षेत्र 122, फरीदपुर में किसानों की उपज के लिए उचित मूल्य दिलाने हेतु मण्डी परिषद से मण्डी स्थल का निर्माण करा दिया जाये, जिससे इस पिछड़े और सुरक्षित क्षेत्र में किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य जो अभी तक नहीं मिल रहा था वह मिलने लगे। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बरेली जनपद का फरीदपुर नगर एक व्यापारिक केन्द्र है और यह राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर स्थित है। यहां पर बस स्टेशन नहीं है। यहां पर बस स्टेशन नहीं है। मान्यवर, बहुत लंबे समय से दुर्घटनायें हो रही हैं। लोग बसों का सड़क पर खड़े होकर इंतजार करते रहते हैं। मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि परिवहन विभाग यहां पर एक बस स्टॉप स्थापित कर दे। मान्यवर, वर्ष 1992 में मा0 कल्याण सिंह जी की सरकार में हमारे यहां खरीफपुर में एक डिग्री कॉलेज बनाया गया। मान्यवर, बहुत अफसोस की बात है कि अभी तक बी.ए. पाठ्यक्रम ही चल रहा है। मान्यवर, इस क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया है। वहां पर न एम.ए. की क्लासेस हैं, न बी.एस.सी की क्लासेस हैं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूँ जो महात्मा ज्योतिबाफूले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बंधित है। मान्यवर, इस तरीके के जो राज्य के विश्वविद्यालय हैं वह अपने संशाधनों से चलते हैं। मान्यवर,

इन्हें कम से कम एक रुपये की टोकन ग्राण्ट दे दी जाये जिससे यहां पर व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जा सके जिससे सरकार उन पर प्रभावी नियंत्रण रख सके, लेकिन उनको कम से कम एक रुपये की ग्राण्ट अवश्य दे दी जाये। मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ मा0 वित्त मंत्री जी, ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूँ। ''जय हिंद जय भारत''।

***डा0 नीरज बोरा–**

आदरणीय अध्यक्ष जी, अपने मुझे आज बजट पर बोलने का अवसर दिया। हमारे मा0 वित्त मंत्री जी, ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह वास्तव में एक अद्वितीय बजट है और मैं यह समझता हूँ कि पिछली जितनी भी सरकारें रही हैं और उन्होंने जो बजट प्रस्तुत किये हैं उनके सापेक्ष में इस बजट के माध्यम से उ0प्र0 का एक समुचित विकास हो सकेगा। मान्यवर, बजट के एक ओर देखते हुए कि राजस्व का घाटा पिछले वर्ष में चौबीस हजार पांच सौ छः करोड़ रहा जिसे इस वर्ष बजट में बारह हजार दो सौ नवासी करोड़ पहुंचाने का काम किया गया है मतलब घटाने का काम किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार ने किसानों का फसली ऋण माफ करने का काम किया है। मान्यवर, विपक्ष हमेशा यही कहता रहा है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है। मान्यवर, हमने छत्तीस हजार करोड़ रुपये का फसली ऋण माफ करके यह बात बताने का काम किया है कि हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। वहीं यह विपक्ष जब अपने भाषणों के माध्यम से यह बात कहता रहा कि हम लैपटाप बाटेंगे, टैबलेट बाटेंगे, हम ऋण माफ करेंगे तो इनके लैपटाप भी एक छोटी सी झांकी बनकर आये और टैबलेट आजतक नदारद रहे। मान्यवर, हमारी सरकार ने सौ दिन के अंदर ही गन्ना किसानों को बाइस हजार छः सौ बयासी करोड़ रुपये का भुगतान करने का काम किया है जो एक ऐतिहासिक फैसला था और पूर्व में किये गये सभी भुगतानों से लगभग दो गुना अधिक। मान्यवर, विशेष बात यह है कि विपक्ष आरोप लगाता रहा कि चीनी मिले बंद हो रही हैं। यह चीनी मिलें क्यों बंद हुईं ? गन्ना किसानों की बर्बादी क्यों हुई ? मान्यवर, इसके जिम्मेदार यहां बैठे हुए स्वयं विपक्ष के लोग हैं और इनकी सरकारें रही हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने ऐसे स्थलों को जो भारतीय संस्कृति की आस्था का केंद्र रहे हैं उनको तीर्थ सर्किट के माध्यम से इसका विकास करने का जो कार्य किया है और इस बजट के माध्यम से यह संकल्प लिया है निश्चित रूप से भारत ही नहीं भारत के बाहर रहने वाले ऐसे भारतीयों को बहुत अच्छा लग रहा है और उनका मनोबल बढ़ने का काम हुआ है। उनकी आस्था का यह केंद्र है चाहे वह मथुरा हो, चाहे वह बौद्ध सर्किट हो, चाहे वह अयोध्या हो। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो। उत्तर प्रदेश का विकास तभी संभव है जब उत्तर प्रदेश के अंदर औद्योगिक निवेश होगा। औद्योगिक निवेश के लिए हमारी सरकार ने सिंगल विंडो क्लीयरेंस की जो योजना बनायी है हमारी सरकार जो इंडस्ट्रियल पालिसी लेकर आयी है। जहां पर हम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आज पूंजीनिवेश को आकर्षण बनाकर बुलाना चाहते हैं जब यह उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारे यहां रोजगार के अवसर सृजित होंगे। हमारे यहां उत्पादन होगा, निर्यात होगा और जब निर्यात और आय बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश की जी0डी0पी0 बढ़ेगी और हमारा प्रदेश खुशहाल हो सकेगा। मैं मा0 ऊर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने सरकार बनते ही यह संकल्प लिया कि हम पावर फार आल के माध्यम से शहरों को 24 घण्टे बिजली देने का काम करेंगे। यही नहीं मुझे प्रसन्नता है कि मेरी लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र के अंदर इन्होंने तीन नये बिजली घर स्वीकृत करने का काम किया और बड़े स्तर पर हमारे यहां बिजली का विस्तार किया जा रहा है।

शिक्षा के क्षेत्र में मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ। मा0 मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार स्कूली यूनीफार्म और पाठ्य पुस्तकों की व्यवस्था की है। वह यूनिफार्म देखने में इतनी अच्छी लगती है। निश्चित रूप से जो अभिभावक हैं वह ऐसी यूनिफार्म पहनाकर बच्चों को उन विद्यालयों में भेजने का काम करेंगे और हमारी सरकार की स्कूल चलो अभियान के तहत इन विद्यालयों में शिक्षा का कार्य अच्छा होगा। ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मा0 अध्यक्ष जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह सपना देखा कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को यह सच्ची श्रद्धांजलि दे सकेंगे कि अगर हम अपने देश को खुले में शौच से मुक्त करा सकें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से कहा था कि आजादी के 70 साल होने को हैं और आज भी हमारी बहनें, मातायें, बहुएं, बेटियां सूरज ढलने का इंतजार करती हैं और खुले में शौच पर जाने को मजबूर हैं। क्यों न हम यह संकल्प लें और हम अपने माताओं, बहनों, बच्चियों के लिये शौचालय का निर्माण करने का काम करें। हमारे इस बजट के माध्यम से एक हजार करोड़ रुपये रखने का कार्य किया गया है। और स्वच्छता अभियान में हम सफल हो सकेंगे। अमृत योजना के माध्यम से दो हजार करोड़ की व्यवस्था हुई है। निश्चित रूप से सीवर और पेयजल की व्यवस्था में सुधार होगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत निश्चित रूप से हमारे शहर को एक बड़ी उपलब्धि मिलने जा रही है और यह लखनऊ एक विकसित और बढ़िया अग्रणी शहर सम्पूर्ण विश्व में दिखायी देगा। मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 70 लाख रोजगार सृजित करने का काम किया है और कौशल विकास के माध्यम से ही हम निश्चित रूप से उन नौजवानों को हुनरमंद बनाने का काम करेंगे और जब वह नौजवान हुनरमंद होंगे तो मेरा मानना है कि हम उनके लिए रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे। औद्योगिक विकास होगा और वह नौजवान रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा सपना भी अगर किसी ने देखा, ऐसा मंत्रालय बनाने का भी काम किया तो हमारी सरकार ने किया है और निश्चित रूप से हम इसमें सफलता हासिल करेंगे। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि–आंखों में मंजिलें थीं गिरे और संभलते रहे आंधियों में क्या दम था चिराग हवा में भी जलते रहे। धन्यवाद, भारत माता की जय।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

मा0 अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात को मा0 नेता प्रतिपक्ष से सम्बद्ध करते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है। मान्यवर, जो बजट सरकार की तरफ से पेश किया गया है, निश्चित रूप से उस बजट में गरीबों का, दलितों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यक समाज का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया। जब मेरी सरकार थी, उस समय जो आवास दिए जाते थे, वह लोहिया आवास दिए जाते थे, जिसकी कीमत लोहिया आवास में 3 लाख 20 हजार रुपये दिए जाते थे, जबकि आपकी तरफ से जो आवास की व्यवस्था की गयी है, उस व्यवस्था में मात्र 1 लाख 20 हजार रूपये तय किए गए हैं। निश्चित रूप से जो गांव के गरीब लोग हैं और आज जो बालू की महंगाई है, 1 लाख रुपये का एक ट्रक आता है और ऐसी स्थिति में वह किस तरह 1 लाख 20 हजार रूपये में अपना आवास बना कर देगा, यह चिन्ता का विषय हे और सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में जब हमारी सरकार थी, उस समय हमारे क्षेत्र में समान पक्षी विहार, प्रदेश का बहुत अच्छे पक्षी विहारों में से एक है। समान पक्षी विहार में मेरी सरकार ने 240 करोड़ रुपया उन तमाम किसानों के लिए दिया था, जिनकी भूमि का अधिग्रहण 1990 में हुआ था और तब से अब तक किसान बेचारे न तो उस जमीन पर कोई काम कर पा रहे हैं और न ही उस जमीन पर बोने दिया जा रहा है, वह सरकार के अधिग्रहण में है। 240 करोड़ मेरी सरकार ने दिया था जो अभी तक बंट नहीं पाया है और इस बजट में एक पैसा भी इस सरकार ने हमारे उस समान पक्षी विहार को नहीं दिया है। मान्यवर, जहां तक कानून–व्यवस्था की बात है, बहुत खुले मन से मैं यह बात कहना चाहता हूँ कि जब से यह सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में दलितों का उत्पीड़न बढ़ गया है, मान्यवर, 'जाके पांव न गयी बेवाईं, वो क्या जानै पीर पराई', उसका दर्द वही जानता है, जो उस समाज से निकल कर आता है। गांव के उन दलित समाज के लोगों में जा करके देखो, उनमें जो दहशत है, उस दहशत का बयान उस परिवार का बेटा ही बता सकता है या वह बता सकता है, जिसने उस दर्द को झेला है। मान्यवर, अभी यह सरकार बनने के बाद, मेरे पास पेपर की कटिंग है और एफ0आई0आर0 की कापी है।

श्री अध्यक्ष–

इसको अपनी जेब में डाल लीजिए।

इंजी0 बृजेश कठेरिया –

मान्यवर, थाना–बेवर के दौलतपुर गांव में एक व्यक्ति हरि ओम कठेरिया को केवल इसलिए पीटा गया, उसका घर जला दिया गया कि उसने जो आए थे, उन्हें नमस्कार नहीं किया था और नमस्कार न करने के जुल्म में उसका घर जला दिया गया। मान्यवर, दूसरी घटना बसरा सुल्तानपुर की है। (कई सदस्यों के बोलने पर) अरे, सुन लो, भाई, आप दलितों की आवाज को नहीं दबा पाओगे, यह संवैधानिक अधिकार है, नहीं दबा पाओगे। मान्यवर, कुरावली थाने में नीरज नाम का एक लड़का जिसकी गेहूं कटे खाली खेत में भैंस चली गयी, उसको खेत मालिक ने पकड़ करके और नंगा करके उस 11 वर्ष के बच्चे को पीटा और यही नहीं उसे मुर्गा बनाया और उसकी पीठ पर ईंटे रखीं और

जब उसका थाने में मुकदमा नहीं लिखा गया तो जब मैंने उसको ले जा करके कप्तान साहब के पास पेश किया तब फिर मुकदमा लिखा गया। उसके बाद भी जब अभियुक्त नहीं पकड़े गये और उन पर जब दबाव डाला गया तो उसकी वृद्ध दादी जो मेरे पास आ रही थी, नहर की पटरी पर उन्हीं अभियुक्तों ने उसे मरणासन्न स्थिति में छोड़कर चले गए और जिसका बाद में मुकदमा लिखा गया। दूसरी तरफ हमारे यहां सरकारी हास्पिटल में सरकारी कर्मचारी ने, सी0एम0एस0 ने एक ग्रामीण की शिकायत पर दलित कर्मचारी लक्ष्मी नारायन को बुला करके और अपने चैम्बर में उस दलित कर्मचारी को बुला करके जाति सूचक शब्द प्रयोग करके अपने पब्लिक के आदमी से उसे पिटवाया, जिसका थाने में मुकदमा दर्ज है और यही नहीं और भी उसके कारनामें हैं, बिना काम के पेमेण्ट किया और इसी 09 तारीख को कुरावली थाने में ग्राम खिचौली में नाबालिग बच्ची जो मात्र 15 साल की बच्ची है, उस बच्ची के साथ बलात्कार किया और बलात्कार होने के बाद आज भी अभियुक्त खुलेआम घूम रहे हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया।

श्री सुरेश कुमार–

मा0 अध्यक्ष जी, यह बिना तथ्य की जानकारी दे रहे हैं, यह बजट पर बोले, यह तो अखबार पढ़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायं, एक मिनट हमारी बात सुन लें, यह चर्चा बजट पर हो रही है, आप मुकदमें पढ़ रहे हैं।

इंजी0 बृजेश कठेरिया –

मान्यवर, कानून–व्यवस्था पर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

आज कानून–व्यवस्था पर चर्चा नहीं है, यह चर्चा बजट पर है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट पर आपको बोलना चाहिए था, आपका समय समाप्त हो रहा है, आप बजट पर बोलिये।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

मान्यवर, इस समय सबसे बड़ा काम होता है, गांव में जो बरसात चल रही है, नाले की सफाई वाला बजट अब पास हो रहा है, जबकि अब से पूर्व दो महीने पहले सिल्ट सफाई का काम हो जाना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। हमारे यहां हथपऊ नाला साढ़े सत्रह किलोमीटर उसको हमारे ग्रामीण लोगों ने चन्दा कर के उसको खुदवाया और ये उसके काम की बात करते हैं।

श्री अध्यक्ष–

अब बाकी के कागज आप हमको दे दीजिए।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

यही नहीं मान्यवर, वर्ष 2013 में मा0 मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहां किशनी में ढाई हजार पौधे लगाकर के वृक्षा–रोपण किया था, जिसमें एक पौधा बढ़ा नहीं यह तो अलग बात, यह सरकार आने के बाद वहां के कर्मचारियों ने आगजनी कर के उन पौधों को नष्ट करने का काम किया है। यही नही मान्यवर, सत्ता पक्ष के एक जिम्मेदार विधायक ने अभी वक्तव्य दिया है,

श्री अध्यक्ष–

इसका भी बजट से सम्बन्ध नहीं है, अब आप समाप्त करें, मा0 राहुल प्रकाश जी आप प्रारम्भ करें।

इंजी0 बृजेश कठेरिया–

किसी खास समाज के खिलाफ वक्तव्य दिया है कि अगर तुम मंदिर नहीं बनने दोगे तो मैं मक्का–मदीना नहीं जाने दूँगा। मान्यवर, यह देश, यह प्रदेश सबका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। मान्यवर, आपने मुझे बजट के विरोध में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद् ।

श्री राहुल प्रकाश–

आदरणीय अध्यक्ष जी, आज आपने हम जैसे नए सदस्य को इस बजट पर साधारण चर्चा में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी आप जानते हैं कि मा0 मुख्यमंत्री योगी जी और हम लोगों के वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है वह निश्चित तौर पर अन्त्योदय को ध्यान में रख कर और पण्डित दीन दयाल उपाध्याय के विचारो से ओत–प्रोत है। मा0 अध्यक्ष जी, लोक कल्याणकारी संकल्प–पत्र में सरकार ने प्रथम दिन से ही सरकार बनने के बाद ही गरीबों की खुशहाली, किसानों की खुशहाली, व्यापारियों की खुशहाली और नौजवानों की खुशहाली के लिए काम करना प्रारम्भ कर दिया है। साथ ही साथ चाहे गेहूँ खरीद केन्द्रों का मामला हो, चाहे आलू खरीद का मामला हो, चाहे गन्ना भुगतान का मामला हो, चाहे खनन पट्टों में ई–टेण्डरिंग, चाहे किसी भी कार्य के लिए ई–टेण्डरिंग और एण्टी भू–माफिया टास्क फोर्स बनाकर बड़े–बड़े माफियाओं के मंसूबों को दबाने और कुचलने का काम किया है। साथ ही साथ मेक इन यू0पी0 और महिला सशक्तीकरण सुरक्षा को बढ़ावा देकर महिलाओं को भी सम्वेदनाओं को समझने का प्रयास किया है और आदरणीय योगी जी की सरकार ने वी0आई0पी0 कल्चर को खत्म कर विधान सभा सदस्य हो चाहे मंत्री हों, आम जन–मानस से चुनकर आते हैं उनकी भावनाओं से मिलकर, उनके विचारों से मिलकर काम करने के लिए वी0आई0पी0 कल्चर खत्म करने का काम किया । इसके लिए यह बजट निश्चित तौर पर और माननीय सरकार को मैं कोटि–कोटि बधाई देता हूं। साथ ही साथ योजनाओं में जाने का काम करेंगे, पंडित दीन दयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत नगरों तक गांव–गांव जंगल झाड़ियों में विद्युतीकरण कराने साथ ही साथ किसानों के 36 हजार कर्ज माफी का मामला हो चाहे कृषक प्रषिक्षण के माध्यम से चाहे मृदा परीक्षण कराकर मिट्टी को

उपजाऊ बनाने का काम हो। साथ ही साथ प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जो लक्ष्य निर्धारित किया है जिन गरीबों के घर पर छप्पर नहीं हुआ करते हैं उनको प्रधानमंत्री आवास से नवाजने का काम निश्चित तौर पर आम आदमी योजना बीमा के तहत 85 करोड़, जिन पर किसी की निगाहें नहीं गयी, 14–15 सालों में ठेला, खोंमचा और सड़क के किनारे जो फुटपाथ पर अपने रोजगार को बढ़ाकर पेट पालने का काम करते हैं उनके पुर्नवास की व्यवस्था इस सरकार के इस बजट सत्र में की गयी है। इसके लिए भी यह बजट निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश में मुख्य तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं पर्यटन सुविधाओं से नवाजने का कार्य तथा जीर्ण–शीर्ण सांस्कृतिक धरोहरों को सुरक्षित करते हुए ऐसे ऐतिहासिक निर्णय लिये जिससे जन–मानस में अपने संस्कृति के प्रति झुकाव पैदा हुआ है। पण्डित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना बनाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में बीहड़ बंजर एवं जल भराव वाले क्षेत्रों को सुधारने, कृषि मजदूरों को आवंटित भूमि का उपचार कराने व फसलों की उपज बढ़ाये जाने हेतु एवं वर्मी, कम्पोस्ट की उपलब्धता बढ़ाये जाने की व्यवस्था इस बजट सत्र में प्रस्तावित है। साथ ही साथ मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेन्ट प्लान के तहत जो निश्चित तौर पर इधर बैठे साथी लोग कहते हैं कि जाति धर्म की राजनीति करती है, भारतीय जनता पार्टी और यह सरकार यह मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट डेवलेपमेन्ट प्लान के तहत अल्पसंख्यकों क्रिटिकल गैप को दूर करने का प्रयास किया है, इस बजट सत्र में यह भी बहुत अत्यन्त सराहनीय कार्य है। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में जैसे भी चुनाव में उन्होनें वादा किया था नौजवानों को रोजगार देंगे निश्चित तौर पर तकनीकी शिक्षा के माध्यम से उन्हें रोजगार से जोड़ने का प्रयास इस सरकार ने किया है, यह भी अत्यन्त सराहनीय एवं लोकप्रिय कार्य है। पिछली सरकारों में सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से विविध महापुरूषों के नाम से उनकी छुट्टियां घोषित की गयी थीं माननीय योगी महाराज जी के नेतृत्व वाली लोकप्रिय सरकार ने 15 छुट्टियां के स्वरूप बदलकर उनको निर्बन्धित अवकाश की श्रेणी में स्थापित किया और निर्देश दिये कि इन महापुरूषों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किये जाये जिससे स्कूली छात्र–छात्राओं को महापुरूषों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और प्रेरणा मिलेगी, संस्कृति का विकास होगा, उनके मार्गो पर चलने का प्रयास करेंगे, भविष्य उज्जवल होगा। मान्यवर मैं बहुत ज्यादा कुछ न कहते हुए माननीय अध्यक्ष जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि विधान सभा छानबे 50 प्रतिशत आधी आबादी क्षेत्र जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करती है। इसमें कोल, खरवार, बगार, डिगार, अगरिया, गोड़, मांझी, बैंगा, पनिका, धीरू, धांगर जातियां जो जंगल में निवास करती है, अगर उनको बनाधिकार के तहत जमीनों को जोतने बोने के अधिकार को जोड़ लेंगे तो निश्चित तौर पर जो जंगली जातियां आदिवासियां हैं उन पर अति कृपा होगी। साथ ही साथ मैं माननीय अध्यक्ष जी के अनुज्ञा से अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी आपको अवगत करा देना चाहता हूं। विधान सभा छानबे सुरक्षित सीट, अनुसूचित जाति का इलाका है, तो मैं चाहूंगा कि लालगंज वाया हलिया एंटी कनेक्टिविटी रोड जो कि एक साल से खोद कर छोड़ दिया गया है,

उसका निर्माण कराया जाये साथ ही साथ जो कि मिर्जापुर से रीवां दूसरे प्रदेश मध्य प्रदेश से जोड़ती है आज खस्ता हालत में है, निश्चित तौर से एकाधि बारिश हो जाने के बाद एक मुख्य मार्ग होने के साथ आवागमन बन्द हो जायेगा, हलिया जो कि निश्चित तौर पर तहसील की मांग हमारी तरफ से की गयी है जो 70 किलोमीटर दूरी पर तहसील आने के लिए दो तीन नालों को पार करना पड़ता है जो बारिश के समय तहसील मुख्यालय से सम्पर्क टूट जाता है। छानबे क्षेत्र अतिपिछड़ा एवं असिंचित इलाका है, वहां निश्चित तौर पर चाहे, हरगढ़ हो, नरैना हो लेकिन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में पड़े हुए हैं, चलने के काबिल नहीं हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जाये। हमारे क्षेत्र में पूरे विधान सभा में एक भी राजकीय इण्टर कालेज और साथ ही साथ राजकीय कन्या महाविद्यालय नहीं है, तो मैं चाहूंगा आपके माध्यम से विधान सभा छानबे सुरक्षित मिर्जापुर में एक राजकीय इण्टर कालेज तथा राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना की जाये। साथ ही साथ प्रदेश में सबका साथ और सबका विकास का नारा कारगर है। मैं मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा पेश किए गए वर्ष 2017–18 के बजट की भूरि–भूरि प्रशंसा करने के साथ ही साथ पुरजोर समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।

श्री बृजेश–

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा 2017–18 के लिए प्रस्तुत बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस दिन मा0 वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और उसके बाद जब इस पर चर्चा प्रारम्भ हुई तो मा0 नेता प्रतिपक्ष जी ने अपने भाषण में बजट पर तरह–तरह के प्रश्न करते हुए बार–बार यह कहा कि सभी विभागों के बजट में कटौती कर दी गई है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार लघु एवं सीमान्त किसानों के एक लाख रुपये तक के ऋण की माफी के लिए पहली बार बजट में 36 हजार करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है और इस राशि का जो बोझ सरकार पर पड़ा है। सरकार अपने सरकारी खर्चों में कटौती करके उसकी भरपाई करेगी। मा0 अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अन्दर उद्योगों को बढ़ावा मिले और उत्तर प्रदेश के अन्दर रोजगार के अवसर उपलब्ध हों इसके लिए सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 को प्रस्तावित किया जाएगा जिसके लिए बजट में 20 करोड़ रुपये का आवंटन अलग से किया गया है। मा0 अध्यक्ष महोदय, इस बजट पर मा0 नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे तो कई बार उन्होंने प्रदेश में उद्योगों का क्या होगा, बड़ी चिन्ता व्यक्त कर रहे थे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, गुजरात सरकार के द्वारा अपने प्रदेश में उद्योग से जुड़ी हुई विभिन्न कम्पनियों को आकर्षित करने के लिए एवं अपने प्रदेश में निवेश को आमंत्रित करने के लिए वाइब्रेण्ट गुजरात के नाम से एक समिट का आयोजन किया जाता है। मुझे भी उस समिट में जाने का अवसर मिला था। जिस समय मुझे उस समिट में जाने का अवसर मिला था उस समय उत्तर प्रदेश के अन्दर नेता प्रतिपक्ष के दल की सरकार थी। मैं जब गुजरात में गया तो अहमदाबाद के

अन्दर और गॉधी नगर के अन्दर बहुत बड़े–बड़े होर्डिंग लगे हुए थे और उस होर्डिंग में लिखा हुआ था कि आइए उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश बदल रहा है। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष से कहना चाहता हूँ कि जितनी राशि उन होर्डिंग्स को गुजरात में लगाने पर व्यय की गई थी और जितनी राशि सैफई महोत्सव में खर्च की गई थी। यदि उतना पैसा लगा करके उत्तर प्रदेश के अन्दर कोई सही उद्योग लगाने का काम आप लोगों ने किया होता तो शायद आप लोगों को आज उधर बैठने का अवसर न मिलता। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मैं अपनी विधान सभा से जुड़ी हुई एक समस्या को इंगित करना चाहूँगा। मेरी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम जड़ौदा पाण्डा के ग्रामीणों और उसके आस–पास लगभग 12 से 15 गॉवों के किसानों की सिंचाई की समस्या है। वहाँ के किसानों को रजबहा नन्हेडा के सामानान्तर देवबन्द शाखा फीडर चैनल से गंग नहर से सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराए जाने के लिए एस्टीमेट बन करके आया है। मैं आग्रह करूॅगा कि उस एस्टीमेट प्लान को सिंचाई विभाग में सबमिट कर उस क्षेत्र के किसानों की समस्या का निदान किया जाए। मा0 अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र जनपद सहारनपुर में आता है और इस विधान सभा के अन्दर जो हम समस्त 403 सदस्य हैं पक्ष और विपक्ष के। अभी मा0 सिद्धार्थ नाथ सिंह जी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी टी–20 और 5–डे मैच की बात कर रहे थे। मैं खुशकिस्मत हूँ कि इस 403 रनों की संख्या में इस विधान सभा के अन्दर सबसे पहला रन मैंने बनाया था क्योंकि सबसे पहला परिणाम मेरी विधान सभा का घोषित हुआ था।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरी विधान सभा जनपद सहारनपुर में आती है। इस वक्त सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के लाखों स्नातक विद्यार्थियों की सम्बद्धता विभिन्न महाविद्यालयों के माध्यम से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से है। मेरा सरकार से आग्रह है कि सहारनपुर और मुज्जफरनगर के लाखों छात्रों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जनपद सहारनपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए और मैं जिस विधान सभा से चुनकर आया हूँ उस विधान सभा में इस्लामिक शिक्षा का एक बड़ा केन्द्र है दारूल उलूम जो विश्व के अंदर दो ही जगह पर है मैं सरकार से यह भी आग्रह करना चाहूँगा कि उसकी स्थापना मेरी विधान सभा में की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों मुख्यतः सहारनपुर, मुज्जफरनगर, बिजनौर और मेरठ के किसानों से जुड़ी हुई एक पापुलर और यूकेलिप्टिस की फसल से जुड़ी हुई समस्या है, वहाँ की सारी फसल कटकर हरियाणा के अंदर जा रही है क्योंकि हमारे यहाँ आरा मशीन और प्लाईवुड की फैक्ट्रियों पर रोक लगी हुई है। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि मेरे जिले के अंदर उस रोक को हटाकर वहाँ पर पापुलर और यूकेलिप्टिस से बनने वाली प्लाईवुड की फैक्ट्रियों की स्थापना की जाए ताकि जो राजस्व की हानि और किसान को सीधे लाभ–हानि हो रही है उस समस्या से निजात मिल सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर महाभारत काल से जुड़ी हुई अनेक धरोहर कई स्थानों पर है जैसे हस्तिनापुर, शुक्रताल और मेरी विधान सभा क्षेत्र में देवबंद का वह पौराणिक शक्तिपीठ माता बालासुन्दरी की जहॉ पर पाण्डवों ने अज्ञातवास

बिताया। मेरी विधान सभा का ही वहीं गॉव जहॉ यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किये थे, यक्षवाला के नाम से विख्यात। मेरा स्वयं का मूल गॉव जहॉ पर महाभारत का रणखण्डी जहॉ पर महाभारत का रणखण्ड गडा था। ऐसे अनेक महाभारत कालीनखण्ड के स्थान है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जिस प्रकार से स्वदेश दर्शन योजना के तहत अयोध्या, वाराणसी और मथुरा में क्रमशः रामायण सर्किट, बोध सर्किट और कृष्णा सर्किट को विकसित करने के लिए 1240 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। मेरा जनपद माता शाकम्भरी देवी सिद्ध शक्तिपीठ जहॉ पर स्थित है। मेरा आग्रह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक महत्ता और महाभारत और गीता से जुड़ी अनेक स्मृतियों को ध्यान में रखते हुए इन स्थानों को भी एक भागवत सर्किट से जोड़कर पर्यटन की दृष्टि से टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया जाए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अवसर दिया। हम नये सदस्यों को आपका संरक्षण मिल रहा है। मैं दो मिनट के अंदर अपनी बात को समाप्त करूँगा। परसो जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे उसके बाद नेता कांग्रेस भी बोल रहे थे और उन्होंने कई बार हमारा इस चुनाव में नारा था ''न गुण्डाराज, न भ्रष्टाचार, अबकी बार भाजपा सरकार'' कई बार इस नारे का उल्लेख आदरणीय नेता प्रतिपक्ष ने किया। कई बार हमारे इस नारे का उल्लेख आदरणीय नेता कांग्रेस ने भी किया। सच्चाई तो यही है आदरणीय अध्यक्ष महोदय कि इस नारे का असर इतना हुआ है कि अब उनके मस्तिष्क में भी अच्छे–अच्छे विचार आने लगे हैं। उन्होंने अपने ढंग से इन नारों की व्याख्या की, नेता कांग्रेस ने भी नारों की व्याख्या की, नेता कांग्रेस युवाओं को लेकर बहुत–सी बातें कर रहे थे कि इस बजट में युवाओं के लिए क्या है? लेकिन विश्व की सबसे बड़ी युवा धरोहर तो उन्हीं के दल के पास है, पता नहीं कब तक उनको वे युवा बनाए रखेंगे लेकिन वह कह रहे थे कि न गुण्डाराज, न भ्रष्टाचार, उन्होंने अलग–अलग अपने ढंग से इस नारे की व्याख्या की, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम वर्ष 2017 में न गुण्डाराज न भ्रष्टाचार अबकी बार भाजपा सरकार के साथ आए हैं और वर्ष 2022 में ''न गुण्डाराज न भ्रष्टाचार बारम्बार भाजपा सरकार'' के नारे के साथ हम वापस आएंगे आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसलिए बहुत–बहुत, धन्यवाद।

***श्रीमती प्रतिभा शुक्ला–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बजट भाषण पर बोलने का जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपके प्रति आभारी हूं। अध्यक्ष जी, मैं उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा प्रस्तुत बजट 2017–18 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। इस सम्बन्ध में मुझे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जी की कविता की कुछ पंक्तियॉ याद आई हैं–

''आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दुपहरी में अंधियारा,
सूरज परछाईं से हारा, अन्तर्तम का नेह निचोड़े,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बुझी हुई बाती सुलगाए, आओ फिर से प्रदेश बनाए।''

हमारी सरकार ने प्रदेश का 2017–18 का बजट पेश किया है। अध्यक्ष जी, मैं इस विषय में यह कहना चाहूंगी कि पिछले 15 साल में पूर्ववर्ती सरकारों की अदूरदर्शिता के कारण उत्तर प्रदेश की वार्षिक विकास दर 3 प्रतिशत से भी कम रही है और राष्ट्रीय विकास दर 7 प्रतिशत के आस–पास रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि प्रदेश विकास की दर को भी पिछली सरकार की फिजूलखर्ची को खत्म करके प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर राष्ट्रीय विकास दर के लक्ष्य को निश्चित रूप से प्राप्त करेगी। इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, वह काफी सराहनीय हैं। मैं उस पर बिन्दुवार चर्चा करना चाहूंगी। हमारी सरकार ने दिव्यांग कल्याण के लिए पेंशन योजना को 300 रुपये बढ़ाकर 500 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, यह सरकार का बहुत अच्छा और स्वागतयोग्य कदम है। सरकार ने बजट में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय हेतु 18 करोड़ 40 लाख रुपये की बजट में व्यवस्था की है, जो अतिसराहनीय है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि हमारे जनपद कानपुर देहात के मुख्यालय अकबरपुर में भी इस प्रकार के विद्यालय खोले जायें क्योंकि इससे बहुत लाभ मिलेगा। महिला एवं बाल कल्याण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य रहा है और बजट का भी उद्देश्य रहा है कि नारी हमेशा सर्वसम्मानीय रही है। इस विषय में मैं यह कहना चाहूंगी कि 'नारी तुम केवल श्रृद्धा विश्वास तव मेव, पीयूष सोसति बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में'। महिला कल्याण और बाल विकास की दिशा में सरकार ने काफी उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। इसके अन्तर्गत हेल्प डेस्क योजना एक स्वागत योग्य कदम है। इसके स्थापना हेतु बजट में जो जिले प्रस्तावित हैं उसमें हमारे जनपद कानपुर देहात को भी इसमें सम्मलित कर लिया जाये, यह सरकार से हमारा अनुरोध है।

प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने काफी सराहनीय कार्य किये हैं जिसके अन्तर्गत कई जनपदों में नए राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोले जा रहे हैं तथा रोजगार के नए–नए अवसर उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रयत्नशील है। सरकार से अनुरोध करेंगे कि कानपुर देहात के मुख्यालय अकबरपुर में भी एक राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलने की व्यवस्था की जाये जिससे क्षेत्र के गरीब छात्रों का भला हो सके। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मानव समाज की एक बुनियादी आवश्यकता है। इसके अभाव में स्वस्थ समाज का निर्माण एवं प्रगति नहीं हो सकती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी विधान सभा के शिवली क्षेत्र में लगभग बन्द सी0एच0सी0 को चालू किया जाये तथा उसका विस्तार करते हुए उसे पचास शय्या युक्त चिकित्सालय के स्तर का बनाया जाये जिससे दूरदराज के लोगों को लाभ मिल सके एवं क्योंकि वह शहर से काफी दूर है और गरीब लोग वहां पहुंच नहीं पाते हैं। राष्ट्रीय आयुश मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पचास एकीकृत आयुश चिकित्सालयों की स्थापना स्वागत योग्य है। इस प्रकार का एक चिकित्सालय कानपुर देहात के मुख्यालय अकबरपुर में भी स्थापित किया जाये। सरकार द्वारा मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुन्दरीकरण करने हेतु जो व्यवस्था की गयी है वह भी स्वागत योग्य कदम है। सरकार से अनुरोध है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र की सड़क

कल्याणपुर–शिवली मार्ग के बीच में तीन कि0मी0 की सड़क चौड़ीकरण से छूट गई है जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है हम चाहते हैं कि इसका चौड़ीकरण अविलंब करा दिया जाये और परिवहन निगम से भी हम कहेंगे कि बस के द्वारा इस मार्ग में रावतपुर–बाघपुर–मैथा होते हुए गहलों रूरा तक बस चलायी जाये जिससे आने–जाने वाले ग्रामीणों को दिक्कत का सामना न करना पड़ा। मेरी विधान सभा में अति महत्वपूर्ण सड़क शिवली से रूरा जो कि बुरी तरह क्षतिग्रस्त है उसका पुनर्निर्माण कराया जाये और यह सरकार से आग्रह है। बेसिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र–छात्राओं को पाठ्य पुस्तक एवं यूनिफार्म के दो सेट जो पहली बार बच्चों को दिए जा रहे हैं पिछली बार यूनिफार्म का कलर इतना खराब था कि बच्चे देखकर ही बड़े दयनीय महसूस होते थे। इस बार इतना सुंदर कलर है कि हम यह जरूर कहना चाहेंगे कि बच्चों का मानसिक विकास होगा और साथ–साथ जूते–मोजे जो ग्रामीण बच्चे कभी भी नहीं खरीद पाते हैं वह भी दिए जा रहे हैं, स्वेटर भी दिए जा रहे हैं, संस्कारों को एक तरह से बढ़ावा मिल रहा है क्योंकि जब अच्छी ड्रेस होगी और जूते–मोजे भी होंगे तो बच्चों का मानसिक विकास भी होगा और पढ़ाई की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसमें हम सभी विधायकों से भी यह कहा गया है कि आप लोग एक–एक विद्यालय गोद ले लें जिससे कि विद्यालय सही–सही शिक्षा दे सके तो हम लोग इस पर भी काम कर सकें।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों की भलाई के लिए अति महत्वपूर्ण कार्य किये है हमारी सरकार ने 36 हजार करोड़ रूपया किसानों की कर्ज माफी के लिए प्रस्तावित किया है यह एक अत्यन्त सराहनीय और स्वागतयोग्य कदम है। देश की आजादी से लेकर अब तक किसान हमेशा कर्ज से परेशान रहा है हमारी सरकार ने सीमान्त और लघु सीमान्त किसानों को एक लाख रूपये तक का कर्ज माफ किया है जिससे इन किसानों को काफी राहत मिली है तथा कर्ज में डूबे किसान अब काफी प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। सरकार ने किसानों की भलाई के लिए अब गेहूं और आलू की खरीद सुनिश्चित करने के जो प्रयास किये हैं वह स्वागतयोग्य एवं सराहनीय है। धान की खरीद की उचित व्यवस्था भी हमारी सरकार करेगी ऐसी हमें पूरी उम्मीद भी है। इस विषय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के प्रयासों से किसानों की आय आने वाले सालों में दोगुनी हो जाएगी। हिन्दुस्तान में आर्थिक परिवर्तन और गरीबी हटाओं अभियान में यह मील का पत्थर साबित होगा।

सरकार द्वारा राशनकार्डो का सत्यापन कराकर एक सराहनीय कार्य शुरू किया गया है जिससे तमाम फर्जी कार्ड निरस्त हो गये हैं एवं गरीबों का इससे फायदा हो रहा है सरकार इस दिशा में बहुत प्रभावी कदम उठा रही है और गरीबों को इससे शत–प्रतिशत फायदा भी मिल रहा है। मान्यवर, कानून व्यवस्था के बारे में बताना चाहती हूं कानून व्यवस्था बदमाशों एवं माफियाओं के हाथ में चली गयी थी अब तक उसको प्रभावी ढ़ंग से न्यायिक ढ़ंग से प्रक्रिया के दायरे में लाकर कानून का राज स्थापित किया जा रहा है।

इससे जहॉ हर तरफ शत–प्रतिशत एफआईआर दर्ज हो रही है वहीं दूसरी ओर एंटी रोमियों दल की स्थापना कर अपराधियों और माफियाओं के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है। यही कारण है कि अपराधी गुण्डे प्रदेश को छोड़कर भागने पर मजबूर हो रहे हैं और इससे गुण्डे और माफियाओं के प्रति लोगों में भय खत्म हो रहा है और सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अन्त में इतना कहना चाहूंगी कि अतिशीघ्र माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में रामराज्य की स्थापना होगी । रामराज्य का मतलब रामचन्द्र जी ने राजसंकल्प के द्वारा मानव समाज का डर बिल्कुल निकाल दिया था। रामराज का मतलब यह नहीं कि बहुत सारी धन सम्पदा घर–घर में आ जायेगी। रामराज का मतलब कि हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होगा। बिना डरे हुए अपनी बात कह सकता है ऐसा सुन्दर राज यहां स्थापित होगा। यह भी कहना चाहूंगी कि मन–वाचा–कर्मणा, जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं बहुत ही भाग्य ऐसा होता है जब ऐसे मुख्यमंत्री होते हैं। अभी हमारे सामने के व्यक्ति कह रहे थे कि योगी जी ईर्ष्यावश इस प्रस्ताव को नहीं ला रहे हैं तो हम यह जरूर कहेगे कि जब रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण तीनो समरेखा में आते हैं तब किसी ऐसे महापुरूष का जन्म होता है जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं इनको विरक्ति है इनको कोई ऐसी इच्छा नहीं है लेकिन काम के प्रति कोई विरक्ति नहीं है। अच्छी शासन व्यवस्था हो, उत्तर प्रदेश में बढ़िया सरकार बने हर घर–घर में प्रसन्नता हो। इसके साथ ही मैं अपनी बात खत्म करते हुए यही कहॅूगी कि

दानवता को मानवता से, बेपरवाह बदल देंगे ।

इस बजट के माध्यम से, उत्तर प्रदेश का इतिहास बदल देंगे।।

***श्री उज्जवल रमण सिंह–**

कहीं पर भी इस बात की चर्चा नहीं, मैं जरूर इस बात को कहॅूगा कि रंगराजन कमेटी वर्ष 2010 में बनी थी जिसने इसकी सिफारिश की थी जिसको आप लोगों ने माना है । यह एक अच्छी चीज है, मैं इसकी निन्दा नहीं करता। आपने अच्छी शुरूआत की है, इस समय भारत के सभी राज्यों में प्लान और नानप्लान का डिस्टंक्शन समाप्त हुआ है। लेकिन मैं इस सरकार से अपेक्षा करना चाहता हूं कि आखिर सरकार यह बताये तो, इसका फायदा क्या है। जो पुरानी व्यवस्था थी उस व्यवस्था के नुकसान को बतलाये तो मैं समझता हूं कि यह ज्यादा बेहतर होगा । मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि 36 हजार करोड़ रुपया आपने कहा है कि हमने ऋण माफ किया है अध्यक्ष जी, अगर व्यवस्था आप देखेंगे तो 32,399 करोड़ की व्यवस्था है तो यह ढाई हजार करोड़ रुपया कहॉ से आयेगा यह आपने बतलाने का काम अपनी किसी भी हस्तपुस्तिका में नहीं किया। यह आप समझिये कि यह जो प्रश्न हम आज कर रहे हैं यह आपकी बेहतरी के लिये है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि नान टैक्स रेवन्यू में 24 हजार करोड़ रुपया पिछली सरकार ने इकठ्ठा किया था लेकिन जो आपने व्यवस्था की है, वह मात्र 15 हजार करोड़ की व्यवस्था है, 9 हजार करोड़ रुपया इसमें भी कम हो गया, क्यों कम हो गया, मैं यह सरकार से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आखिर यह कैसी व्यवस्था है। नान टैक्स रेवन्यू आपकी ही किताबों में निकला है, आपने ही जो पुस्तिका दी है, उसी में लिखा हुआ है। एक तरफ आप कहते हो कि खनन् में हम 1500 से 3 हजार ले जायेंगे। आप हर चीज को बढ़ा रहे हो, जबकि हमारी सरकार को तो कह दिया आपने खराब। हमारी सरकार पर सारा दोष लगा दिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि यह नान टैक्स रेवन्यू जो 9 हजार करोड़ रुपया है, वह कम क्यों हुआ है और आप इसकी भरपाई कैसे करेंगे।

मान्यवर, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि चार लाख करोड़ रुपये का कर्ज उत्तर प्रदेश की जनता पर है लेकिन आपने बजट में कहीं पर भी यह बतलाने की चेष्टा नहीं की है कि आप अपने खर्चे में कटौती कैसे करेंगे। आज सरकार का लगभग 52 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत जाता है किन चीजों में, जो आपने बजट प्रस्तुत किया है उसके अनुसार आपके वेतन में जाता है, आपके पेंशन में जाता है, आपके ब्याज में जाता है और जो आपने कर्जा लिया है उसका प्रिंसिपल एमाउन्ट देने में आपका पैसा जाता है। मात्र 40 प्रतिशत बजट का पैसा आप डेवलपमेंट फंड में ले जाते हो । मैं सरकार से जानना चाहता हूं और मुझे खुशी होती इस बात की, अगर सरकार यह कहती कि हमने अपने खर्चे में कटौती की । माननीय नेता विरोधी दल ने उन मदों को बतलाया है लेकिन सरकार ने वह कारण नहीं बतलाये कि जिसके लिये इन्होंने हर मद में कटौती की है। जहॉ पर विकास होना चाहिये, उन मदों में आपने कटौती करने का काम किया। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि इसका कारण क्या है।

मैं सरकार से यह भी जानना चाहता हूं कि आपने 55 लाख महिलाओं की पेंशन रोकने का काम किया, उसकी वैकल्पिक व्यवस्था अगर आप कर देते तो हम लोगों को खुशी होती और खाली हम लोगों को ही नहीं, 22 करोड़ उत्तर प्रदेश की जनता को और खासकर 55 लाख उन महिलाओं को खुशी होती, अगर आपने इसकी व्यवस्था कर दी होती । माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जितने माननीय सदस्य बैठे हुये हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सबके क्षेत्र में है। आज मिट्टी का तेल मिलता है एक यूनिट पर एक लीटर। क्या ऐसी व्यवस्था में गरीब जी पायेगा ? आपने चीनी को बंद करने का काम किया, क्या 14 रुपये किलो की चीनी आज 35 से 40 रुपये किलो में गरीब खरीद पायेगा। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इस व्यवस्था को सुधारने के लिये क्या व्यवस्था की है मैं बहुत लम्बा भाषण नहीं करूॅगा, अन्त में एक बात कहूँगा कि आपने नाइंसाफी हमारे साथ, हमारे जनपद के साथ की है। इलाहाबाद जनपद को आपने 5 सौ करोड़ रुपया अर्द्धकुम्भ के नाम पर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि 2012–13 में श्री अखिलेश यादव जी ने और मो0 आजम खॉ साहब ने जो इलाहाबाद में

कुंभ कराया था उससे पहले भी 2006–07 में हमारी सरकार के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी ने कराया था और उस समय जितना पैसा मांगा गया था उतना मिला था। मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इलाहाबाद में मा0 अखिलेश यादव जी ने मेट्रो की व्यवस्था के लिए डी0पी0आर0 बनाने का प्रावधान किया था आपने तो इलाहाबाद से मेट्रो का नाम ही गायब कर दिया। मैं तो कहना चाहता हूँ कि एक योजना का नाम आप इलाहाबाद में बता दीजिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया हो जहां से आपके 9 विधायक जीतकर आते हैं, जहॉ के लोगों ने आप पर विश्वास किया उस जिले के साथ आपने नाइंसाफी की। मैं सिर्फ आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक 1320 मेगावाट का पॉवर प्लान्ट हमारे क्षेत्र में लग रहा था उसको रोकने का काम किया गया और हमारे ऊर्जा मंत्री जी कहते हैं कि नया पॉवर प्लान्ट लगाना सफेद हाथी है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 ऊर्जा मंत्री और पूरी सरकार से जानना चाहता हूँ कि आज पॉच हजार मेगावाट का हम उत्पादन करते हैं 17 हजार मेगावाट की हमारी जरूरत है बाकी सारी बिजली हम खरीदते हैं, आप कहते हैं कि हमको बिजली प्लान्ट लगाने की जरूरत नहीं, अगर आपने यह काम नहीं किया, प्लान्ट नहीं लगे तो अगले 20 सालों तक उत्तर प्रदेश की सरकार उत्तर प्रदेश को अंधेरे में रखने का काम करने जा रही है। मैं सरकार से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप हमारे सुझावों पर ध्यान दें, यह हमारी चिन्ता जो हमने व्यक्त की है हमारा कोई नकारात्मक रूख नहीं है लेकिन मेरा सुझाव है कि जैसे आपने मध्य प्रदेश में धान, गेहूं की खरीद में बोनस दिया था और केरल में केरल की सरकार 6 सौ रुपया बोनस दे रही है क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भी किसानों को धान और गेहूं की खरीद पर बोनस देने का काम करेगी। 9 साल आपकी सरकार ने मध्य प्रदेश में दिया है, मध्य प्रदेश का कृषि मॉडल आप उत्तर प्रदेश में लागू करते हैं लेकिन अपने बजट में किसान को बोनस देने की बात नहीं करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूँगा कि अगर सरकार की मंशा किसानों को लाभ दिलाने की है तो लाभ का उचित मूल्य मिलना चाहिए और जब तक बोनस नहीं मिलेगा तब तक उचित मूल्य नहीं मिल पायेगा। अन्त में मेरा सुझाव है कि जैसे आपने मध्य प्रदेश में फाइनेंशियल इयर को 01 जनवरी से 31 दिसम्बर कर दिया है वह व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू करें और बजट आप उससे पहले पास कर लें तो अच्छा रहेगा क्योंकि बजट का पैसा क्षेत्र में जाते–जाते लगभग दो महीने लग जायेंगे और उसे खर्च करने के लिए मात्र 6 महीने बचते हैं, आप आपाधापी में पैसे को खर्च होने मत दीजिए, अधिकारियों की बाजीगरी से बचिये। यह ऑकड़ों का खेल नहीं है, जनता के दुःख दर्द को दूर करने के लिए और जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए यह बजट होता है इसलिए मैं चाहूँगा कि सरकार हमारी मांग को और हमारी चिन्ता को ध्यान में रखकर भविष्य में बजट को और बेहतर करके उसे गरीबों के लिए बनायें, बहुत–बहुत धन्यवाद्।

*श्री अभिजीत सिंह सांगा –

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यहाँ पर बजट का समर्थन करते हुए यह कहना चाहता हूँ कि यह कोई आम बजट नहीं है, यह खास बजट है, इसके पीछे इसके मूल में रामराज्य है, इसके मूल में दीनदयाल जी के अन्त्योदय का विचार है, इसके मूल में मोदी जी का संकल्प सबका साथ सबका विकास का विचार है। यह बजट आज कहीं न कहीं उस इमारत का जो उत्तर प्रदेश के विकास की एक बुलन्द इमारत की नींव इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में रखी गई है। उस बुलन्द इमारत की नींव का यह पहला पत्थर, यह रामायण का पहला पन्ना साबित होगा, यह आज इस सदन में मैं कहना चाहता हूं कि आज बजट में बहुत से हमारे सम्मानित सदस्यों ने समर्थन पर भी चर्चा किया और विपक्ष में भी लोगों ने बात करने का काम किया है। ऑकड़ों पर चर्चा हुई है, आय और व्यय पर चर्चा हुई है। हमारे सदस्यों ने जिन विषयों पर बात की है, मैं उन सभी विषयों पर अपने–आप को सम्बद्ध करते हुए क्योंकि समय का अभाव है, मेरे जैसे बहुत से सदस्य हैं जो बजट के समर्थन पर अपने विचार रखना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि बजट की मूल बात रही है, जो हमारे देश के किसान जिनके कर्ज माफी के लिए, हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य नाथ जी ने, वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल जी ने अपना पिटारा खोलने का काम किया है, उनका सम्मान बढ़ाने का काम किया है क्योंकि उनको दर्द का अहसास है, जिस दर्द से इस प्रदेश का किसान बेहाल था, बदहाल था। जिस दर्द से उन किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें थी, उसको चिंता थी कि कैसे हम अपने बेटी के हाथ पीले करेंगे, उस किसान को वह चिंता थी कि कैसे वह अपने बच्चे की पढ़ाई पूरी करायेंगे, उस किसान को वह चिंता थी कि कैसे उन सूदखोरों का कर्जा हम वापस करेंगे, उन किसानों का आत्म सम्मान बढ़ाने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्य नाथ जी ने करने का काम किया (मेजें थपथपायी गयी।) हमारी भारतीय संस्कृति में किसान को अन्नदाता कहा गया है, भगवान कहा गया है। किसान को अन्नदाता और भगवान इसलिए कहा गया है क्योंकि किसान केवल अपना पेट भरने का काम नहीं करता, केवल अपने परिवार का पेट भरने का काम नहीं करता, केवल अपने जिले, अपने गॉव, अपने शहर का पेट भरने का काम नहीं करता, किसान वह कौम है जो पूरी धरती का पेट भरने का काम करता है, लोगों को नई राह दिखाने का काम करता है और संघर्ष के साथ में नई पीढ़ी को जीवन की कला सिखाने का काम करता है इसलिए किसान को अन्नदाता और किसान को भगवान कहा जाता है। बहुत से बिन्दु हैं किसानों का 36 हजार करोड़ रुपये का कर्ज माफ करके एक तरफ किसानों की खुशहाली के लिए प्रदेश की सरकार ने काम करने का काम किया है वहीं दूसरी तरफ सिंचाई और कृषि की उन्नति के लिए, नई तकनीकों के लिए, इस बजट में बहुत कुछ योगदान दिया गया है। मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत बिन्दु हैं। मैं अध्यक्ष जी की भावना को समझ रहा हूं, 6.00 भी बजने वाला है। मैं कहना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, पहली

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बार सदन में बोल रहा हूं, आपका संरक्षण मुझे भी चाहिए। एक तरफ किसान का ऑसू पोछने का काम हमारी सरकार ने किया है वहीं दूसरी तरफ इस देश का भविष्य, इस देश की नींव नौजवानों के बारे में भी सोचने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य नाथ जी ने किया है। एक तरफ महिलाओं को, बच्चियों को ग्रेजुएट तक मुफ्त शिक्षा देने का काम हमारे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्य नाथ जी ने किया औद्योगिक नीति लाने का काम, जिस नीति की वजह से आगे आने वाले समय में जो नौजवान इस प्रदेश से पलायन करने पर मजबूर थे, आज उन नौजवानों को इस प्रदेश में रोजगार देने के अवसर प्रदान करने का काम यह सरकार करने जा रही है। आने वाले समय में 5 साल में डेढ़ लाख से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती करके उन नौजवानों के अंदर एक आशा और विश्वास पैदा करने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है जो कहीं न कहीं भेद–भाव के भाव में नई तैयारियॉ करने को भी साथियों कहीं न कहीं विवश हो जाते थे। वह जानते थे कि इस पूर्व की सरकारों में हमको नौकरियॉ नहीं मिल पायेंगीं। किसानों के भी ऑसू पोछने का काम किया है इस सरकार ने। नौजवानों में भी एक नई उम्मीद जगाने का काम किया इस सरकार ने किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, आपका प्रबोधन का कार्यक्रम बड़े मन से हम लोगों ने सुनने का काम किया था। बहुत कुछ सीखने का काम किया था। माननीय अध्यक्ष जी, बड़ा संघर्ष करके, लाठियॉ खा करके आज इस सदन में आने का मौका हम लोगों को मिला है। जब वहाँ पर हम प्रबोधन का कार्यक्रम सुन रहे थे। नेता सदन बोल रहे थे, नेता प्रतिपक्ष भी बोल रहे थे तो हमको लगता था सदन के अंदर निश्चित तौर पर प्रदेश को बढ़ाने के लिये पक्ष–विपक्ष सब सकारात्मक भूमिका अदा करने का काम करेंगें। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, यहाँ पर सुनने के बाद, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भले ही आज हम सत्ता पक्ष में उपस्थित हैं, हम बैठे हैं लेकिन हमारे जो साथी विपक्ष में हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं मैं दिल की गहराइयों से आपका सम्मान करता हूं क्योंकि आप लोग वह लोग हो जो धारा के विपरीत अपने दल के माहौल के न होते हुए आज इस सदन के सदस्य बने हो निश्चित तौर से आप लोगों ने अपने क्षेत्र में कोई अच्छे काम किये होंगें, कुछ संघर्ष किया होगा इसलिये आज आप इस सदन के अंदर बैठे हुए हैं लेकिन साथियों यहाँ पर आने के बाद जब मैंने आप लोगों को सुना तो मैंने जाना कि जो मैं सुनता था वही सही है, जो मैं देख रहा हूँ वह सही नहीं है। जो मैं सुनता था वही सही था। अब टोकने की आदत छोड़ दीजिये, अब सुनने की आदत डाल लीजिये क्योंकि आने वाले सालों में अगर आप टोकेंगे तो यह जनता सब देख रही है। इस जनता ने प्रदेश में मोदी जी के ऊपर विश्वास करके, योगी जी पर विश्वास करके, इस भगवे झंडे पर विश्वास करके, भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके इस प्रदेश में इस बहुमत को देने का काम किया है। और आपकी नीतियों से..

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री अभिजीत सिंह सांगा–

अध्यक्ष जी, थोड़ा समय और दीजिये, दोबारा नहीं बोलूँगा।

श्री अध्यक्ष–

अभी और लोगों को बोलना है।

श्री अभिजीत सिंह सांगा–

फिर 6 बज जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

नहीं 6 नहीं अभी और रुके रहेंगे। तीन चार लोगों को और बोलना है।

श्री अभिजीत सिंह सांगा–

अध्यक्ष जी, थोड़ा समय और दे दीजिये। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं आपका संरक्षण चाहिए। आप इनको संरक्षण मत दीजिये। इनको संरक्षित रखने का काम करिये। यह जो संख्या है, इनको संरक्षित रखने का काम करिये।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये। विनोद कटियार जी, आप बोलें।

श्री अभिजीत सिंह सांगा–

अध्यक्ष जी, हम कहना चाहते हैं कानून व्यवस्था पर बड़ी–बड़ी बातें हो रही हैं। जो लोग कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार को घेरने की बात कर रहे हैं हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप भूल गये वह दिन जिस दिन मुज्जफरनगर जल रहा था, आप भूल गये वह दिन जिस दिन दादरी जल रहा था, भूल गये वह दिन जिस दिन बदायूँ जल रहा था। आप भूल गये वह दिन जिस दिन जवाहरबाग जल रहा था। जिस समय मुज्जफरनगर जल रहा था उस समय साथियों इस पार्टी के लोग और पूरी सरकार सैफई में बैठ करके माधुरी के ठुमके देखने का काम कर रहे थे। और यहाँ पर इनके कार्यकर्ता माधुरी का पव्वा लगा करके लोगों की जमीनों को लेने का काम कर रहे थे।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठिये। विनोद कटियार जी खड़े हैं। कटियार जी आप बोलें।

श्री विनोद कुमार कटियार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा...

श्रीमती विमला सोलंकी–

कितनी देर तक सदन चलेगा।

श्री अध्यक्ष–

जितनी देर तक लोग चिल्लायेंगे। (हूंसी)

श्री विनोद कुमार कटियार–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो लोक कल्याणकारी बजट हमारी सरकार द्वारा, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट, जिसमें सरकार के द्वारा बहुत लोक कल्याणकारी योजनायें, जिनके बारे में बिन्दुवार मैं चर्चा करना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले बता देना चाहता हूँ कि विपक्ष के द्वारा जो भी बातें कही जा रही हैं ऐसा लगता है– **जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी,** इसको चरितार्थ कर रहे हैं। यह अपने कार्यकाल में बहुत अच्छी योजनायें तो नहीं लाए लेकिन एक चीज जरूर लाये थे कि पूरे प्रदेश को गुण्डागर्दी और भ्रष्टाचार में तल्लीन कर दिया था पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया था। उसको अगर मुक्ति का कोई रास्ता दिखाया तो माननीय योगी जी की सरकार ने दिखाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ देश का मोदी और प्रदेश का योगी, उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। अब इसको कोई रोक नहीं पाएगा, हमारी 100 दिन की सरकार में कितने काम हो चुके है यह आप अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे इस 100 दिन के कार्यकाल में 5 हजार 895 हैक्टेयर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। एक बहुत बड़ा उद्योग चल रहा था उत्तर प्रदेश में, जिसमें की भूमि किसी दल के लोगों की शह पर लोग कब्जा कर लेते थे और पुलिस प्रशासन भी उसमें मदद करती थी आप लोग सुन रहे होंगे, आप लोग बातों में तल्लीन हो सकते हैं लेकिन निश्चित रूप से एक बात थी उस भूमि को 100 दिन के अन्दर 5 हजार 895 हैक्टेयर भूमि को अगर किसी सरकार ने खाली कराने का काम किया, सरकारी भूमि को, तो वह योगी सरकार ने किया।गन्ना किसानों के बारे में कहना चाहूंगा। आपकी सरकार ने गन्ना किसानों के लिए कितना पैसा दिलाया था हमारी सरकार ने 100 दिन के अन्दर गन्ना किसानों को 22 हजार 682 करोड़ रुपये का भुगतान सुनिश्चित कराया है जो कि आपकी सरकार से नौ हजार करोड़ रुपया अधिक है। **अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है,** अभी तो यह छोटा सा 100 दिन कार्यकाल हुआ है। 100 दिन के कार्यकाल में इतनी बड़ी उपलब्धि हुई है। इस साल आपको पता है कि आलू का बहुत बड़ा उत्पादन हुआ है आलू को क्रय करने का कार्य इसके पहले शायद और किसी सरकार ने नहीं किया, आलू की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पूर्ववर्ती सरकारों में आलू रोड पर फेंका जाता था। उसको कोई पूछने वाला नहीं था दोस्तों अगर किसी ने इसका संरक्षण करने का काम किया तो योगी सरकार ने किया। आज इस वर्ष शीतगृहों में आलू का रिकार्ड एक करोड़ 20 लाख मीट्रिक टन आलू भंडारण हो चुका है, सरकार ने इसमें व्यवस्था की है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपको पता है कि ठेके कैसे होते थे, पहले सोर्स सिफारिश के माध्यम से ठेके होते थे कार्यकर्ता और अपराधियों को ठेके दिलाये जाते थे हमारी सरकार के आने के बाद सिर्फ 100 दिन में नहीं, पहली कैबिनेट में और दूसरी कैबिनेट में निश्चित रूप से एक निर्णय ले लिया कि एक करोड़ से ऊपर वाले जितने ठेके होंगे वह सब ई–टेन्डिरिंग के ठेके होंगे सारे माफिया और सारे गुण्डे अब भाग रहे हैं प्रदेश छोड़ रहे हैं और एक पारदर्शी सरकार का निर्माण हो रहा है। समय लगेगा निश्चित रूप से एक जर्जर व्यवस्था को बनाने में समय लगता है। एक जर्जर व्यवस्था एक कुव्यवस्था आपने दी कि खजाना खाली था। महल खड़ा हुआ था अब महल को बनाया जा रहा है महल का निर्माण चल रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जैसे भगवान राम इसी प्रदेश के रहने वाले थे भगवान राम ने जिस तरह से रामराज की स्थापना की थी आने

वाले समय में योगी सरकार रामराज जैसा शासन देने वाली है यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि इलाहाबाद के लिए कुछ नहीं किया हमारी सरकार के द्वारा इलाहाबाद को स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है और यहाँ पर हवाई यातायात के लिए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे इलाहाबाद के लिए बहुत सी अन्य योजनाएं भी आ रही हैं ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है ऐसा कोई बिन्दु नहीं हे जिसे योगी सरकार ने छुआ न हो और सुना न हो । हमारे लघु सीमान्त किसानों की बात आई लघु सीमान्त किसानों के फसली ऋण की अदायगी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था की गई है निश्चित रूप से यह बड़ा काम है। आज के पहले क्या उत्तर प्रदेश में किसी सरकार ने यह किया अगर कोई एक अच्छा काम किया गया है तो उसकी सराहना होनी चाहिए उसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए आप लोग आलोचना करते हैं लेकिन अच्छे काम की सराहना करना भी सीख जाएं अगर सराहना करेंगे तो निश्चित रूप से और बहुत से अच्छे काम होंगे। इससे 86 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं 100 दिन की सरकार में हमारे प्रदेश में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया जो सड़कें गड्ढायुक्त थीं या कहिए कि गड्ढे में सड़क थीं उनको गड्ढामुक्त करने की व्यवस्था थी निश्चित रूप से बहुत बड़ी व्यवस्था थी। इतनी बड़ी व्यवस्था को करने में समय लगता है। समय लग रहा है लेकिन एक बहुत बड़ा इतिहास रच रहा है सिर्फ भाजपा के इलाके में ही सड़क नहीं बन रही है अध्यक्ष जी पूरे उत्तर प्रदेश में सड़कें गड्ढामुक्त हो रही हैं। पक्ष और विपक्ष का इसमें कोई भेद नहीं हो रहा है। निश्चित रूप से राम गोबिन्द चौधरी जी के क्षेत्र में भी सड़कें बन रही हैं और गड्ढामुक्त हो रही हैं आप माने या न माने वहाँ भी विकास हो रहा है।

श्री अध्यक्ष –

आपके पास अभी कितने बिन्दु रह गए।

श्री विनोद कटियार–

अभी बहुत सारे बिन्दु हैं। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को लेकर चलती है निश्चित रूप से इस अवधारणा से हमारे देश और प्रदेश का विकास हो रहा है। सरकार के द्वारा जो भी जनकल्याणकारी योजनाएं आ रही हैं चाहे किसी क्षेत्र में हो चाहे आवास की बात हो या ग्राम विकास की। अध्यक्ष जी मैं विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर से आता हूँ उस विधान सभा क्षेत्र के बारे में दो बातें कहना चाहता हूँ। विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर 403 विधान सभा क्षेत्र में सबसे पिछड़ी हुई विधान सभा है यह विधान सभा क्षेत्र एक जमाने में राजा बलि की विधान सभा होती थी राजा बलि की राजधानी वहाँ पर चपरघटा में होती थी ।

श्री अध्यक्ष–

राजा बलि क्या चुनाव लड़ते थे। राजा बलि तो चुनाव नहीं लड़े।

श्री विनोद कटियार–

पूरे हिन्दुस्तान में अगर एक जगह यमुना उत्तरायण होती हैं वह चपरघटा में होती हैं भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र में होती हैं आज भी मैं चाहता हूँ कि पुरातत्व विभाग से इसका सर्वे कराया जाय और राजा बलि ने 99 यज्ञ कहीं किए थे तो मूसानगर की

धरती पर किए थे और नहीं किए थे मैं चाहता हूँ कि चपरघटा को मूसानगर को मुक्ता देवी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए अध्यक्ष जी मैं एक दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूँगा। एक कहावत हैं कि अंग्रेजों की कमाई चपरगटा में गंवाई अंग्रेजों ने वहाँ पर एक भव्य मंदिर बनवाया था मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक पर्यटन स्थल के रूप में घाट को पक्का कराया जाय और मंदिर बनवाया जाय इन्हीं सब बातों के साथ आपने बजट के समर्थन में मुझे बोलने का समय दिया बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

काफी माननीय सदस्य अपनी बात रखना चाहते हैं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, 7 बजे तक आराम से चल सकता है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, अगर सदन का समय समाप्ति की ओर हो तो एक मा0 सदस्य को इधर से और एक मा0 सदस्य को उधर से बोल लेने दें।

श्री नफीस अहमद–

मा0 अध्यक्ष जी, आपको बहुत–बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मुझे विधान सभा में पहली बार आने का मौका मिला है। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग मेरी बात सुनेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता विरोधी दल ने बजट पर जो कहा है उसके साथ अपने को संबद्ध करते हुये मैं यह कहना चाहूँगा कि इस बजट के आने से पहले जैसे पूरे प्रदेश के अन्दर जो एक माहौल बनाया गया था कि यह सरकार जो बजट ला रही है वह एक ऐसा तारीखी बजट होगा जिसके आने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जायेगी। जिस दिन से सदन में हम लोग आए हैं उस दिन से तमाम बातें सुन रहे हैं। हमारे मंत्रिगण भी अपनी बातें रख रहे हैं, हमारे और भी सम्मानित सदस्य भी अपनी बातें रख रहे हैं। जहॉ तक सवाल है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को आपसे एक उम्मीद थी, एक यकीन था कि जब आप सत्ता में आयेंगे तो एक ऐसा बजट लेकर आयेंगे कि उन भूखे, गरीब, किसान, नौजवानों की तकदीर और किस्मत का फैसला होगा, लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब बजट सामने आया तो सबसे पहले वह किसान जो उम्मीद लगाकर बैठा था कि भारतीय जनता पार्टी का बजट आने के बाद मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा, मैं अपना घर बनाऊंगा, मेरा सारा कर्ज माफ कर दिया जायेगा, लेकिन अफसोस कि सारा कर्ज तो माफ नहीं किया गया, बल्कि एक छलावे के साथ कहा गया कि आपके एक–एक लाख रुपये माफ कर दिये जायेंगे। आपका जो संकल्प पत्र था उसमें आपने यह साफ लिख दिया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी लघु और सीमान्त किसानों के फसली ऋण को माफ कर दिया जायेगा। तमाम ऐसी बातें जो आपने अपने घोषणा पत्र में कही थीं, अफसोस तो तब होता है जब बड़े–बड़े उद्योगपति कर्ज लेते हैं तो सरकारें उनको पकड़ कर जेलों में भेजने का काम नहीं करती हैं। अभी मेरे एक साथी कह रहे थे मैं

उनकी बात से सहमत हूँ कि किसान सिर्फ अपना पेट नहीं पालता है बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों का पेट पालने का काम करता है। उन व्यापारियों को जो कर्ज लेकर आज घूम रहे हैं, उनसे कर्ज की वसूली नहीं होती है, लेकिन अफसोस कि उन किसानों को जेलों की सलाखों के पीछे डालने का काम होता है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि 'तेरी एक निगाह की बात थी मेरी जिन्दगी का सवाल था' अगर आप ध्यान देते शायद उनका भी मुस्तक्बिल बदल जाता। जहॉ तक सवाल है मैं ज्यादा कुछ न कहते हुये यह कहना चाहूँगा कि आज जो प्रदेश का माहौल है। तमाम हमारे मा0 सदस्य कहते हैं कि पिछली सरकार में यह हुआ। हम कहते हैं कि पिछली सरकार में जनता ने आपके काम के लिये आपको चुना है, बल्कि हमारी पिछली सरकार की बुराइयों के लिये नहीं चुना है। आज माहौल यह है कि हमारे घर की बहन–बेटियॉ सफर करने से डरने लगी हैं। आप देख लीजिये कि अभी कुछ दिन पहले फर्रूखाबाद के अन्दर क्या हुआ है। आज कहीं न कहीं सदन के अन्दर और सदन के बाहर तमाम सदस्य बैठकर बातें करते हैं, बड़ा अफसोस होता है। अगर आप धर्म की बात करते हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आपके तमाम लेख दैनिक जागरण, अमर उजाला और हिंदुस्तान में छपते रहते हैं, हमें भी उनको पढ़ने का मौका मिला है। मैं सदन के समक्ष यह बात रखना चाहता हूँ कि किस धर्म की किताब में इंसानियत का कत्ल करने को सही कहा गया है। अगर कोई गलत कह रहा है तो क्या हम उसी रास्ते पर चले जायेंगे? आज बड़ा अफसोस हो रहा है। अभी हमारी एक बहन सदस्य ने कहा था कि राम राज्य की स्थापना हो गयी है। क्या राम राज्य की यही स्थापना है कि 22 करोड़ की आबादी में सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय की औरतें, बहनें और बेटे आज सफर करने से डरने लगे हैं? क्या यही राम राज्य है, क्या राम राज्य की यही कल्पना थी। राम की कल्पना यह थी इंसानियत के लिए भगवान राम ने लड़ाई लड़ने का काम किया था। अगर आप भगवान राम को मानने वाले हो तो प्रदेश के अंदर ऐसा माहौल लाओ कि यहां का एक–एक इंसान खुशहाली से घूमने का काम करे। उसको यह महसूस हो कि वाकई एक सन्यासी, एक योगी की सरकार आ गई है। माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात कहूँगा कि आपने कहा था कि जब हमारी सरकार आयेगी तो हम पुलिस विभाग में बिना पक्षपात और जाति धर्म के भर्तियां करेंगे और मेरिट के आधार पर भर्तियां करेंगे लेकिन अभी जो सूचना आई है वह यह आई है कि आप परीक्षा ला रहे हैं मेरिट को हटाकर। दूसरा, आपने कहा कि कानून व्यवस्था को अच्छा करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हर जिले में हम तीन महिला थाने बनाने का काम करेंगे, लेकिन आपके बजट में ऐसा कुछ नहीं है। साथ ही आपने कहा था कि हमारी सरकार आने पर हम नौजवानों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। वह नौजवान जो इस प्रदेश और देश का भविष्य हैं, वह नौजवान जो आगे जाकर उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हैं उनकी हम सहायता करेंगे, उनको हम आगे लेकर जायेंगे। हम उनको टेक्नोलाजी से जोड़ेंगे, लेकिन आपने लैपटाप देने का वायदा अपने संकल्प–पत्र में किया था, लेकिन आपने लैपटाप देने का काम नहीं किया। आपने अपने शिक्षा बजट को कम करने का काम किया है, बल्कि

आपको अगर मौका मिला है और हमने कुछ किया है तो उसमें अगर कोई कमी है तो उसको और अच्छा करके इस प्रदेश की जनता का भला करने का काम करे। माननीय अध्यक्ष जी, हम जब गांव–देहात में जाते हैं तो माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में लोहिया आवास योजना का प्राविधान था जिसमें तीन लाख बीस हजार रुपये आवास के लिए दिये जाते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहली किश्त मिल गई, दूसरी किश्त न मिलने की वजह से आज छप्पर लगाकर बारिश के मौसम में अपने घरवालों को महफूज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो यह सोचा था कि आपके बजट में अगर उसको खत्म किया जायेगा तो किसी न किसी के नाम पर आप छह लाख चालीस हजार की योजना लाकर एक अच्छा मकान देने की बात करेंगे, लेकिन आपने उसको भी काटकर एक लाख तीस हजार कर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, हम तो यह जानना चाहेंगे कि आपने कहा था कि हम सबका साथ, सबका विकास लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपके इस बजट में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं है, जिससे आपका जो संकल्प है उनको भी दूसरे लोगों के साथ चलने का मौका दिया जाये, लेकिन इस बजट में ऐसा कोई भी प्राविधान नहीं है कि उनकी तरक्की का रास्ता खुल सके। माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा न कुछ कहते हुए सिर्फ एक अपील करूँगा कि सदन में अभी कुछ दिन पहले हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा था कि हम हज यात्रा को नहीं जाने देंगे, तो मैं आपसे यह अपील करूँगा और सदन से अपील करूँगा कि इस सदन से एक प्रस्ताव भारत सरकार के लिए पास होना चाहिये कि जो मुसलमानों को हज यात्रा के लिए सब्सिडी दी जाती है उस सब्सिडी को बंद कर दिया जाये। अगर आप वाकई मुसलमानों को सब्सिडी देना चाहते हैं तो उनको तालीम के क्षेत्र में सब्सिडी देने का काम करें, अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उनको रोजगार में सब्सिडी दीजिये, आप बंद कर दीजिये हज की सब्सिडी। साथ ही यह अपील करता हूँ कि आपको इस सदन में आने का मौका मिला है। आपको अगर जनता ने चुनकर यहां भेजा है तो मेरे भाई हिन्दुस्तान एक ऐसा गुलदस्ता है कि यहां हर तरह के फूल उगते हैं और आज हिन्दुस्तान की पहचान पूरी दुनिया में इसी नाम से है। इस हसीन गुलदस्ते को मिटने ना दो। माननीय अध्यक्ष जी, जौहर कानपुरी के इस शेर से मैं अपनी बात को खत्म करूँगा कि ''हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जायेगा, अगर यह साथ हिन्दू और मुसलमानों का छूट जायेगा, दुआ करो कि इनमे रहे मोहब्बत बाकी, अगर यह मोहब्बत टूट गई तो भारत टूट जायेगा।''

***श्री रवि कुमार सोनकर–**

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ । महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रदेश की जनता में व्याप्त कुपोषण को मुक्त करने के लिए जिस संकल्प अभियान को हरी झण्डी दी गई है वह काफी सराहनीय कदम है। इस अभियान को चलाने के लिए

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा दो सौ बासठ करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था प्रस्तावित है। शबरी नाम से प्रस्तावित इस योजना से कुपोषण को मुक्त करने के लिए जो अभियान चलाया गया है वह बहुत ही सराहनीय कदम है। साथ ही साथ माता शबरी का नाम लोगों के जेहन से जो लगभग नहीं रहता था उस नाम को फिर से जीवित करने का काम माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। मान्यवर, भक्त की मूर्ति कही जाने वाली माता शबरी जिनके मीठे बेर भगवान श्री राम ने खाये थे वह हमारे देश की महिलाओं के लिए एक आदर्श है। मान्यवर, मा0 मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि प्रदेश में कई विश्वविद्यालय महापुरूषों के नाम से हैं जैसे डा0 भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय नोएडा, सरदार बल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय मेरठ इसी प्रकार प्रदेश की कृषि विश्वविद्यालय का नाम माता शबरी के नाम पर होना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी उनके प्रेम, त्याग और बलिदान से परिचित हो सके। महोदय, मैं मा0 मुख्यमंत्री जी, को पुनः धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने गन्ना किसानों के दर्द को समझा और सौ दिन के अंदर गन्ना किसानों के बाईस हजार करोड़ के बकाये का भुगतान करके उनके खाते में भेजने का कार्य किया है। जो कि पिछली सरकारों से कहीं ज्यादा है। मा0 प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बस्ती की जनता से वादा किया था कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने पर बंद पड़ी मुंडेरवाँ चीनी मिल को पुनः चालू किया जाएगा। पूर्व की सरकारों द्वारा कई चीनी मिलों को बड़े शराब कारोबारीयों को बेच दिया गया था मुंडेरवां चीनी मिल जो कि विगत 18 वर्षों से बन्द थी उसे पूर्व की सपा सरकार के मुखिया ने भी चलवाने का वादा किया था परन्तु 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद मुंडेरवां चीनी मिल को चालने की बात तो दूर बस्ती की चलती हुई चीनी मिल को भी बन्द कराने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है।

मान्यवर, आज जो लोग अपने आपको किसानों का हितैषी कहते हैं मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुंडेरवां चीनी मिल को चलाने के लिए धरने पर बैठे किसान भाइयों पर उस समय की तत्कालीन बसपा सरकार ने गोलियां तक चलवा दी थी जिसमें हमारे महादेवा विधान सभा के किसान भाई भी शहीद हुये थे। मुंडेरवां चीनी मिल की स्थापना सन् 1932 में हुई थी जो अपने आप में एक अतीत समेटे हुये है। मान्यवर, प्रदेश में मा0 मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय सरकार बनते ही बन्द पड़ी सहकारी चीनी मिल मुंडेरवा के स्थान पर पांच हजार टी.सी.डी. क्षमता की नयी चीनी मिल जिसे सात हजार टी.सी.डी. क्षमता तक विस्तारित किया जा सकेगा और को–जनरेशन प्लान्ट तथा आसवनी की स्थापना के लिए 270 करोड़ रुपए के बजट की व्यवस्था की गयी है। मान्यवर, इस मिल को चालू करके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया है उससे ना केवल चीनी मिल का पुनर्जन्म हुआ बल्कि पूरे जनपद खासकर मेरे विधान सभा महादेवा के गन्ना किसानों में खुशी की लहर है। मान्यवर, मा0 मंत्री जी भी बैठे हुए हैं, मैं उनको भी आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूँ जिसमें कभी भी किसी सरकार का ध्यान नहीं गया है वह है फेरी नीति। मान्यवर, मा0

वित्त मंत्री जी द्वारा दुर्बल वर्ग के सम्मान से जीने के लिए ठेला, खोंमचा, रेहड़ी और सड़क पर सब्जी और फल बेचने वालों के लिए जो नीति नई फेरी नीति की योजना लायी गयी है उसकी मैं भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ। मान्यवर, मैं जिस समाज से रिश्ता रखता हूँ उसका फल, सब्जी आदि के व्यवसाय से ही जीविकोपार्जन होता है। महोदय, हम पिछली सरकारों के बारे में बाताना चाहते हैं कि इनका समाज के इन दुर्बल वर्ग पर कोई ध्यान नहीं था केवल पुलिस की गालियां मिलती थीं और उनका आर्थिक शोषण किया जाता था, लेकिन महोदय, इस नयी फेरी नीति से सरकार द्वारा उनका पंजीकरण और व्यवस्थित पुनर्वास की जो सराहनीय सोच और सम्मान से जीने का अवसर दिया जा रहा है इसके लिए मैं समस्त फेरी सबजी व फल व्यवसायियों की तरफ से सरकार की नीति की भूरि–भूरि प्रशंसा करता हूँ और अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के निर्धन अभिभावकों की पुत्रियों के विवाह के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है इस से इस सरकार की मंशा का पता चलता है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति की चिंता मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा की जा रही है।

महोदय, मैं जिस ग्राम सभा से आता हूँ वह काफी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए मैं उस तरफ भी आपको ले जाना चाहता हूँ। मान्यवर, बाढ़ एक ऐसा शब्द है जिसका आज परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है बाढ़ हमारे विधान सभा महादेवा के लिए एक अभिशाप बन गया है जिसमें हर साल न जाने कितने घर बह जाते हैं और न जाने कितनी फसलें तबाह हो जाती हैं लोग विस्थापित जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। मान्यवर, पिछली सरकारों के द्वारा इस पर कोई ठोस नीति और कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया है परंतु इस बार मैं अपने सिंचाई मंत्री जी को महादेवा विधान सभा की जनता की तरफ से कोटि–कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने महादेवा विधान सभा की वर्षों से लंबित योजना कलबारी रामपुर बांध के लिए धन स्वीकृत करके कार्य शुरू कराने के लिए जो कदम उठाए हैं वो अत्यंत सराहनीय है। इसी क्रम में हमे अपने विधान सभा के लिए कुछ पुलों की भी आवश्यकता है। मान्यवर, मैं उस पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जैसे– मनोरमा नदी पर कचूरे घाट से नवली घाट तक सेतु निर्माण, कुवानों नदी पर गोनार घाट से लालगंज तक सेतु निर्माण, कुवानों नदी पर सेलरा घाट से ठोकवा घाट तक सेतु निर्माण, मनोरमा नदी पर रामपुर मिश्र घाट से देवाडीह घाट तक सेतु निर्माण, कुवानों नदी पर मलवारे घाट से छिरौछा घाट तक सेतु निर्माण। महोदय, देईसांड से बानपुर तक का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण एवं नवीनीकरण, मुडेरवां से महादेवा लालगंज हथियान से कुदरहा तक का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण, बेलाड़ी अकारी मार्ग का चौड़ीकरण एवं उच्चीकरण की आवश्यकता है। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया उसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

सदन का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

मा0 अध्यक्ष जी, 11.00 से 05.00 बजे तक सदन का टाइम है। कहीं से प्रस्ताव आया ही नहीं कि समय बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

हम समझते हैं कि इसमें प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मा0 अध्यक्ष जी, आपके कक्ष में बैठकर यह तय कर चुके हैं, यह भी थे। अच्छा मान्यवर, नेता विरोधी दल जब से यह उधर बैठे हैं तब से एक बात की प्रेक्टिस इन्होंने बड़ी की है। कहिये तो बता दूं।

श्री अध्यक्ष–

नहीं अब आप दोनों अलग बात कर लीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है कि काफी मा0 सदस्य रह गये हैं और नेता विरोधी दल पहले ही इस बात के लिए सहमति दे चुके हैं कि सात बजे तक सदन आसानी से चल सकता है और अगर आप चाहें तो मान्यवर, आठ बजे तक चला लें। अगर आज आठ बजे तक सदन चल जाएगा तो काफी लोग बोल लेंगे उसके बाद कल साढ़े चार बजे मा0 मुख्यमंत्री जी इस सारी चर्चा का जवाब देंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि सदन का थोड़ा समय बढ़ा दें और नेता विरोधी दल को मना लें।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

हम तो माने ही हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक पर साधारण चर्चा (क्रमागत)

श्री रत्नाकर मिश्र–

मा0 अध्यक्ष जी मैं बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ । मान्यवर, भारत में पहली बार योगी सरकार में ऐसा बजट आया है जो कि गॉव गरीब किसान सभी धार्मिक क्षेत्र मां विन्ध्यवासिनी के दरबार में मान्यवर, अभी तक के उनके भक्त तो मुख्यमंत्री जरूर होते थे लेकिन उनके दरबार में एक भी पैसा बजट देने का काम नहीं किया गया था, मा0 योगी आदित्य नाथ जी और मा0 वित्त मंत्री जी ने पहली बार दिया है जबकि हर मुख्यमंत्री वहाँ जाकर मत्था टेकते थे लेकिन अभी तक कोई बजट नही दिया गया। मान्यवर, शिक्षा के क्षेत्र में आप देख लें। प्राचीन काल में एक भी व्यक्ति अपने देश में निरक्षर नहीं था। पढ़े लिखे ईमानदार और अच्छे लोग थे। लेकिन जब लार्ड मैकाले आया तो कहा कि अंग्रेजों की हुकुमत तब तक यहाँ चालू नहीं हो सकती जब तक कि यहाँ की शिक्षा नीति न खत्म की जाये। और उन्होंने यहाँ की शिक्षा नीति खत्म करके यहाँ के लोगों को बरबाद किया। बाद में जब श्री राजनाथ सिंह जी आये तो उन्होंने नकल को खत्म करने का काम किया। लेकिन जो मित्र सामने बैठे हैं जब इनकी सरकार आयी तो इन्होंने नकल के नाम पर चुनाव लड़ा। सामने के मित्र कल बोल रहे थे कि इंजीनियर निकाले जा रहे हैं। इंजीनियरिंग कालेज क्यों खोला जा रहा है। कारण आप लोग हैं इसलिए निकाले जा रहे हैं। नकल के द्वारा जो पढ़कर जाएगा तो कैसे वहाँ

अच्छा काम करेगा। मा0 योगी सरकार ने आने वाले भविष्य के लिए शिक्षा के लिए काम किया। अपने भविष्य प्राइमरी स्कूल से निकलते हैं। चाहे इंजीनियर हों, आई0ए0एस0 हों या अच्छे डाक्टर हों। प्राइमरी के बच्चों को अच्छी युनीफार्म देना शुरू किया गया है। अधिकांश लोग यहाँ उन्ही प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर आये हैं। मा0 अध्यक्ष जी, आप जानते हैं कि पहले गॉव आधारित शहर रहता था। शहर आधारित गॉव नहीं। जब शहर आधारित गॉव होता है तो शहर भी बर्बाद होता है। गॉव भी उजड़ता है। मा0 योगी जी और मोदी जी दोनों लोग गॉव आधारित शहर बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि गॉव से ही शहर की ओर रास्ता जाता है। शहर से गॉव की ओर नहीं जाता। आज गॉव के किसान का कोई बच्चा खेती करना नहीं चाहता। आज अपने मा0 योगी जी और मोदी जी दोनों मिलकर 2022 तक आपकी खेती दोगुना करने की सोच रहे हैं। उसी के आधार पर किसानों का कर्जा माफ किया गया। और इस बजट का हम समर्थन करते हैं। मान्यवर, स्वतंत्र भारत में पहली बार हर क्षेत्र में हमारा इतना अच्छा बजट आया और ज्यादा समय न लेते हुए मॉ विन्ध्यवासिनी के दरबार में भी गए, वहाँ इतना बड़ा मेला लगता है, वहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कुछ किया गया, जय मॉ विन्ध्यवासिनी, जय भारत।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017–18 के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, एक ऐसा बजट जिसने हर वर्ग को छुआ, चाहे वह महिला वर्ग हो, चाहे वह अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, हर वर्ग को छूने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, यह बजट उसकी सोच को दिखाता है कि हम किस प्रकार की सोच रखते हैं और किस तरीके की सोच को क्रियान्वित करने का हम लोग संकल्प करते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी जब विपक्ष के लोग बोल रहे थे तो मुझे बार–बार बहुत हंसी आ रही थी, जब यह कह रहे थे कि हम किसानों की चिन्ता बहुत कर रहे थे। मुझे याद आता है, वह समय जब किसानों के घरों से किस तरीके से उनके पशुओं को ले जाते थे और यदि कोई किसान रक्षा करते हुए उठ जाता था तो कनपटी पर पिस्तौल रख दी जाती थी और उसके सामने से उसके पशुओं को उठा कर ले जाते थे और बार–बार कहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती थी, हॉ, इतना जरूर है कि इनकी पार्टी के एक वरिष्ठ मंत्री थे जो आदरणीय सुरेश खन्ना जी की जगह पर बैठते थे, जब उनकी भैंसे चोरी हुई, तब जरूर सारा का सारा अमला उनको ढूँढने के लिए निकला। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे वित्त मंत्री जी ने किसानों की परेशानी को समझते हुए 36 हजार करोड़ का जो ऋण है, उसे माफ करने का काम किया और 36 हजार करोड़ के वित्त की जो व्यवस्था की है, अपने संसाधनों से की है। जब बार–बार आप लोग कहते हैं कि इस बार का बजट तो कम है और पहले बजट ज्यादा था। आपने एक योजना चलायी थी, बेरोजगारी भत्ता की, मैं देखती थी, बेरोजगारी भत्ता पत्नी भी ले रही है, पति भी ले रहा है, उसके बच्चे भी ले रहे हैं। हॉ, यह जरूर है कि 5–6 महीने चलाकर वह योजना बन्द कर दिया। लेकिन बेरोजगारी भत्ता में जो पैसा

बेरोजगारों को दिया जाता था, एक तरीके से उन बेरोजगारों को हाथ फैलाने का काम करवाते थे कि वह किस प्रकार हाथ फैला सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार ने युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं के सम्मान को बनाने के लिए हमारी सरकार एक नई औद्योगिक नीति लेकर आयी है और उद्योग के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा उ0प्र0 के युवा उससे रोजगार पा सकें, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, प्रदेश में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार द्वारा औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2017 तैयार की गयी है। और उसके कियान्वयन के लिए भी 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। आदरणीय अध्यक्ष जी उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु एक विशेष निवेश बोर्ड की स्थापना की व्यवस्था की गई है और उसमें 05 हजार करोड़ वित्त की भी व्यवस्था की गई है। मा0 अध्यक्ष जी, उद्योगों के प्रति, युवाओं के प्रति जब आप कहते हैं, तो मैं बता दूँ, कोई उद्योगपति यदि उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगाने के लिए आता था, क्योंकि मैं सिकन्दराबाद से आती हूँ और वहां एक औद्योगिक एरिया है, जब वहां कोई उद्योग लगाने के लिए आता था, तो वहां जिस तरीके से उसका शोषण किया जाता था, ऊर्जा विभाग पर किलोवाट के हिसाब से उनकी रिश्वत तय थी, यदि उसने सौ किलोवाट ले लिया तो आप देखिये कितनी रिश्वत ऊर्जा विभाग ले लेता था, रंगदारी व्यवस्था के तहत बाकायदा रंगदारी ली जाती थी, पहले वह बड़ी मुश्किल से उद्योग लगा पाता था और अगर उद्योग लगा लिया तो एक–आध साल में उसको छोड़ कर के चला जाता था, क्योंकि टिक नहीं पाता था, माहौल नहीं मिल पाता था, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही अपने उद्‌बोधन में कहा कि हम 22 करोड़ जनता के ऊपर चुनकर के आये हैं और हम एक ऐसा माहौल प्रदेश में लायेंगे जिससे ज्यादा से ज्यादा उद्योगपति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें और यहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाने के लिए उद्योगपति आयें। मा0 अध्यक्ष जी, चूँकि महिला हूँ, इसलिए महिला के विषय में भी बोलना जरूरी है।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

और आपसे ज्यादा पीड़ित कोई महिला है नहीं ।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी–

मान्यवर, पिछले दिनों में हमारी बच्चियां स्कूल जाती थीं, कालेज जाती थीं, बाहर खड़े होकर के वहां जिस तरीके से अराजक तत्व उनके जब स्कूल जाने के समय वह लोग खड़े हो जाते थे और बाहर निकलने के समय वह निकल नहीं पाती थी, वहां उनके गार्जियन आकर के खड़े हो जाते थे किसी तरीके से अपनी बच्ची को बचा कर के अपने घर लेकर के चले जाते थे, मॉ–बाप चिन्ता में घुले रहते थे, मॉ–बाप चिन्तित रहते थे कि भाई हमारी बच्ची बाहर से ठीक–ठाक अपने घर आ जाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की भी चिन्ता की और सबसे पहले बच्चियों के सम्मान को बचाने के लिए आपने एण्टी–रोमियो सेल की स्थापना की और आज बच्चियां हमारी सुरक्षित हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मा0 मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने महिला के सम्मान को बढ़ाया है, हर बच्ची की चिन्ता थी उन्हें, मेरे विपक्षीगण बैठे हैं, जब पहला बजट आया था, उसमें

आपने व्यवस्था की थी 30 हजार रुपये कन्या धन के नाम पर अल्पसंख्यक कन्याओं को मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता दूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तो सभी की चिन्ता की, प्रदेश में जितनी भी बेटियॉ हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, वह निःशुल्क डिग्री कालेज तक जा सकें, इसके लिए आपने व्यवस्था की। मा0 अध्यक्ष जी, आपने आहिल्याबाई निःशुल्क शिक्षा योजना के अन्तर्गत 21 करोड़ 12 लाख रुपये की व्यवस्था की है। आदरणीय अध्यक्ष जी हमारी सरकार ने सभी राजकीय व अराजकीय महाविद्यालयों में व विश्वविद्यालयों में वाई–फाई सुविधा हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हमारे बच्चों में देश भक्ति का भाव कैसे जगे, इसके लिए भी आपने चिन्ता की, देशभक्त लोग ही देशभक्ति की बात कर सकते हैं, इसलिए परमवीर चक्र जिनको मिला है, वह विद्यालयों में लगें और उनसे हमारे बच्चे प्रेरणा ले सकें, इसके लिए भी आपने चिन्ता व्यक्त की है और सभी राजकीय, अराजकीय विद्यालयों की गैलरियों में परमवीर चक्र जिन्होंने प्राप्त किये हैं उनके चित्र लगाये जायेंगे और उनका जीवन परिचय भी वहां पर लगाया जायेगा जिससे कि हमारे बच्चे प्रेरणा ले सकें, आगे बढ़ने की। देश भक्ति का उनमें जज्बा जग सके।

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे माननीय गन्ना मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं माननीय गन्ना मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं क्योंकि गन्ना की लड़ाई हम लोगों ने बहुत लड़ी है मिलकर के, गन्ने का पेमेन्ट नहीं होता था, उसके लिए हम लोग रोज यहां वेल में आ जाते थे, उसके लिए मैं बधाई देना चाहती हूं कि आपने 100 दिन में 22 हजार 682 करोड़ रुपये का भुगतान किया लेकिन एक बात और कहना चाहती हूं कि क्योंकि मेरे क्षेत्र की बात है माननीय अध्यक्ष जी, बहुजन वाले बसपा वाले बार–बार किसानों की बहुत चिन्ता कर रहे थे, आपने सारी, ज्यादा से ज्यादा चीनी मिलों को औने–पौने दामों पर बेच दिया था। औने–पौने दाम पर बेचने के बाद हम समाजवादी पार्टी से हम लोग यह आशा करते थे, क्योंकि ये लोग अपने चुनाव में बार–बार कहते थे कि जो इन्होंने कृत्य किया है, उसकी सजा जरूर दी जायेगी और हम सबको जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनको हम सजा दिलवाने का काम करेंगे और जैसे ही सत्ता संभाली, शायद उन वादों को भूल गये और वादों को जब भूल गये तो हमारी चीनी मिलें जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, हमारी चीनी मिलों को किसी ने याद नहीं किया। आदरणीय गन्ना मंत्री जी ने जो हमारी बन्द पड़ी हुई चीनी मिले थीं उन्हें दुबारा से चलवाने का काम किया है और आपने 22 हजार 682 करोड़ रुपये का भुगतान कराया है, माननीय गन्ना मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरे बुलन्दशहर में एक चीनी मिल है, वेव चीनी मिल है, उसे बसपा सरकार में बेच दिया गया था, मैं गन्ना मंत्री जी से यह उम्मीद करती हूं कि आप वहां पर किसानों की समस्या को समझते हुए क्योंकि वह एक प्रमुख चीनी मिल है और हैड क्वार्टर बुलन्दशहर में इसलिए आप उसे भी चलवाने का काम करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक व्यक्ति का सम्मान बढ़े, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकतानुसार रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की आपने चिन्ता की और उसके लिए आपने व्यवस्था की है। मैं आदरणीय वित्त मंत्री जी ने जो आपने बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करती हूं और उम्मीद करती हूं कि हम जिन सपनों को लेकर, जिन वायदों को लेकर

जिन इरादों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर आपके बीच में आयें हैं, मन में हैं विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री मो0 फईम–

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत इज्जत साख बहुत ही काबिले एतराम। अध्यक्ष जी पहली बार आज मेरे वालिद–ए–मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब भी इस विधान सभा के 2012 में सदस्य निर्वाचित हुए थे। उनके इन्तेकाल के बाद 10 मार्च 2016 को उनका इन्तेकाल हुआ उसके बाद उप चुनाव में मैं उनकी जगह निर्वाचित होकर आया। पिछली बार मैं बहुत कम वक्त के लिए आया था इसलिए मुझे बोलने का मौका नहीं मिला था, आज पहली बार मुझे इस विधान सभा में बोलने का मौका आपने दिया है, मैं आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। मैं काबिले–एतराम हमारे नेता विपक्ष श्री राम गोविन्द चौधरी साहब से अपने आपको इस बजट सत्र में सम्बद्ध करते हुए अपनी बात को इस तरीके से कहना चाहता हूं कि वालिद–ए–मोहतरम ने विधान सभा में आने के बाद गंगा–जमुना तहजीब की उस मिसाल को आगे बढ़ाया जो शुरूआत उन्होंने अपनी जिन्दगी की शेर से की थी कि एक ही सफ में खड़े हो गये, महमूदो अयाज, न कोई बन्दा रहा न कोई बन्दा नवाज। मैं इस बजट में जो बजट इस सरकार ने पेश किया है। इसमें खासतौर पर ऊर्जा विभाग में जो भी जिम्मेदारी के तौर पर इन लोगों ने अपने बारे में बताया है, इस सरकार ने बताया है, जो बजट पेश किया है उसमें यूँ तो बहुत खामियॉ हैं लेकिन खासतौर पर इस सरकार ने पं0 दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत 18 हजार मजरों में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण करने का जो लिखा है। मैं समझता हूँकि उसे पूरी तरीके से अभी ग्राउण्ड पर नहीं उतारा गया है। इसी क्रम में दीन दयाल उपाध्याय योजना से पहले यह योजना राजीव गॉधी योजना के तहत चला करती थी। इसमें हमारे जिले के अन्दर हमारी विधान सभा के अन्दर एक आई0एल0 ऐण्ड एफ0एस0 कम्पनी कार्य कर रही थी। इस आई0एल0 ऐण्ड एफ0एस0 कम्पनी ने जिन गॉवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ था उन गॉवों में विद्युतीकरण करने का काम किया लेकिन योजना राजीव गॉधी जी के नाम से थी। राजीव गॉधी जी के नाम से उस योजना में खम्भे गड़ने का काम हुआ लेकिन वहाँ पर ट्रांसफॉर्मर, कण्डक्टर लगने का काम नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से संरक्षण चाहता हूँऔर यह कहना चाहता हूँकि वहाँ पर पता नहीं किन कारणों से या जो मौजूदा सरकार के जनप्रतिनिधि हैं उनका कोई झगड़ा आई0एल0 ऐण्ड एफ0एस0 कम्पनी के मालिकों से या उनके कार्य करने वालों से हुआ जिसकी वजह से वहाँ पर काम अभी तक रुका हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरीके से कोई भी योजना नहीं रोकी जानी चाहिए जो अब दीन दयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत चल रही है। जैसा इन्होंने कहा है कि 18 हजार मजरों के विद्युतीकरण का कार्य हमने पूर्ण कर दिया। इसी क्रम में मान्यवर, बहुत गम्भीर मुद्दा है। मैं आपका ध्यान केन्द्रित कराना चाहता हूँकि क्षमता वृद्धि के लिए इस सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात अपने बजट में भी कही है लेकिन क्षमता वृद्धि का जो मामला है उसमें आप देखिए कि किस तरीके से ट्रांसफॉर्मर की क्षमता वृद्धि तो हो गई लेकिन जो इलाके के अन्दर जर्जर तार हैं, जो इलाके के अन्दर लोहे के तार हैं,

जो खम्भे टूटे हुए हैं। अगर उनके बदलाव करने का काम हम लोगों ने नहीं किया तो यकीनी तौर पर यह योजना इसी तरीके से धरी की धरी रह जाएगी। चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, अगर हमने अपने इलाके के अन्दर उन तारों को बदलने का काम नहीं किया तो यह योजना हमारी रह जाएगी तो मैं आपके माध्यम से यह गुजारिश करना चाहता हूँऔर मान्यवर, कहना चाहता हूँ कि इस तरीके से जिस तरीके से पं0 दीन दयाल उपाध्याय योजना है। इसी तरीके से तारों को बदलने के लिए भी जर्जर तारों को बदलने के लिए भी पूरे उत्तर प्रदेश में यह योजना लाई जाए जिससे कम से कम उन लोगों को फायदा हो सके जो लोग कनेक्शन लेना चाहते हैं। इसी क्रम में मान्यवर मैं आपका ध्यान केन्द्रित कराना चाहता हूँकि मेरी विधान सभा के अन्दर लगभग 25 हजार कनेक्शन टोटल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने से पहले हुए थे लेकिन जब सरकार आने के बाद जिस तरीके से वहाँ के अधिकारियों ने लोगों से कहा कि आप कनेक्शन लेने का काम करिए। लोगों ने कनेक्शन लेने का काम भी किया और लोगों को यह बताया गया कि कनेक्शन फ्री दिए जाऍगे, उन लोगों ने कनेक्शन फ्री लेकर कि जो भी पैसा उसका होगा उसकी आपके बिलों के अन्दर अदायगी हो जाएगी। मान्यवर, कनेक्शन तो उन लोगों के हो गए लेकिन उन लोगों को बिजली की प्राप्ति अभी तक नहीं हो पाई। उसी क्रम में उन लोगों के साथ जो नुकसान है, उन लोगों को भी इस बात का नुकसान हुआ कि वहाँ पर लाइट अभी तक नहीं पहुँच पाई और बिजली का बिल वे लोग लगातार देते चले आए हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सरकार इस पर भी ध्यान दे कि उन गरीबों को कम से कम जिन्होंने कनेक्शन लिया है उनको बिजली मिलती रहनी चाहिए।

मान्यवर, आप बहुत काबिल–ए–एहतराम हैं। मैं इसी क्रम में आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूँक्योंकि मेरे वालिद–ए–मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब एक एडवोकेट थे, उन्होंने 35 साल चकबन्दी के क्षेत्र में वकालत की। पिछली सरकार में उन तहसीलों में जिनमें मुंसिफ कोर्ट नहीं थी, उन तहसीलों में पिछली सरकार ने ग्राम न्यायालय की स्थापना करने के लिए एक योजना चलाई थी जिसमें हमारे वालिद–ए–मोहतरम हाजी मोहम्मद इरफान साहब ने एक प्रस्ताव बिलारी तहसील का बनाकर दिया था। उसमें जगह भी चिह्नित हो गई थी। जगह चिह्नित होने के बाद प्रशासन और भूमि अधिग्रहण टीम वहाँ पर पहुँची थी। उन सबकी सहमति के बाद वह भूमि शासन ने अपने यहाँ से मंजूर करके उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया था लेकिन सरकार के जाने के बाद जो इस बार बजट है उसमें उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच के अलावा प्रदेश के नव सृजित जनपद एवं नव सृजित न्यायालयों में न्याय विभाग के आवासीय और अनावासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है लेकिन इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई। जिन तहसीलों में मुंसिफ कोर्ट की जरूरत है जहॉ पर पूर्व की सरकार ने एक ग्राम न्यायालय की योजना चलाई थी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँकि मेरी विधान सभा बिलारी के अन्दर इस तरीके की जमीन भी शासन में आ गई है, भूमि का अधिग्रहण हो चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। उससे मेरे वालिद–ए–मोहतरम की भी भावनाऍ जुड़ी हैं और

लोगों की भी भावनाएँ जुड़ी हैं। अगर वहाँ पर इस तरह का न्यायालय बन जाता है तो सब लोगों का विकास होगा और काफी हद तक चीजें आगे बढ़ेंगी। इसी क्रम में मान्यवर, अभी नफीस भाई ने जो कहा था, मैं कहना चाहता हूँकि यह मुल्क यह प्रदेश गंगा–जमुनी तहजीब का एक गेहवारा है। यहाँ पर कोई हाथ जोड़कर पूजता है तो कोई हाथ फैलाकर पूजता है। हम सब एक ही भगवान एक ही अल्लाह को मानने वाले हैं। हम सब को एक ही साथ रहना है यकीनी तौर पर कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं तो मैं यही कहना चाहता हूँकि हम लोग मोहब्बत के साथ रहे गंगा–जमुनी तहजीब को बढ़ावा दें और प्यार के साथ आगे बढ़े तभी यह देश आगे बढ़ेगा। मैं बहुत ज्यादा न कहकर आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँऔर अपने नेताजी श्री राम गोविन्द जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँतथा अपने वालिद–ए–मोहतरम के इस शेर के साथ अपनी बात को मुकम्मल करूँगा कि

''वो एक ही हस्ती एक ही वजूद है जिसने ये सारा जहॉ बनाया है,
फर्क इतना है कि कुछ उसे खुदा कुछ भगवान कहते हैं''

आपका बहुत–बहुत, शुक्रिया। बहुत–बहुत, धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र–

धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, आपने हमें बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत, धन्यवाद। मान्यवर, मैं माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 का जो बजट पेश हुआ है उस पर बोलने का जो अवसर आपने मुझे दिया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज देश में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार है। आज ऐसा बजट पेश हुआ है जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा निहित है, जो पंडित दीन दयाल जी का सपना था, उनके सपने को साकार करने के लिए हमारी सरकार पूर्णतः काम कर रही है। आज गरीबों को आवास और हर घर को बिजली प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो उनका सपना है शौचालय का, आज हर गॉव में शौचालय बनने का काम हो रहा है और मैं आपको एक चीज बताऊ हमारा खुद का जौनपुर जनपद, पूरा जनपद एक–एक गॉव, पूरा जनपद ओ0डी0एफ0 में शामिल हो गया है। मैं इसके लिए प्रदेश सरकार को योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। आज बजट में जिस तरीके से प्राविधान किया गया है 36000 किसानों को कर्जा जिस तरीके से माफ किया गया है जिससे 46 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। यह साबित कर दिया गया है कि सबसे निचले पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति का भी विकास करना हमारी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है। आज हमारी सरकार में 100 दिन के अंदर सैमसंग द्वारा 4800 करोड़ तथा इंटेक्स द्वारा 372 करोड़ का निवेश जो स्वीकृत किया है। यह दर्शाता है कि हमारी जो योगी जी की सरकार है, वह प्रदेश में उद्योगों की स्थापना के लिए कितना ध्यान दे रही है। जिस तरीके से सिंगल विंडो क्लियेरेन्स की स्थापना की गई है, वह बहुत उपयोगी है। मुझे याद है क्योंकि मैं बिजनेसमैंन भी हूँ ,मेरा कोल्ड स्टोरेज भी है और मेरा पेट्रोल पम्प भी है। मैंने पूर्व की सरकार में पेट्रोल पम्प की एक एन0ओ0सी0 लेने के वन विभाग के इतने चक्कर लगाये कि मुझे उस समय का एहसास है, बिना पैसे

के एन0ओ0सी0 तक इन लोगों ने कभी देने का काम नहीं किया। कोल्ड स्टोरेज में भी कई एन0ओ0सी0 लेनी पड़ती है। इस तरह से कोई भी व्यवसाय आप करना चाहें तो बिना एन0ओ0सी0 के आप कोई भी उद्योग नहीं लगा सकते हैं आज मुझे पता है हमारी सरकार बनी तो मैंने दो पेट्रोल पम्प के लिए वन विभाग के मंत्री जी एन0ओ0सी0 करवायी है और तुरन्त एन0ओ0सी0 हुई है और पूर्व की सरकार में जो लटकी हुई एन0ओ0सी0 थी उसको तत्काल 100 दिन के अंदर सारी एन0ओ0सी0 को निस्तारित कर दिया गया। यह हमारी सरकार है। आज मृदा स्वास्थ्य कार्ड के द्वारा भारत सरकार और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर इस योजना पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि किसानों की गेहूं की खरीद पिछले वर्ष में मेरे जनपद में 3764 टन हुई थी और इस बार हमारे यहाँ वित्तीय वर्ष में 36151 टन की खरीद हुई है, जो रिकार्ड खरीद हुई है। आज तक इतनी खरीदारी कभी नहीं हुई थी। इसके पहले खरीदारी होती थी लेकिन चंद इनके लोग रहते थे समाजवादी पार्टी के लोग और उन्हीं का गेहूँ, उन्हीं का धान खरीदा जाता था। आज किसानों की खरीदारी हुई, जिसके चलते ऑकड़ें में इतना ज्यादा फर्क पड़ गया। और सबसे बड़ी बात खरीददारी तो हुई, खरीददारी के साथ–साथ 100 प्रतिशत भुगतान हो गया वह बहुत बड़ी बात है कि भुगतान भी पूरा का पूरा हो गया। आज किसी भी सहकारी समिति में खाद–दवाई–यूरिया के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ रही है, किसानों को लाठियां नहीं खानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात आलू के बारे में यह है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और मुझे याद है पिछली सरकार में हमारे यहां आलू का भण्डारण फुल था। आलू को किसान, व्यापारी सब छोड़ कर भाग गए थे। अंत में मजबूरी में हम लोगों को आलू को गड्ढे में फेंकना पड़ा। योगी जी की सरकार में किसानों को आलू का समुचित मूल्य दिया जा रहा है। आज आलू को फेंकने के लिए किसान मजबूर नहीं है, असहाय नहीं है। सबसे बड़ी बात आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने भाड़े में भी 50 रुपये क्विंटल की दर से छूट निर्धारित किया है कि हम अनुदान देंगे व्यापार करने में और मण्डी शुल्क की भी उन्होंने छूट कर दी है। यह एक बहुत बड़ी बात है और मैं उसके लिए भी धन्यवाद दूंगा। पहली बार पीक आवर में शाम 6 से 10 के टाइम पर ग्रामीण स्तर पर बिजली मिल रही है, शायद ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा। मेरे स्वयं के जनपद में जब से सरकार बनी है, सब स्टेशन पर 8 एम0वी0ए0 के 22 ट्रांसफार्मर लग चुके हैं। इसमें 8 ट्रांसफार्मर लग गए हैं और 14 लगने बाकी हैं। मेरे विधान सभा में ही 3 ट्रांसफार्मर लग गए हैं और 100 ट्रांसफार्मर ग्रामीण क्षेत्र के अपग्रेड हो गए हैं। 70 प्रतिशत नयी सड़कों का निर्माण हो गया है। गांव में पी0एच0सी0 में कभी भी डॉक्टर नहीं रहते थे, पहली बार डॉक्टरों की उपलब्धता हमारे गांव में हो गयी है। हमारे खेल मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि अभी तक की सरकार ने 15 वर्षों में कभी भी स्टेडियम गांव स्तर पर नहीं बनाए है मान्यवर, हमारे यहां जमीन भी उपलब्ध है तो कम से कम ग्रामीण स्तर पर खेल का स्टेडियम बनाने का कार्य किया जाये। मान्यवर, मैं निवेदन करूँगा कि जिले में हमारे मात्र एक ही आई0टी0आई0 है इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे विधान सभा में

भी जमीन हमने उपलब्ध करा ली है और हमारे पास जमीन पर्याप्त है तो आई0टी0आई0 का भी निर्माण हमारे यहां हो जाये। इसके साथ–साथ बिजली की व्यवस्था लगभग हमारे यहां सही है, सिर्फ 11 हजार की तार अगर बदल दिए जाएं तो बिजली की समस्या का निदान हो जायेगा और सरकार के मानक के हिसाब से हमको बिजली मिलने लगेगी। मान्यवर, मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि हमारे यहां एक राउतपुर गांव है जो गोमती नदी के किनारे आता है वहां ल्यूको डिस्ट्राफी चेजेस एक बीमारी है जिससे 26 बच्चे प्रभावित हैं। इससे शारीरिक रूप से बच्चे विकलांग हो गए हैं। इसमें एक टीम गयी थी और टीम ने जांच भी की है तथा बीमारी की पुष्टि भी हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उन बच्चों के लिए सरकार के द्वारा ऐसा हो जाये जिससे यह बीमारी आगे और न बढ़े। मान्यवर, 15 साल में पहली बार प्रदेश का बजट बना है, इससे पहले इन लोगों ने अपनी जेब का बजट बनाया है। प्रदेश के विकास का इन लोगों ने कभी बजट नहीं बनाया। मोदी और योगी के राज में देश का और प्रदेश का विकास होगा। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद देता हूँ।

***श्री वीरेन्द्र सिरोही**–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वर्ष 2017–18 की बजट चर्चा में भाग लेने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी तथा वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और उनकी टीम को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने यह बजट तैयार किया है। यह बजट गांव के गरीब मजदूर, किसानों को समर्पित और 22 करोड़ लोगों की चिंता करने वाला बजट है। विशेष रूप से गांव, गरीब, मजदूर, किसान की चिंता करने वाला बजट है। इस प्रदेश में 75 प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं गरीब, मजदूर किसान के रूप में। किसान की आमदनी कैसे हो इस पर यह सरकार चिंतित है, केन्द्र की सरकार भी और उत्तर प्रदेश की सरकार भी। किसान की पैदावार बढ़ाने के लिए तीन–चार चीजों की आवश्यकता है जिस पर चिंता की गयी है। गांव में किसानों को 18 घण्टे बिजली और खाद की भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, खूब खाद मिल रहा है। पानी की व्यवस्था, खाद की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था और गांव में बहुत बड़ी समस्या ट्रांसफार्मर फुंकने की थी। जब गांव में ट्रांसफार्मर फुक जाता था, पिछली सरकारों में ट्रासफार्मर फुका तो बैठक होती थी गांव में चन्दा होता था एक ट्रांसफार्मर मिलने में 8 से लेकर 10 हजार रुपया तक खर्चा होता था उस व्यवस्था को बन्द कर दिया गया है। मैं अपने उर्जा मंत्री जी को बधाई देना चाहॅूगा जिन्होंने ट्रांसफार्मर फुकने के 48 घन्टे में गांव को ट्रांसफार्मर देने की व्यवस्था की है तो किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए यह सारी चीजे आवश्यक हैं इसको सरकार ने करने का काम किया है। हमारे सामने बैठे यह सब लोग नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हुए हैं पिछली सरकार में एक बहुत बड़ा काण्ड हुआ और वह बसपा के समय हुआ लेकिन बाद में इनका भी सहयोग रहा समाजवादी पार्टी का। बहुजन समाज पार्टी के द्वारा लगभग 11

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

शुगर फैक्ट्रियां कौड़ी के दाम बेची गयीं हमारे बुलन्दशहर की फैक्ट्री 29 करोड़ 75 लाख में बेची गयी, 3 लाख 31 हजार स्क्वायर मीटर जमीन उसके पास, 10 करोड़ की चीनी उसके पास और लगभग 58 करोड़ का और सामान उसके पास, लगभग 600–700 करोड़ की सम्पत्ति 29 करोड़ 75 लाख में बेची गयी जबकि 10 करोड़ की चीनी उस पर रखी हुई थी। आज नेता प्रतिपक्ष जिस सीट पर बैठे हुए हैं इस सीट पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माननीय मुलायम सिंह जी बैठा करते थे। हम भी उधर बैठे हुए थे इन मिलो के बारे में यह था कि मिल किस प्रकार से चलाई जाय। मुलायम सिंह जी ने भी हमारी बात का समर्थन किया और माननीय मुलायम सिंह जी और हम दोनो ने मांग की थी उस समय कि इसकी जांच सीबीआई से हो, सीबीआई से जांच कराई जाय और मिल को चलाया जाय। माननीय मुलायम सिंह जी ने स्वयं इस विधान सभा में यह बात कही थी लेकिन जब सरकार समाजवादी पार्टी की बनी तब सब भूल गये। पोन्टी चड्ढा ने फैक्ट्री खरीदी थी 29 करोड़ 75 लाख की। क्या हुआ यह समझने की बात है, किस प्रकार से हुआ, क्या घोटाला क्या घपला हुआ सरकार बनने के बाद समाजवादी पार्टी के लोग भूल गये कि क्या हुआ? आज वह मिलों के बारे में बात करते हैं 5 साल कहॉ चले गये थे । माननीय अध्यक्ष जी, 5 साल तक कोई चिन्ता नहीं करी आज मेरे कुछ साथियों ने कहा कि मिल चलाने के बारे में सरकार क्या कर रही है सरकार ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया कि मिल कैसे चले। आज इनको युवाओं के रोजगार की चिन्ता है किसानों की चिन्ता है, गन्नाकिसानों की चिन्ता है 5 साल मे यह सब भूल गये पोन्टी चड्ढा के उसमें क्या क्या हुआ क्या क्या तमाशा हुआ। 5 साल में सब कुछ भूल गये इसकी जांच की आवश्यकता है बहुत गम्भीर बात है यह । अभी हमारे कुछ साथी बैठे हुए हैं बड़ी दलितों की चिन्ता कर रहे थे । हमने दलित को पूरे देश का राष्ट्रपति बनाने का काम किया है यह दलित की चिन्ता करेंगे ? उस कुर्सी पर बैठे, उत्तर प्रदेश के दलित को राष्ट्रपति के रूप में, यह दलितों की चिन्ता करेंगे? सुन लें शांति से।

बिजली के बारे में आप लोगों ने पूरे प्रदेश को जिस प्रकार से तहस नहस किया 4 घन्टे, 6 घन्टे बिजली मिली प्रदेश में अब बिजली 18 घन्टे, 24 घन्टे शहर में मिल रही है । आज प्रदेश में पूरे इन्वर्टर बिकने बन्द हो गये आपको पता होगा और यह समाजवादी पार्टी की बात करते थे। डा0 राम मनोहर लोहिया जी को हम भी जानते हैं, बहुत बार उनको सुना है । समाजवादी पार्टी के डा0 राम मनोहर लोहिया के बारे में जिनकी आप बहुत चिन्ता करते हैं, क्या समाजवादी पार्टी के लोग आप उनके बताये रास्ते पर चलते हो । डा0 लोहिया के पास में चार धोती चार कुरते उनकी अटैची में हुआ करते थे । बहुत बार हमने उनको देखा। आज एक–एक परिवार में 30–30, 35–35 लाल बत्तियां चलती हैं और आप बात समाजवादी पार्टी की करते हो । इन बातों का भूल जाओ समाजवादी पार्टी की बात करने वालों। एक घर में 35 लाल बत्ती चलती हैं, आपने समाज को लूटने का काम किया है। समाजवादी पार्टी की बात छोड़ दो, समाजवादी पार्टी की चिन्ता करनी बंद कर दो ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा टोकाटाकी किये जाने पर–व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

यह बजट पर बोल रहे हैं (यह कहते हुये सदस्य ने वेल की ओर आने का प्रयास किया)

श्री अध्यक्ष–

हम तो आपकी बात सुन रहे हैं। आप यहाँ क्यों आ रहे हैं। हम तो आपकी सीट से ही आपकी बात सुनने को तैयार हैं।

श्री शैलेन्द्र यादव 'ललई'–

[गगग,

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

जरा रोकिये इन लोगों को । इनकी सुनने की क्षमता नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

श्री सिरोही जी, आप एक मिनट रुक जायें । माननीय सदस्य कुछ कहना चाह रहे हैं ।

श्री राकेश प्रताप सिंह–

माननीय सदस्य द्वारा एक बात कही गयी कि एक परिवार में 35–35 लाल बत्ती चल रही है। इनकी गिनती सही होगी, यह इसी काम में लगे रहे होंगे कि कहॉ कितनी लाल बत्ती घूम रही है। लेकिन अगर इस तरह के आरोप–प्रत्यारोप हम लगायेंगे तो इसी सदन में आपका एक मंत्री बैठा है जिसके बाप सांसद हैं, जिसके बाबा गर्वनर हैं और आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। यह कैसी मर्यादा है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही–

आपमें सुनने की क्षमता नहीं है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सिरोही जी ने किसी का नाम नहीं लिया। पार्टी का नाम भी नहीं लिया । एक परिवार का नाम लिया। आपको आपत्ति तब होना चाहिये जब किसी का नाम लिया जाय । बल्कि आपने तो बहुत आदर से माननीय नेताजी का नाम लिया। मान्यवर, इसमें कोई ऐसा आरोप तो नहीं है । मैं आपसे एक बात कहता हूं कि जो भी असंसदीय हो उसे निकाल दें। लेकिन इसमें टोकाटाकी नहीं होना चाहिये क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया है।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन जो हैं वह वाद विवाद के लिये है। सभी लोग अच्छा भाषण दे रहे हैं। कुछ नये सदस्य हैं जो कुछ भी बोल दे रहे हैं वह ठीक है, अभी

नोट :– [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पहली दफा आये हैं। लेकिन सिरोही जी तो पुराने सदस्य हैं, इधर बैठते थे अब उधर गये हैं। कभी इधर भी आ सकते हैं क्योंकि जो राजनीतिक परिस्थितियॉ इस देश में चल रही हैं कौन किधर चला जायेगा, कौन किधर आ जायेगा, यह कहना ठीक नहीं है। उस दिन भी मैंने कहा था कि राजनीति को इतना नीचे स्तर पर न ले जाया जाए कि कोई हम लोगों का नाम लेना न पसन्द करे। उस दिन भी मैंने चिन्ता जाहिर की थी और जब हमारी सरकार थी तब भी मैंने यही चिन्ता जताई थी कि एक दूसरे नेता को लूट, खसूट, डकैती, छिनैती यही सब कहने में लगे रहते हैं और दूसरे लोग मजे काट रहे हैं। आज नेता लोगों की हालत समाज में ठीक नहीं है इसलिए शुद्ध जबान से शुद्ध बात कहनी चाहिए। कोई हमको गाली दे देगा तो उसको कोई इनाम नहीं मिलेगा और हम अगर किसी को गाली दे देंगे तो हमको भी कोई इनाम नहीं मिलेगा। अपनी बात को संजीदा तरीके से ऐसा चोट करें कि हमको चुभे और हम चोट करें तो आपको चुभे लेकिन संसदीय मर्यादाओं में रहकर करें, यही संसदीय परिपाटी है और यही संसदीय वाद विवाद का एक तरीका है। हमारे सदस्य ऐसे शब्द कहें कि आपको चोट लगे लेकिन आपका अपमान न हो क्योंकि यदि हमारे सदस्य एक–एक करके कहने लगे, आपके भी मा0 मंत्री लोग हैं, हमारे भी मंत्री रहे हैं, आगे भी मंत्री बनेंगे अगर इस तरह की बात होने लगी तो आपको पॉच वर्ष रहना है, अगर ईश्वर ने चाहा तो, अगर सब हमारे विपक्ष के सदस्य एक–एक मंत्री की बखिया उधेड़ने लगे तो कौन मुंह दिखाने लायक बचेगा इसलिए कृपया बोलते समय ऐसी बातों को बोलें। हम हमला करें लेकिन उसको संसदीय तरीके से करें। आप तो पुराने हैं, हम लोग स्वयं अध्यक्ष जी से कह रहे थे कि पहले इनको बुलवा लें। आप बोलिये लेकिन ठीक तरह से बोलिये, संसदीय तरीके से बोलिये, ये तो वाद–विवाद का अवसर है ही।

श्री अध्यक्ष –

और मुस्कराकर बोलिये।

श्री राम गोविन्द चौधरी –

कोई ऐसा शब्द न हो कि किसी पर ऐसा लगे, नहीं तो इधर से भी होगा और यही पॉच वर्ष होता रहेगा तो ठीक लगेगा क्या। नहीं लगेगा।

श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही –

आपकी हम चार दिन से सुन रहे थे, कोई मा0 सदस्य कुछ भी कहे हमने तो कुछ बोला नहीं। आप कुछ भी कहते रहे हमने तो एक शब्द कभी बोला नहीं और हमने सही बात कह दी तो उसके लिए आप बहुत परेशान हो रहे हैं। मा0 अध्यक्ष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में पंडित दीन दयाल उपाध्याय योजना हमने बिजली के सम्बन्ध में चलायी। आज प्रत्येक गॉव में जर्जर बिजली के तार, ट्रांसफारमर, यह सब लगाने का काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। हर गॉव में यह काम हो रहा है, मा0 नेता प्रतिपक्ष बैठे हैं अगर वह अपने गॉव में जाकर देख लें, कुछ न कुछ खम्भे पड़े होंगे। हर गॉव में बिजली के जर्जर तार को ठीक करने का काम चल रहा है। हमने गॉव की चिन्ता की है, चाहे बिजली की

बात हो, चाहे ट्रांसफारमर की बात हो, हम गॉव की चिन्ता करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस बजट में प्रत्येक जिले को चार–लेन से जोड़ने का काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है और नेशनल हाई–वे, स्टेट हाई–वे, जितनी भी हमारी सड़कें हैं उन्हें गड्ढामुक्त करने का काम, नई सड़कों के निर्माण का काम किया जा रहा है। बेसिक शिक्षा के मामले में। अब स्कूल खुलने वाले हैं बेसिक शिक्षा वाले, उनमें ड्रेस, जूता, मोजा सब दिया जायेगा। बहुत अच्छी ड्रेस इस बार दी जा रही है। जब भी बच्चे स्कूल जायेंगे तो बहुत अच्छा महसूस करेंगे। हमारे प्रत्येक स्कूल में पेड़ लगाने की व्यवस्था, एक स्कूल गोद लेने की व्यवस्था प्रत्येक विधायक की, की जा रही है। पूरे प्रदेश में हमारे स्कूल ठीक प्रकार से चलें क्योंकि छोटे–छोटे बच्चे जो वहाँ पढ़ते हैं, उनका जीवन ठीक प्रकार से हो, उनकी शिक्षा ठीक प्रकार से हो, इस ओर भी हमारी सरकार चिंता कर रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अनेक क्षेत्रों में हम किसी भी क्षेत्र में चले जांए, हम प्रत्येक क्षेत्र में हर वर्ग की चिंता करते हुए आगे बढ़ने का काम करें। हमारा प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है, तेजी से तरक्की कर रहा है और प्रदेश हमारा आगे बढ़े। हम बजट के ऊपर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्य नाथ जी को और अपने वित्त मंत्री जी को बहुत–बहुत बधाई ताकि प्रदेश में जो बजट दिया गया है वह सभी के खुशहाली के लिए है। विशेष रूप से मैंने कहा कि गॉव, गरीब, मजदूर, किसान हमारा तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। आपका बहुत–बहुत आभारी हूँ, बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष–

बजट पर चर्चा जारी रहेगी।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

अब हम नियम–51 की सूचनायें लेते हैं। आज दिनॉक 18.07.2017 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 51 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र सदर व अन्य में दिनॉक 26/27 मई, 2017 को आये चक्रवाती तूफान से हुये नुकसान का मुआवजा दिलाये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत की गयी है, परन्तु मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

दूसरी सूचना श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' की जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के विकास खण्ड सांगीपुर में जनहित में सुरक्षा की दृष्टिकोण से घुइसरनाथ धाम स्थित अस्थाई पुलिस चौकी को स्थाई किये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, परन्तु मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

तीसरी सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह सिरोही की जनपद बुलन्दशहर की नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत सहकारी कोल्ड स्टोरेज को बंद कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

चौथी सूचना श्री उज्जवल रमण सिंह की जनपद इलाहाबाद के तहसील करछना में 1320 मेगावाट के पावर प्लांट लगाये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, परन्तु मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

जो माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है उनकी सूचना नहीं रहेगी यह आज से शुरू हो जाये।

पॉचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की, जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम के नगरीय सीमा के कतिपय ग्रामों को नगर निगम द्वारा विकसित किये जाने के सम्बन्ध में, वक्तव्य हेतु स्वीकृत, परन्तु मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

छठीं सूचना श्री राम अचल राजभर की प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक के पदों को लैब टेक्नीशियन के रिक्त पदों पर पदोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत।

सातवीं सूचना श्री अवतार सिंह भड़ाना की जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र मीरापुर में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने के सम्बन्ध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, परन्तु मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

आठवीं सूचना श्री रत्नाकर मिश्र की विधान सभा क्षेत्र मिरजापुर में गंगा नदी के किनारे हो रहे कटान से निजात दिलाये जाने के संबंध में, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत थी, इसे अब वक्तव्य के लिए स्वीकृत कर रहे हैं।

नवीं सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद मऊ के विकास खण्ड फतेहपुर मण्डाव के ग्राम मित्तूपुर में रास्ते पर अवैध कब्जा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, परन्तु मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

दसवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव की जनपद बाराबंकी के ग्राम बरती में गोयल ग्रीन सिटी के द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, परन्तु मा0 सदस्य उपस्थित नहीं हैं।

शेष सूचनायें जो अस्वीकार थी उसमें क्रमानुसार जो मा0 सदस्य अनुपस्थित हैं उनके स्थान पर उनकी सूचनायें ले ली जायेंगी।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की सूचना बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 32022 पदों की भर्तियों पर काउन्सलिंग पर रोक लगाये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत,

इंजी0 बृजेश कठेरिया की सूचना जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र किसनी की ग्राम पंचायत पुडरी ग्राम तरा जह भूगांव के निवासी लज्जाराम पुत्र श्री देवी दयाल के द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की सूचना अधिशासी अभियंता, जल संस्थान, ललितपुर द्वारा सरकारी धन का दुरूपयोग किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत।

श्री अजय कुमार 'लल्लू' की सूचना उत्तर प्रदेश में गरीबोन्नमुखी पर्यटन विकास परियोजना में विश्व बैंक के द्वारा प्राप्त धन का समुचित प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकार की जाती है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गईं:–

1–श्री वीरेन्द्र कुमार यादव, श्री नरेश सैनी, श्री सुभाष पासी, श्री आजाद अरिमर्दन, श्री लालजी वर्मा, श्री उमाशंकर सिंह, श्री ओंमकार सिंह, श्रीमती साधना सिंह, श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री संजय कुमार, श्री देवेन्द्र कुमार निम, श्री रितेश पाण्डेय, डा0 जी0एस0 धर्मेश, श्री संजय प्रताप जायसवाल, श्री रामचन्द्र यादव, श्रीमती जय देवी, श्री राकेश सिंह, श्री संजय गर्ग, डॉ0 श्याम बिहारी लाल, डॉ0 मंजू शिवाच, श्रीमती सरिता भदौरिया, श्रीमती शुचिस्मिता मौर्य, श्री पंकज गुप्ता, श्रीमती विमला सिंह सोलंकी, श्रीमती कृष्णा पासवान, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री किशन लाल राजपूत, श्री वीर विक्रम सिंह प्रिंस, श्री अवस्थी बाला प्रसाद, श्री रवीन्द्र जायसवाल, श्री शैले कुमार सिंह शैलू, श्री राजीव कुमार सिंह बब्बू भईया, श्रीमती रजनी तिवारी, श्री प्रेमसागर पटेल, श्री सुखदेव राजभर, श्री पूरन प्रकाश व श्री अगयश राम सरन वर्मा।

जनपद मिर्जापुर की विधान सभा क्षेत्र छानबे के अन्तर्गत भीषण बारिश के उपरान्त बेघर हुए लोगों को आवास उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल प्रकाश द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्यमंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

श्री राहुल प्रकाश, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 12.07.2017 को नियम–51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी है कि मैं आपका ध्यान एक..

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़चा हुआ माना गया।)

श्री सुरेश खन्ना–

ख्अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद मिर्जापुर की विधान सभा छानबे अन्तर्गत भीषण बरसात देवी आपदा स्थानीय नदी नालों की सफाई न होने, सिल्ट जमने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी, जिससे हजारों घर/मकान ध्वस्त हो गये, कई स्थानों पर ग्रामीण भी बह गये, जिसमें कई की मृत्यु भी हो गयी है। हजारों घरों/मकानों के ध्वस्त हो जाने के कारण ग्रामीण पेड़ व टेन्ट में जीवन यापन कर रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्र हैं, जहरीले जीव

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जन्तु के काटने का खतरा उत्पन्न हो गया है। हजारों ध्वस्त घरों /मकानों को विशेष बाढ़ आपदा पैकेज के तहत जनहित में आवास मुहैया कराना अति आवश्यक है।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मीरजापुर में दिनांक 05/06 जुलाई, 2017 की रात्रि में हुई अतिवृष्टि के कारण जनपद की दो तहसील लालगंज एवं मड़िहान में 24 घण्टे में 105 मिमी0, 130 मिमी0 वर्षा रिकार्ड की गयी। छानबे विधान सभा में सदर तहसील के 12 गांव, लालगंज तहसील के 61 गांव कुल 73 गांव अतिवृष्टि से प्रभावित हुए इसके अतिरिक्त विधान सभा सीटी अन्तर्गत तहसील सदर के 06 गांव तथा विधान सभा मड़िहान के अन्तर्गत तहसील मड़िहान के 39 गांव इस प्रकार कुल 118 गांव जिले में इस अतिवृष्टि से प्रभावित हुए अधिशासी अभियन्ता सिरसी बांध प्रखण्ड की आख्या के अनुसार दिनांक 05/06 जुलाई, 2017 की रात्रि को तहसील लालगंज में स्थित घोरी बांध के अपस्ट्रीम में अत्यधिक (90 मिमी0) वर्षा होने के कारण पहाड़ों का पानी नहर के अन्दर काफी मात्रा में इनलेटिंग कर आया जिससे सिरसी नगर तथा उसकी 06 नहरों अत्यधिक पानी बहाव के कारण पानी नहरों को तोड़कर क्षेत्र में फैल गया। घोरी बांध रात भर में पूरा भर जाने से इस बांध से 03 फिट से अधिक पानी एस्केप हो रहा था जो कि लगभग 3000 क्यूसेक से अधिक था। यह भी उल्लेखनीय है कि न केवल उपर्युक्त वर्णित नहरों से बल्कि अतिवृष्टि के कारण पहाड़ों से पानी एनएच 07 मीरजापुर रीवा मार्ग के ऊपर से होता हुआ गांवों में घुस गया। इसी प्रकार अन्य वर्षा प्रभावित क्षेत्रों से पानी नालों के माध्यम से गुजरता हुआ उत्तर दिशा में गंगा नदी में जाकर गिरा। प्रभावित नहरों में सिल्ट सफाई की आवश्यकता नहीं थी। प्रभावित ग्रामों में पानी 24 घण्टे में हुई अतिवृष्टि के कारण आया था।

3–अतिवृष्टि से आयी बाढ़ की वजह से कुल 36 मकान पूर्ण क्षतिग्रस्त तथा 778 मकान आंशिक क्षतिग्रस्त हो गये। अतिवृष्टि के कारण आयी बाढ़ से ग्राम लहड़िया ब्लाक छानबे तहसील लालगंज जनपद–मीरजापुर में 01 कुल 05 जनहानि हुई थी तथा तीनों तहसील में 42 पशु की मृत्यु हुई थी। अतिवृष्टि के कारण सामुदायिक भवन डांगरखेरी, प्राइमरी विद्यालय लेहडिया एवं प्राइमरी विद्यालय तेंदुआखुर्द, तहसील लालगंज में कुल 3 राहत शिविर 3 तक संचालित किया गया जिसमें 81 लोग शरण लिये थे। राहत शिविर में प्रभावितों को तत्काल आटा, चावल एवं आलू तथा ईंधन दिया गया क्योंकि प्रभावित लोग स्वयं खाना बनाना चाह रहे थे। तहसील मड़िहन में प्राइमरी विद्यालय देवरी उत्तर में 1 राहत शिविर 2 दिन चला जिसमें 300 व्यक्ति शरण लिये थे और 1200 लंच पैकेट वितरित किया गया था। किसी भी ग्रामीण की पेड़ पर या टेन्ट में रहने की स्थिति संज्ञान में नहीं आयी है।

4–अतिवृष्टि की घटना के पश्चात् किसी भी जहरीले जीव–जन्तु के कटाने की घटना संज्ञान में नहीं आयी है। फिर भी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त

मात्रा में दवाइयां एवं एन्टी स्नैक वेनम की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी, जिससे कि किसी भी आपात स्थिति में लोगों का उपचार किया जा सके।

राहत कार्य का विवरण–

1–इस बाढ़ में कुल 05 व्यक्तियों की जनहानि, 42 पशु हानि एवं 814 मकान क्षतिग्रस्त हुये। समस्त प्रभावित व्यक्तियों को रु0 70.91 लाख की धनराशि वितरित कर दी गयी है।

2–स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करायी गयी थी जिससे कि आपात स्थिति में लोगों का इलाज किया जा सके।

3–पशु चिकित्साधिकारियों को गांवों में भेजकर वहीं पर मृत पशुओं के पोस्टमार्टम की व्यवस्था कर सहायता उपलब्ध करायी गयी।

4–अतिवृष्टि के कारण जिन व्यक्तियों के आवासों को क्षति पहुंची थी उनके सम्बन्ध में तत्पराता पूर्वक कार्यवाही करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लाभान्वित करने की योजना बनायी गयी। प्रभावित व्यक्तियों में 25 व्यक्तियों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु सूची में पूर्व में चयनित था। उन्हें तत्काल प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अन्य पात्र लाभार्थियों के लिये भी आवास की मांग हेतु ग्राम्य विकास विभाग को विशेष परियोजना स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

5–अतिवृष्टि से आयी बाढ़ से सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की क्षति बड़े पैमाने पर हुई जिससे सड़के एवं पुल क्षतिग्रस्त हो गये तथा बिजली के खम्भे भी गिर गये। इन सार्वजनिक सम्पत्तियों के पुनः निर्माण एवं चालू करने हेतु लोक निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग से आंकलन तैयार कराया गया जिसके अनुसार लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल रु0 2715.13 लाख एवं विद्युत विभाग द्वारा रु0 6.16634 लाख की कार्य योजना उपलब्ध करायी गयी।

उक्तानुसार जिला प्रशासन द्वारा जनपद स्तर पर निवारणात्मक कार्यवाही की गयी है।,

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र रामपुर खास में बाई पास निर्माण के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना' द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मेरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहॉ पर आवागमन के लिये सड़कों/मार्गों तथा बुनियादी.....

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[सुविधाओं का अभाव है। जनहित में आवागमन की समस्या को ध्यान में रखते हुये मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत लालगंज रजबहा के कि0मी0 0.697 से कि0मी0 0.0958 तक तथा भदारी माइनर के कि0मी0 0.00 से 2.715 तक के सर्विस रोड को पक्का करके ''बाईपास'' का निर्माण किये जाने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी थी, किन्तु अभी तक इसका निर्माण कार्य अधूरा है, ऐसी स्थिति में लोगों के सामने गम्भीर समस्या बनी रहती है। क्योंकि कार्य पूर्ण न होने के कारण तहसील मुख्यालय, कोतवाली, डिग्री कालेज एवं दीवानी न्यायालय आदि के पास घण्टों जाम लगा रहता है और दुर्घटनाएं हो रही हैं।

लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग–231 पर 'मध्य' में स्थित है। उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के मध्य में स्थित लालगंज टाउन एरिया एवं तहसील मुख्यालय होने के साथ ही साथ यहां पर तीन डिग्री कालेज, राजकीय गर्ल्स इण्टर कालेज सहित कई इण्टर कालेज एवं कई अन्य शिक्षण संस्थाएं स्थित हैं, यहां पर दीवानी न्यायालय, पुलिस स्टेशन, स्टेट बैंक आफ इण्डिया की शाखा सहित कई अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं, डाकघर, ट्रान्सफारमर रिपेयरिंग वर्कशाप वितरण केन्द्र, वन विभाग का कार्यालय होने के साथ कई अन्य राजकीय विभागों के कार्यालय भी स्थित हैं। उपरोक्त बाईपास का निर्माण कार्य अधूरा होने के कारण लोगों के सामने आवागमन की गम्भीर समस्या बनी हुई है और उनमें कुण्ठा तथा रोष व्याप्त है।

वक्तव्य–

शारदा सहायक संगठन के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता, षोडशम मण्डल, सिंचाई कार्य, प्रतापगढ़/अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, प्रतापगढ़ के कार्य क्षेत्र में जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र रामपुर में उक्त खण्ड द्वारा लालगंज रजबहा के कि0मी0 0.697 से कि0मी0 0.0958 तक तथा भदारी माइनर के कि0मी0 0.000 से 2.715 तक के सर्विस रोड को पक्का करने की परियोजना लागत रू0 149.28 लाख प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 द्वारा अनुमोदित की गई। उक्त परियोजना की लागत रू0 149.28 लाख के व्यय प्रस्ताव की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 12/2017/3759/16–27–सिं0–4–177(डब्ल्यू) परि0/16, दिनांक 04 जनवरी, 2017 द्वारा प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष परियोजना के कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। प्रदेश में दिनांक 04–01–2017 को ही आदर्श आचार चुनाव संहिता लागू हो जाने के कारण सक्षम प्राधिकारी, अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निविदा आमंत्रित करना सम्भव नहीं हो सकता जिसके कारण नियमानुसार स्वीकृत बजट की धनराशि समर्पित कर दी गई। स्वीकृत

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धनराशि समर्पित हो जाने के कारण प्रश्नगत परियोजना के कार्य प्रारम्भ नहीं हो सके। वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर परियोजना के कार्य कराया जाना संभव होगा।,

जनपद लखनऊ में फैल रहे डेंगू के प्रकोप से बचाने हेतु अधिकारियों द्वारा बरती जा रही उदासीनता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में उल्लिखित है कि 'उत्तर प्रदेश की राजधानी....

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्लखनऊ में डेंगू ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है, परन्तु अभी तक इसके लिये जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी रोकथाम के लिये कोई प्रभावी कदम न उठाये जाने से डेंगू के लार्वा कई अस्पतालों, स्कूलों में मिल रहे है। इत्फाक यह है कि डेंगू का इलाज करने वाले मेडिकल कालेज के डाक्टर भी इसकी चपेट में आ रहे हैं जो कि प्रशासन की उदासीनता की पोल खोल कर रख दे रहा है। अभी तक नगर निगम द्वारा कहीं भी फागिंग एवं दवाओं का छिड़काव नहीं किया जा रहा है जिससे डेंगू अपना प्रभाव तेजी से बढ़ा रहा है। यदि समय रहते सरकार द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाये गये तो डेंगू की बीमारी अपना विकराल रूप ले लेगी। जनहित में आवश्यक है कि डेंगू के प्रकोप से बचाने हेतु अविलम्ब प्रभावी कदम उठाये जायें।

2–इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु अधिसूचना जारी कर अधिसूचित बीमारी (छवजपपिंइसम क्पेमेंम) घोषित किया जा चुका है। सभी जनपदों के अपर मुख्य चिकित्साधिकारियों को नियंत्रक प्राधिकारी नामित कर दिया गया है। इसके रोकथाम के लिये शासनादेश दिनांक 30 जून, 2017 द्वारा सम्बन्धित विभागों के कार्यों को चिन्हित कर सभी मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों को निर्देश भेजे जा चुके हैं। नगर निगम को निर्देशित किया गया है कि वे शहर में कूड़ा निस्तारण, जल निकासी, नालों एवं नालियों की सफाई, स्वच्छता एवं फागिंग के कार्यों को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर पूर्ण करायें। शिक्षा विभाग को यह निर्देश दिये गये हैं कि वे सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

छात्रों को पूरी आस्तीन की कमीज एवं पैन्ट व मोजे पहन कर आने की अनिवार्यता सुनिश्चित करायें। साथ ही उन्हें यह भी निर्देश दिये गये है कि सभी सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में एक अध्यापक को नामित कर मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर उन्हें प्रशिक्षित करायें। यह अध्यापक अपने स्कूल में कक्षा–1 से 12 तक के छात्रों को डेंगू के रोकथाम एवं नियंत्रण की जानकारी देंगे।

3–प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए आईसोनेशन वार्ड बनाये गये हैं जिनमें आरक्षित किये गये 10 बेड मच्छरदानी युक्त रखे गये हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मच्छरदानी युक्त 05 बेड डेंगू मरीजों के लिये आरक्षित किये गये हैं। सभी चिकित्सालयों में फीवर हेल्प डेस्क गठित कर दिये गये हैं, जो कि ज्वरग्रस्त मरीजों को उपचार के सम्बन्ध में परामर्श देने के साथ–साथ यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें पंजीकरण आदि के लिये लम्बी लाइनों में न लगना पड़े। सभी सरकारी चिकित्सालयों में डेंगू ग्रस्त मरीजों के उपचार की निःशुल्क व्यवस्था की गयी है। मुख्य चिकित्साधिकारी, लखनऊ द्वारा 70 टीमें गठित की जा चुकी हैं जिनके द्वारा डोर टू डोर भवनों, सार्वजनिक स्थलों/भवनों का निरीक्षण कर भवन स्वामियों को लार्वा पनपने न देने के सम्बन्ध में जानकारी दी जा रही है। जिन भवन स्वामियों द्वारा मच्छरों के रोकथाम के उपायों का पालन नहीं किया जा रहा है एवं परिसर में एकत्रित पानी में लार्वा पाये जाने पर उन्हें नोटिस भी दी जा रही है। अर्थ दण्ड भी लगाया जा रहा है। जनपद लखनऊ सभी जिला चिकित्सालयों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, एडिशनल प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुल 301 बेड आरक्षित किये गये है। डेंगू से बचाव एवं नियंत्रण हेतु लखनऊ के समस्त ग्रामीण चिकित्साधिकारियों, पैरामेडिकल स्टाफ, 358 आशा संगिनियों, 102 स्टाफ नर्स को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। लखनऊ में डेंगू की विशिष्ट जांच के लिए 04 सेन्टीनियल सर्विलान्स हास्पिटल लैब के निरीक्षण के लिये टीम गठित कर दी गई है, जो कि वर्तमान में यह सुनिश्चित कर रही है कि इन प्रयोगशालाओं में जांच की कार्यवाही ठीक ढंग से सम्पन्न हो।

4–माह अप्रैल, 2017 से प्रदेश के सभी जनपदों में लार्वा साइडल का छिड़काव किया जा रहा है। विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां गत वर्ष डेंगू के मामले पाये गये थे। सभी जनपदों में रैपिड रेस्पान्स टीमों का गठन किया जा चुका है। इन टीमों का मुख्य कार्य जहां डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोग के मरीज पाये जा रहे हैं वहां मरीजों के घर जाकर मच्छरों के लार्वा का पता लगाना और उनको नष्ट करते हुए परिवार के सदस्यों को संक्रमण से बचाव की जानकारी देना।

5–इस सम्बन्ध में डेंगू एवं अन्य वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण एवं बचाव के सम्बन्ध में प्रदेश के सभी जनपदों में जिला टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जिला अधिकारी, लखनऊ की अध्यक्षता में गठित जिला टास्क फोर्स की दिनांक 11–05–2017 तथा दिनांक 10–07–2017 को सम्बन्धित विभागों/ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर आवश्यक निर्देश दिये गये।

प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारियों द्वारा निजी चिकित्सालयों के चिकित्सकों के साथ बैठकें कर भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार डेंगू तथा अन्य वेक्टर जनित रोगों के इलाज, रोकथाम एवं नियंत्रण करने की व्यवस्था की जानकारी दी जा रही है।,

जनपद आगरा के सेक्टर–10 के पार्क के सौन्दर्यीकरण व सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगन प्रसाद गर्ग द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना

संसदीय कार्य मंत्री के वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

श्री जगन प्रसाद गर्ग, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दिनांक

12.07.2017 को निम्नलिखित सूचना दी गयी। मैं आपके माध्यम से....

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्सरकार का ध्यान आगरा की सेक्टर–10 के पार्क की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

आगरा के सेक्टर–10 आवास विकास कालोनी, सिकन्दरा के मकान नं0 419 के सामने स्थित पार्क जर्जर अवस्था में है। पार्क में बाउन्ड्रीवाल, पैदल–पथ व लाईट नहीं है, जिससे पार्क में घूमने वाले व्यक्तियों को काफी परेशानी होती है।

अतः मैं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से इस पार्क के सौन्दर्यीकरण कराने की मांग करता हूं।

2–मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आगरा के सेक्टर–10 आवास विकास कालोनी सिकन्दरा के मकान नं0 419 के सामने स्थित पार्क क्षतिग्रस्त है। उक्त पार्क के सौन्दर्यीकरण कार्य हेतु अनुमानित लागत रु0 18.53 लाख की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।,

उत्तर प्रदेश में राज्य कौशल विकास मिशन के निष्पादन के सन्दर्भ में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में श्री जटाशंकर त्रिपाठी द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

माननीय सदस्य द्वारा नियम–51 के अर्न्तगत दी गयी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि..

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

[वर्तमान समय में राज्य कौशल विकास मिशन के अन्तर्गत कितने पद संविदा आधारित हैं और कितने कार्मिकों को एच0आर0/मैनपावर एजेन्सी से लिया गया है और इस एजेन्सी का चयन किन मानकों और प्रक्रियाओं के अन्तर्गत किया गया है ? वर्तमान समय में कुशीनगर जनपद के अन्तर्गत कौन–कौन से ''कौशल विकास केन्द्र'' किस विशेष सेक्टर/ट्रेड में संचालित हो रहे हैं और इन केन्द्रों की प्लेसमेंट एजेंसीज कौन–कौन सी है ? साथ ही यह बतायें कि इन केन्द्रों पर अब तक कितने प्रशिक्षणार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और अप्रैल–जून, 2017 के दौरान कितने नये छात्र एनरोल्ड हुए हैं ?

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उ0प्र0 कौशल विकास मिशन के मुख्यालय व इसकी जनपदीय इकाइयों में शासनादेश संख्या 271/2016/2560/89–व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0–2016–23(एम)/2016, दिनांक 07 सितम्बर, 2016 एवं शासनादेश संख्या 329/2016/3683/89–व्या0शि0 एवं कौ0वि0वि0–2016–23(एम)/2015, दिनांक 30 नवम्बर, 2016 द्वारा कुल 333 पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की सेवायें प्राप्त करने हेतु सृजित हैं। मिशन द्वारा संविदा पर सीधे किसी कर्मी की न सेवायें प्राप्त की गयी हैं और न ही मिशन में संविदा पर कर्मियों को लेने/अनुबन्धित करने का कोई प्राविधान उक्त शासनादेश में है।

उत्तर प्रदेश सरकार के आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अधीन गठित मै0 यूपी डेस्को, जो एक शासकीय संस्था है और शासनादेश संख्या 1710/78–2–2016–135 आईटी–2016, दिनांक 17 नवम्बर, 2016 द्वारा विभिन्न कार्यालयों में जनशक्ति आपूर्ति करने हेतु अधिकृत है,को ही मिशन में आउटसोर्सिंग एजेंसी के रूप में अनुबन्धित किया गया है, क्योंकि उक्त संस्था एक शासकीय उपक्रम है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की सेवायें उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा अधिकृत है। अतः उक्त संस्था को अनुबन्धित किये जाने हेतु किसी अन्य औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है।

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद कुशीनगर में जिन प्रशिक्षण प्रदाताओं के कौशल प्रशिक्षण केन्द्र वर्तमान में संचालित है तथा उन केन्द्रों में जिन ट्रेड्स में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उनका विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	प्रशिक्षण प्रदाता का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का पता	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध ट्रेड	प्रशिक्षण हेतु उपलब्ध कोर्स	अब तक प्रशिक्षित युवाओं की संख्या	अप्रैल–जून, 2017 के मध्य इनरोल्ड युवाओं की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
अ	एआईएसईसीटी	एनएच–28 गोरखपुर रोड, कुशीनगर	सूचना सम्प्रेषण तकनीक	डीटीपी एण्ड प्रिन्ट पब्लिशिंग असिस्टेंट	216	27
ब	दृष्टि द विजन	विष्णुपुरा, तमकुहीराज, कुशीनगर	सूचना सम्प्रेषण तकनीक	लेखा सहायक (टैली)	108	108
स	आईआईएमटीई	चित्रांश भवन, तिलक नगर (नौकाटोला, पोखरा, मुन्ना कालोनी) के पास, पडरौना, कुशीनगर	सूचना सम्प्रेषण तकनीक एवं वस्त्र निर्माण	डोमेस्टिक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, लेखा सहायक (टैली) दर्जी (प्रारम्भिक सिलाई)	449	162

उक्त तालिका के स्तम्भ संख्या 6 व 7 में क्रमशः अब तक प्रशिक्षित युवाओं की संख्या एवं अप्रैल–जून, 2017 तक इनरोल्ड प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इंगित की गयी है।

जनपद कुशीनगर में कोई पृथक प्लेसमेंट एजेन्सी नहीं है। प्रशिक्षण प्रदाताओं का ही यह दायित्व है कि वह स्वयं द्वारा प्रशिक्षित व सफल प्रशिक्षार्थियों के सेवायोजन को सुनिश्चित करायें। राज्य मुख्यालय स्तर पर अवश्य सरल रोजगार, सलेक्ट जॉब्स, मॉनस्टर डाट कॉम तथा मेरा हुनर प्लेसमेंट एजेन्सीज के रूप में अनुबन्धित हैं।,

जनपद सीतापुर की तहसील–महमूदाबाद स्थिति प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में सी0एन0डी0एस0 एजेंसी द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद में ग्राम अहिबरनपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण में कन्स्ट्रक्शन एवं डिजाइन सर्विसेज.....

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख(सी0 एण्ड डी0एस0) एजेन्सी द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में नियम–51 के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना निम्नवत् है–

''जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद के ग्राम अहिबरनपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सी0 एण्ड डी0एस0 एजेंसी द्वारा भवन निर्माण कराया जा रहा है जिसमें मौरंग की जगह बालू लगायी गयी है व सीमेन्ट का इस्तेमाल कम किया गया है जिससे निर्माणाधीन भवन की गुणवत्ता खराब हो रही है जिससे निर्माणाधीन भवन जल्दी खराब होगा। उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अति आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।''

उक्त सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् है–

1–उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मल्टीसेक्टोरल डेवलपमेन्ट प्लान (एम0एस0डी0पी0) के अन्तर्गत विकास खण्ड महमूदाबाद के अहिबरनपुर में प्राथ0 स्वा0 केन्द्र की स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 2899/बावन–1–2016–01 (131)/13, दिनांक 04 नवम्बर, 2016 द्वारा लागत रु0 149.00 लाख अनुमोदित करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रु0 74.50 लाख अवमुक्त किया गया है तथा निर्माण कार्य सी0 एण्ड डी0एस0 जल निगम निर्माण एजेन्सी को आवंटित किया गया है। जनपद से प्राप्त आख्या के अनुसार मुख्य भवन का निर्माण कार्य 80 प्रतिशत भाग में लिन्टन स्तर तक किया गया है। भवन में एंगिल आयरन, दरवाजे की चौखट एवं जेड सेक्शन खिड़कियों के फ्रेम लगाये गये हैं।

2–उक्त शिकायतों की जांच हेतु अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को पत्र संख्या 4640/14फ/नि0अ0/2017–18, दिनांक 14–07–2017 द्वारा जांच अधिकारी नामित किया गया है। जांच आख्या प्राप्त

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

होने पर जांच आख्या में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।,

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र तिलहर में 179 किसानों की मृत्यु उपरान्त कृषि दुर्घटना बीमा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रोशन लाल वर्मा आदि द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

जनपद शाहजहॉपुर की 11 विधान सभा क्षेत्र तिलहर के अन्तर्गत सुरेन्द्रपाल पुत्र श्री गेंदन लाल निवासी ग्राम कबरा हुसेनपुर नन्हें पुत्र श्री भगवान...

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

ख्दास, निवासी मोहल्ला तहबरगंज, पिन्टू मौर्य पुत्र श्री रामपाल, निवासी ग्राम खेड़ा संडा आदि सैकड़ों लोगों की दुर्घटताओं में मृत्यु हो गयी थी। मेरी विधान सभा तिलहर में 43 लोगों की मृत्यु व पूरे जनपद में शाहजहांपुर में 179 लोगों की मृत्यु वर्ष 2013–14 से 2016–17 तक हुई है, परन्तु अभी तक उनके परिवार वालों को सरकार व शासन द्वारा कृषि दुर्घटना बीमा की स्वीकृति धनराशि नहीं दी गयी है। उनके परिवार वाले रोजी–रोटी के संकट में भुखमरी के कगार पर हैं। इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा 15 जून, 2017 को मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र दिया गया था, जिसका अन्तरित नम्बर 18152170093084 है लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

अतः नियम–51 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराकर वक्तव्य दिलाये जाने की मांग करता हूं।

केवल वक्तव्य–

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, शाहजहॉपुर से प्राप्त आख्या में उल्लेख किया गया है कि जनपद शाहजहॉपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के 43 तथा सम्पूर्ण जनपद शाहजहॉपुर में 179 लोगों की मृत्यु वर्ष 2013–14 से 2016–17 के मध्य हुई है, के सभी दावे जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा दावों में निहित धनराशि रु0 8,95,00,000/– की मांग की गयी, जिसके सापेक्ष रु0 1,75,00,000/– की धनराशि का आवंटन किया गया है, जिसे सुरेन्द्रपाल पुत्र श्री गेदनलाल निवासी ग्राम कबरा हुसैनपुर की लाभार्थी/पत्नी बृजेश कुमारी, नन्हें पुत्र श्री

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भगवानदास, नि0मो0 तहबरगंज की लाभार्थी/माता श्रीमती शान्ति देवी, पिन्टू मौर्य पुत्र श्री रामपाल नि0ग्रा खेड़ा संडा की लाभार्थी/माता श्रीमती सरस्वती सहित 35 लोगों के परिवारों के पात्र सदस्य/लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में अन्तरित कर दी गयी है। शेष 144 व्यक्तियों के परिवारों को शासन/परिषद से धनराशि प्राप्त होने पर क्रमानुसार उनके बैंक खाते में अविलम्ब अन्तरित कर दी जायेगी।,

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर के महत्वपूर्ण मार्गों में बड़े–बड़े गड्ढ़े होने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में श्री सीताराम वर्मा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर उप मुख्य मंत्री (लोक निर्माण) का केवल वक्तव्य

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा 189 सदन से जाने वाला हलियापुर–बिलवाई–राजमार्ग–सिमरी–बिरसिंहपुर–दोसपुर मार्ग, पीढ़–बगिया–चौराहा–दियरा– मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण..

श्री शैलेन्द यादव 'ललई'–

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, इसको पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

सूचना

[मार्ग है। मार्गों में बड़े–बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिससे आये दिन दुर्घटनायें भी होती रहती है। इन मार्गों के अत्यन्त खराब होने के कारण आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सरकार की योजना सड़कों को गड्ढामुक्त करने की है परन्तु अधिकारियों की उदासीनता के कारण इन मार्गों का मरम्मत/निर्माण कार्य नहीं किया गया है, जिससे क्षेत्र के लोगों में असन्तोष एवं निराशा व्याप्त है। जनहित में उपरोक्त मार्गों को गड्ढा मुक्त किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम 51 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त मार्गों को निर्माण/गड्ढा मुक्त किये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ

केवल वक्तव्य

मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा नियम–51 के अन्तर्गत दी गई सूचना के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति निम्नवत है :–

[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(1) हलियापुर–बेलवाई मार्ग प्रमुख जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसकी जनपद सुल्तानपुर में कुल लम्बाई 102.356 कि0मी0 है, जिसके चैनेज 49.272 कि0मी0 से चैनेज 56.00 कि0मी0 तक कुल 6.728 कि0मी0 राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 232 का भाग है एवं चैनेज 56.00 कि0मी0 से चैनेज 77.00 कि0मी0 तक का भाग सेमरी बिरसिंहपुंर दोसपुर मार्ग के नाम से जाना जाता है राष्ट्रीय राजमार्ग का भाग छोड़कर शेष लम्बाई 95.628 कि0मी0 में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य पर एशियन विकास बैंक योजनान्तर्गत शासनादेश दिनांक 13.07.2015 द्वारा रु0 38714.01 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है।

यह भी उल्लेख करना है कि प्रश्नगत मार्ग क्षतिग्रस्त होने के कारण वित्तीय वर्ष 2017–18 में गड्ढा मुक्ति योजनान्तर्गत 62.30 कि0मी0 लम्बाई में पैच मरम्मत का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।

(2) पीढ़ी–बगिया चौराहा–दियरा मार्ग, लम्भुआ दियरा चौराहा से पीढ़ी मार्ग पर स्थित है, यह अन्य जिला श्रेणी का मार्ग है, जिसके 16.55 कि0मी0 लम्बाई में सुदृढ़ीकरण हेतु पैकेज सं0 681163 पी0एम0जी0एस0वाई0 अन्तर्गत रु0 1946.19 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। दिसम्बर 2017 तक मार्ग को पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।,

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे पूर्वाहन् फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 07 बजकर 16 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया है।)

लखनऊ :

दिनांक : 18 जुलाई, 2017

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0–एल0 223 विधान सभा (431)–28–12–2017–813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।